राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

पं० सोहन लाल द्विवेदी

भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पीढ़ी के एक पुरोधा—हिन्दी के मूर्धन्य गांधीवादी साहित्यकार पद्मश्री पंडित सोहन लाल द्विवेदी का पार्थिव शरीर एक मार्च 1988 को पंचतत्व में विलीन हो गया।

राष्ट्रकवि पं. सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 3 मार्च 1908 को उत्तर प्रदेश के बिन्दकी (फतेहपुर) में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए वे काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में गए। काशी में महामना पं. मदनमोहन मालवीय के सान्निध्य में उनके काव्य-सृजन में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार होने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में एल-एल. बी, डी. लिट् आदि उपाधियों से अलंकृत हुए। 'अधिकार' और 'बाल सखा' का सम्पादन किया। उनकी लेखनी से राष्ट्र-प्रेम से ओत-प्रोत काव्य रचनाएं जन्म लेती रहीं। उनकी प्रमुख रचनाओं में 'प्रभाती' 'बाल भारती' 'पूजा गीत' 'बासंती' 'भैरवी' 'शिशु भारती' 'वासवदत्ता' 'जय भारत जय' आदि 40 पुस्तकें हैं, जिनमें सैंकड़ों कविताएं हैं।

द्विवेदी जी राष्ट्रवाद तथा गांधीवादी दर्शन के प्रमुख और सशक्त व्याख्याता-कवि माने जाते हैं। उन्होंने गांधी जी को केवल 'राष्ट्रदेवता' ही नहीं माना, अपितु उनकी दृष्टि में गांधी जी युगावतार, युगदृष्टा थे जो भारतीय जीवन में लुप्त मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के मसीहा थे। गांधी जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और विश्वास द्रष्टव्य हैं—

'तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन हुए, युग मौन हुआ।
कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म तना, युग धर्म बना।

— — —

चल पड़े जिधर दो डग मग में
पड़ गए कोटि पग उसी ओर

जीवन-पर्यन्त राष्ट्र की पीड़ा में अपना स्वर मिलाने वाली राष्ट्र-कवि की आत्मा अन्ततः राष्ट्र के स्वर में विलीन हो गई—

"वेदना के इन स्वरों में
एक स्वर मेरा मिला लो।"

'राजभाषा भारती परिवार' की ओर से राष्ट्रकवि पं. सोहन लाल द्विवेदी की स्मृति को शत शत प्रणाम।

—गुव

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

चैत्र—ज्येष्ठ 1910 शक
अप्रैल—जून 1988

वर्ष : 11
अंक : 41

संपादक
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)

उप-संपादक
डॉ. गुरुदयाल बजाज

मुखपृष्ठ सज्जा
डॉ. भगवती प्रसाद निदारिया

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन : 617807/690613

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

विषय सूची

सम्पादकीय — पृष्ठ
पाठकों के पत्र

o चिन्तन

1. पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण — डॉ. लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा — 6
2. भाषा में पर्यायवाची शब्दों की समस्या — प्रो. कैलाश चन्द्र भाटिया — 10
3. नागर विमानन तथा भारतीय विमान कंपनियों में प्रयुक्त साहित्य एवं सामग्री का अनुवाद — गौरी शंकर शर्मा — 14
4. हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों का आविर्भाव — डॉ. नरेश कुमार — 17
5. उत्पादन एवं शिक्षा स्वभाषा में — नेत्रपाल सूदन — 20
6. रचनात्मक तकनीकी लेखन — डॉ. ओम् विकास — 22

o साहित्यिकी

7. पूर्वोत्तर सीमांचल में भटका मध्य प्रदेश का एक ममतीला मेघ — डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे — 24
8. मैथिलीशरण गुप्त और सम्पर्क भाषा — डॉ. कलानाथ शास्त्री — 26

o पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में

9. जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिन्दी को अपनाया — हरि शंकर — 27

o विश्व हिन्दी दर्शन

10. विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी — डॉ. सर्वदानन्द द्विवेदी — 29

o समिति समाचार

11. (क) मन्त्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें— — 31
(1) विधि और न्याय मंत्रालय (2) संचार मंत्रालय (3) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (4) इस्पात और खान मंत्रालय (5) गृह मंत्रालय (6) रक्षा मंत्रालय (7) आर्थिक कार्य विभाग (8) संसदीय कार्य मंत्रालय (9) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (11) विदेश मंत्रालय (12) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (13) कोयला विभाग (14) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें :— — 53
(1) बेलगांव (2) अहमदाबाद (बैंक) (3) नाशिक (4) जबलपुर (बैंक) (5) अजमेर (6) जयपुर (बैंक) (7) लखनऊ (बैंक)

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें— 64

(1) मण्डल रेल कार्यालय, हुबली (2) दि मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन, गोवा (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कोचीन (4) पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि. (गुजरात) (5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर (6) महाप्रबन्धक, मध्य रेल, बम्बई (वी.टी.) (7) गोला-बारूद फैक्ट्री, खड़की (पुणे) (8) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, इंदौर (9). भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन, बम्बई (10) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून (11) इंजीनियर्स इंडिया लि. नई दिल्ली (12) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

o राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठयों के आयोजन 77

1. इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह
2. उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, जम्मू
3. तिरुअन्तपुरम में दक्खिणी हिन्दी पर संगोष्ठी
4. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में राजभाषा संगोष्ठी
5. कुल्टी वर्क्स, बर्नपुर में 'हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन" पर संगोष्ठी
6. लघु उद्योग सेवा संस्थान नागपुर में संगोष्ठी
7. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में सेमीनार
8. बिहार सरकार की हिन्दी सेवी सम्मान योजना
9. अखिल भारतीय हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह

o हिन्दी के बढ़ते चरण 93

1. क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (ल.उ.से.) मद्रास में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति
2. आन्ध्र बैंक, करीमनगर में राजभाषा कार्यान्वयन में उपलब्धियां
3. भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक, कलकत्ता में हिन्दी के बढ़ते चरण
4. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. पिम्परी (पुणे) में राजभाषा कार्यान्वयन
5. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पुणे अंचल में हिन्दी के बढ़ते चरण
6. लखनऊ रेलवे मण्डल : हिन्दी के प्रयोग में अग्रणी
8. भारतीय स्टेट बैंक (प्रधान कार्यालय), नई दिल्ली में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उपलब्धियां

o हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजन 102

o हिन्दी कार्यशालाएं 107

o विविधा 113

1. विभागीय समाचार
2. समाचार दर्शन 116

o आदेश-अनुदेश 123

संपादकीय

राजभाषा भारती अपने जीवन के दस वर्ष पूरे करके प्रस्तुत अंक (41) के साथ बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पदार्पण कर रही है। पत्रिका अपनी बालसुलभ क्रियाओं (सामग्री) से अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक करती रही हैं, जिस की पुष्टि समय-समय पर प्राप्त "पाठकों के पत्र" से होती है। किशोरावस्था में कुछ चंचलता-चपलता चाल-ढाल वेशभूषा आदि में थोड़ा बदलाव आना स्वाभाविक है। "राजभाषा भारती" के नए परिधान अर्थात मुखपृष्ठ के निर्माण में डा. भगवती प्रसाद निवारिया का हमें बहुमूल्य सहयोग मिला है। पाठकों को "राजभाषा भारती" नए रूप में कैसी लगी ? विचारों की हमें प्रतीक्षा है।

राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं को उदार बनाते हुए गत वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार समारोह—गांधीनगर, हैदराबाद तथा जम्मू में आयोजित किए गए। इस वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 17 मार्च 1988 को नई दिल्ली में आयोजित "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह" में महामहिम उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने कर-कमलों से पुरस्कार वितरित किए। हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की पृष्ठभूमि तथा कारणों का विवेचन करते हुए उपराष्ट्रपति जी ने अपने प्रेरणादायक भाषण में कहा कि, "हिन्दी हमारे देश को जोड़ने की भाषा है, हमारे दश की एकता की भाषा है। मूल बात यह है कि जनसाधारण तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की अपनी भाषा हो। अपनी इज्जत के लिए अपनी भाषा जरूरी है।"

गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संघ की राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग ने कई ठोस कदम उठाए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से पत्रादि के प्रारूप मूल रूप में हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए गृह मंत्री जी ने कहा कि "हम सब का यह दायित्व है कि हम सरकार की भाषा नीति के अनुरूप अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करें।

सरकारी कामकाज हिन्दी में करते समय पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न सहज ही सामने आ जाता है। डॉ0 लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा ने अपने लेख "पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण" में पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, महत्व शब्द निर्माण की प्रक्रिया आदि पक्षों का विस्तार से मंथन किया है। कई बार कामकाज में भाषा के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करने में पर्यायवाची शब्दों की समस्या आड़े आती है, इस विषय पर प्रो. कैलाश चन्द्र भाटिया ने "भाषा में पर्यायवाची शब्दों की समस्या" का समाधान प्रस्तुत किया है।

गैर-तकनीकी विभागों/कार्यालयों में तो जैसे-तैसे पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के लिए थोड़े-बहुत अभ्यास से काम चल जाता है, किन्तु तकनीकी तथा विज्ञान से संबंधित कार्यालयों के लिए शब्दावली का प्रश्न प्रायः सामने

आता है। अब हिन्दी में तकनीकी तथा वैज्ञानिक लेखन प्रभूत मात्रा में होने लगा है, अतः सरकारी उपक्रमों/कार्यालयों के विद्वान अधिकारीगण अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यालयीन साहित्य सृजन कर रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन एअर लाइन्स के उप कार्मिक प्रबन्धक (राजभाषा) श्री गौरी शंकर शर्मा का "नागर विमानन तथा भारतीय विमान कंपनियों में प्रयुक्त साहित्य एवं सामग्री का अनुवाद" विषयक लेख उल्लेखनीय प्रयास है।

सामान्यतः अंग्रेजी में ट्वन्टी वन, थर्टी वन, फोर्टी वन क्रम से गिनती पढ़ी जाती है। हिन्दी में प्रयुक्त गिनती भी भाषा के मूलस्रोत संस्कृत भाषा में प्रचलित है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर डा. नरेश कुमार का लेख "हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों का आविर्भाव" पाठकों की ज्ञानवृद्धि हेतु जोड़ दिया गया है। श्री नेत्रपाल सूदन का मानना है कि उत्पाद और शिक्षा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अतः स्वभाषा के प्रयोग पर उनका युक्ति-युक्त एवं तर्कसंगत लेख "उत्पाद एवं शिक्षा स्वभाषा में" प्रस्तुत है।

"साहित्यिकी" स्तम्भ में डा० लक्ष्मी नारायण दुबे का लेख 'पूर्वोत्तर सीमांचल में भटका मध्यप्रदेश का एक ममतोला मेघ' में भारत के उत्तर से पूर्व को जोड़ने वाली कड़ी भारत की सामाजिक संस्कृति के सहज में ही दर्शन हो जाते हैं। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि के रूप में विख्यात हैं, किन्तु "सम्पर्क भाषा के प्रश्न" पर उन के विचारों को डा. कलानाथ शास्त्री ने अपने लेख मैथिलीशरण गुप्त और "सम्पर्क भाषा" में रेखांकित किया है।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में देश के लिए भावी संविधान, ध्वज, राष्ट्रभाषा आदि विभिन्न मुद्दों पर खुल कर चर्चाएं हुई, विचार-विमर्श हुआ अन्ततः राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के प्रश्न को लेकर हिन्दी के लिए सहमति बनी। "पुरानी यादें नए प्ररिप्रेक्ष्य" में इस घटनाक्रम को पेश कर रहे हैं श्री हरिशंकर अपने लेख—'जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिन्दी को अपनाया' में, विश्वास है कि पाठकों को यह लेख पसन्द आएगा।

विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन कार्य चल रहा है। प्रवासी भारतीय, विदेशी में बसे भारतीय मूल के लोग तथा विदेशी अपनी ज्ञान पिपासा की शान्ति हेतु हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत है पाठकों की जानकारी के लिए डॉ. सर्वदानन्द द्विवेदी का लेख' विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी'।

"राजभाषा सम्मेलन संगोष्ठियों का आयोजन" स्तम्भ में "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह" तिरूअनन्त पुरम में "दक्खिनी हिन्दी पर संगोष्ठी" हिन्दी में वैज्ञामिक और तकनीकी लेख पर संगोष्ठी" आदि के आलेख पाठकों को पसन्द आएंगे।

शेष स्तम्भ "समिति समाचार" "हिन्दी के बढ़ते चरण" "हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजन' "हिन्दी कार्यशालाएं" में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों का विशद विवेचन है, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

"विविधा" में राजभाषा विभाग की विभिन्न इकाईयों—"केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो" "केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान "हिन्दी शिक्षण योजना" आदि की गतिविधियों का सारगर्भित उल्लेख है तो "समाचार दर्शन" में कुछेक रोचक एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं, हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े कर्मियों के मार्गदर्शन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश उद्धृत किए गए है।

पाठकगण ! प्रस्तुत अंक आपको कैसा लगा ? लिखने में संकोच न करें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है।

पाठकों के पत्र

यूनिवर्सिटी आफ् यार्क के भाषा विज्ञान एवं हिन्दी विभाग के निदेशक—प्राध्यापक डॉ. महेन्द्र किशोर वर्मा द्वारा अभिव्यक्त विचार उल्लेखनीय हैं—

'राजभाषा भारती' तथा 'राजभाषा पुष्पमाला' आज सुबह मिलीं। उन प्रतियों को मैंने अपने अंग्रेजी भाषी हिन्दी के विद्यार्थियों को न केवल दिखाया ही, पढ़ाया भी। इतनी दूर रहकर हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार करना आसान नहीं, पर जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहा हूं—राजभाषा विभाग मेरी जो भी सहायता करेगा, मेरा काम उतना आसान हो जाएगा।

□

श्री गुरुनाथ विश्वनाथ तुगांवकर, गंज भालकी-585328 (कर्णाटक) के उद्गार इस प्रकार हैं—

हिन्दी संबन्धी संपूर्ण जानकारी देने वाली राजभाषा भारती' पत्रिका निकाल कर श्लाघनीय कार्य कर रहे हैं। अहिन्दी भाषियों में हिन्दी का प्रचार करने वाले प्रचारक बन्धुओं को नई-नई जानकारियां प्राप्त तो होती ही हैं, किन्तु अनेक लेख तथा समाचार पढ़कर उत्साह बढ़ता है। 'पुरानी यादें' नए परिप्रेक्ष्य में— में 'मातृभाषा का उद्धार' पठनीय है।

□

श्री वि. बसप्पा आर्य, कड़पल, सिगीपुर, जिला मेढक (आंध्रप्रदेश)-502287 लिखते हैं कि—

राजभाषा भारती (36) मिली। पढ़कर मन प्रसन्न हुआ। राजभाषा के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। मुख पृष्ठ कागज़, लेख आदि अच्छे हैं।

□

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, म.प्र. भोपाल के मुख्य प्रबन्धक श्री जी. जे. शामदासानी के विचारानुसार—

'राजभाषा भारती' अंक 39 प्राप्त हुआ। सांसद श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का लेख 'राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा है' बहुत ही प्रेरणास्पद है। श्री सन्तराम बी. ए. का लेख अन्य भाषा-भाषी लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक रहेगा। इन लेखों को पढ़ने से हम सब लोगों को हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम एवं प्रयोग की प्रेरणा प्राप्त हुई है।

□

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, नीमच (म.प्र.)—458445 के अपर पुलिस महनिरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार सूरी का मत है—

'राजभाषा भारती' (अंक 37) देखने का पहला अवसर मिला। इसमें विशेषकर 'राजभाषा नीति : एक विवेचन' पर संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभुदयाल, 'राष्ट्र की आन, एक भाषा एक जान' पर महेशचन्द्र अवस्थी, 'पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में' स्वामी श्रद्धानन्द जी एवं 'हिन्दी चली समुद्र पार' स्तम्भ में रागिनी सिन्हा के लेख ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है।

हिन्दी के प्रचार प्रसार प्रगति सरकारी नीति, शब्दावली एवं अन्य प्रेरणादायक सामग्री से भरपूर यह पत्रिका निश्चित ही उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। राजभाषा भारती परिवार ऐसे अच्छे प्रकाशन के लिए बधाई का पात्र है।

□

श्री ब्रह्मपाल, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, माकतलाल सेंटर (II) नरीमन प्वांइट, बम्बई-400021 के अनुसार—

'राजभाषा भारती' (अंक 38) के आद्योपान्त अवलोकन से पता चलता है कि राजभाषा नीति संबन्धी अन्य बातों के साथ-साथ इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि से संबन्धित क्रिया-कलापों की जानकारी एक-दूसरे के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरकस्रोत हैं।

□

श्री स.द. वैद्य, आर. नं. 10, अवधूतनगर, पिम्परी रेलवे स्टेशन (पूर्व) पिम्परी, पूणे-411018 पत्रिका के महत्व के बारे में लिखते हैं—

इस पत्रिका (राजभाषा भारती) के नियमित रूप से पढ़ने से हिन्दी के संबन्ध में भारत एवं विदेशों में चल रहे हिन्दी कार्य की जानकारी मिलती है। हिन्दी का लेखन भी सुधरता है तथा अच्छे पत्राचार की क्षमता भी बढ़ जाती है।

□

हैदराबाद-1 (आंध्रप्रदेश) 5-4-674, कट्टलमण्डी से प्रकाशित दैनिक हिन्दी मिलाप के सुयोग्य संपादक श्री युद्धवीर ने सरकारी विज्ञापनों के अंग्रेजी में प्रकाशन के मुद्दे पर लिखा है कि :—

राजभाषा भारती अंक 37 और 38 प्राप्त हुए। इन अंकों में प्रकाशित सामग्री के कुछ भाग पढ़े। विभिन्न मंत्रालयों की राजभाषा सलाहकार समितियां भी अच्छा काम कर रही हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि

स्वतंत्रता के चालीस वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, सरकारी और भारत सरकार के अन्तर्गत चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम अपना पूरा प्रचार अंग्रेजी समाचारपत्रों द्वारा ही क्यों करते हैं? अंग्रेजी समाचार पत्र ऐसे विज्ञापनों से भरे रहते हैं। हिन्दी समाचारपत्रों में विशेषकर हिन्दीतर क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले हिन्दी समाचारपत्रों में यह सब विज्ञापन दिखाई नहीं देते। परिणामतः हिन्दी के पाठकों को इन विज्ञापनों की जानकारी के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने पर बाध्य होना पड़ता है। हिन्दी हम जबर्दस्ती ठोंसना नहीं चाहते, किन्तु उपरोक्त कारण से हम अंग्रेजी जबर्दस्ती अवश्य ठोंस रहे हैं।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग और हिन्दी सलाहकार समितियों का ध्यान उपरोक्त बात की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि राजभाषा विभाग और सलाहकार समितियां इस ओर ध्यान देकर उचित पग उठाएंगे, जिससे हिन्दीतर क्षेत्र विशेषकर दक्षिण भारत से प्रकाशित हिन्दी समाचारपत्रों में चाहे उनकी सर्कुलेशन कम ही क्यों न हो, वह सब विज्ञापन प्रकाशित हों जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं।

□

श्री भूपेंद्र वे. वैद्य, शाखा प्रबन्धक, देना बैंक, गलेमण्डी, सूरत-395003, का अभिमत है :

'राजभाषा भारती' पढ़ने का अवसर मिला। अंक 38 गौर से देखा-पढ़ा, प्रसन्नता हुई। राजभाषा के प्रयोग में आपकी पत्रिका महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बैंकिंग कार्य किस तरह हिन्दी में हो रहा है, यह आपने अच्छी तरह से बताया।

□

श्री हरेराम वाजपेयी, यूको बैंक (मण्डल कार्यालय) ए.बी. रोड, इन्दौर-452008 ने अपनी भावाभिव्यक्ति निम्न प्रकार से की है:—

....'राजभाषा भारती' मेरे दृष्टिकोण से एक बहुआयामी पत्रिका है। ज्ञान प्राप्ति का सुलभ एवं राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार तथा उच्चस्तरीय लेखों की जानकारी का सहज साधन। खासतौर से राजभाषा से जुड़े लोगों के लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्द्धन की अहम् भूमिका निभाने की क्षमता रखती है।

इस अंक (39) में सांसद श्री जगदम्बी प्रसाद यादव की वार्ता 'राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा है', सार्थक लगी। 'आनुवंशिकी शिक्षा और हिन्दी भाषा' में डा. आर.के. सिंह के विशिष्ट पद्यानुवाद से बहुत प्रभावित हुआ हूं।

□

डा. प्रेमकान्त टण्डन, रीडर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद की 'राजभाषा भारती' के बारे में सम्मति है कि—

सरकारी कामकाज में विभिन्न स्तरों पर राजभाषा हिन्दी के सतत् वर्द्धमान प्रयोग, उसके व्यवहार की प्रक्रिया में अनुभूत कठिनाइयों, उनके निराकरण के उपाय, विज्ञान तथा अन्य साहित्येतर क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाओं आदि जैसे उपयोगी एवं सार्थक विषयों पर सारगर्भित सामग्री प्रकाशित कर के 'राजभाषा भारती' अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही है।

राजभाषा भारती (अंक 39) में प्रकाशित विद्यावृद्ध हिन्दी सेवी, महामना श्री सन्तराम बी.ए. की 'मेरे जीवन के अनुभव' शीर्षक जीवनी का सन्दर्भवान अंश अत्यन्त प्रेरक एवं मार्मिक है। इसकी प्रेरणाशक्ति का आधार यह है कि मनीषी लेखक ने इसमें स्वानुभूत एवं अन्तर्ध्वनित सत्य को अभिव्यक्ति दी है। .... मैं पत्रिका के एक जागरूक पाठक श्री एस.ई. राव के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया जाए। परन्तु मैं इस सुझाव में किंचित परिवर्द्धन भी करना चाहूंगा, और वह यह कि भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय को किसी भी रूप में अनिवार्य न बनाया जाए।

□

केनरा बैंक आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़ से श्री एस. सी. गौड़ लिखते हैं कि—

'राजभाषा भारती' (अंक 38) प्राप्त हुआ। पत्रिका के लिए विषय सामग्री का चयन व संयोजन संपादकीय परिपक्वता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। देश के विभिन्न भागों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति व कार्यकलापों की झलक प्रस्तुत करती यह पत्रिका जहां एक ओर शुभ्र जल का कल-कल करता निर्झर प्रतीत होता है, वहीं राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सिंहनाद करती हुई भेरी जो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रबुद्ध भारतीय को कर्त्तव्यों की याद दिलाती है।

□

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (बिहार)-826001 में कार्यरत उप-निदेशक डा. देवेन्द्रनाथ ठाकुर शुभकामनाएं भेजते हुए लिखते हैं—

'राजभाषा भारती' (अंक 37 व 38) में प्रकाशित सामग्री निःसन्देह राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में ज्ञान-पिपासुओं के लिए अमृतपान है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार का एक अग्रगी माध्यम होने के नाते यह पत्रिका 'राजभाषा जागरण' को अदम्य उत्साहवर्धन प्रदान कर राष्ट्र के कण-कण में स्वभाषा की देदीप्यमान प्रदीप शिक्षा प्रज्ज्वलित करने का एक सफल प्रयत्न है।

हम चाहते हैं कि अन्यान्य सामग्रियों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हिन्दी लेख, जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावलियों की बहुलता हो, प्रकाशित करवाने के लिए लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया जाए।

□

भारतीय जीवन बीमा निगम, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं. 11053 बम्बई400020 के सहायक प्रशासन अधिकारी श्री एस. एस. यादव का विचार है कि —

'राजभाषा भारती' (अंक 38) निश्चित रूप से राजभाषा हिन्दी की प्रगति और कार्यान्वयन के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करने वाली केवल एकमेव पत्रिका है। पत्रिका में मुद्रित सारगर्भित, समसामयिक विषय से संबंधित रोचक एवं ज्ञानवर्धक होने के कारण इसके आगामी अंक की एक प्रति प्राप्त करने का लोभ संवरण मैं नहीं कर पा रहा हूं। □

सीमा सड़क महानिदेशालय, कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली से श्री युगल किशोर झा, उप-निदेशक (अनुशासन) ने राजभाषा भारती ने प्रकाशित लेख पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है :—

'राजभाषा भारती' (अंक 38) की प्रति प्राप्त हुई। इसमें प्रकाशित लेख एवं अन्य सूचनाएं बड़ी ही हृदयग्राह्य एवं ज्ञानवर्धक हैं तथा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं मार्गदर्शक भी हैं। 'इंग्लैण्ड में अंग्रेजी कैसे लागू की गई'—डा. गणपति चन्द्र गुप्त का लेख बड़ा ही मार्मिक, विचारोत्तेजक, प्रेरक तथा अनुकरणीय है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि विश्व में किसी भी भाषा तथा लिपि को कठोर धरातल पर अवतारित करने के लिए बुद्धिजीवियों को अथक संघर्ष करना पड़ा है। हिन्दी कोई अपवाद नहीं है।

आज हमारे बीच ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा व्यक्तियों की कमी नहीं है जो सिर्फ आंग्ल भाषा के समर्थक ही नहीं हैं अपितु उपासक—पोषक भी हैं। तो, आप ही सोचिए कि उस समाज में हिन्दी कैसे फले-फूले जहां लोग इसके गले में फांसी लगाने को तैयार बैठे हैं। उस (भारतीय) समाज का क्या होगा, जहां सभ्यता की परिभाषा का मापदण्ड अंग्रेजी भाषा की जानकारी हो। जहां वातावरण दूषित हो, जहां हम ऐसी सभ्यता और समाज के बीच घिरे हों, तो बेचारा अभिमन्यु कब तक अपनी सशक्त बांहों से लड़ता रहेगा—उस की मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अतः जरूरत है कि हम अंग्रेजी रूपी जयद्रथ का वध करें। राजभाषा को जनभाषा के रूप में अपनाने की दायित्व केवल सरकार का ही नहीं, वरन् सभी वर्ग के शिक्षित लोगों पर है। □

श्री राजेन्द्र नारायण त्रिपाठी, निरीक्षीय सहायक, आयकर आयुक्त, सूरत-395001 की अभिव्यक्ति इस प्रकार है :—

राजभाषा भारती-अंक 38 में वैसे तो सारी सामग्री पठनीय व प्रेरक है किन्तु डा. गणपति चन्द्र गुप्त का तथ्य परक लेख 'इंग्लैण्ड में अंग्रेजी कैसे लागू की गई' पढ़ते समय तो लग रहा था कि यह हमारी राजभाषा हिन्दी के लिए चल रहा व चलने वाले धर्मयुद्ध का इतिहास हो। इंग्लैण्ड वासी जिन्होंने इतने संघर्ष के बाद अपनी भाषा को इस उच्च शिखर तक पहुंचाया हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। क्या अब भी हम उनसे भाषा प्रेम नहीं सीख सकते ?

यदि 'भारती' में अन्य भाषाओं के ऐसे लेख छपते रहे तो निस्सन्देह लाखों पाठक हिन्दी सेवा का संकल्प लेंगे। □

श्री के० एल० पाहूजा, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक की राय है :—

पत्रिका (राजभाषा भारती-अंक 38) में प्रकाशित सामग्री के चयन में अत्यन्त सावधानी बरती गई है। पत्रिका पढ़ने से देश में राजभाषा सम्बंधी गतिविधियों एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों का सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध होता है। □

बरनाला (पंजाब) स्थित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री आर० वर्मा लिखते हैं कि—

'राजभाषा भारती' हिन्दी कार्यान्वयन की एक पत्रिका ही नहीं, वरन् हिन्दी में कार्य करने हेतु एक पथ-प्रदर्शक भी है। वर्तमान में भारत की अपनी राष्ट्रीय भाषा को अपना पद व्यवहार रूप में प्राप्त होते देखकर हार्दिक प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं, दूसरी ओर अपने देश के महान् विचारों को और कर्मठ अधिकारियों पर गर्व भी हो रहा है कि अपने अथक परिश्रम से 'राजभाषा भारती' जैसी प्रेरणा-स्रोत प्रकाशित कर देशवासियों के भाषायी मन में आशा का दीप जला दिया है। □

आयकर आयुक्त कार्यालय, लखनऊ के सहायक निदेशक (राजभाषा) रा. चं. श्रीवास्तव महसूस करते हैं कि—

"राजभाषा भारती" का 39वां अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में छपे विभिन्न लेखों तथा समिति समाचारों के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों का पता चलता है। 'विश्व-हिन्दी-दर्शन' स्तम्भ में विदेशों में हिन्दी की लोकप्रियता से भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव की झलक मिलती है। आदेश-अनुदेश के अंतर्गत सरकार की भाषा नीति तथा हिन्दी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी से उचित दिशा-निर्देश मिलता है। हिन्दी सेवा राष्ट्रीय सेवा है और महान् राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर किया गया राज-भाषा भारती का प्रकाशन वास्तव में एक सराहनीय कदम है। इसकी साज-सज्जा, चोटी के निबंध, भाषायी योजनाएं तथा उसके विकास के संदर्भ में प्रमाणित आंकड़े, चित्रमयी झलकियों और ज्ञानवर्धक बातों के सुन्दर समाहार से पत्रिका सुधीजनों का कंठाहार बन चुकी है। □

पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण

☐ डॉ. लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा

चिन्तन

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। सामान्यतः अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा सम्भव है। वाक्य की रचना 'रूप' से होती है और व्यवहार में लाने के लिए शब्द को विभक्तियों के सहारे 'रूप' बनाया जाता है। 'रूपिम' रूप की लघुतम अर्थवान इकाई हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई के रूप में रूपिम को तो मान्यता मिलनी ही चाहिए, किन्तु यह बात भी ध्यान देने की है कि रूपिम की संरचना में ध्वनि अपरिहार्य अंग है। ध्वनि की लघुतम इकाई को स्वनिम कहा जाता है। अतएव अभिव्यक्ति की लघुतम इकाई की बात चले तो स्वनिम के अस्तित्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः रूपिम पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर भी इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूलना है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में थिसारस का महत्वपूर्ण स्थान है। थिसारस का मूल आधार शब्द नहीं, विचार है।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की बात बिल्कुल नई नहीं है। बहुत प्राचीन काल से ही तकनीकी शब्दों के निर्माण में भारतवासी रुचि लेते रहे हैं। इस संबंध में इतिहास में जो तथ्य मिलते हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम शिवाजी के समय में शासन-सम्बंधी हजार-डेढ़ हजार पारिभाषिक शब्दों की रचना हुई। उसके बाद भी इस प्रकार के शब्दों की रचना का कार्य चलता रहा। उन्नीसवीं शताब्दी में तकनीकी शब्दावली के निर्माण के कई प्रयास हुए। बंगाल सरकार ने 1871 ई. में एक समिति का गठन कर विधि संहिताओं और वैज्ञानिक विषयों के शब्दों का अंगरेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद का प्रबन्ध किया। छः वर्षों के बाद 1877 ई. में इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 1906 ई. में 'हिन्दी साइंटिफिक ग्लासरी' का प्रकाशन हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास किये। सच तो यह है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या के प्रति आज का प्रबुद्ध वर्ग जितना सजग है उतना सजग प्राचीन काल में लोग कभी नहीं रहे। यह भी सत्य है कि परतंत्रता काल में भारतीय भाषाओं को ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि वे विकसित हों तथा उनमें पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की क्षमता आ सके।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' का गठन किया। अपने देश में सम्पर्क-भाषा के माध्यम से पारिभाषिक शब्दावली की स्वीकृति की बात आयी तो यह समस्या बन गयी।

अंगरेजी में जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित हैं, उनके अनुवाद के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग सचेष्ट है। बहुत से विषयों के बहुत-सारे शब्दों का अनुवाद आयोग प्रस्तुत भी कर चुका है। अनुवाद की जो प्रक्रिया चल रही है, उस संबंध में स्वर्गीय डा. रघुवीर ने तीन बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख किया था।[1] पहले सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेजी से हिन्दी के अनूदित शब्द को अर्थवान होना चाहिए। अंग्रेजी के शब्द का "अनुवाद हिन्दी में सार्थक होना चाहिए।" उनका दूसरा सिद्धान्त है कि अंग्रेजी की प्रत्येक अर्थ-छाया के लिए हिन्दी में भी नया शब्द होना चाहिए।" इसे स्पष्ट करने के लिए डा. रघुवीर ने प्रारोगेटिव, राइट और प्रीविलेज के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इन शब्दों में अर्थ का भेद तो है ही, छाया का भी भेद है। सामान्यजन इन तीनों के विकल्प-स्वरूप एक शब्द से काम चला सकते हैं, किन्तु विशेषज्ञों को हिन्दी में भी इन तीनों के अलग-अलग वैकल्पिक शब्द चाहिएं। अपने तीसरे सिद्धान्त में डा. रघुवीर ने बताया कि "असमस्त शब्द का अनुवाद यथासम्भव असमस्त शब्द से ही होना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है तो हिन्दी में उसका अनुवाद एक शब्द से ही होना चाहिए।" आक्सीजन शब्द के उदाहरण द्वारा उन्होंने उसकी व्याख्या की है। हिन्दी में आक्सीजन का अनुवाद प्राणवायु सरल भले प्रतीत हो, इसकी मान्यता में कठिनाई प्रत्यक्ष है। 'आक्सीजन' का संक्षिप्त रूप अंग्रेजी में 'आक्सी' चलता है, लेकिन हिन्दी में क्या चलेगा—'प्राण'? यदि ऐसा किया गया तो बहुत-सारी कठिनाइयां उपस्थित होंगी।

अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी रूप देने में कठिनाइयों की अनुभूति स्वाभाविक है। सिद्धान्त के अनुसार हिन्दी में शब्द नहीं मिलने पर क्षेत्रीय भाषाओं में यदि इनका विकल्प ढूंढने का प्रयास हो तो समस्या बहुत कुछ सरलता से सुलझ सकती है। बिना प्रयास किए ही, लगता है लोग

1 पारिभाषिक शब्दावली —कुछ समस्याएं सम्पादक- डा० भोला नाथ तिवारी संस्करण 1978, पृष्ठ 11

यह मान बैठे हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं उतनी समृद्ध नहीं कि उनसे शब्द लेकर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जा सके। एक कारण और भी है। परम्परा से चले आते शब्द मनुष्य के मानस पटल पर अपनी छवि बनाते रहते हैं। इसके परे पारिभाषिक शब्द के रूप में एकाएक जब कोई नया शब्द आता है तो लोग चौक उठते हैं। परम्परा से व्यवहार में चले आते शब्द चाहे वे विदेशी ही क्यों न हो, लोगों को सरल प्रतीत होते हैं। इसका एक मात्र कारण विदेशी शब्दों का दीर्घकालीन प्रयोग होता है। आज जो विदेशी शब्द सरल प्रतीत हो रहे हैं, कभी बिल्कुल नए रहे होंगे और आरम्भ में वे भी क्लिष्टतर प्रतीत हुए होंगे। सुदीर्घ काल तक प्रयोग में आते रहने के बाद ही वे सुपरिचित हुए और सरल प्रतीत होने लगे। हिन्दी के भी बहुतसारे शब्द जो एकाएक प्रयोग में आने के कारण पहले सामान्य जनों को क्लिष्टतर प्रतीत होते थे, निरन्तर व्यवहार के कारण बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में आज सरल प्रतीत होने लगे हैं।

पारिभाषिक शब्द निर्माण के लिए सामान्यतः तीन माध्यम प्रचलित हैं—स्वीकरण, अनुकूलन और निर्माण। स्वीकरण किसी भाषा के लिए कोई नई बात नहीं। दुनिया की हर भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित होती है और यत्किंचित परिवर्तन के साथ अथवा दूसरी भाषा के शब्दों को यथातथ्य रूप में अपनी भाषा के लिए स्वीकार कर लेती हैं। सैकड़ों वर्षों तक भारत में मुसलमानों और मुगलों का शासन रहा। इसी प्रकार वर्षों भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया। मुस्लिम और मुगल काल में भारत में प्रशासन, न्याय और विधि की भाषा फारसी रही। प्रशासन आदि ने इन कार्यों के लिए अंग्रेजों का व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप सहज संपर्क के कारण हिन्दी में फारसी और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आज प्रचलित हो गए हैं। यही नहीं, स्वयं अंग्रेजी भाषा ने हिन्दी के बहुत सारे शब्दों को अपना लिया है। लाठी, घेराव, सत्याग्रह आदि हिन्दी के शब्द अंग्रेजी में यथातथ्य रूप में प्रचलित हैं। इसी प्रकार, हिन्दी में प्रचलित उर्दू-फारसी के शब्दों को भी अंग्रेजी ने अपना लिया है, यथा नक़दी, भावली, जमींदार, कचहरी, गुमाश्ता, पटवारी, गोड़ायत, रइयत आदि। यहां पर स्मरणीय है कि प्रत्येक भाषा की अपनी आकृति प्रकृति होती है। उसी परिवेश में उसका विकास होता है। अरबी-फारसी के बहुत सारे शब्द हिन्दी में आज अप्रचलित हो रहे हैं। हिन्दी को अरबी-फारसी या अंग्रेजी के जिन शब्दों का अनुकूल विकल्प मिल जाता है, वह शब्द प्रचलित हो जाता है और अरबी-फारसी या अंग्रेजी के वे पुराने शब्द शनैः शनैः लुप्त होने लगते हैं। इस स्थिति पर विचार किये बिना ही ऐसा भी प्रस्ताव आया कि अंग्रेजी में प्रचलित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों को हिन्दी के लिए यथातथ्य रूप में स्वीकार कर लिया जाए। रेल से संबंधित शब्दों पर विचार करें तो रेल, टिकट, प्लेटफार्म आदि जैसे शब्दों को तो यथातथ्य रूप में हिन्दी के लिए स्वीकार कर लिया जाना सर्वथा उचित है; किन्तु रिजर्वेशन, एयरकंडीशंड, इन्क्वायरी जैसे शब्दों के हिन्दी अनुवाद—आरक्षण, वातानुकूलित, पूछताछ आदि अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त और नैसर्गिक प्रतीत होते हैं। हिन्दी में शब्दों के रूप में स्थिरीकरण के संबंध में 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' ने इस बात का ध्यान रखा है। हां, रेलवे में प्रचलित 'अप' और 'डाउन' का 'ऊपर' तथा 'नीचे' अथवा इसी प्रकार का हिन्दी अनुवाद निश्चय ही कृत्रिम प्रतीत होगा।

न्याय से संबंधित शब्दों में 'प्लेंटिफ' और 'डिफेण्डेण्ट' की अपेक्षा 'वादी' और 'प्रतिवादी' हिन्दी में अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। जिन परिभाषिक शब्दों के रूप में हिन्दी में स्थिर नहीं हो सके हैं, उनके निर्माण के लिए ऐसे शब्द सरलता से ढूंढे जा सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी के सारे शब्दों को यथातथ्य रूप में स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव करने वाले भारतीयों का अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह है और मोह कभी दूर नहीं होता। भारत में तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान भले ही न हो किन्तु गलत सलत अंग्रेजी बोलने में वे गर्व का अनुभव करते हैं।

'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' ने स्वीकरण के क्रम में भाषा विज्ञान के कुछ शब्दों को लिया है। ऐसे शब्द तो बहुत हैं, किन्तु उदाहरण के लिए एक शब्द प्रस्तुत हैं—फार्मेण्ट। इस संदर्भ में रूपिम का संक्षिप्त विश्लेषण अपेक्षित है। रूप (Myrph) की लघुतम अर्थवान इकाई को रूपिम (Morpheme) कहा जाता है। हिन्दी में बीसवीं शताब्दी की छठी दशाब्दी तक हिन्दी में इसका वैकल्पिक नाम था—रूपग्राम। कालान्तर में लोगों ने यह अनुभव किया कि जब 'इम प्रत्यय हिन्दी में भी प्रचलित हैं तो अंग्रेजी 'मार्फ' से 'मॉर्फिम' के समान हिन्दी में भी 'रूप' से 'रूपिम' क्यों न मान लिया जाए। इस शताब्दी के सातवें दशक से 'रूपिम' शब्द प्रचलन में भी है तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा 'मार्फिम' के विकल्प में 'रूपिम' शब्द स्वीकृत भी हो गया है। रूप और रचना की दृष्टि से रूपिम के दो भेद है—मुक्त (Free) रूपिम और बद्ध (Bound) रूपिम। कठिनाई तब उपस्थित हुई जब अंग्रेजी के एक भाषाशास्त्री मारियों पाइ ने मुक्त रूपिम के लिए फार्मेण्ट (Formant) शब्द का व्यवहार किया।[2] जब हिन्दी में इसके अनुवाद की बात आयी तो इसका

2 With regard to free and bound morpheme, some modern linguists prefer to use Formant for the free morpheme and to reserve the term morpheme for the bound voriety :

Mario A Pei : INVITATION TO LANGUISTICS
Edn , 1965, p. 60

उचित विकल्प ढूंढने की अपेक्षा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी के लिए भी इसे यथातथ्य रूप में स्वीकार कर लिया[3]। यह 'फार्मेण्ट' शब्द न तो हिन्दी के लिए सरल है, न पूर्व परिचित और न तो हिन्दी की आकृति-प्रकृति के अनुकूल ही। हिन्दी की आकृति-प्रकृति, ध्वनि और अर्थ को ध्यान में रखते हुए फार्मेन्ट के विकल्प में कोई भिन्न शब्द दिया जाता तो यह उचित प्रयास होता। वैसे भी थिसारस विकल्प देता हैं—'यह' अनुकूल नहीं हैं तो 'वह'। फार्मेन्ट का कोई वैकल्पिक रूप प्रस्तुत नहीं किया गया। पारिभाषिक शब्दावली को यदि प्राणवंत बनाना हैं तो वर्षों से मन में जमी हुई अंग्रेजी के प्रति मानसिक दासता को दूर करना होगा।

अनुकूलन के समर्थक कहते हैं कि अंग्रेजी अथवा विदेशी भाषाओं के शब्दों को यथातथ्य रूप में भले न स्वीकारा जाए, किन्तु उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का स्वरूप परिवर्तन के साथ भारतीय भाषाओं के अनुकूल बनाया जा सके तो कई दृष्टियों से ऐसा प्रयास सराहनीय होगा। सरलीकरण को ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी शब्दों में ऐसे परिवर्तन किये भी हैं जैसे 'अकैडमी' शब्द का भारतीय रूप 'अकादमी', 'टेकनीक' के लिए 'तकनीक' तथा 'इंटेरिम' के लिए अंतरिम[4]। ऊपरी तौर पर अनुकूलन की यह स्थिति सरल और सुन्दर प्रतीत होती है किन्तु व्यावहारिक रूप से यह इतना आसान नहीं हैं। जब तक मूल का अनुकूलन नहीं हो जाए, तब तक मूल में प्रत्यय परसर्ग आदि के योग से निर्मित्त शब्दों का स्वाभाविक अनुकूलन संभव नहीं। 'टेकनीक' का 'तकनीक' एवं 'टेकनिकल' का 'तकनीकी' के रूप में अनुकूलन तो संभव हैं किन्तु टेकनीक के आधार पर बने अंग्रेजी के अन्य शब्दों के विकल्प अनुकूलन के आधार पर हिन्दी में नहीं मिलते। प्रश्न उपस्थित हो जाता हैं कि टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेटिक, टेक्नोलोजी आदि के हिन्दी रूप क्या हों? अतएव सफल अनुकूलन वही संभव हैं जहां तुल्य भाषा में संबंध सूत्र वर्तमान हो। अंग्रेजी टेकनीक (Technique) का वैकल्पिक हिन्दी रूप यदि 'प्रौद्योग' माना जाए तो इसके द्वारा अंग्रेजी टेकनीक से संबंधित सारे शब्दों का हिन्दी में निर्माण सहज रूप से संभव है। यथा

अंग्रेजी	हिन्दी
टेकनीक (Technique)	प्रौद्योग
टेक्नीकल (Technical)	प्रौद्योगिक
टेक्नोक्रेसी (Technocracy)	प्रौद्योगतंत्र
टेक्नोक्रैट (Technocrat)	प्रौद्योगतंत्रवादी
टेक्नोक्रैटिक (Technocratic)	प्रौद्योगतांत्रिक
टेक्नोलाजी (Technology)	प्रौद्योगिकी

टेकनीक का हिन्दी रूप 'तकनीक' मानकर यदि ऊपर के पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करना चाहें तो शब्द निर्माण में कठिनाई हो जाती हैं।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए भी कुछ लोग सरलीकरण को आवश्यक मानते हैं। सरलीकरण निश्चय ही सुन्दर प्रयास हैं। सामान्य व्यवहार के लिए सरल शब्द ठीक भी रहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए होता है। किन्तु, यही बात पारिभाषिक शब्दों के लिए लागू करना उचित नहीं। इसलिए पारिभाषिक शब्दों को व्यवहार में लाना जरा भी अनुचित नहीं जो अपेक्षाकृत कठिन भी प्रतीत होते हैं। वह स्थिति भी आती है जब सरल शब्द पारिभाषिक शब्द का भाव-भार ढोने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी में एक शब्द है—लॉ। इसे 'लॉ' मूल रूप से बहुत-सारे पारिभाषिक शब्दों की रचना हुई है—लॉफुल, अनलॉफुल, लीगल, इल्लिगल, लाइयर, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिस.....आदि। लॉ का सरल हिन्दी रूपान्तर होगा—'कानून' क्योंकि यह शब्द जनसाधारण में खूब प्रचलित रहा हैं। मगर इस 'कानून' शब्द के सहारे 'लॉ' से निर्मित्त उपर्युक्त शब्दों का अनुवाद हिन्दी में करना चाहे तो इसमें निश्चय ही कठिनाई होगी। लॉ का अनुदित हिन्दी में प्रचलित एक शब्द है—विधि। कानून की अपेक्षा विधि क्लिष्टकर प्रतीत हो सकती है, किन्तु इस विधि के सहारे अंग्रेजी के उपर्युक्त शब्दों के विकल्प हिन्दी में सहज ही मिल जाते हैं।

अंग्रेजी	हिन्दी
लॉ (Law)	विधि
लॉफुल (Lawful)	विधिवत
अनलॉफुल (Unlawful)	अविधिवत
लीगल (Legal)	विधानी
इल्लिगल (Illegal)	अविधानी

3 मानविकी शब्दावली वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-5 सम्पादक डॉ० बाबूराम सक्सेना संस्करण : 1969 पृष्ठ 21

4 पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएं (सं. डा. भोलानाथ तिवारी) संस्करण 1978, पृष्ठ 50

लाइयर (Lawyer)	अधिवक्ता
लेजिस्लेटर (Legislator)	विधायक
लेजिस्लेटिव (Legislative)	विधान

इसलिए भारत के 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' ने 'लॉ' के विकल्प में जनसाधारण में पूर्व प्रचलित 'कानून' शब्द को न अपनाकर इसके लिए विधि शब्द की ही मान्यता दी हैं। विधि के सहारे निर्मित्त उपर्युक्त रूप आज सामान्य जनों के लिए भी सुपरिचित हो गये है।

हिन्दी समर्थ भाषा है और भारत की सामासिक संस्कृति को मूर्त्त रूप देने में वह पूर्ण रूप से सक्षम है। समय आ गया है जब हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की बात की समस्या एवं विवाद के धरातल से ऊपर उठाया जाए। उसके लिए अतिशय उदारता की आवश्यकता हैं। पूर्णतः अनुरूप पारिभाषिक हिन्दी शब्द मिलने में यदि कठिनाई अनुभूत हो तो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं से विकल्प ढूंढकर इस समस्या को बहुत अंशों में दूर किया जा सकता हैं। हमें गर्व है कि भाषा की दृष्टि से भारत बड़ा समृद्ध है भाषा की दृष्टि से विविधता होते हुए भी अनेकता में एकता भारत की निजी विशेषता है। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अनुकूलन के आधार पर अथवा यथातथ्य रूप में स्वीकरण को मान्यता मिलनी चाहिए। इतना ध्यान अवश्य रखना है कि ऐसा करते हमय हिन्दी की आकृति-प्रकृति की अवहेलना न हो। भारत के लिए वह गौरव की बात हैं कि संपूर्ण देश आज राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि में निरन्तर प्रयत्नशील हैं। निकट भविष्य में ही संपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली की समस्या का सहज-समाधान अवश्यंभावी है।

यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
(बिहार)

भाषा में पर्यायवाची शब्दों की समस्या

☐ प्रो० कैलाश चन्द भाटिया डी. लिट.

वाक्य में पदों का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः हिन्दी में 'पद' और 'शब्द' में अभेद कर दिया जाता है : वाक्य में प्रयुक्त होने पर 'शब्द' ही 'पद' है पर हिन्दी में संस्कृत जैसा भेद नहीं होता। हिन्दी में वाक्य में प्रत्येक शब्द की स्थिति और उसके प्रयोग का भी महत्व है। इस दृष्टि से हिन्दी संस्कृत से भिन्न है। भाषा की इकाई वाक्य है पर अब तो उससे भी एक कदम आगे 'प्रोक्ति' (डिस्कोर्स) को स्वीकार किया गया। यह भिन्न विषय है। जिस प्रकार वाक्य किसी अनुच्छेद का सहज अंग होता है उसी प्रकार वाक्य में भी प्रत्येक शब्द अपने अर्थ में महत्वपूर्ण होता है। मूल लेखकों के पास पर्याप्त पर्याय होते हैं जिनमें से छांटकर उपयुक्त शब्द रखने का प्रयास करता है। अनुवादक के पास भी अपनी भाषा में पर्याप्त पर्याय हो सकते हैं जिनमें से उसे चुनाव करना होता है। प्रत्येक भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनको प्रायः पर्याय समझ लिया जाता है फिर भारत में तो कोश बनाने की कला की पृष्ठभूमि में ढूंढ ढूंढ कर पर्याय रखने की परम्परा रही है जो मध्यकाल में नाममालाओं के रूप में विकसित हुई। कृति में प्रयुक्त शब्द की मूल आत्मा को समझकर अनुवादक को उपयुक्त शब्द चुनना चाहिए। मूलकृति में प्रयुक्त शब्द के भाव को दूसरी भाषा में सम्प्रेषित करने की भरपूर कला अनुवादक में होनी चाहिए और उस भाषा में प्राप्त शब्दकोषों में सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थच्छाओं का विवेचन होना चाहिए। प्रयोगतः सूक्ष्म भेदों का ज्ञान प्रयोगकर्ता को होना चाहिए क्योंकि शब्द की वास्तविक शक्ति प्रयोग में ही निहित होती है।

ऐसे पर्याय तो बहुत कम होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः समान हो। व्यवहार में इन सब पर्यायों में निकटता तो होती है पर अर्थ की समानता कम होती है। जैसे कोमल, मृदु, मृदुल, मुलायम, नाजुक, नर्म (नरम) सुकुमार सभी का भाव एक समान होते हुए भी प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाएगी। प्रखर, तीक्ष्ण तथा कुशाग्र बुद्धि के भिन्न भिन्न भावों में जो प्रयोग हिन्दी में मिलते हैं, वे जरूरी नहीं अन्य भाषा में हों। भय अर्थ के विचार से बहुत विस्तृत आयाम लिए हुए है कोई अनिष्टकारी बात या संकट की संभावना होने से मन में जो विकलता होती है और उसके फलस्वरूप अनिष्ट/संकट से बच निकलने की इच्छा होती है वही 'भय' है। साहस छूट जाता है और संकट का सामना कैसे करें यह प्रबल इच्छा जगती है। 'भीति' स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है पर हिन्दी में इसका प्रयोग कम है। 'डर' भय का पर्याय होते हुए भी हल्कापन लिए हुए है। चलती सहज भाषा में इसके प्रयोग में गंभीरता नहीं झलकती। जरा सी बात से 'डर जाना' अच्छा नहीं समझा जाता। 'भाषा' के प्रयोग में कठोरता है। 'भीषिका' विशेषण रूप में स्त्रीलिंग का प्रयोग है जिसमें और अधिक तीव्रता लाने के लिए 'विभीषिका' बना लिया जाता है। आजकल इन शब्दों से आगे 'आंतक' का प्रयोग हो रहा है जिसमें अचानक भारी संकट भासित होता है। 'तक' का अर्थ है वियोग से उत्पन्न दुःख, रोग, मानसिक कष्ट। इतना अधिक भय कि कुछ करते धरते नहीं सूझता। आंतक का प्रभाव हमारी शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियों पर पड़ता है। दुःख, दर्द, विषाद और शोक भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकार यातना, वेदना, व्यथा, पीड़ा, क्लेश और यंत्रणा।

प्रयोग तथा संदर्भ से अर्थ निश्चित होते हैं। 'अर्थ-संकेत' पर भारतीय परम्परा में पर्याप्त विवेचन मिलता है। अर्थतत्व में शब्द शक्तियों—अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का विशेष महत्व है। स्थान-भेद, प्रसंग, स्रोत, देश-काल, प्रकरण से अर्थ बदलते हैं। 'साहचर्य' अर्थ को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है। एक ही धातु से निर्मित्त अनेक शब्दों का अर्थ भेद निश्चित करने में 'व्युत्पत्ति शास्त्र' सहायक सिद्ध होता है जैसे 'ताप' से निर्मित्त 'परिताप', 'अनुताप', 'पश्चाताप' 'मनस्ताप', 'संताप' आदि। 'व्युत्पत्ति' पर डा. नरेश कुमार ने अच्छा कार्य किया है। अर्थों के सूक्ष्म भेद पर आचार्य रामचन्द्र वर्मा तथा डा. बदरीनाथ कपूर ने शोधपरक कार्य किए हैं। डा. ब्रजमोहन की सद्य प्रकाशित कृति 'शब्द चर्चा' उल्लेखनीय है। हिन्दी क्रियाओं के अर्थपरक अध्ययन की ओर डा. बहल तथा डा. रस्तोगी का ध्यान गया है।

मिलते जुलते शब्दों की कुछ मालाएं लेकर प्रयोग और अर्थ निश्चित करने चाहिए। प्रशासन तथा विधि के क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है। यहां उदाहरण के लिए दो सीरीज ले रहा हूं।

Act, Bill, Byelaw (Bylaw), Enactment, Code, Law Legislation, Ordinance, Regulation, Rule, Statute, Subrule

Act : अधिनियम—सामान्यत: इसका अर्थ कार्य/क्रिया होता है पर प्रशासन विधि में विधि सम्मत प्रक्रिया जिस कानून के अन्तर्गत होती है, वह **'अधिनियम'** कहलाता है। ये अधिनियम संसद या विधानमंडल बनाने में सक्षम होते हैं।

(A law made by a competent legislature)
Act of Parliament —संसद का अधिनियम
Act of Legislature —विधान मंडल का अधिनियम

Bill : विधेयक—किसी विधानमण्डल या संसद में पेश करने के लिए प्रारूप जो पारित होकर **अधिनियम** का रूप ले लेता है।

(The draft submitted to the legislature for discussion and adoption as an Act.)

नोट :—'बिल' अन्य अर्थों—हुंडी, विपत्र, बीजक, देयक (बिल), विज्ञप्ति में भी प्रयुक्त होता है।

2. कभी कभी लिखित दस्तावेज भी बिल (पत्र) कहलाता है, जैसे—
Bill of rights —अधिकार पत्र
Bill of demand —मांग पत्र

Byelaw (Bylaw) : उपविधि—किसी भी कानून (विधि) के वह रूप जिनको सामान्यत: स्थानीय निकाय बनाते हैं।

(Regulations made by local authority or corporation)

Code : संहिता—देश के विधि-विधानों से तैयार की गई संहिता।

(A digest of the laws of a country)
Penal code —दंड संहिता
Code of ethies —आचार संहिता
Codification —संहिताकरण
Codified —संहिताबद्ध

नोट :—सेवा संबंध नियमों के संग्रह को भी 'कोड' कहते हैं।

Enactment : अधिनियमन—जब किसी बात को नियमित करने के लिए 'अधिनियमन' किया जाए।

(That which is enacted; a statute; one of the prorivions).
Enacted as follows—निम्नलिखित रूप से अधिनियमित

Law : विधि—कानून, विशेषत: सत्ता द्वारा बनाया गया जो किसी भूभाग पर लागू हो।

(The system of authoritative materials for grounding or guiding judicial and administrative action.)
Law and Custom विधि और रुढ़ि
Law and justice —विधि और न्याय
Lawful—वैध, विधिसंगत

नोट :—Law & Order के लिए 'शांति और व्यवस्था' का प्रयोग चलता है।

Legislation : विधायन—विधायक या विधान सभा के अधिनियम, विधि निर्माण

(The actments of a legislator or a legislative body.)
Delegated legislation — प्रत्यायोजित विधान

Ordinance : अध्यादेश—देश/राज्य में सर्वोच्च शासक द्वारा बनाई गई विशेष विधि जबकि संसद/विधानमंडल सत्र में नहीं है।

promulgated by the President of India or the Governor of any State where the legislature is not in session.)

Regulation : विनियम—किसी देश में संघ/संस्था द्वारा बनाये गये नियम।

(Rule prescribed for the management of some matters rule or order having the force of law issued by an executive authority of a government usually under power granted by the constitution.)
Forest regulation—वन विनियम

Rule : नियम—काय व्यापार, मर्यादित करने वाली कोई प्रथा। कभी कभी सरकार द्वारा कार्य संचालन में सुविधा लाने के लिए नियम बनाये जाते हैं जिनको राजपत्र में प्रकाशित करने से मान्यता मिलती है।

(A kind of regulation or byelaw; a principle regulating some action.)

Rule of road on land — भूमि पर मार्ग का नियम

Rule making power — नियम बनाने की शक्ति

Statute : 1. कानून—1. संसद/विधान सभा द्वारा पारित कानून विधि।

(A written law as distinguished from a customary law)

2. परिनियम (स्टेट्यूट)—2. किसी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए परिनियम

(A Type of subordinate legislation applied generally to that framed by a University.)

Statutory —वैधानिक, परिनियत

Sub-rule : उपनियम—नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक नियम के कुछ उपनियम भी हो सकते हैं।

(A subdivision of a rule)

Act, Deed, Function, Oporation, Performance, React, Work

Act : कार्य करना/कार्य—क्रिया, प्रक्रिया, अनुकरण, संपादन आदि करना। (To perform)

Act in good faith —सद्भाव-पूर्वक कार्य

Act in pursuance —अनुसरण में कार्य करना

Act of faith —श्रद्धाकार्य

Action —कार्रवाई

Acting —कार्यकारी

Actor —अभिकर्ता/कर्त्ता

Deed : 1. कर्म—वस्तुतः यह व्यक्ति विशेष की 'करनी' है।

2. विलेख—कचहरी में प्रस्तुत किया लिखित वैध दस्तावेज।

(An instrument in writing purporting to effect some legal disposition)

Deed of trust —न्यास विलेख

Deed of settlement —

1. व्यवस्थापन विलेख

Deed of agreement —

2. समझौता विलेख

इकरारनामा, अनुबंध

विश्लेषण

Function : 1. कर्त्तव्य पालन—पद आदि के जरूरी कर्त्तव्य निवाहने के नाते किए गए कार्य। (To perform ones part)

2. कृत्य—किया गया कार्य

(The kind of action proper to a person as belonging to a class, official duties)

1 Function effectively — प्रभावी रूप से काम करना

2 Administrative function — प्रशासकीय कृत्य

3 Judicial function—न्यायिक कृत्य

Operation : प्रवर्तन/प्रचालन संक्रिया/क्रिया—कुशलतापूर्वक किसी कार्य अभियान को चलाना/परिचालित करना। इस शब्द की निम्नलिखित चार अर्थच्छटाएं हैं :—

1. The condition being in force —प्रवर्तन
2. The act or process — प्रचालन
3. Action संक्रिया
4. Working —क्रिया

Performance : पालन/काम करना/कार्य संपादन, प्रदर्शन—इस शब्द की निम्नलिखित अर्थच्छटाएं हैं :

1. To execute —कार्य संपादन
2. The action of performing पालन
3. Doing —काम करना

Performance of additional duties —अतिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन

React : अनुक्रिया/प्रतिक्रिया—किसी के जवाब में कोई अनुक्रिया प्रतिक्रिया करना ।

(Respond to stimulus, undergo change or show behaviour due to some influence)

Reaction —प्रतिक्रिया

Reactionary —प्रतिक्रियाशील/वादी

Work : कार्य/कर्म/कृति—किसी प्रकार की शारीरिक क्रियम द्वारा कोई कार्य करना। कभी कभी मानसिक कार्य भी इस कोटि में माना जाता है।

1. Something that is done — काम, कर्म कार्य
2. Any production of art — as a literary composition कृति

Manual work —शारीरिक काम

work of art —कलाकृति

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस प्रकार के गहन विश्लेषण की आज और अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम अब कम्प्यूटर युग में प्रवेश कर चुके हैं। अगर निश्चित अर्थों के साथ प्रयोगों को स्थिर नहीं किया गया तो अराजकता की स्थिति आ सकती है। यह निश्चितता अंग्रेजी हिन्दी दोनों में करनी होगी क्योंकि द्विभाषी स्थिति प्रारंभ हो गई है।

—निदेशक

वृन्दावन शोध संस्थान,

रमण रेती, वृन्दावन

नागर विमानन तथा भारतीय विमान कम्पनियों में प्रयुक्त साहित्य एवं सामग्री का अनुवाद

☐ गौरी शंकर शर्मा

विमान कंपनी एक ऐसा सेवा संगठन है जहां पर विभिन्न प्रकार की शब्दावली से युक्त सामग्री और साहित्य का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए अंतर्देशीय विमान कंपनी इंडियन एयरलाइन्स को ही ले लीजिए। इस संगठन में विभिन्न मानवीय गतिविधियों, संपर्कों एवं संबंधों का संचालन कई स्तरों पर होता है। मानवीय गतिविधियों को संयोजित रूप देने के लिए सुगठित संचार माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके लिए अलग-अलग प्रकार की संचार और संप्रेषण सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस सामग्री की विषयगत विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरलाइन्स में आधे दर्जन से अधिक विभाग है जिनमें कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, वाणिज्य, वित्त, इंजीनियर, जन संपर्क, प्रचालन आदि प्रमुख हैं, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, कम्प्यूटर, संचार, चिकित्सा, मौसम जैसे विभाग भी हैं। इन क्षेत्रों में विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि विभिन्न विषयों की शब्दावलियां काम में आती हैं।

अध्ययन की सुविधा तथा शब्दावली के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त सामग्री को, कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों के अनुसार, इन तीन प्रमुख भागों में रखा जा सकता है—

(क) आंतरिक गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री

(ख) तकनीकी और संचार सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री।

(ग) जन-सम्पर्क और सेवा सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री

(क) आंतरिक गतिविधियों में निगम के कुछ विभागों तथा अन्तर्विभागों के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित सामग्री शामिल है। इस सामग्री में अंतर्विभागीय दैनंदिन पत्र-व्यवहार आदि शामिल हैं। वास्तव में विमान कम्पनी का यह विभाग, अन्य सभी विभागों की सामग्री में प्रयुक्त शब्दों और संकल्पनाओं का मिलन स्थल है।

यह सभी जानते हैं कि विमान और शिल्प विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर परिवर्तन और विकास तेजी से हो रहा है। गति, क्षमता, सेवा, आदि की वृद्धि के लिए नवीनतम शिल्पविज्ञान और ज्ञान का अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान करने वाले किसी भी संगठन में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

उक्त संदर्भ में इंडियन एयरलाइन्स जैसे विमान सेवा संगठन में तकनीकी और संचार के स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। स्थल-सहायता उपकरणों से लेकर विमान संरचना और कम्प्यूटर के स्तर पर लगातार संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के साथ नई दृष्टि और गतिविधियां, नवीन विधियां और उपाय व्यवहार में आने लगते हैं। नए शब्द बनते हैं, उनका व्यवहार होता है तथा विभिन्न विधियों के स्वीकृत और अंगीकृत होने के साथ ही वे शब्द प्रयोग में आने वाले सामग्री का अंग बन जाते हैं।

स्थल सहायता, रख-रखाव, प्रशिक्षण, विमान-संरचना, मौसम, विमान की गतिविधियां, इंजीनियरी और प्रचालन आदि के क्षेत्र में नई शब्द-संज्ञाओं और शब्द-प्रक्रियाओं का आगमन हो रहा है, नवीन तकनीकी प्रक्रियाएं नवीन तकनीकी संज्ञाओं के साथ आ रही हैं। नई तकनीकी संकल्पनाओं से युक्त नए तकनीकी शब्दों से वर्तमान शब्दावली का विस्तार, प्रसार और विकास हो रहा है। इलक्ट्रानिकी (कम्प्युटर) तथा अंतरिक्ष विज्ञान का विमानों की उड़ान, रख रखाव और यात्री-आरक्षण आदि पर व्यापक प्रभाव हुआ है—हो रहा है।

उक्त नई-नई तकनीकें और तकनीकी प्रक्रियाएं विकसित देशों से आ रही हैं जिनका नामकरण उन देशों में ही होता है, ये सम्बन्धित राष्ट्र, बहुदा पश्चिमी राष्ट्र ही हैं, जहां लेकिटन और सम्बन्धित देश की भाषा के आधार पर ही नामकरण होता है। अगर प्रयोगकर्ता देश विकासशील देश हैं तो नाम और प्रक्रिया के क्षेत्र में, सम्बन्धित भाषा

के स्तर पर, भाषाई कठिनाइयों का आना स्वभाविक है। इनमें संज्ञाओं का तो लिप्यंतरण करके कुछ काम चल सकता है पर मुख्य कठिनाई सम्बन्धित शिल्प विज्ञान की प्रक्रियाओं और कार्यविधियों में प्रयुक्त क्रियाओं के अनुवाद में आती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में काम में लाए जा रहे उपस्करों, उपकरणों, मशीनों, आधुनिक वाहनों आदि के संचालन और रख-रखाव के लिए प्रयुक्त साहित्य और सामग्री को द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सम्बन्धित तकनीकी कार्मिकों को सुविधा हुई है और साथ ही हिन्दी की विशिष्ट शब्दावली में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की तकनीकी और संचार सामग्री में कई स्तर देखने को मिलते हैं, उदाहरण के लिए सम्बन्धित उपस्कर, उपकरण की संरचना में सम्बन्धित साहित्य प्रचालन, मरम्मत और रख-रखाव से सम्बन्धित मैनुअल, समय-समय पर होने वाले संरचनात्मक संशोधनों, पवितर्नों से सम्बन्धित मैनुअल तथा अन्य दोष दूर करने के चार्ट (Trouble Shooting Chart) आदि।

जन-सम्पर्क और सेवा सम्बन्धी गतिविधियां आम जनता यात्रियों और प्रशासकों तथा विमान कम्पनी के बीच विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, जानकारियों और कार्यवाहियों से सम्बन्धित रहती हैं। इनमें अन्तर्विभागीय और बाहरी पत्र व्यवहार के साथ ही निर्धारित समय पर तैयार की जाने वाली, संशोधित की जाने वाली विस्तृत सामग्री काम में आती है, जैसे समयावली, किराया पुस्तिका (टेरिफ बुकलेट), सूचनापत्रक, ब्रोशर, हैण्डआउट, नोटिस, सामान्य पोस्टर आदि। इनमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, अभिव्यक्तियों, आदि तकनीकी और विशिष्ट संकल्पनाओं से युक्त होती हैं जिनमें कला, वाणिज्य, विज्ञान, पत्रकारिता, पर्यटन आदि से सम्बन्धित शब्दों की बहुतायत रही है।

इसके अलावा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों आदि के सम्बन्ध में निकलने वाली मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रिपोर्ट, विवरणियां, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, उड़ान और गृह पत्रिकाएं कम्पनी के कार्मिकों से जितना सम्बन्ध रखती है उतना ही यात्रियों, आम जनता तथा प्रशसकों से भी। यह सभी सामग्री अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित करके द्विभाषिक रूप में निकाली जाती हैं।

ऐसे साहित्य एवं सामग्री की तकनीकी शब्दावली पत्रकारिता, प्रशासनिक से लेकर वाणिज्यिक और वैज्ञानिक प्रकार की होती है जिसका अनुवाद श्रमसाध्य कार्य है। जहां उपलब्ध प्रत्येक तकनीकी, गैर-तकनीकी साहित्य का अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी उपलब्ध होना कम्पनी के कार्मिकों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों और यात्रियों के लिए भी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों और विषयों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिनमें नए, अभिविन्यास और विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम होते हैं जिनके जरिए यात्रा-प्रबन्ध-सेवा, उपस्करों और उपकरणों के रख-रखाव तथा कार्मिक प्रबन्ध के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

ऐसी सामग्री, साहित्य का हिन्दी अनुवाद कार्य केवल 'भाषागत' ही नहीं रहता है, उसके लिए विधि और प्रशासन, वाणिज्य और पत्रकारिता, विज्ञान और शशिल्प-विज्ञान से सम्बद्ध संप्रषण शब्दावली और अभिव्यक्तियों के अच्छे कार्यात्मक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही विभिन्न विषयों की नियुक्तियां, प्रशासनिक मामले, कार्मिक और औद्योगिक सम्बन्ध, वित्त, वाणिज्य, प्रशिक्षण, आदि से सम्बन्धित साहित्य आता है।

(ख) तकनीकी और संचार सम्बन्धी गतिविधियों में स्थल सहायता, इंजीनियरी, विमान मरम्मत और रख रखाव, इलैक्ट्रानिकी और कम्प्युटर सेवाएं, मौसम, प्रचालन आदि से सम्बद्ध सामग्री शामिल है।

(ग) यात्री सेवा और जन संपर्क तथा सेवा सूचना सम्बन्धी गतिविधियों में सूचनापरक ब्रोशर, बुकलेट, पोस्टर नोटिस और पत्रादि, शुल्क, किराए, समयावली, टिकट, प्रदर्शनियां, उदघोषणाएं, प्रेस-विज्ञप्तियां, उड़ान और गृह पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, जनता और यात्रियों के काम में आने वाली सामग्री, साहित्य आदि शामिल है।

आंतरिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले साहित्य और सामग्री में भी कई स्तर होते हैं। सामान्य प्रशासन में नियुक्ति से लेकर सेवा निवृत्ति आदि तक के मामलों, कार्मिकों की सेवाओं, कार्यों आदि को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार की रिपोर्टें, सामान्य आदेश, मूल्यांकन रिपोर्ट, आदि अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं जिन्हें हिन्दी में अनूदित किया जाता है। अन्तकार्मिक गतिविधियों में भी एक विशेष प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। इसमें आचार संहिताएं भी आती हैं जो लगभग स्थायी प्रकार की सामग्री होती है तथा जिसमें विशेष अंतरालों पर संशोधन परिशोधन आदि आशोधन होते रहते हैं,। इस प्रकार दैनिक पत्र-व्यवहार, अधिसूचनाएं, परिपत्र, मूल्यांकन रिपोर्ट, आदेश, कार्यवृत्त, कई प्रकार के मानक फार्म, आदि प्रयोग में आते रहते हैं।

इसी प्रकार वित्त से सम्बन्ध गतिविधियों के लिए भी विविध प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाई जाती है जिसमें वित्तीय नीति, वित्तीय विनियम और नियम, भविष्य निधि के नियम-विनियम, निकासी, अदायगी, प्रतिपूर्ति, स्थानान्तरण आदि से सम्बन्धित पुस्तिकाएं, फार्म, मानक फार्म आते हैं।

इस स्तर पर भी लगभग तीन प्रकार का साहित्य प्रयोग में आता है, जैसे—अस्थायी सामग्री, मानक फार्म, पत्र-व्यवहार, निकासी, प्रति पूर्ति, अदायगी आदि, और संशोधित होते रहने वाली सामग्री तथा लगभग स्थायी प्रकार की सामग्री जैसे वित्त नीतियां, लेखा विधि नीतियां आदि। सामान्य कार्मिकों का सम्बन्ध पहली प्रकार की सामग्री से ही अधिकतर होता है। वित्तीय गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री की शब्दावली सामान्य प्रशासन की सामग्री से भिन्न होती है।

वाणिज्यक गतिविधियों का मुख्य सम्बन्ध यात्री-सेवा से होता है। इस सामग्री में किराए और विशेष किराए की संरचना, टिकट, माल (कार्गो) यात्री वहन, विभिन्न प्रकार के पोस्टर, उड़ान और स्थल उद्घोषणाएं, सामान सूचक पर्चियां, उड़ान-सूचनाएं तथा प्रशासनिक सेवा सम्बन्धी अंतर्कार्मिक और उचित जानकारी तथा प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों के अर्थ और प्रक्रिया की जानकारी भी उतनी ही आवश्यक है।

इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, वायुदूत, हैलीकाप्टर निगम जैसी नागर विमानन क्षेत्र की विमान सेवा कम्पनियों में विभागों, अनुभागों, सेवाओं और गतिविधियों में बहुत अधिक समानताएं हैं। इन विमान सेवा कम्पनियों में अपने अपने क्षेत्र में प्रयुक्त साहित्य एवं सामग्री से सम्बन्धित शब्दावली से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने, शब्दों को मानक रूप और एकरूपता प्रदान करने तथा प्रयुक्त नए शब्दों, अभिव्यक्तियों, आदि को तैयार करने के लिए संयुक्त प्रयास अपेक्षित है।

डी-47, हौज खास,
नयी दिल्ली।

हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों का आविर्भाव

☐ डा० नरेश कुमार

संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों से हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संख्यावाचक शब्द विकसित हुए हैं। यहां यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत के संख्यावाचक शब्द किस प्रकार परिवर्तित होकर वर्तमान काल में हिंदी में प्रचलित हैं— (संक्षिप्तियों का विवरण लेख के अंत में दिया गया है।)

1. सं. पा. एक > प्रा. अप. एक्क, अप. एग > हिं. एक।
2. सं. पा. द्वि, सं. दौ > प्रा. दु, प्रा० अप दो > हिं. दो.
3. सं. त्रीणी > पा प्रा. तीणि > अप. तिण्ण > हिं. तीन।
4. सं. चत्वार : पा. चतु > प्रा. चत्तारो, चत्तारि > अप. चारि, चारी > हिं. चार।
5. सं. पंचन् > पा. पञ्च > प्रा. पंच > अप. पाच > हिं. पांच।
6. सं. षट् > पा. प्रा. छ > अप. छअ, छह > हिं० छह।
7. सं. सप्तन् > पा० प्रा. अप. सत्त, अप. सात > हिं. सात।
8. सं. अष्टन् > पा. प्रा. अप. अट्ठ > हिं. आठ।
9. सं. पा. नव > प्रा. अप. णव > हिं. नौ।
10. सं. दशन् > पा प्रा. अप. हिं. दस।
11. सं. एकादश > पा एकादस > प्रा. एकादस, रगादस, एग्गारह > अप. इगारह > हिं. ग्यारह।
12. सं. द्वादश > प्रा. द्वादस, बारस > अप. दुवारह > हिं. बारह।
13. सं. त्रयोदश > पा. प्रा. अप. तेरस, अप हिं. तेरह।
14. सं. चतुर्दश > पा. चतुद्दस, चुद्दस > प्रा. अप. चउदह, अप. चउदह, > हिं. चौदह।
15. सं. पंचदश > पा. पञ्चदस, पण्णरस > प्रा. पणरह अप. पण्णारस, पण्णारह > हिं. पंद्रह।
16. सं. षोडश > पा. प्रा. सोलस > अप. हिं. सोलह।
17. सं. सप्तदश > पा. प्रा. सत्तरस > अप० सत्तरह, सत्तारह > हिं. सत्रह
18. सं. अष्टादशन > पा. अट्पदस, पा. प्रा. अट्ठारस, अप. अट्ठारह > हिं. अठारह।
19. सं. एकोनविंशति > पा. एकूनवीसति > प्रा. एकूणविंस > अप > एक्कुवीस, एगुणवीस > औणवी स हिं. उन्नीस।
20. सं. विंशति > पा. वीसति > प्रा. अप. वीसइ अप. वीस > हिं. बीस।
21. सं. एकविंशति > पा. एक वीसति > प्रा. एक्कवीस हिं.—इक्कीस।
22. सं. द्वाविंशति > पा. द्वीसति > प्रा. अप. बावीस हिं. बाईस।
23. सं. त्रिविंशति > पा. तेवीसति > प्रा. तेवीस > अप. तेइस > हिं. तेईस।
24. सं. चतुर्विंशति > पा. चतुवीसति > प्रा. अप. चउवीस, प्रा० चौब्बीस > हिं. चौबीस।
25. सं. पंचविंशति > पा. पंचवीसति > प्रा. पंचवीस अप. हिं. पच्चीस।
26. सं. षड्विंशति > पा. छव्वीसति > प्रा. छब्बीस अप. हिं. छब्बीस।
27. सं. सप्तविंशति > पा. सत्तावीसति > प्रा. सत्त वीस > अप. सताइस > हिं. सताईस।
28. सं. अष्टविंशति > पा. अट्ठवीसति > प्रा. अट्ठावीस > अप अट्ठाइस > हिं. अट्ठाईस।
29. सं. एकोनत्रिंशत् > पा. एकूनतिंसति > प्रा अणत्तीस > अप० एगुतीस > हिं. उनतीस।
30. सं. त्रिंशत् > प्रा. तिंसति > प्रा. अप. हिं. तीस।
31. सं. एकत्रिंशत् > पा. एकतिंसति > प्रा. एकत्तीस अप. एक्कतीस > हिं. इकतीस।
32. सं. द्वात्रिंशत् पा० द्वत्तिंसति, बत्तिसति > प्रा. बत्तीस > अप. बत्तिस > हिं. बत्तीस।

33. सं. त्रयस्त्रिंशत् > पा. तेत्तिसति > प्रा. अप. तेत्तीस > हिं. तैंतीस ।

34. सं. चतुस्त्रिंशत् > पा. चतुत्तिसति > प्रा. चोत्तीस अप. चउत्तीस > हिं. चौंतीस ।

35. सं. पंचत्रिंशत् > पा. पञ्चत्तिसति > प्रा. > पणतीस > अप पंचतीस > हिं. पैंतीस ।

36. सं. षट्त्रिंशत् > पा. छत्तिसति > प्रा. अप. हिं. छत्तीस ।

37. सं. सप्तत्रिंशत् > पा. सत्तत्तिसति > प्रा. सत्तिसइ अप. सत्ततीस > हिं. सैंतीस ।

38. सं. अष्टत्रिंशत् > पा. अट्ठत्तिसति > प्रा. अप. अट्ठतीस > हि. अड़तीस ।

39. सं. एकोनचत्वारिंशत् > एकूनचत्तालीसति > प्रा. एगूणणालीस > अप: एगणचालीस > उनचालीस > हिं. उनतालीस ।

40. सं. चत्वारिंशत् > पा. चत्तालीस > प्रा. अप. हिं. चालीस ।

41. सं. एकचत्वारिंशत्पपा. > ा. एकचत्तालीसति > प्रा. एकचत्तालीस > अप. एककचालीस > हिं. इकतालीस ।

42. सं. द्विचत्वारिंशत् > पा० द्विचत्तालीसति > प्रा. बायालीस > अप. बाआलीस > हिं. बयालीस ।

43. सं. त्रयचत्वारिंशत् > पा. तिचात्तालीसति > प्रा. तेयालीस > अप. तियालीस > हिं तैंतालीस ।

44. सं. चतुश्चत्वारिंशत् > पा. चोत्तालीसति > प्रा. चउयालीस, अप. चउवालीस > हिं. चवालीस ।

45. सं. पंचचत्वारिंशत् > पा. पञ्चचत्तालीसति > प्रा. पणचालीस > अप. पंचतालीस > हि. पैंतालीस ।

46. सं. षट्चत्वारिंशत् > पा. छाचत्तालीसति > प्रा. अप. छयालीस > हिं छियालीस ।

47. सं. सप्पचत्वारिंशत् > पा. सत्ताचत्तालीसति > प्रा. सत्तचत्तालीस > अप सत्तचालीस > हिं सैंतालीस ।

48. सं. अष्ट चत्वारिंशत् > पा. अट्ठचत्तालीसति > प्रा. अट्ठचत्तालीस > अप अठतालिए > हिं अड़तालीस ।

49. सं. एकोनपंचाशत > प्रा० एकूनपच्चासति प्रा० एगूणपण्णास अप० एककूणमच्चास > हिं० उनचास ।

50. सं० पंचाशत > पा० पच्चासति, पण्णासति > प्रा० पंचास,प्रा० अप० यण्णासस > पांचास > हिं० पचास ।

51. सं० एकपंचाशत > पा० एकपच्चासति > प्रा० एक्कावण्ण, अप० एककवण्णास इककावण्ण > हिं. इकयावन ।

52. सं. द्विपंचाशत् > पा. द्विपञ्चासति द्विपण्णासति प्रा. बावण्ण > अप. दुवण्णास > हिं. बावन ।

53. सं. त्रिपंचाशत् > पा. तिपञ्चासति > प्रा. तेव्वण > अप. तिवण्णास > हिं. तिरपन ।

54. सं. चतुःपंचाशत् > पा. चतुपण्णास > प्रा. चउप्पण चउवण्ण > अप चउवण > हिं. चौवन ।

55. सं. पंचपंचाशत् > पा. पञ्चपण्णास > प्रा. पणपण्ण > अप पंचवण्णास > हिं. पचपन ।

56. सं. षट्पंचाशत् > पा. छप्पञ्चास > प्रा. छप्पण अप. > छप्पयस > हिं छप्पन ।

57. सं. सप्तपंचाशत् > पा. सत्तपञ्चास > प्रा. सत्तावण्ण > अप सत्तावणीअ > हिं. सतावन ।

58. स. अष्टपंचाशत् पा. अट्ठपञ्चास > प्रा. अप. अट्ठावण्ण > हिं अठावन ।

59. सं. एकोनषष्टि > प्रा. एकूनसट्ठि > प्रा. एगूणसठि अप. एक्कुणसठ्ठि > हिं. उनसठ ।

60. सं. षष्टि > पा. प्रा. अप: सट्ठि > हिं. साठ ।

61. सं. एकषष्टि > पा. एकसट्ठि > प्रा. इगसट्ठि अप. एक्कसट्ठि > हिं. इकसठ

62. सं. द्वाषष्टि > पा. द्वासट्ठि प्रा. अप. वासट्ठि > हिं. बासठ ।

63. सं. त्रिशिष्ट > पा. तिसट्ठि > प्रा. तेसट्ठि, अप. त्रिषट्ठि > हिं. तिरसठ ।

64. सं० चतुष्षष्टि > पा. चतुसट्ठि > प्रा. चोसट्ठि चाउसट्ठि > अप चउसट्ठि > हिं चौंसठ ।

65. सं. पंचसट्ठि > पा. पञ्चसट्ठि > प्रा. पणसट्ठि अप. पंचसट्ठि > पणसाट्ठि > हिं पैंसठ ।

66. सं. षट्षट्ठि > पा. छसट्ठि > प्रा. छावट्ठि अप. छसट्ठि > हिं. छियासठ ।

67. सं. सप्तषष्टि > पा. प्रा. अप. सतसट्ठि हिं. सड़सठ ।

68 सं. अष्टषष्टि > पा. प्रा. अप. अट्ठसट्ठि हिं. अड़सठ ।

69. स. एकोनसप्तति > पा. एकूनसत्तति > प्रा. एगूसत्तरि एक्कूणहत्तरि > अप. एक्कुणहत्तरि हिं. उनहत्तर

70. सं. सप्तति > पा. सत्तति > प्रा. अप. सत्तरि > हिं. सत्तर।

71. सं. एकसप्तति > पा. एकसत्तति > प्रा. एकसत्तरि अप. एकहत्तरि > हिं. इकहत्तर।

72. सं. द्वासप्तति > पा. द्वासत्तति > प्रा. बावत्तरि > अप. दुसत्तरि, बाहत्तरि > हिं बहत्तर।

73. सं. त्रिसप्तति > पा. तिसत्तति > प्रा. तेवत्तरि अप. तिसत्तरि, तेहत्तरि > हिं. तिहत्तर।

74. सं. चतुःसप्तति > पा. चतुसतति > प्रा. चोवत्तरि > अप. चउहत्तरि > हिं. चौहत्तर।

75. सं. पंचसप्तति > पा. पञ्चसतति > प्रा. अप. पंचहत्तरि–हिं. पचहत्तर।

76. सं. षटसप्तति > पा. छसतति > प्रा. छावत्तरि > अप. छहत्तरि > हिं. छिहत्तर।

77. सं. सप्तसप्तति > पा. सत्तसतति > प्रा. अप. सत्तहत्तरि > हि. सतहत्तर।

78. सं. अष्टसप्तति > पा. अट्ठसतति > प्रा. अप. अट्ठहत्तरि हिं अठहत्तर।

79. सं. एकोनशीति > पा. एकूनासीति > प्रा. एगूणसीड़, अप एक्कूणासी > हिं. उनासी।

80. सं. अशीति > पा. असीति > प्रा. असीइ, अप. असीति, असीअ, असी > हिं. अस्सी।

81. सं. एकाशीति > पा. एकासीति > प्रा. एक्कासीह, अप. एकासीति, एककासी > हिं. इकयासी।

82. सं. द्विशीति > पा. द्वियासीति > प्रा. बासीइ > अप बेआसी > हिं. बयासी।

83. सं. त्रिशीति > पा. तियासीति > प्रा. तेयासी, तेसीइ, अप. तेयासीति, तियासी > हिं. तिरासी।

84. सं. चतुःशीति > पा. चतुरासीति > प्रा. अप. चउरासी > हिं. चौरासी।

85. सं. पंचशीति > पा. पञ्चासीति > प्रा. पंचासीइ > अप. पंचासी > हि. पचासी।

86. सं. षट्शीति > पा. छासीति > प्रा. छडसीइ > अप. छयासी > हिं. छियासी।

87. सं. सप्तशीति, पा. सत्तासीति > प्रा. सत्तासीइ > अप. सत्तासीति, सत्तासी > हिं. सतासी।

88. सं. अष्टशीति > पा. अट्ठासीति > प्रा. अट्ठासीइ > अप. अट्ठासी > हिं. अठासी।

89. सं. एकोननवति, > पा. एकूननवुति > प्रा. एगूणणउइ > अप. एक्कूणासी > हिं. नवासी।

90 सं. नवति > पा. नवुति > प्रा. अप. अप.-ण्णवादि; अप.णवइ, नव्वख > हिं. नब्बे।

91. सं. एकनवति > पा. एकनवुति > प्रा. एक्कणउइ > अप. एक्कणवइ > हि. इक्यानवे।

92. सं. द्विनवति > पा. द्विनवुति, द्वानवुति > प्रा. बाणवइ, प्रा. अप., बाणउइ > हिं. बनावे।

93. सं. त्रिनवति > पा. तिनवुति > प्रा. तेणउइ >. अप. तिणवइ > हिं. तिरानवे।

94. सं. चतुर्नविति > पा. चतुनवुति > प्रा. अप. चउणवइ > हिं, चौरानवे।

95. सं. पं > चनवति > पा. पञ्चनवुति प्रा. पंचाणउइ > अप पंचणव > हिं. पचानवे।

96. सं. षटणवति > पा. छनवुति > प्रा. छण्णवइ > अप. छाणवइ > हिं छियानवे।

97. सं. सप्तनवति > पा. सत्तनवुति > प्रा. सत्ताणउह अप. सत्ताणवइ हिं. सतानवे।

98. सं. अष्टनवति > पा. अट्ठणवुति > प्रा. अट्ठाणउइ > अप. अट्ठणवह > हिं. अठानवे

99. सं. नवनवति > पा. नवनवुति > प्रा. अप. णवणवइ > हिं. निन्यानवे।

100. सं. शतम् > पा. सत > प्रा. सय, > अप. पुरानी राजस्थानी सतं > हिं. सौ

1000 सं. पा. सहस्त्र (प्रा. सहस्स > अप. सहस) अवेस्ता हजअर, > पहलवी, फारसी हजार > हिं. हजार।

100,000 > सं. लक्ष > प्रा. अप. लक्ख > अव. लख्ख, लख्ख, > हिं. लाख

100,00,000 सं. पा. कोटि > प्रा. कोड़ी > अप. कोडि > हिं. करोड़, भोजपुरी करोर।

संकेतिका

अप.—अपभ्रंश
अव.—अवहट्ट
पा.—पालि
प्रा.—प्राकृत
सं.—संस्कृत
हिं.—हिंदी

हिन्दी अधिकारी,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
साकेत नई दिल्ली

उत्पादन एवं शिक्षा स्वभाषा में

☐ नेत्रपाल सूदन

मनुष्य जीवन में विकास चाहता है—सम्मान चाहता है, उसके लिए स्वभाषा सम्मान एक ऐसा पथ है जिस पर से चल कर जाना ही पड़ता है। जो इस पर चले बिना छोटा रास्ता अपनाते है उनके लिए आत्मसम्मान एक भ्रम बनकर रह जाता है। जिसकी परछाई के पीछे भागता-भागता मनुष्य थक कर अन्त में बिखर जाता है। पर तब इस जन्म में बहुत देर हो चुकी होती है। विकास चाहने वाला कोई भी व्यक्ति तीन प्रकार से प्रयास कर रहा होता है। अपने जीवन को बनाए रखने की मूल आवश्यकता — 1 खाना, ठहरने का स्थान, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए, नौकरी या अन्य साधन ढूंढ़ता है। 2. आत्म सम्मान के लिए प्रयास कर रहा होता है, उक्त साधन के साथ नैतिकता को जोड़कर, 3. इनकी प्राप्ति के बाद प्रयास करता है इन एक एवं 2 के विकास के लिए। उदाहरण, पदोन्नति एवं और अधिक सम्मान। उक्त तीनों को प्राप्त करने की अनेकों विधियां हो सकती हैं। परन्तु उन सभी विधियों में एक बात समान है, और वह है दूसरों के सम्पर्क में आना चाहे वह पहली क्लास से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के लिए आना पड़े अथवा नौकरी के लिए आना पड़े। भाषा उसको अन्य सभी से जोड़ती है। भाषा द्वारा उसके आचरण को लोग अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। यह भाषा 1—उसकी स्वभाषा (जिसे प्रादेशिक या लोकभाषा भी कह सकते हैं) भी हो सकती है अथवा 2—कोई अन्य भाषा जो उसकी प्रादेशिक भाषा नहीं है।

स्वभाषा:—आइए कल्पना करें कि किसी प्रदेश में एक करोड़ व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहे है अतः यदि वे सभी एक ही भाषा में एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं, एक दूसरे की समस्या को समझते रहते हैं तथा ज्ञान एवं अनुभव को लेते देते हैं तो उत्पादन श्रेष्ठ एवं विशाल होता है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें बुद्धि की भाषा तथा श्रम की भाषाएं भिन्न हैं। अथवा यूं कहें कि वैज्ञानिकों एवं श्रमिकों की भाषाएं भिन्न हैं। ऐसे में इन दोनों में बेगानापन बना रहता है। उत्पादन में वह लय टूट जाती है जो एक श्रेष्ठतम वैज्ञानिक से होती हुई साधारण से साधारण व्यक्ति तक बहती रहती है। हर भाषा के साथ उस देश प्रदेश की संस्कृति जुड़ी होती है। आप किसी भाषा में से उसकी संस्कृति को छान कर अलग नहीं कर सकते। इसी कारण बुद्धि एवं श्रम में भिन्न संस्कृतियां बेगानापन बनाए रखती हैं। ऐसे में उत्पादन की श्रेष्ठता की कल्पना करना एक भ्रम है। आपके विचार में कौन सा परिवार अधिक विकास कर सकता है जहां पति पत्नी एवं बच्चों की भाषा एक हो अथवा सभी अलग-अलग भाषा में बोलें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी तो जाए भले ही सुनने वाला उसकी बात माने या न माने। पर जब दो व्यक्तियों द्वारा व्यावहार में लाई जा रही भाषाएं ही भिन्न हैं तो निचला स्तर उच्चस्तर से कभी भी खुल कर समस्या नहीं कह पाएगा।

यह सब जानते हुए भी भारत में शिक्षित वर्ग विदेशी भाषा से इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि 1. श्रेष्ठ शिक्षा का माध्यम यही है तथा इस माध्यम को निर्धारित करना जिन मंत्रियों, लोकसभा-विधानसभा सदस्यों, तथा सरकार के उच्च अधिकारियों के हाथ में है। उनमें से लगभग सभी के बच्चे विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हैं अथवा प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण से इंजीनियरिंग, मैडिसिन तथा मैनेजमेंट अथवा अन्य उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जा रही है। इससे उनके बच्चे लाखों भारतीय बच्चों से होड़ किए बिना ही उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं और यही बच्चे बाद में बच्चों में भेद भाव की दुहाई देते फिरते हैं। जब भी इन्हें अवसर मिलता है। चाहे वह अवसर लोक मंच हो अथवा शासन की उच्च कुर्सी। यही लोग जन समुदाय पर नंगी तलवार से आक्रमण तब करते हैं जब हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के किसी भी बड़े पद के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता बता दी जाती है पर अंग्रेजी भाषा के पद के लिए हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा की अनिवार्यता नहीं बताई जाती। यदि भारतीय भाषा वाले कुछ कहते हैं तो अन्य प्रांतीय भाषा वालों से उपद्रव करा कर भारत के निवासियों को चुप करा दिया जाता है। इस स्थिति को सुलझाना कोई कठिन कार्य नहीं है। आवश्यकता है स्थिति की अनेक कुव्यवस्थाओं को समझकर उसको किसी एक स्थान से मोड़ दिया जाए। ऐसे में कुव्यवस्था में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाता

है तो उसे भूख कम लगती है। भूख कम लगने से वह और दुर्बल हो जाता है जिसके कारण रोगाणु जो अभी तक शरीर में निष्क्रिय थे रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोगी हो जाने पर मनुष्य काम पर नहीं जा पाता। अब उसे आर्थिक कठिनाई घेरना आरंभ कर लेती है। उसका स्वास्थ्य और भी गिर जाता है। इस दुष्चक्र को यदि समाज नहीं मोड़ रहा, तो आप उपचार वाले स्थान पर सहायता दें। आप का तनिक सा सहयोग तथा अपनापन उसे खड़ा कर सकते हैं। विकास के पद पर निर्मित हो गए दुष्चक्र को मोड़ने के तीन स्थान हैं, आत्म सम्मान एक ऐसा तथ्य है जिसे कि चुना जा सकता है। इसके निकटतम मूर्त रूप को क्रियान्वित करने से धीरे-धीरे अमूर्त रूप भी क्रियाशील हो सकता है। हम जानते हैं कि जब हम मनुष्य के आत्मसम्मान के चयन की बात करते हैं तो मनुष्य की श्रेष्ठतम निधि "भाषा" अथवा वाणी की बात स्वतः सामने आ जाती है क्योंकि वाणी का मूर्त रूप अक्षर है अतः क्यों न इसे ही आत्म सम्मान के मूर्तरूप की तरह लें, अर्थात स्वभाषा के अक्षरों का सम्मान।

स्वभाषा के अक्षरों को सम्मान देने से अभी तक विचार किए गए तथ्यों की दिशा और भी सशक्त होती है। प्रादेशिक अर्थ एवं सम्मान के विकास की स्पष्ट सम्भावनाएं बनती है। स्वभाषा के अक्षरों को सम्मान देने के लिए हम एक ऐसा सहज नियम बनाना चाहेंगे जिस पर कि हम चल सकें, सहज एवं निश्चित। इसका एक धनात्मक (पोजिटिव) पक्ष यह हो "कि चाहे जो भी हो हम अधिक से अधिक स्वभाषा में बोलेंगे" लिखने पढ़ने हेतू हम अन्य भाषाओं का सहयोग लेंगे। इस कृत्य को सन्तुलित करने के लिए एक ऋणात्मक (नैगेटिव) कृत्य भी सदैव समक्ष रखेंगे कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों "उस स्थान पर अन्न से बनी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे जहां स्वभाषा का सम्मान न हो रहा हो।"

हम उन सभी परिस्थितियों को स्वभाषा अथवा किसी भी भारतीय भाषा का अपनाना समझते हैं, जहां घर में मंगाई जा रही भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं का मूल्य विदेशी भाषा की पत्र-पत्रिकाओं से कम होता है।

घर के बाहर की नेम प्लेट विदेशी भाषा में लगी होती है।

निमंत्रण पत्र एवं विजिटिंग कार्ड विदेशी भाषा में होते हैं। जिन दुकानों/होटलों के बोर्ड पर भारतीय भाषा विदेशी भाषा के नीचे लिखी होती है या होती ही नहीं है, अथवा अपमानजनक रूप से छोटी सी लिख दी जाती है, वहां अन्न से बनी वस्तुएं क्रय नहीं करेंगे। इसी प्रकार खाने की वस्तुओं के पैकेट्स पर निर्णय लेंगे।

भारत में मनाए जाने वाले समारोहों/मीटिंग/सेमीनार में बैनर एवं समस्त कार्यवाही भारतीय भाषाओं में न हो,

हम यह मानते हैं कि विदेशी भाषा सीखने के उद्देश्य से उसे लिखना, पढ़ना तथा बोलना एक स्वभाविक बात है ऐसा किसी भी आयु में किया जा सकता है। परन्तु सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा का माध्यम उच्च से उच्च स्तर पर केवल स्वभाषा (प्रादेशिक लिपि) हो सकती है।

शासन की इस नीति का हम समर्थन करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली से स्वभाषा को समृद्ध करें जैसे इलेक्ट्रोन, मालीक्यूल। इनके लिए विश्व में कहीं भी किसी भाषा द्वारा भी अनुवाद नहीं कराया जा रहा। विश्व ने हमारी मूल भाषा संस्कृत से पशुचर (पाश्चर) सप्तक्रम (स्पैक्ट्रम) जैसे हजारों शब्दों को बिना अनुवाद किए ही लेकर स्वयं की भाषाओं को समृद्ध किया है। अतः जो परिवार किन्हीं कारणों से अपने बच्चों को विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिला रहे हैं, हम तब तक उनके परिवर में अन्न स्पर्श नहीं करेंगे तथा उनसे वैसा करने का निवेदन करते रहेंगे जब तक वि वे समाज में चल रही इस स्थिति को छोड़कर लोकभाषा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते।

इतना स्पष्ट रूप अपना लेने से कुछ भारतीयों के मन में बात उठेगी कि दक्षिण भारतीय तो अंग्रेजी के माध्यम से ही सम्पर्क करते हैं, केन्द्र सरकार कैसे कार्य करेगी? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। हमें वही अपनाना चाहिए जो विश्व की श्रेष्ठ सरकारें अपना रही है। जर्मनी, जापान, रूस, चीन, जेक, पोलैण्ड, फ्रैंच, थाईलैंड, सिंगापुर इत्यादि-इत्यादि इन सब की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियां, जन संख्या इत्यादि बिल्कुल भिन्न हैं। वे कुछ लाख से लेकर 80 करोड़ तक हैं परन्तु इन सब में एक बात एक जैसी है और वह है स्वभाषा में शिक्षा एवं उत्पादन। अतः हम भी प्रदेशों में शिक्षा एवं उत्पादन का माध्यम स्वभाषा ही अपनाएं।

रही बात शासकीय अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतरप्रान्तीय भाषा की बात, तो यह देखना केन्द्र शासन एवं प्रादेशिक शासन का कार्य है कि वह किस भाषा का उपयोग करे। शासन स्वयं देखेगा कि जन आकांक्षाएं क्या हैं तथा क्या व्यावहारिक है। हम धीरे-धीरे पर निश्चित मन से स्वभाषा पर चलें शासन वही करेगा जो लोकहित में होगा।

कर्म भारती
1442, वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर
(लोधी रोड)
नई दिल्ली-110003

रचनात्मक तकनीकी लेखन

☐ डॉ. ओम् विकास

1. प्रस्तावना

प्राय: विज्ञान शोधकर्ता अपना शोध पत्र किसी विदेशी पत्रिका में छपने भेजते हैं तो उन्हें अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए निर्देश आते हैं। इस प्रकार शोध पत्र छपने में भी देर हो जाती है। कभी-कभी मशीन-आपरेटर बहुत परेशान दिखाई देता है क्योंकि मशीन के साथ आई मैन्युअल अर्थात् मशीन संचालन निर्देशिका स्पष्ट नहीं होती। तकनीकी विषयों की जानकारी लोकभाषा हिन्दी में देने के लिए उत्साह रहता है, लेकिन कमजोर अभिव्यक्ति के कारण विचार साकार नहीं हो पाते। इस प्रकार तकनीकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख में हम तकनीकी लेखन के लक्ष्य और इसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे।

ऐतिहासिक कारणों से भारत वर्ष में मौलिक, आधुनिक तकनीकी विकास की गति धीमी रही। स्वतंत्रता के बाद इस को तीव्र गति देने की चाह रही। लेकिन अधुनातम टेक्नोलोजी का प्रयोग करने की स्पर्धा में टेक्नोलॉजी के आयात को प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप मौलिक तकनीकी विकास को क्षति पहुंची है। सहज मौलिक तकनीकी लेखन का अभाव रहा है। प्रयुक्त तकनीकी लेखन की सहजता और जन-जन तक तकनीकी ज्ञान की संप्रेषणीयता लोकभाषा हिन्दी में संभव है।

वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही टेक्नोलोजी का विकास होता है। विकसित और विकाशील देशों के बीच का अंतर जन-सामान्य के लिए विज्ञान साहित्य की उपलब्धि से भी अनुमानित किया जा सकता है। विकासशील देशों में लोक भाषा में विज्ञान साहित्य का अभाव पाया जाता है।

2. रचनात्मक लेखन

भाषा विचारों की वाहिनी है। एक ही विचार के लिए विविध भाषा—भेद हो सकते हैं। विज्ञान की भाषा स्पष्ट, सरल, बोधगम्य और तर्क संगत होती है।

लेखन लिपिबद्ध अभिव्यक्ति है। रचनात्मकता से तात्पर्य है विशिष्टता। रचनात्मकता पर भौतिक एवं मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति वस्तु और वातावरण का प्रभाव देखा जा सकता है। रचनात्मक भौतिक प्रक्रिया में तथ्यों को संयुक्त कर देखते हैं। रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया में अवचेतन मन में विविध आकृतियां नवीन आकृति में समाहित होती हैं। व्यक्तिपरक रचनात्मकता का संबंध आत्मबोध (इंटयूशन) से है। मौलिकता वस्तु पर रचनात्मकता का गुण है। उपयुक्त वैयक्तिक एवं सामाजिक वातावरण रचनाकार को संवेदनशील बनाता है और उसे सहज रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता देता है। इस प्रकार रचनात्मक लेखक के गुण हैं :—तथ्यों को जोड़कर देखने की क्षमता, विविध आकृतियों से नवीन मर्मस्पर्शी आकृति की कल्पना करने की क्षमता, आत्म बोधन की क्षमता, मौलिकता और संवेदनशीलता। रचनात्मक लेखन में अभिव्यक्ति की विशिष्टता होती है। यह अधिक प्रभावकारी होता है। रचनात्मकता वैयक्तिक क्षमता का परिचायक है। उपयुक्त वातावरण में रचनात्मकता को अभिव्यक्ति मिलती है।

3. लेखन के बारे में कुछ भ्रांतियां—

फ्रेंक स्मिथ (1984) ने 22 लेखन भ्रांतियों और तत्संबंधी यथार्थताओं का उल्लेख किया है : इन्हें लेखन की प्रकृति, प्रशिक्षण और अभ्यास के अनुसार वर्गीकृत किया है। कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार उभरते हैं—

"लेखन से नए विचार पैदा होते हैं", "पढ़ने से ही लिखना सीखते हैं", "अच्छे लेखन में कई प्रारूप बनाने और संशोधन करने पड़ते हैं" और "प्रयोजनमूलक लेखन ही सही अभ्यास हैं", निम्नलिखित भ्रांतियां यथार्थता से परे हैं:—

(1) लेखन सूचना संप्रेषण और संचार के लिए है।
(इस के अनुसार लेखन पाठक के अनुकूल हो। जबकि लेखन लेखक के विचारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता हैं।)

(2) लेखन से विचार मस्तिक से कागज पर उतर आते हैं
(विचार तो लेखन प्रक्रिया के दौरान पैदा होते हैं)

(3) लेखन रैखिक और स्थायी है।
(लेखन तो किसी भी स्थान पर आगे पीछे हो सकता है, इसमें संशोधन भी होते हैं)

(4) लेखन सीखा जाता है।
(लेखन की उत्कृष्टता तो प्रयोजनमूलक लेखन से आती है, बार-बार असंबंध लेखन अभ्यासों से नहीं)

(5) लेखन एकांत में बैठकर शांत होकर की जाने वाली स्वच्छ एवं सरल प्रक्रिया है ।

(लेखन के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती । लेखन कठिन कार्य है और इसके लिए एकाग्रता एवं धैर्य आवश्यक है)

(6) कोई भी शिक्षक बच्चों को लेखन सीखा सकता है। (बच्चों को लेखन सिखाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं लेखन कैसे करें, और "लेखन के प्रभाव" को समझाने में दक्ष हो)

4. तकनीकी लेखन

विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जानकारी समाज को देने के लिए तकनीकी लेखन का व्यवहार होता है । लक्ष्य होता है कि तकनीकी लेखन प्रभावकारी और उपयोगी सिद्ध हो । इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं ;

(क) **तर्क संगति—**

विषय प्रतिपादन तर्क संगत हो ।

(ख) **श्रृंखलाबद्धता—**

विचार अभिव्यक्ति श्रृंखलाबद्ध हो, पूर्व विचार कड़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत करना विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक हो सकता है।

(ग) **स्पष्टता—**

प्रत्येक शब्द सार्थक हो और स्पष्ट भाव द्योतक हो। मुहावरों का प्रयोग न हो अथवा बहुत कम हो।

(घ) **सुबोधता—**

शब्द सरल हों । नए शब्दों को समझाया जाए संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए ही संक्षिप्त [illegible] का प्रयोग किया जाए वाक्य छोटे हों।

(ङ) **आरेखन—**

समग्र विषय बोध की दृष्टि से रेखाचित्रों [illegible] अधिक किया जाए। ज्ञातव्य है कि हिन्दी में तकनीकी लेखन के वर्तमान प्रयासों में आरेखन पर बहुत बल दिया जाता है ।

(च) **उपयुक्त शब्द चयन**

तकनीकी शब्दों का चयन और निर्माण तर्क संगत हो । संक्षिप्तीकरण सरल व ध्वन्यात्मक प्रवाहमय हो । इसे समझाया भी जाए । किसी प्रक्रिया के लिए शब्द बनाते समय संबंधित प्रक्रिया के शब्दों को एक साथ रखकर देखें जैसे—(इनपुट, आउटपुट), (इंसर्ट, डिलीट, माडीफाइ, अपडेट), (कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ट्रांसलेटर) ।

..आगामी अंक में जारी

पूर्वोत्तर सीमांचल में भटका मध्यप्रदेश का एक [illegible]ला मेघ

□ [illegible]नारायण दुबे

गुवाहाटी (अर्थात् सुपारी का बाजार : असमिया शब्द) न केवल पूर्वांचल सीमा का मुख्य केन्द्र है अपितु पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय भी। इस रेलवे में मालीगांव स्थित मुख्यालय में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भारत सरकार के रेल मंत्रालय की राष्ट्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यगण प्रेक्षक-सदस्य के रूप में नामित होते हैं। इसी रूप में पूर्वोत्तर सीमा के राज्यों को निकट से देखने तथा उनके जन-जीवन से अवगत होने के अवसर मिले।

गुवाहाटी एक ऐसा नगर तथा असम (जो सम न हो) की राजधानी हैणहो से पूर्वोत्तर सीमा के राज्यों तथा नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश जाने के वायु, रेल तथा सड़क के माध्यम हैं। इसलिए इस नगर का अत्यन्त महत्व है।

गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के निकट बसा रमणीक नगर है। ब्रह्मपुत्र हमारे देश की सबसे बड़ी सरिता है जो कि हिमालय से निकल कर, चीन, तिब्बत, भारत होती हुई बांगला देश में अपना पर्यवसान पाती है। भगवान परशुराम ने अत्यन्त प्राचीन काल में हैहयवंशीय क्षत्रियों का विनाश करके, असम में हीं ब्रह्मपुत्र में अपने परशु को धोया था। ब्रह्मपुत्र तथा सोन दो ऐसी नदियां हैं जो कि पुल्लिग मानी गयी हैं अर्थात् उन्हें नर के रूप में स्वीकार किया गया। सोननद मध्य प्रदेश के अमरकण्टक से निकलकर, बिहार में वर्षा ऋतु में भयावह स्थिति को प्राप्त होता है। उसी पर्वत से ही नर्मदा भी निकलती है जो प्रदेश की जीवन रेखा बनती है।

गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर विश्व-विख्यात है। पौराणिक आख्यान के अनुसार, सती के शव को लेकर जब भगवान शंकर भ्रमण करने लगे तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के इक्यावन टुकड़े कर दिए जो कि विभिन्न स्थानों पर गिरे। वे सब स्थान शक्तिपीठ बन गये। सर्वाधिक महत्व कामाख्या देवी के मंदिर को मिला जोकि एक बड़े तथा सुरम्य पहाड़ पर स्थित है। यह तांत्रिकों का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। गुवाहाटी में ही गुरु वशिष्ठ का मंदिर भी दर्शनीय है। महापुरुषीय सम्प्रदाय, शंकरदेव तथा माधव देव, असमिया लोक साहित्य इत्यादि के सन्दर्भ भी उल्लेखनीय हैं क्योंकि गुवाहाटी का विश्वविद्यालय विविध मुखी शोधकार्य से संलग्न है। असमिया रीतिरिवाजों तथा भाषा का समग्र पूर्वोत्तर सीमा के राज्यों पर व्यापक तथा गहन प्रभाव है। असमिया तथा बंगला ही लिपि भी लगभग समान है। नागालैण्ड की भाषा नागामीस भी नागा भाषा तथा असमिया के मिश्रण से बनाई गयी वर्तमान काल की नागालैण्ड के शहरों की भाषा है। उपरिलिखित राज्यों के निर्माण के समय असमिया तथा हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में, नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी बन गयी और यहां की ट्राइबल भाषाओं या बोलियों को रोमन लिपि दे दी गयी। इस अवसर पर, यदि इन आदिम जाति बोलियों को देवनागरी लिपि मिल गई होती तो पूर्वोत्तर सीमा के राज्यों की स्थिति भी भारतीयता की दृष्टि से कुछ और ही होती। अंग्रेजी के राजभाषा बनने का प्रमुख कारण, उन नवगठित राज्यों में ईसाइयत का अधिक प्रभाव है। उन राज्यों में लगभग डेढ़ सौ वर्ष से ईसाई मिशनरियां कार्यरत एवं सक्रिय हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के चार मण्डल हैं : कटिहार, अलीपुर द्वार, लामडिंग तथा तिनसुकिया। प्रत्येक मण्डल में भी रेलवे के हिन्दी अधिकारी हैं। इन मण्डलों में हिन्दी संबन्धी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कार्य, स्टेशन संचालन, नियमों का अनुवाद, प्रशिक्षण, हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला, कार्यान्वयन, हिन्दी पत्रों के पूर्वोत्तर, मूल पत्राचार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी कागजात आदि के कार्य हो रहे हैं। हिन्दी पुस्तकालय एवं वाचनालय भी कार्यरत हैं। विविध कार्य यथा पुरस्कार, राजभाषा सप्ताह आदि हो रहे हैं। हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों ने अपना अधिकांश काम हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया हैं। मुख्यालय से 'रेलभारती' पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है।

उक्त क्षेत्रीय रेलवे का अधिकांश अहिन्दी क्षेत्रों में है। कटिहार मण्डल बिहार में आता है, अतएव यहां हिन्दी का प्रयोग अधिक मिलता है। उस मण्डल के चालीस रेलवे स्टेशन 'क' क्षेत्र में पड़ते हैं। वहां बारह राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। कटिहार मण्डल में ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के पालन की दिशा में शत प्रतिशत कालस्य

प्राप्त कर लिया गया है। अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल में हैं जबकि लामडिंग तथा तिनसुकिया असम में ।

रेल पर तेतीस पुस्तकालय तथा कुल चौंतीस राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबंधक श्री के.वी. कृष्णमूर्ति के मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन से हिन्दी का कार्य प्रगति पर है। उसी रेलवे के मुख्य यात्री यातायात अधीक्षक जगदीशनारायण त्रिपाठी की काव्यकृति 'चित्रकूट' का हिन्दी में अच्छा स्वागत हुआ है।

इस क्षेत्र में भाषा-समस्या नहीं है। सभी हिन्दी समझते हैं और हिन्दी में ही उत्तर देते हैं। रेल कर्मचारी अनेक भाषाएं जानते हैं।

जब मध्य प्रदेश का ममतीला मेघ (महाकवि कालिदास का 'मेघदूत' मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक नगरी उज्जयिनी पर सर्वाधिक मुग्ध था) मेघालय की ओर संचरणशील होता है तब उनको अनेक प्रमुख नगरों तथा दृश्यों के मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। तीर्थराज प्रयाग, मुगलसराय तथा भागलपुर होते हुए वह बिहार तथा पश्चिम बंगाल की ओर उन्मुख होता है। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुडी, दार्जिलिंग तथा कालिम्पोंग की ओर जाता है।

जब मध्यप्रदेश का मेघ पूर्वोत्तर सीमा के मेघालय में पहुंचता है तो वह वहां अपनी साथी-संगी की बहुलता में निरत हो जाता है। पूर्वोत्तर सीमा के राज्यों में बादल पर्वतों से टकराते सर्वत्र देखे जाते हैं। सुमित्रानन्दन पंत की पंक्तियां "बादल को तिरते देखा है" यहीं अपनी पूर्ण परिणति तथा क्रियान्विति पाती है।

मेघालय की राजधानी शिलांग का नेहू (नार्थ ईस्ट यूनीवर्सिटी) इस क्षेत्र का अच्छा विश्वविद्यालय है। उसकी एक शाखा मिजोरम तथा कोहिमा में है। वहां खासी भाषा तथा खासी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हिमालय से भी पुरानी माना गया है। विश्वविद्यालय का कृषि अध्ययन, उच्च अध्ययन केन्द्र तथा संकाय मेदसीफेमा (घासपानी) में है।

त्रिपुरा तथा मणिपुर पुरानी रियासतें रहीं हैं। त्रिपुरा से प्रसिद्ध चित्रपट संगीत निर्देशक सचिनदेव बर्मन तथा राहुलदेव बर्मन सम्बद्ध रहे हैं। पहले मणिपुर केन्द्र शासित राज्य था। मिजो काफी सुशिक्षित हैं। उत्तर आसाम में, डिब्रूगढ़, तेजपुर तथा तिनसुकिया आते हैं।

दीमापुर नागालैण्ड का प्रमुख रेलवे स्टेशन और कोहिमा के बाद दूसरा बड़ा नगर है। नागालैण्ड में कस्बे के नाम 'मा' पर हैं। जिनका अर्थ ही नगर होता है। वहां लगभग सोलह-सत्रह जातियां है और उन सबकी पृथक-पृथक बोलियां हैं और एक दूसरे की बोली को नागा नहीं समझते हैं। कभी-कभी तो एक ही जाति में बारह-तेरह बोलियां हैं।

नागालैण्ड का संबंध महाभारत काल में है। भीम जी की पत्नी हिडिम्बा के पिता से बताया जाता है। हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच ने ही सेनापति कर्ण के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करवाया था। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने यदि उर्मिला, विष्णुप्रिया, यशोधरा तथा जयिनी पर लिखा तो अपने प्रबंध काव्य के कमण्डलु का जल हिडिम्बा के मस्तक पर भी उंडेला और उसमें अनार्य नारीत्व के होते हुए भी, उसे आर्यत्व तथा पतिव्रता रूप में प्रस्तुत किया। इसी हिडिम्बा के नाम पर ही दीमापुर पड़ा : हिडिम्बा-डिम्बा-डीमापुर-दीमापुर। नागा जाति की एक कन्या उलुपी के साथ अर्जुन जी की शादी हुई थी। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का विवाह भी अर्जुन से हुआ था जिससे बभ्रुवाहन नामक पुत्र ने जन्म लिया था। बभ्रुवाहन लोकसाहित्य में टेसू है।

कोहिमा का सचिवालय, स्टेडियम, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नागा संग्रहालय तथा युद्ध सेमेट्री दर्शनीय स्थल हैं। कोहिमा की युद्ध सेमेट्री का सम्बन्ध 1944 के भारत जापान युद्ध से है। इन सैनिकों तथा शहीदों ने हमारे भविष्य के निर्माण हेतु अपने वर्तमान को होम कर दिया। मणिपुर की समर-सेमेट्री भी देखने योग्य है।

पूर्वोत्तर सीमा राज्य हमारे देश के सजग तथा सक्षम प्रहरी हैं। उनमें प्रकृति की अतुलित छटा और रमणीय सौन्दर्य का भण्डार है तो मानव जाति के वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक आचरण की विविध मुखी छवियां। हिन्दी के समुन्नयन की दिशा में असम राष्ट्रभाषा परिषद, नागालैण्ड भाषा परिषद, मणिपुर हिन्दी परिषद, मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के ठोस अवदान स्तुत्य है।

कामरूप आज भी कामरूप है—विशाल तथा नयनाभिराम उपत्यकाएं, लहराती बलखाती सरिताएं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के रमणीक दृश्य दृश्यावलियां और मानव की वैज्ञानिक बुद्धि के करतब। जिस जिले में गुवाहाटी है—उसे भी कामरूप कहते हैं। कामरूप के कन्दर्प देवता ने मनोजन्मा देवता का रूप धारण कर लिया। भगवान आशुतोष शिव के त्रिनेत्र से भस्तीभूत होकर परन्तु रति की विनती से दयार्द्र होकर, उसे अन्तर्यामी होने का वरदान मिल गया। मध्य प्रदेश में इन्दौर की होलकर महारानी देवी अहिल्या ने शिव को अपना राज्यर्पित किया था और बुन्देलखंड में ओरछा में रानी गणेशकुंवरि ने राम राजा (राजा राम नहीं) को। तीनों नारियों के समर्पण के भाव में कितना अंतर तथा पार्थक्य है? समूचा पूर्वांचल पुराणों में तंत्र साधना के लिए विश्रुत रहा है। अथर्ववेद में उल्लेख आया है कि यज्ञ की अग्नि मगध की सीमा पर जाकर बुझ जाती थी। पूर्वांचल ने यदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेधा, सृजन तथा चिंतन को अभिनव स्तर एवं आयाम प्रदान किये तो कुबेरनाथ राय के ललित निबंधकार को अनेक बिम्ब तथा विचारणाएं।

पूर्वांचल प्रकृति रमणी का प्यारा दुलारा बेटा है। यह भारत माता का भव्य विशाल अंग है। इसे संवारने तथा भारतीयता के अनुरूप बनाने की परमावश्यकता है।

राष्ट्रीय फेलो और राष्ट्रीय रिसर्च एसोसिएट
ब-6 प्रोफेसर्स बंगले, सागर विश्वविद्यालय, सागर-470002

मैथिलीशरण और सम्पर्क भाषा

□डा० कलानाथ शास्त्री

राष्ट्रकवि मैथिली [illegible] गुप्त ने भारतभारती जैसे अनेक काव्य [illegible] द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं [illegible] के विषय में तथा वर्तमान दयनीय स्थिति के विषय में बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन दिए हैं जो सुप्रसिद्ध हैं। उस समय स्वतंत्रता आन्दोलन चल रहा था और राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का साहित्य देश में प्रेरणा का स्रोत हुआ करता था। इस प्रकार के उनके विचारों ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दिलाई, यह सुविदित है। उस समय से ही राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों का विचार मंथन चलने लगा था। गुप्त जी ने उसका कहीं-कहीं संकेत दिया है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभाषा के विषय में तो प्रेरणादायक उद्गार मिलते ही हैं, हिन्दी के सम्पर्क भाषा पक्ष पर तथा देवनागरी के सम्पर्क लिपि पक्ष पर भी उनके विचार उनकी कविता से जाने जा सकते हैं।

सम्पर्क भाषा के सम्बन्ध में उनका विचार था कि देश तब तक एक नहीं रह सकता जब तक एक भाषा से वह जुड़ा न हो। प्राचीनकाल में यह भूमिका संस्कृत भाषा ने निभाई थी। उनके शब्द हैं:—

संस्कृतिमय संस्कृत से ही निज उत्तर-दक्षिण एक रहे
तभी न शंकर रामानुज के ज्ञान भक्ति के स्रोत बहे।

(राष्ट्रभारती)

इस युग में सम्पर्क भाषा की भूमिका हिन्दी निभा सकती है यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। हिन्दी के राष्ट्रभाषा पद पर अभिषेक का निर्णय यद्यपि जनमानस ने कर लिया था फिर भी उसकी जो दिशा रही उसका चित्रण उन्होंने इन शब्दों में किया है:—

है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं।
हम निज विचार जना सकें जिसमें परस्पर सब कहीं।
इस योग्य हिन्दी है यद्यपि अब तक न निज पद पा सकी।
माला बिना भावैकता अब तक न हममें आ सकी।

सभी भाषाओं के लिये एक लिपि यदि स्वीकृत कर ली जाए तो राष्ट्रीय एकता में तथा भाषिक एकता में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसी आवाज भी बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही उठती रही थी। और नागरी लिपि को ही इस योग्य बताया गया था। बंगाल में एक लिपि-विस्तार-परिषद" भी स्थापित हुई थी। जिसके प्रमुख थे जस्टिस शारदा शरण मित्र। ये देवनागरी नाम से मासिक पत्र भी निकालते थे। इस प्रकार के अभियानों ने यह मानस बना दिया था कि सब भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि आदर्श लिपि हो सकती है। इन्हीं भावनाओं को बड़े सीधे, सरल और स्पष्ट ढंग से गुप्तजी ने यों कहा:—

है एक लिपि विस्तार होना योग्य हिन्दुस्तान में
अब आ गई है यह सभी विद्वज्जनों के ध्यान में।
है किन्तु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी?
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर नागरी।
जैसा लिखो वैसा पढ़ो कुछ भूल हो सकती नहीं।
है अर्थ का न अनर्थ इसमें एकबार हुआ कहीं।
इस भाँति होकर शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है।
क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है?

(नागरी और हिन्दी)

गुप्तजी ने संसद में भाषा के प्रश्न पर तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर अधिकांशतः कविता में विचार व्यक्त किए। उसके ऐसे भाषणों में भी राष्ट्रीय समस्याओं पर सीधी सपाट कविता में स्पष्ट विचार मिलते हैं। सम्पर्क भाषा और सम्पर्क लिपि के सम्बन्ध में उनके उपर्युक्त पद्य आज भी प्रेरणादायक हैं।

—निदेशक,
भाषा विभाग, राजस्थान,
जयपुर।

चित्र समाचार–I

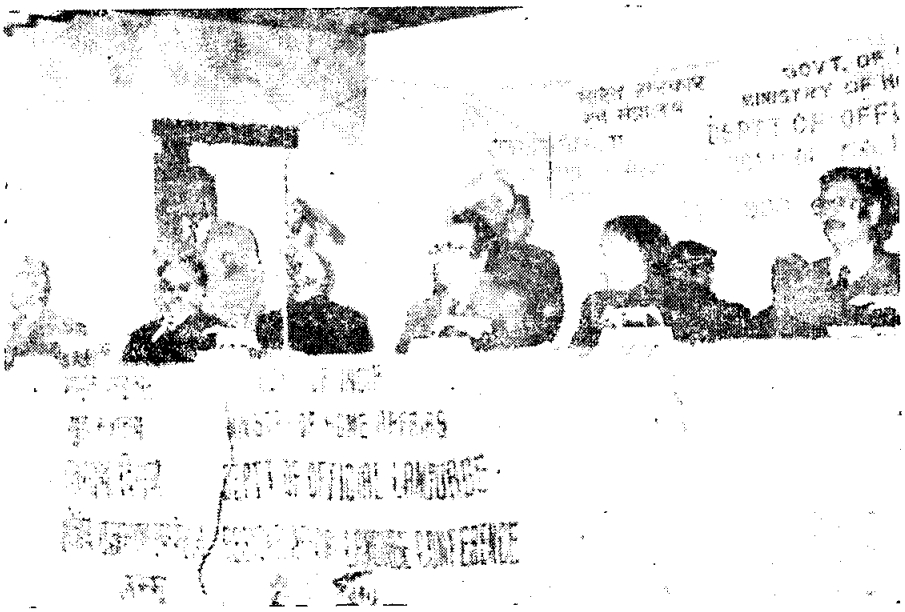

जम्मू में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में मंच पर दाएं से––संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभु दयाल, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री बी.बी. महाजन, जम्मू कश्मीर राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री जगमोहन, श्री आर.बी. कपूर, महानियंत्रक (रक्षा लेखा), श्री एस.ए.रहमान अध्यक्ष न. रा. का.स. तथा डॉ. सी.एल. चोपड़ा।

समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा (मध्य में), उनके दाईं ओर माननीय गृहमंत्री श्री बूटा सिंह, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री बी.बी. महाजन तथा बांई ओर हैं––माननीय गृह राज्य मंत्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल।

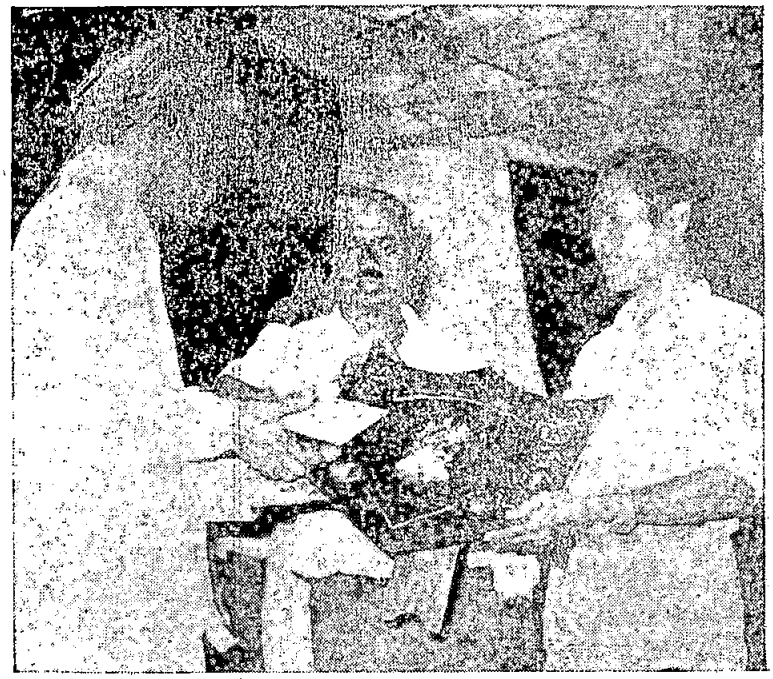

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के पुरस्कार वितरण समारोह में गृहराज्य मंत्री श्री चिन्तामणि पणिग्रही से 'हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री ई. ईश्वर राव, सिंडीकेट बैंक मंगलूर।

जम्मू-कश्मीर राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री जगमोहन से हिन्दी में प्रसार के सर्वोत्तम कार्य के लिए ट्राफी ग्रहण करते हुए श्री ए.सी. नन्दा, आयकर आयुक्त, अमृतसर।

अनुवाद प्रशिक्षण सत्र समापन समारोह में राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी.बी. महाजन से रजत पदक प्राप्त करते हुए डा. मदन मोहन। साथ में बाएं से श्री विनोद कुमार बजाज तथा श्री भैरव नाथ सिंह, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक।

बैठक में मार्गदर्शन करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन (मध्य में)। साथ में मंच पर बाएं से श्री डी.एम. जैन, (सदस्य सचिव), श्री बि.जी. सुब्रमण्यम (कार्यवाहक अध्यक्ष), डॉ. सोहन शर्मा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के श्री राधेश्याम।

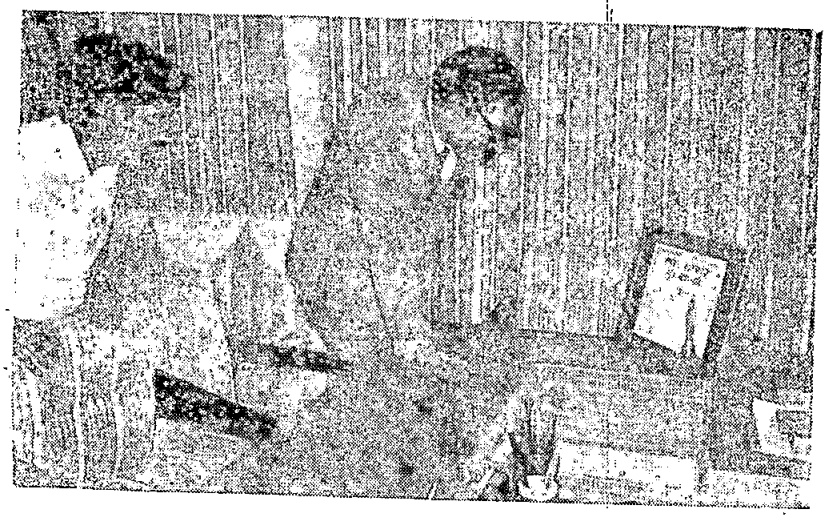

भारतीय कपास निगम, बम्बई कार्यालय में राजभाषा शील्ड का अवलोकन करते हुए संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभुदयाल तथा साथ में श्री हरिओम श्रीवास्तव, उप-निदेशक (कार्यान्वयन)।

हिन्दी अकादमी, नई दिल्ली द्वारा हिन्दी लेखक सम्मान समारोह में बाएं से—श्री कुलानंद भारतीय पार्षद (शिक्षा), श्री यशपाल जैन, पत्रकार श्री विनोद कुमार मिश्र सांसद, श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी तथा डॉ. नारायणदत्त पालीवाल (सचिव)।

उदघाटन भाषण करते हुए श्री टी. एस. श्रीनिसासन, आयकर आयुक्त। मंच पर बाएं से बैठे है--सर्वश्री नाहर सिंह वर्मा, तपेन्द्र नाथ वसु, निदेशक (संस्थान), ए.के. पन्त तथा दिव्येन्दु वैद्य।

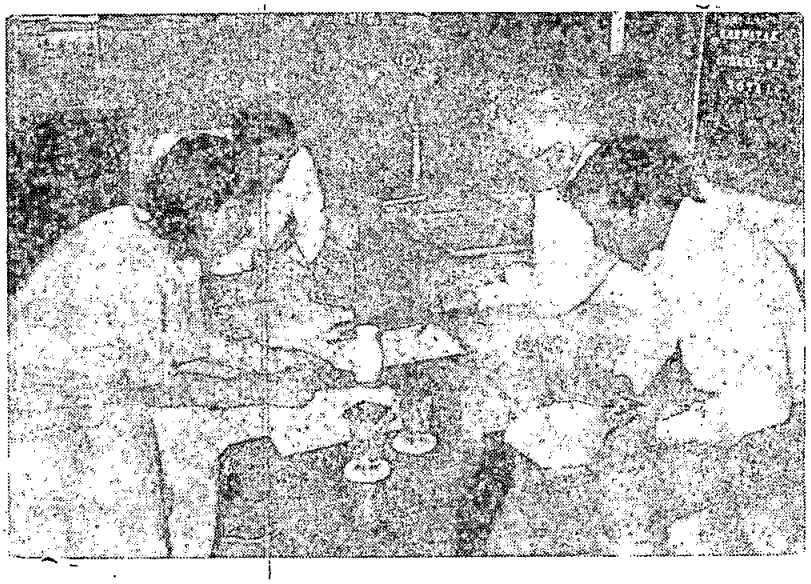

भारतीय कपास निगम, बम्बई में राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण तथा चर्चा करते हुए उपसचिव (कार्यान्वयन) श्री वीर अभिमन्यु कोहली (दाए से दूसरे) तथा अन्य अधिकारीगण।

संबोधित करते हुए श्री जी. सी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष न.रा.का.स., कानपुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण।

पुरानी यादें--नए परिप्रेक्ष्य में

जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिन्दी को अपनाया

□ हरिशंकर

सन् 1885 में "राष्ट्रीय कांग्रेस" की स्थापना बम्बई महानगर में हुई। जिन लोगों ने इसकी स्थापना की उनमें से ए. ओ. ह्यूम और बिलियम वेडरबर्न अंग्रेज ही थे तथा अन्य भारतीयों में सभी अंग्रेजी से उच्च शिक्षा प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति थे। इसलिए उस समय कांग्रेस का सारा काम काज सिर्फ अंग्रेजी में ही चलता था। यद्यपि उन में से कुछ भारतीय नेताओं ने कांग्रेस की गतिविधियों और अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाना आवश्यक समझकर देशी भाषाओं में कुछ समाचार पत्र आरंभ किए, परन्तु किसी एक ही भारतीय भाषा के माध्यम से पूरे देश की आम जनता से सीधी संपर्क करने का कोई साधन न था। बहुत बड़े क्षेत्र में हिन्दी बोली और समझी जाने के कारण, उसके महत्व को समझकर लोकमान्य तिलक ने 1903 में मराठी के साथ-साथ हिन्दी में भी 'हिन्दी केसरी' प्रकाशन आरंभ किया। इस प्रकार अनेक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों द्वारा देश में स्वाधीनता के प्रति लोगों में नई चेतना जागृत हुई और आम जनता में कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई।

फिर भी कांग्रेस के सारे काम-काज, बहस, प्रस्ताव, भाषण, कार्यवृत्त, पत्र-व्यवहार आदि अंग्रेजी में होते रहे, इस लिए आम जनता लगभग चार दशक तक कांग्रेस से सीधे न जुड़ सकी।

उन्हीं दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए आन्दोलन चला रहे थे। उनके सामने भी यही कठिनाई थी कि अनेक बोलियों और भाषाओं वाले तमाम अनपढ़ भारतीय मजदूर उनके आन्दोलन से सीधे नहीं जुड़ पाए थे। सिर्फ थोड़े से अंग्रेजी पढ़े-लिख लोग ही उन की सभाओं में आते थे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास-काल में ही गांधी जी ने भारत की एक राष्ट्रभाषा के विषय में विचार कर अपना मत स्थिर कर लिया था।

भारत लौटते ही सबसे पहले उन्होंने 'गुजरात शिक्षा परिषद,"भड़ोच में हिन्दी के महत्व का प्रतिपादन किया और उसी वर्ष कलकत्ता कांग्रेस में इस बात को दुहराते हुए, लोकमान्य तिलक से हिन्दी में ही भाषण करने का आग्रह किया। उस समय पहली बार कांग्रेस के मंच से हिन्दी में नेताओं के भाषण सुन कर आम जनता अत्यंत प्रभावित हुई। इसके बाद तो बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होने लगे।

कुछ समय में ही "राष्ट्रीय कांग्रेस" के सर्वमान्य सूत्रधार गांधी जी बन गए। अतः अन्य राजनीतिक विषयों के साथ भाषा के प्रश्न पर भी उनके विचारों का सभी ने स्वागत किया। गांधीजी ने राजनीतीक कार्यक्रमों के साथ "राष्ट्रभाषा" को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी राय में संपूर्ण भारत को एक "राष्ट्र" बनाने और पूर्ण वैचारिक स्वाधीनता के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी का ही उपयोग होना चाहिए। थोड़ ही दिनों में गांधीजी के ये विचार, उनका व्यक्तिगत मत न रह कर "कांग्रेस की नीति" बन गए और 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवशन में "राष्ट्रभाषा" के विषय में इस आशय का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि "कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस की 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' और 'कार्य समिति' की कार्यवाही आमतौर पर हिन्दी में चलेगी। यदि कोई वक्ता हिन्दी न जानता होतो, आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा इस्तेमाल की जा सकती है। "प्रांतीय कमेटियों" की कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में ही चलेगी।, जरुरत पड़ने पर हिन्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है।"

उस समय इस प्रस्ताँव के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए, गांधी जी ने यह टिप्पणी भी की थी कि हिन्दी के उपयोग के विषय में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, वह लोकमत को बहुत आगे ले जाने वाला है है। हमें अब तक अपना लाग-भाग ज्यादातर अंग्रेजी में ही करना पड़ता रहा है, यह निःसन्देह प्रतिनिधियो और कांग्रेस की महासमिति के अधिकांश सदस्यों पर होने वाला अत्याचार है। इस बारे में हमें किसी न किसी दिन आखिरी फैसला करना ही होगा। लेकिन पूरे राष्ट्र को एक धारा में लाने और उसके विकास के लिए यह अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके, हम अपना सारा काम हिन्दी में करने लगें।

कांग्रेस के इस प्रस्ताव का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। हिन्दी जानने वाले नेता जन सभाओं में हिन्दी में ही भाषण देने लगे। परिमाणस्वरूप महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद आदि की सभाओं में लाखों की संख्या में लोग जमा होने लगे।

अब एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कांग्रेस अधिवेशनों के विवरण, जो अब तक केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होने लगे। इतना ही नहीं, वार्षिक अधिवेशनों में सभापति का भाषण, चाहे अंग्रेजी में पढ़ा गया हो, पर उसकी प्रकाशित प्रतियां हिन्दी में भी वितरित की जाने लगीं।

उन दिनों कांग्रेस के मंच से इस नीति का कभी कोई विरोध न हुआ। देश भर के सभी लोगों ने अपना पूरा समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि हिन्दी सीखना और न जानने वालों में उसका प्रचार-प्रसार करना 'राष्ट्र-प्रेम' एवं 'राष्ट्रीयता' का मुख्य अंग माना गया। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दी-प्रचार को भी स्थान दिया गया। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक अनेकों हिन्दी प्रचार संस्थाएं शुरू हुईं और लाखों कार्यकर्ता सेवा भावना से प्रेरित हो, नि-शुल्क हिन्दी कक्षाएं चलाने लग गए।

हिन्दी के विषय में कांग्रेस की इस नीति ने चित्रपट उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया। देश की आम जनता में हिन्दी के प्रति उत्साह देखकर चित्रपट उद्योग के व्यापारी अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से हिन्दी में चित्रपट निर्माण की ओर आकर्षित हुए। और चित्रपटों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार-प्रसार को और भी बल मिला। विशेषता यह रही कि हिन्दी चित्रपट निर्माण में कलकत्ता, बम्बई, कोल्हापुर और बाद में मद्रास जैसे अहिन्दी क्षेत्र ही आगे रहे। इसका इतना व्यापक परिणाम हुआ कि देश के कोने-कोने तक लोग हिन्दी समझने लगे।

कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन के उतार-चढ़ाव का प्रभाव हिन्दी भाषा और उसके साहित्य पर भी पड़ा। कांग्रेस के नए संविधान के अनुसार, जब 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस की भारी विजय हुई और छः राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो उससे हिन्दी को असाधारण बल मिला। प्रांतीय विधान सभाओं और राजनीतिक क्षेत्रों में हिन्दी को विशेष स्थान मिल जाने से, पुराने हिन्दी समाचार पत्रों का महत्व तो बढ़ा ही, साथ ही अनेक दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी हिन्दी में प्रकाशित होने लगीं। उनमें से अधिकांश कांग्रेस दल अथवा उसके समर्थकों द्वारा ही संचालित और संपादित थे।

सन 1937 में कांग्रेस ने 'जन संपर्क विभाग' के नाम से एक नई शाखा खोली। इस विभाग का प्रायः सारा कार्य भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिन्दी में होता था। परिणाम स्वरूप देहातों में भी हिन्दी प्रचार को प्रोत्साहन मिला।

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिल जाने से वह भारतीय जन मानस की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। स्वाधीनता संग्राम के नवचेतना के उस युग में हिन्दी साहित्य में नवजागरण की अभिवृद्धि हुई। 'भारत भारती' जैसे रचनाओं की लाखों प्रतियां पूरे देश में हाथों-हाथ बिकी। गली-गली में हिन्दी में लिखे आजादी के गीत गूंज उठे।

संपादक, लोक शिक्षक (मासिक)
महाराजा बिल्डिंग
125, गिरगांव रोड, बम्बई-4

विश्व हिन्दी दर्शन

विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी

□ डा० सर्वानन्द द्विवेदी

इस समय जहां भारत के 83 विश्व विद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है वहीं विश्व के 31 देशों के 110 विश्व विद्यालयों में स्नातक, परास्नातक एवं शोध स्तर तक हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। विदेशी हिन्दी सेवियों, विद्वानों, लेखकों एवं भाषा वैज्ञानिकों की संख्या लगभग 500 हैं।

नीचे विश्व के उन विश्व विद्यालयों की सूची दी जा रही है जहां हिन्दी का स्तरीय अध्ययन हो रहा है। हिन्दी का अध्ययन सर्वप्रथम इंग्लड में 1800 ई. में प्रारम्भ हुआ। 1921 में जर्मनी व सोवियत यूनियन, 1925 में चैकोस्लावाकिया, 1928 में फ्रांस में और उसके उपरान्त स्वीडन, इटली, हंगरी, अमेरिका, रूस, बुडापेस्ट आदि में हिन्दी अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हुआ। हिन्दी अध्ययन में संलग्न सबसे अधिक विश्व विद्यालय 33 अमेरिका में हैं। पश्चिम जर्मनी में 13 विश्व विद्यालय, रूस में 10, जापान में 10, गयाना में 10, ब्रिटेन में 4, चीन में 3, बेल्जियम में 3, इटली में 3, पोलैंड में 3 और अन्य 22 देशों के 22 विश्वविद्यालय हिन्दी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

1. उत्तरी अमेरिका	केलिफोर्निया, शिकागो, पेंसिल्वानिया, विस्कॉसन, टेक्सास, वाशिंगटन, मिनिसोटा, कोलम्बिया, कार्नेल आदि 33 विश्वविद्यालयों में शोध स्तर तक की पढ़ाई होती है।
2. दक्षिण अमेरिका	त्रिनीदाद एवं लक्ष्मी गर्ल्स हिन्दू विश्वविद्यालय।
3. हंगरी	बुडापेस्ट विश्व विद्यालय और कोरोशि चोमा संस्थान
4. पूर्वी जर्मनी	हुम्बोल्द विश्वविद्यालय
5. पश्चिमी जर्मनी	13 विश्वविद्यालयों में
6. गुयाना	10 विश्व विद्यालय गुयाना आदि
7. रोमानिया	बुखारेस्ट–रोमानिया विश्वविद्यालय
8. सूरीनाम	सूरीनाम विश्वविद्यालय
9. चेकोस्लाविकिया	चार्ल्स विश्वविद्यालय प्राटा
10. फीजी	फीजी वि. वि. और फीजी हिन्दी महापरिषद्
11. जापान	तोक्यो, ओसाका, ताकु शोकु, तोकाई, ताइशो, ओतानि, ओतेमोन, जाकुइन, कानसाई और एशिया–अफ्रीका भाषा विश्वविद्यालय
12. हांगकांग	एक
13. नेपाल	त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमण्डु
14. क्यूबा	क्यूबा विश्वविद्यालय, हवाना विश्वविद्यालय
15. सोवियत संघ	मास्को, लेनिनग्राद, ताशकंद, ताजिकिस्तान आदि 10 विश्वविद्यालय
16. फिनलैंड	हैलसिंकी विश्वविद्यालय
17. पोलैंड	वार्सा एवं क्राकोवी विश्वविद्यालय
18. कनाडा	टोरंटो, वैंकूवर, विंडसर और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय
19. आस्ट्रिया	वियना विश्वविद्यालय
20. फ्रांस	पेरिस और संखोन विश्वविद्यालय
21. इटली	वेनिस, नेपल्स एवं रोम विश्वविद्यालय
22. मारीशस	मारीशस – एक एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन व हिन्दी परिषद
23. नीदरलैंड	यूत्रेख एवं लीडिन विश्वविद्यालय
24. बर्मा	बर्मा विश्वविद्यालय
25. थाईलैंड	च्यांग मई विश्वविद्यालय
26. सिंगापुर	सिंगापुर विश्वविद्यालय
27. भूटान	भूटान विश्वविद्यालय

28. अफ्रीका	सेनेगल विश्वविद्यालय
29. ब्रिटेन	यार्क कैम्ब्रिज, लंदन विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल आफ ओरिएण्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज
30. बल्गारिया	सोफिया विश्वविद्यालय
31. चीन	पीकिंग, वीजिंग; दक्षिण-पश्चिम संयुक्त विश्वविद्यालय छुङ छिङ
32. हालैंड	एक विश्वविद्यालय
33. डेनमार्क	कोबिन हार्न फाक विश्वविद्यालय
34. बेल्जियम	घेंट, लैवी और लेंगी विश्वविद्यालय
35. रूमानिया	बुखारेस्ट विश्वविद्यालय
36. नार्वे	ओरस्लो विश्वविद्यालय
37. स्वीडन	स्टाकहोम एवं उपपसाला विश्वविद्यालय
38. स्विटजरलैंड	लासेन और नौशटेल विश्वविद्यालय
39. आस्ट्रेलिया	कैनबरा और मेलबोर्न विश्वविद्यालय
40. श्रीलंका	श्रीलंका विश्वविद्यालय
41. बंगलादेश	बंगलादेश का ढाका विश्वविद्यालय
42. दक्षिण कोरिया	सीओल और हांकुक विश्वविद्यालय
43. यूगोस्लाविया	यूगोस्लाविया विश्वविद्यालय

इसके अतिरिक्त केन्या, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, अफगानिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, ओमन, इंडोनेशिया, बेहरीन, पाकिस्तान, आदि 50 देशों में भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन विश्व विद्यालय स्तर, माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक स्तर तक किया जाता है। विश्व के उपर्युक्त देशों में 200 हिन्दी प्रचारक संस्थाएं और वहां से प्रकाशित 37 (सैंतीस) पत्र—पत्रिकाएं वर्तमान काल में अस्तित्व में हैं।

सहायक निदेशक (राज भाषा)
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
सर्वोदय नगर, कानपुर-208005.

(क) मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

विधि और न्याय मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बारहवीं बैठक राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 1988 को आयोजित की गई।

आरंभ में समिति के सचिव श्री ब्रज किशोर शर्मा ने सूचित किया कि राज्य सभा में आवश्यक कार्य के कारण राज्य मंत्री को आने में कुछ विलंब होने की संभावना है। अतएव सर्वसम्मति से श्री गंगाशरण सिंह से अनुरोध किया गया कि वे अधिवेशन की अध्यक्षता करें और कार्यवाही प्रारंभ करें।

सचिव ने कार्य की अद्यतन स्थिति के बारे में प्रकाश डाला। सचिव ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि पत्रिकाओं का प्रकाशन लगभग 15 वर्षों से समय से नहीं हो पा रहा था। अब विधि साहित्य प्रकाशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेष प्रयत्न और सहयोग के परिणामस्वरूप जनवरी, 1988 से पत्रिकाएं समय से निकल रही हैं। मार्च 1988 की पत्रिका भी छपकर आ गई है और 14 मार्च को ग्राहकों को भेज दी जाएगी।

इसी बीच राज्यमंत्री राज्यसभा में अपना कार्य समाप्त करके बैठक में आ गए और उन्होंने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। उनके आने के पूर्व जो कार्यवाही हुई थी उसका संक्षिप्त वृत्त उन्हें बताया गया।

समिति के सचिव ने यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने विधि साहित्य प्रकाशन, आदि के कार्य का अवलोकन करके कुछ पदों के सृजन की सिफारिश की थी। कुछ न कुछ कारणवश इन पदों का सृजन अभी तक नहीं किया जा सका। सचिव ने अनुरोध किया कि विधि साहित्य प्रकाशन के कार्य की मात्रा और महत्व को देखते हुए अब इन पदों के सृजन पर बल दिया जाना चाहिए। सचिव, विधायी विभाग ने कहा कि वे अप्रैल में इस विषय में कदम उठायेंगे।

समिति के सचिव ने यह सूचित किया कि 9 दिसम्बर 1987 को संविधान का 58वां संशोधन अधिनियम प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने के लिए राजभाषा खंड तैयारी कर रहा है। पांडुलिपि प्रेस भेज दी गई है और वहां से प्रूफ प्राप्त हो रहे हैं। अनुमान यह है कि दो मास के भीतर वह छपकर तैयार हो जाएगा। श्री गंगाशरण सिंह ने यह सुझाव दिया कि संविधान के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इसलिए इसके अनुरूप ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पधार कर उस पर हस्ताक्षर करें। सभी सदस्यों ने श्री गंगाशरण सिंह के इस सुझाव का समर्थन किया। राज्य मंत्री जी ने कहा कि यह सुझाव स्वागत योग्य है और वे प्रयत्न करेंगे कि इसके अनुरूप ही आयोजन किया जाए। श्री मन्नूलाल द्विवेदी ने मंत्रीजी से अनुरोध किया कि जब संविधान के हिन्दी पाठ के प्रकाशन का समारोह किया जाए तब संविधान सभा के सभी सदस्यों को उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। मंत्री जी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया।

समिति के सचिव ने सदस्यों के समक्ष विधि शब्दावली की एक अग्रिम प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। सदस्यों ने इस प्रकाशन की सराहना करते हुए मंत्रीजी से अनुरोध किया कि विधि शब्दावली का प्रकाशनोदघाटन समारोहपूर्वक किया जाए। श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि विधि शब्दावली का हिन्दी की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके महत्व और मांग को देखते हुए यह उचित होगा कि इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी से करवाया जाए। मंत्रीजी ने कहा कि यदि प्रधान मंत्रीजी समय दे सकेंगे तो उद्घाटन उन्हीं से करवाया जाएगा।

सचिव श्री शर्मा ने बताया कि कुछ समय पूर्व इसी समिति की बैठक में विधायी विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अनुवाद

करके उन्हें द्विभाषी रुप में प्रकाशित किया जाएग। इस प्रकार के कुछ दस्तावेजों का अनुवाद तैयार हो गया है। उनमें से सर्वाधिक महत्व का एक दस्तावेज "संयुक्त राष्ट्र का चार्टर" छपकर आ गया है। सदस्यों ने मंत्रीजी जी को इन सब प्रकाशनों के लिए बधाई दी।

स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान की जो राशि दी जा रही है। उसके विषय में चर्चा करते हुए डा. मोती बाबू ने कहा कि यह राशि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम सभी भारतीय भाषाओं के लिए है, इसलिए अनुदान की राशि में वृद्धि होनी चाहिए। विधायी विभाग के सचिव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से दो ही संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है और ये दोनों संस्थाएं हिन्दी भाषी हैं। उनकी राय थी कि अनुदान दूसरी भाषाओं को भी मिलना चाहिए। समिति के सचिव ने बताया कि राशि की कमी को देखते हुए हम समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं निकाल पाते। यदि समाचारपत्रों में विज्ञापन निकाले जाए तो संभव है पूरे भारत वर्ष से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। विधायी विभाग के सचिव ने कहा कि यदि विज्ञापन देने से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो हम प्रयत्न करेंगे कि अनुदान की राशि बढ़ाई जाए।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के संशोधन के विषय में राजभाषा विभाग के सचिव, श्री बी बी महाजन ने समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार हो गया है। वह नोट वर्तमान विधिमंत्रीजी के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा और तत्पश्चात् मंत्रिमण्डल को भेज दिया जाएगा।

विधायी विभाग के प्रकाशनों की प्रदर्शनियों के विवरण का अवलोकन करते हुए श्री वंदेमातरम रामचंद्रराव ने यह प्रस्ताव रखा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के बाहर भी प्रदर्शनियां की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगली प्रदर्शनी हैदराबाद में की जाए और इसी के साथ वहीं पर हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक भी की जाए। मंत्रीजी ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करके यदि संभव हुआ तो हैदराबाद में बैठक करेंगे।

मंत्रीजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने प्रकाशनों का और विशेष रुप से निर्णय पत्रिकाओं का और अधिक प्रचार करना चाहिए। उन्होंने निदेश दिया कि सभी उपलब्ध द्विभाषी संस्करणों की सूची और उनका कुल मूल्य तैयार कर लिए जाएं। इसी प्रकार सभी उपलब्ध पुस्तकों की सूची और उनका कुल मूल्य निकाल लिया जाए। पत्रिकाओं के प्रारंभ से अब तक के पूरे सेट हमारे पास हैं या नहीं, इसका भी लेखा-जोखा लिया जाए यह सब करते हुए जितने जिला बार एसोसियेशन हैं उन्हें समय-समय पर अपना सूचीपत्र भेज कर अपना प्रचार किया जाए। उन्होंने बताया कि महानगरों की अपेक्षा जिलों में हिंदी का प्रयोग अधिक हो रहा है, इसलिए वहीं पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजभाषा विभाग ने समिति के विचार के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार के वकीलों को यह आदेश दिया जाए कि वे हिंदी-भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिका, आदि केवल हिंदी में प्रस्तुत किया करें। मंत्रीजी ने कहा कि आदेश निकालने के पहले हमें यह जानकारी देनी होगी कि हिंदी में काम करने में केन्द्रीय सरकार के वकीलों को कोई कठिनाई तो नहीं है। यदि टापराइटर आशुलिपिक या इसी प्रकार की कोई कठिनाइयां हों, तो उनके लिए कोई हल भी निकालना होगा। उन्होंने कहा कि विधि कार्य विभाग इस विषय में आवश्यक जानकारी एकत्र करके उन्हें प्रस्तुत करेगा जिससे समुचित निर्णय लिया जा सके।

विधि कार्य विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन और श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि स्थिति समाधानप्रद नहीं है। "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों को और "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्रों में अंग्रेजी के पत्रों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी में एक भी तार नहीं भेजा गया है। मंत्रीजी ने विधि कार्य विभाग के सचिव से अनुरोध किया कि वे इस ओर ध्यान देकर स्थिति में सुधार लाएं। विधि कार्य विभाग के अधिकारी ने यह बताया कि उनके कुछ शाखा कार्यालयों के लिए अनुवादकों के पदों की स्वीकृति मिल गई है। उन कार्यालयों में अनुवादकों के कार्यभार ग्रहण करने पर स्थिति सुधर जाएगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि जब हिंदी की कार्यशाला आयोजित की जाए तो उसमें पर्यवेक्षक के रूप में समिति के किसी सदस्य को बुलाया जाना चाहिए। समिति के सचिव ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कार्यालय के कार्य से संबंधित जो भी कार्यशाला आयोजित की जाती है उसमें बाहर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता। श्री यादव ने कहा कि कार्यान्वयन समितियों में भी समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। समिति के सचिव ने निवेदन किया कि कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग द्वारा निकाले गए अनुदेशों के अनुसार गठित की जाती है। गठन के संबंध में राजभाषा विभाग जो भी अनुदेश देगा उनका अनुपालन किया जाएगा।

पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि विधि साहित्य प्रकाशन के जो नए प्रकाशन छपकर आएं, उन्हें सदस्यों को भेंट किया जाए तदनुसार निम्नलिखित प्रकाशन सदस्यों को भेंट किए गए।

(1) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882: विश्वमित्र शुक्ल

(2) दंड विधि (भारतीय दंड संहिता के विनिर्दिष्ट अपराध) : डा. रामचंद्र निगम

(3) हिंदू विधि के सिद्धान्त : विनायक विष्णु देशपांडे

(4) अपकृत्य विधि के प्रमुख निर्णय : डा परमानन्द सिंह

(5) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 : माधव प्रसाद वशिष्ठ

(6) प्रशासनिक विधि (द्वितीय संस्करण) डा. कैलाश चन्द्र जोशी ।

इसके पहले एक बैठक में मंत्रीजी ने यह आदेश दिया था कि राजभाषा खंड के जो महत्वपूर्ण द्विभाषी संस्करण निकलें उनकी एक-एक प्रति जिल्द बन्धवा कर सदस्यों को दी जाए । इस आदेश के अनुपालन (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और (2) साक्ष्य अधिनियम 1872 की एक-एक प्रति सदस्यों को उपहारस्वरूप दी गई।

संचार मंत्रालय

संचार मंत्री श्री वसन्त साठे की अध्यक्षता में संचार मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 1988 को डाक तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

श्री राघवाचारी सचिव, डाक सेवा बोर्ड ने संचार मंत्री श्री वसंत साठे और समिति के अन्य सदस्यों का स्वागत किया।

सर्वप्रथम बैठक में बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और संचार मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य डा. हरवंस लाल शर्मा के दुखद और आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई।

संचार मंत्री ने चर्चा शुरू करते हुए सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग तथा विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शब्दों को, भले ही वे किसी भी भाषा के क्यों न हों, उसी रूप में अपना लेना चाहिए जिस रूप में वे आम जनता में जाने जाते हों। यदि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को असुविधा हो तो, जहाँ तक हो सके, संस्कृतनिष्ठ शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से भी बचना चाहिए।

टेलीफोन डाइरेक्टरियों को देवनागरी लिपि में जारी करने संबंधी मामले पर विचार-विमर्श किया गया। महानगर टेलीफोन निगम लि. के प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक, टेलीफोन दिल्ली ने टेलीफोन डाईरेक्टरियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आवश्यक साफ्टवेयर के अभाव में डाईरेक्टरी का हिंदी रूपान्तरण तैयार करने में आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने सी. एम. सी. की सहायता से दिल्ली की टेलीफोन डाईरेक्टरी का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण करने संबंधी कार्य का विवरण भी दिया उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी तथा अंग्रेजी में टेलीफोन डाईरेक्टरियों के प्रकाशन के बीच के अंतराल को, 18 मास से कम करके 6 मास, और बाद में लगभग 3 मास तक, किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि देवनागरी लिपि में अगली टेलीफोन डाईरेक्टरी अगस्त, 1988 तक तैयार हो जाने की संभावना है। इस बात पर सहमति हुई कि दिल्ली की हिन्दी टेलीफोन डाईरेक्टरी 15 अगस्त, 1988 को जारी की जाए।

प्रो. शेर सिंह तथा संसद सदस्य श्री बी. एल पंवार ने सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में प्रकाशित, "इस्पात भारती" और "भाषा भारती" जैसी पत्रिकाओं की तरह, संचार मंत्रालय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार से मुख्यत: संबंधित क्रियाकलापों का ब्यौरा देने वाली एक पत्रिका प्रकाशित की जाए। संचार मंत्री ने खान विभाग द्वारा प्रकाशित "खनन भारती" नामक पत्रिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि "संचार भारती" नाम से एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित की जाए, जिसमें इस मंत्रालय के दोनों विभागों तथा अन्य संगठनों/उपक्रमों में हो रहे क्रियाकलापों का विवरण दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने सलाह दी कि शुरू में इसे त्रैमासिक प्रकाशित किया जा सकता है।

डाक विभाग /दूरसंचार विभाग के कार्यालयों में, हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई राशि के बारे में, विचार-विमर्श किया गया। सचिव, डाकसेवा बोर्ड ने सदस्यों को डाक विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी।

माननीय मंत्री ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए, मंत्रालय के दोनों विभागों के सहयोग से, क्रियान्वित किए जा सकने वाले ठोस कार्यक्रमों के बारे में ऐसे सुझाव आमंत्रित किए जिनसे न केवल जनता को विभाग के कार्य-कलापों से अवगत कराने में सहायता मिले, बल्कि आम जनता को हिन्दी सीखने के लिए भी प्रेरित किया जा सके। उन्होंने स्कूली बच्चों को डाक टिकटों के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करने के बारे में उदाहरण दिया। श्री पंवार तथा अन्य सदस्यों का विचार था कि डाकिए अपने अपने क्षेत्रों की लोक कथाओं, चाहे उस बोली की अपनी कोई लिपि हो या न हो, का संग्रह करके उसकी पाण्डुलिपि स्थानीय बोली (लिपि) या देवनागरी में भेजकर एक संपर्क कड़ी का काम कर सकते हैं । इसके बाद, इसे उपयुक्त ढंग से, अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में, प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार कम लागत पर बांटा गया यह साहित्य हिन्दी के विकास के प्रति विभाग का योगदान हो सकता है। सदस्यों ने यह भी कहा कि, अन्य

प्रोत्साहनों के अलावा, उपयुक्त पारिश्रमिक और पुरस्कार भी हों तथा इस संबंध में डाकिए की भूमिका का पता लगाकर उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया कि सचिव (डाक) इस बारे में एक योजना तैयार करें।

सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन ने सदस्यों को हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजनाओं में हाल में किए गए संशोधनों की जानकारी दी।

उन्होंने द्विलिपिक (रोमन व देवनागरी) इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के विकास का उल्लेख किया। सचिव (दूरसंचार) ने बताया कि इस सिलसिले में आवश्यक साटफवेयर में कुछ विलंब हुआ है। तथापि, ऐसे 500 टेलीप्रिंटरों का अंतिम परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र ही इन्हें सप्लाई कर दिया जाएगा। 1000 और टेलीप्रिंटरों के चालू वित्त वर्ष के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है।

सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने सुझाव दिया कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड को सलाह दी जाए कि वे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो "केवल रोमन लिपि" की मशीने हैं, उन्हें द्विलिपिक मशीनों मे बदल दें। सचिव (दूरसंचार) ने कहा कि ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि एच. टी. एल. को पुरानी तथा केवल रोमन की मशीनों का कोई खरीददार नहीं मिल पाएगा।

संचार मंत्रालय के विभागों में, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी विभिन्न अनुबंधों और विवरणियों पर चर्चा करते हुए इनमें पाई गई त्रुटियों पर चिंता व्यक्त की गई। केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में जारी पत्रों का उल्लेख करते हुए, संचार मंत्री ने निदेश दिया कि आगे से उनके मंत्रालय से "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र, चाहे वे उत्तर के रूप में भेजे जाएं, अथवा मूल पत्र के रूप में, केवल हिंदी में ही भेजे जाएं। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें भेजी जाने वाली फाईलों पर भी यदि हिन्दी में नोटिंग की जाए, तो उन्हें प्रसन्नता होगी। उनका विचार था कि हमें हिंदी अनुवाद पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। अच्छा यही होगा कि हम हिन्दी में न केवल लिखें बल्कि सोचें भी।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री श्री रफीक आलम की अध्यक्षता में दिनांक 16 फरवरी, 1988 को सम्पन्न हुई।

सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री आलम ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उप मंत्री के पदभार ग्रहण के बाद वे अपने कार्य का शुभारंभ हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक से कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि इस मंत्रालय का संबंध कच्चे तेल की खोज तथा उत्पादन और उनके परिशोधन तथा पैट्रोलियम उत्पादों के विपणन से है। ये कार्य उच्च तकनीकी प्रकृति के हैं, तथा देश/विदेश में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों से अधिकतर विचार-विमर्श। पत्राचार अंग्रेजी में करना पड़ता है। इसका राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्रालय के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है तथा मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि मंत्रालय के शेष कर्मचारियों को भी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा तथा डा. एस. कृष्णा-मूर्ति ने उप निदेशक तथा वरिष्ठ अनुवादक आदि जैसे अतिरिक्त पदों का सृजन करके हिन्दी अनुभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि राजभाषा विभाग तथा वित्त मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। श्री बी. बी. महाजन, सचिव राजभाषा विभाग ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय ने हिन्दी पदों के सृजन पर रोक नहीं लगाई गई है। वित्त मंत्रालय नये पदों के लिए औचित्य की आवश्यकता पर जोर देता है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा, श्री जगन्नाथ मिश्र तथा डा. कृष्णामूर्ति द्वारा शब्दावली का मामला उठाए जाने पर सचिव—राजभाषा श्री महाजन ने कहा कि शब्दावलियों पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को प्राधिकृत किया गया है। शब्दों के प्रयोग में एकरूपता लाने के लिए, यह आवश्यक है कि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई शब्दावली की पुष्टि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग से कराई जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि मंत्रालय ने पहले ही शब्दावली तैयार कर ली है, इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जाए।

सचिव—राजभाषा श्री महाजन ने बताया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं व प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन योजना को उदार कर दिया गया है। अब "क" तथा "ख" क्षेत्र में वर्ष में 20,000 शब्द तथा "ग" क्षेत्र में 10,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। यह योजना अप्रैल, 1988 से आरम्भ होगी और इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

सचिव, राजभाषा विभाग ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन और अधिक कार्यालयों को अधिसूचित करने की आवश्यकता पर बल दिया और सुझाव दिया कि ऐसे कार्यालयों में अनुभाग विनिर्दिष्ट किए जाएं जहां अधिकतम कार्य हिन्दी में किया जा सकता है। ऐसे अनुभागों/कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि :—

—हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यक्तियों को सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय अपने अधीनस्थ उपक्रमों के लिए पुरस्कार/शील्ड प्रदान करने की योजना आरम्भ करे। मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि इन योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए। सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक सूचना मंत्रालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस्पात और खान मंत्रालय

इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16 फरवरी, 1988 को श्री माखन लाल फोतेदार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष श्री फोतेदार ने सदस्यों को दोनों विभागों तथा उनके अधीन कार्यालयों एवम् उपक्रमों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति से अवगत कराया।

समिति के माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र रीगावाल ने बैठक की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व, समिति के अध्यक्ष इस्पात विभाग में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाणा तथा खान विभाग में राज्य मंत्री श्री रामानंद यादव का गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि इनके नेतृत्व में मंत्रालय में हिन्दी का अच्छी तरह से प्रसार होगा।

समिति के माननीय सदस्य डा. पि. के. वालसुब्रहमण्यम ने कहा कि पिछली दो बैठकों में कहा गया था कि इस्पात उद्योग से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली शीघ्र ही तैयार हो रही है, परन्तु यह अभी तक मिल नहीं पाई है। इस पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रो. सूरजभान सिंह ने कहा कि अद्यतन स्थिति यह है कि शब्दावली छपने के लिए प्रेस को भेजी जा चुकी है। पहले इस शब्दावली में 16,000 शब्द थे, जो अब बढ़ाकर 24,000 कर दिए गए हैं। इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। आशा है यह शब्दावली इस वर्ष के दौरान अवश्य छप जाएगी।

समिति के सदस्य श्री वी. तुलसीराम (सांसद) ने कहा कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिएं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिन्दी के प्रयोग का समय समय पर जायजा लेने हेतु मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षण की रिपोर्ट सचिव महोदय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। हिन्दी के प्रयोग के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्टों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय को अपने अधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों से नियमित रूप से तिमाही रिपोर्ट मंगवा कर उनकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा के दौरान पाई गई कमियाँ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की नीति का पूरी तरह से पालन हो सकेगा। इस संदर्भ में उन्होंने बोकारो इस्पात संयंत्र में कुछ समय पूर्व उत्पन्न हुई समस्या का भी उल्लेख किया।

समिति के माननीय सदस्य श्री मधुकर राव चौधरी ने कहा कि समिति के सम्मुख रखी गई सांख्यिकीय जानकारी काफी उपयोगी है। मंत्रालय के अधीन कुछ कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया गया है जबकि कुछेक में 15-20 प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया गया है। उनका कहना था कि जब एक विभाग कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके साथ-साथ उन्होंने देवनागरी के टाईप-राईटरों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की बात उठाते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण के संबंध में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमारी स्वयं सेवी संस्थाएं इसके लिए पूरा-पूरा सहयोग व मदद देने को तैयार हैं। इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जिन उपक्रमों में काम नहीं हुआ है, वहाँ भी हिन्दी में काम करने का प्रयास शुरू होना चाहिए।

श्री योगेन्द्र रीगावाल ने कहा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा मेकन की भांति मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी राजभाषा सेमीनार कम से कम साल में एक बार होना चाहिए। इसी प्रकार हिन्दी

कार्यशालाओं के आयोजन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इनके आयोजन से बड़ा लाभ होता है। इससे गैर हिंदी भाषी अधिकारियों को पता चलता है कि हिन्दी में काम कैसे होता है। डा. आय्यर का कहना था कि यह बड़ी प्रसंशनीय बात है कि तकनीकी विषयों पर अच्छी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, इससे सबको बड़ी प्रेरणा मिली है। उन्होंने उन अधिकारियों का अभिनंदन किया जिन्होंने इनका आयोजन किया है। सभी सदस्यों को इन गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंत्रालय में श्री कृष्ण चंद्र पंत के बाद एक कुशल प्रशासक, कुशल विद्वान के रूप में श्री माखन लाल फोतेदार ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। श्री मकवाणा तथा श्री रामानंद यादव के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों महानुभाव हिन्दी के सुदृढ़ स्तम्भ समझे जाते हैं, उन्होंने आशा व्यक्त की कि इनके मंत्रित्व काल में हिन्दी की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने देवनागरी टाइपराइटरों का उल्लेख करते हुए। कहा कि मंत्रालय के अधीन कई उपक्रमों में पड़े टाईपराइटर सही हालत में काम नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर पूर्ण ज्ञान के टाइपिस्ट नहीं हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें पूर्ण ज्ञान के टाइपिस्टों की भर्ती करनी होगी। जब टाइपिस्ट उपलब्ध होंगे तो वे स्वयं ही टाइपराइटरों की मांग करेंगे।

श्री जैन का सुझाव था कि प्राप्ति तथा प्रेषण अनुभाग के रजिस्टरों में इंदराज हिन्दी में होने चाहिए। यह लिपिक स्तर का काम है, अतः इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने श्री जैन की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हमें इस कार्य को करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

प्रो. दिग्विजय प्रताप सिंह का कहना था कि एक ओर तो हम हिन्दी को प्रोत्साहित करने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर हम अंग्रेजी को चला रहे हैं। उनका कहना था कि हमें अनुवाद का सहारा लिए बिना मूल कार्य हिन्दी में करना चाहिए। उनका कहना था कि जो लोग अंग्रेजी से हिन्दी में काम करते हैं उनको अंग्रेजी में काम करने वाले हीन भावना से देखते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। हमें अंग्रेजी में काम करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए। समिति के एक अन्य सदस्य श्री तरूण विजय ने खान विभाग का हवाला देते हुए कहा कि कई बार प्रश्न पत्र/इंटरव्यू पत्र आदि केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, उनका कहना था कि जब तरक्की के विषय में हिन्दी को महत्व नहीं दिया जाता तो वे लोग कैसे प्रोन्नति के हकदार होंगे और नौकरी में क्यों आएंगे। उनका सुझाव था कि प्रश्न पत्र/इंटरव्यू पत्र दोनों भाषाओं में तैयार करवाए जाने चाहिए।

श्री योगेन्द्र रीगावाल का कहना था कि खान विभाग के अधीन उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लि. के हिन्दी अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने का कोई प्रावधान नहीं हैं। पिछले एक वर्ष में कई हिन्दी पदाधिकारी उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम में चले गए हैं। उनका कहना था कि हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों को उन्नति दी जानी चाहिए। श्री तिवारी ने कहा कि कुछ इकाईयों में हिन्दी अधिकारी नहीं हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार इन इकाईयों में हिन्दी अधिकारी होने चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से आंकड़े भिजवाने के लिए कहा।

श्री तिवारी ने बताया कि मैं कुछ समय पूर्व बैलाडीला गया था, जहां मैंने देखा कि हिन्दी में काफी काम हो रहा है। वहां के मुख्य कार्यपालक श्री रामचन्द्र स्वयं हिन्दी में काम करते हैं। इसी प्रकार नई दिल्ली स्थित बाल्को के कार्यालय में भी कार्य हिन्दी में होता है और चैक हिन्दी में लिखे जाते हैं। हिन्दी भाषियों की तुलना में अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी में ज्यादा काम करते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक यूनिट में हर साल एक या दो बार सदस्यों को बुलाया जाए, ताकि सदस्यों को यह देखने का मौका मिले कि हिन्दी के प्रति माहौल कैसा है। हिन्दी की कुछ प्रगति हो भी रही है या नहीं। इससे हिन्दी को बहुत बल मिलेगा।

सेलम इस्पात संयंत्र में हिन्दी का कार्य करने के लिए एक अधिकारी की तैनाती किए जाने के संबंध में डा. बालसुब्रहमण्यन ने बधाई दी। वे अनुवादकों की स्थिति जानना चाहते थे। उनके विचार में अनुवादकों की कमी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि अनुवादकों की कमी हो तो वे दक्षिण भारत से अनुवादक दिला सकते हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन ने बताया कि बहुत से विभागों में हिन्दी का काम अनुवादकों के माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण हिन्दी की वास्तविक प्रगति नहीं हो पा रही है। राजभाषा विभाग के नए आदेशों के अनुसार, "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों के प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी पत्रादि के मसौदे दिनांक 1-4-88 से हिन्दी में तैयार करेंगे। प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रोत्साहन योजना के संबंध में बताया कि यह योजना पहले से काफी उदार बना दी गई है। इस योजना के तहत न्यूनतम निर्धारित मानदण्ड 50 हजार शब्दों से घटाकर "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए 20 हजार तथा "ग" क्षेत्र में 10 हजार प्रतिवर्ष रखा जाया है। पहले इस योजना में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के शब्दों को ही

गिना जाता था, अब रजिस्टरों में लिख जाने वाले शब्दों को भी शामिल किया जाएगा । यह प्रोत्साहन योजना दिनांक 1-4-1988 से लागू होगी ।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। यह विकल्प होना चाहिए कि उसका उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उसमें हिन्दी का कार्य प्रार्थना करके बढ़ाना होगा न कि आदेश से । प्रार्थना से हमें सब के दिलों को जीतना है। आदेश से तो उल्लंघन भी हुआ है, परन्तु प्रार्थना से नहीं। हमें हिन्दी को सच्चे मायनों में राष्ट्रभाषा बनाना है। हिन्दी को बढ़ाने के लिए हमें हिन्दी का प्रचारक बनना होगा और प्रचारक वही बन सकता है जो देश के प्रति निष्ठावान हो । उन्होंने कहा कि हम कठोर नियम बनाकर हिन्दी को बढ़ावा नहीं दे सकते। नियमों की तुलना में प्रार्थना में ज्यादा ताकत होती है।

डा. बालसुब्रह्मण्यम ने बताया कि मुझे हिन्दी दिवस के अवसर पर भारत गोल्ड माईंस में जाने का मौका मिला वहां मैंने देखा कि लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अन्य उपक्रमों में भी हिन्दी दिवस मनाया जाता हो । उनका कहना था कि सभी उपक्रमों को इस अवसर पर समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें वहां हिन्दी में हो रहे कार्यों को प्रगति का पता चल सके। उन्होंने यह भी बताया कि मद्रास स्थित क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात के कार्यालय ने शायद हिन्दी दिवस नहीं मनाया, वहा भी ऐसे आयोजन होने चाहिए।

श्री विट्ठल भाई एम. पटेल (सांसद) ने कहा कि खान विभाग के अधीन उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लि. का "लोगो" हिन्दी में होना चाहिए। इसी प्रकार खान विभाग के कार्यालय जी. एस. आई. के जी. एस. न्यूज पत्रिका के बाहर हिन्दी में लिखा नाम सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा हैं, इसका प्रिंट सही नहीं हैं। उनका कहना था कि हिन्दी का प्रिंट मोटा होना चाहिए। यह न्यूज पत्रिका मोटे अक्षरों में प्रकाशित होनी चाहिए।

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 30वीं बैठक 4-2-88 को श्री बूटा सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

राजभाषा के क्षेत्र में गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग में किए गए विभिन्न कार्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ से संबंधित 58वें संविधान संशोधन को, संसद द्वारा पारित होने के बाद, 9 दिसम्बर, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी गई है तथा 10 दिसम्बर, 1987 को वह भारत के राजपत्र में छप चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि सदस्यों की इच्छानुसार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को 9 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना द्वारा "क" क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को हाल में जारी किए गए राजभाषा विभाग के उन आदेशों से भी अवगत कराया, जिनके अन्तर्गत "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित तथा राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारी 1 अप्रैल, 1988 से सरकारी कामकाज की कुछ निर्दिष्ट मदों के संबंध में समस्त प्रारूप हिन्दी में पेश करेंगे ।

मंत्रालय में हिन्दी पत्र-व्यवहार तथा किए गये अन्य हिन्दी कार्यों का विवरण देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यथासंभव अधिकतम कार्य किया जा रहा है तथा इसे और भी बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि 18 जनवरी, 1988 से 22 जनवरी, 1988 तक मंत्रालय में हिन्दी सप्ताह भी मनाया गया जिसके दौरान गृह सचिव ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों से अधिकाधिक काम हिन्दी में करने का आग्रह किया । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह भी बताया कि राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत मंत्रालय के एक अनुभाग अर्थात् रोकड़-1 अनुभाग को सारा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट भी किया गया है । उन्होंने यह घोषणा की कि अगले वर्ष (1988-89) से गृह मंत्रालय के संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में सब से अधिक काम करने वाले कार्यालय को शील्ड दी जाएगी ।

समिति के सदस्य श्री बाल्मीकि चौधरी का सुझाव था कि जो भी कम्प्यूटर किसी मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए वह द्विभाषिक हो । श्रीमती चेलुपति विद्या ने सुझाव दिया कि हिन्दी सेमिनार वहां मनाए जाएं जहां लोग हिन्दी नहीं जानते और उनमें वहां स्थित गैर-सरकारी संस्थाओं के विद्वानों को भी बुलाया जाए, इससे हिन्दी का ज्यादा प्रभाव होगा ।

सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन ने कम्प्यूटर में हिन्दी में काम करने की क्षमता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार इस बारे में जागरूक है और विभागों को यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि आगे जो भी कम्प्यूटर खरीदे जाएं उनमें हिन्दी और अंग्रेजी में काम करने की क्षमता हो । उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक विभाग ने द्विभाषी "की—बोर्ड" का मानकीकरण कर दिया है और उस विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए

हैं। श्री महाजन ने आगे बताया कि इस समय लेजर प्रिंटर पर हिन्दी में काम नहीं किया जा सकता। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा साफ्टवेयर विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे लेजर प्रिंटर पर देवनागरी में प्रिंटिंग हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि डीबेस को हिन्दी में कार्य करने के अनुकूल बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों के बारे में उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था की जा रही है कि आगे लगाए जाने वाले कम्प्यूटरों में दिसम्बर, 88 तक हिन्दी में काम करने की क्षमता उपलब्ध कराई जा सके। एक उच्च स्तरीय समिति गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इलैक्ट्रानिक उपकरणों में द्विभाषी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में समय-समय पर विचार करती है।

समिति के सदस्य डा. मलिक मोहम्मद ने यह सुझाव दिया कि यदि कम्प्यूटर में अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय भर दिए जाएं तो इससे हिन्दी में काम करना सरल होगा। सचिव-राजभाषा ने इस संबंध में दिक्कत बतलाते हुए कहा कि आर्थिक दृष्टि से यह संभव नहीं है कि हर कर्मचारी को एक कम्प्यूटर इस काम के लिए दिया जाए। उनका कहना था कि हर शब्द के हिन्दी पर्याय ढूंढने पर ज्यादा जोर देने से हिन्दी का काम रुकेगा। उनका सुझाव था कि जिस शब्द का पर्याय आसानी से याद न आए, उसके लिए अंग्रेजी शब्द ही देवनागरी में लिख दिया जाए।

श्री गंगा शरण सिंह ने जानना चाहा कि जो कम्प्यूटर आगे लगा लिए गए हैं जिनमें केवल रोमन में काम करने की क्षमता है उनके संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और ये कब तक द्विभाषी हो जाएंगे। सचिव, (राजभाषा) ने उत्तर दिया कि पर्सनल कम्प्यूटरों में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छः महीने का समय निर्धारित किया गया है और इस आशय के आदेश सभी मंत्रालय/विभागों को दे दिए गए हैं। दूसरे कम्प्यूटरों के बारे में इलैक्ट्रानिकी विभाग से बातचीत चल रही है और ज्योंही वे उनमें द्विभाषी सुविधा बनाने के लिए उपयुक्त उपाय की सिफारिश करेंगे उनके बारे में भी निदेश दे दिया जाएगा।

श्री गंगाशरण सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि जो राजभाषा में काम करते हैं, उनकी कान्फीडेन्शल रिपोर्ट में इसका उल्लेख होना चाहिए। सचिव, राजभाषा ने यह विचार प्रकट किया कि इस बारे में विचार किया जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। इसी संबंध में यह सुझाव दिया गया कि जो व्यक्ति हिन्दी में काम करते हैं उनकी गोपनीय रिपोर्ट में हिन्दी में काम करने का उल्लेख होना चाहिए परन्तु जो हिन्दी में कार्य नहीं करते, उनके काम हिन्दी में न करने का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए।

समिति ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाई की मदों तथा अन्य मदों को श्री आई. पी. गुप्त, अपर सचिव (आई. पी.) ने एक-एक करके पढ़ा। श्री गुप्त ने बताया कि कुछ मदों में जून व सितम्बर, 1987 को समाप्त तिमाहियों का प्रतिशत 99 प्रतिशत से भी ऊपर गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार का प्रतिशत जरूर कम है परन्तु इसके जो कारण हैं उनका विश्लेषण किया गया है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है और उम्मीद है अगली बार इसमें सुधार होगा। अपर सचिव (आई.पी.) ने सदस्यों को आगे बताया कि प्रशासनिक शब्दावली पिछली बैठक के समय सदस्यों को दी गई थी। इस बार विज्ञान की शब्दावली वितरित की जा रही है। "मानविकी" की शब्दावली उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित शब्दावलियों तथा विधि के क्षेत्र में विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग करने के आदेश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय एकता की भावना संबंधी मद के बारे में अपर सचिव (आई.पी.) ने बताया कि राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। एन.आई.सी. की बैठक का कार्यवृत्त आदि हिन्दी में भी तैयार किया जाता है। तथापि इस मद का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है अतः इसके बारे में उन्हें लिखा गया है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को अधिक सक्रिय बनाने संबंधी मद पर चर्चा के दौरान श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि पहले निर्णय हुआ था कि हर विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर के कोई अधिकारी हिन्दी का काम देखेंगे और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष होंगे। इस पर सचिव (राजभाषा) ने कहा कि अभी भी ऐसा ही किया जा रहा है। श्री गंगाशरण सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। ब्यौरा देते हुए सचिव (राजभाषा) ने बताया कि जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के ज्यादा दफ्तर हैं वहां ये समितियां बनी हुई हैं अर्थात् 86 जगहों पर और 15 बैंकों में ये समितियां बनी हुई हैं, कुछ और इस साल बनाने का प्रस्ताव है। डा. मलिक मोहम्मद ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति का स्थानीय सदस्य इस समिति का सदस्य रहे। सचिव (राजभाषा) ने इस बारे में कठिनाई व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें हर मंत्रालय के अधिकारी आते हैं, सिर्फ किसी एक मंत्रालय के नहीं।

राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत पूरा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट करने के बारे में अपर सचिव (आई.पी.) ने कहा कि मंत्रालय के रोकड़-1 अनुभाग के अतिरिक्त धीरे-धीरे और अनुभागों को भी राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत निर्दिष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय में हिन्दी में पत्र-व्यवहार के संबंध में अपर सचिव

(आई.पी.) ने बताया कि "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार में उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है ।

अपर सचिव (आई.पी.) ने कार्यवाही की अंग्रेजी प्रति पहले और हिन्दी प्रति बाद में प्राप्त होने संबंधी मद 4 के संबंध में समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराया । श्री गंगाशरण सिंह ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि कई बार अंग्रेजी में परिपत्र पहले जारी हो जाता है, हिन्दी में बाद में जारी होता है जिसका कोई लाभ नहीं होता । अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में एक साथ परिपत्र जारी किए जाने चाहिए ।

मद 8 पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुलिस का कार्य विशेष प्रकार का होता है, उसे कई बार कानून की धाराओं को उद्धृत करना पड़ता है । अतः इस क्षेत्र में प्राधिकृत और प्रचलित शब्द ही हिन्दी में प्रयोग करने होंगे ।

अदालती भाषा संबंधी मद 9 के संबंध में श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि कानून के क्षेत्र में भाषा का जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता है । मद 10 पर चर्चा के दौरान श्रीमती चेन्नुपति विद्या ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिन्दी में सेमिनार बुलाते समय खर्च के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इन सेमिनारों में अहिन्दी भाषी लोगों को भी बुलाना चाहिए । अपर सचिव (आई. पी.) ने बताया कि ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उदाहरण-तया सचिवों का एक सेमिनार अभी हाल में बुलाया गया था।

श्री बाल्मीकि चौधरी तथा श्री गंगाशरण सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पत्रों के बारे में तो सूचना दी जाती है परन्तु ऐसी संचिकाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जिनमें पूरी नोटिंग हिन्दी में होती हो । अतः उन्होंने अनुरोध किया कि कितनी संचिकाओं में शुरु से आखिर तक नोटिंग हिन्दी में की गई है, इस बारे में भी सूचना दी जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि 1% भी फाइलें हिन्दी में नहीं लिखी जातीं ।

श्री गंगाशरण सिंह ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में गृह मंत्रालय की स्थिति अन्य मंत्रालयों से भिन्न बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय का दोहरा काम है, एक तो इसे अपने मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है दूसरा इसे राजभाषा के मामले में राजभाषा विभाग के जरिये दूसरे मंत्रालयों का भी मार्गदर्शन करना है ।

श्री गंगाशरण सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि जिन बोलियों (डायलेक्ट्स) की अपनी लिपि नहीं है उनके बारे में देवनागरी लिपि के प्रयोग की व्यवस्था की जाए । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं और शिक्षा विभाग ने अपना योगदान देना है ।

रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 को रक्षा राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक के प्रारम्भ में रक्षा राज्य मंत्री ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया और अपने संक्षिप्त भाषण में उन्हें रक्षा संगठन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से रक्षा संगठन में हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है । उन्होंने कुछ प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी उल्लेख किया, जैसे हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देना ; टंककों और आशुलिपिकों को अंग्रेजी में टाइपिंग और आशुलिपि के अलावा हिन्दी में टाइपिंग और आशुलिपि का काम करने के लिए विशेष मासिक भत्ता देना ; हिन्दी में अधिकाधिक काम करने वाले कार्यालयों को शील्ड/ट्राफी प्रदान करना ; तथा रक्षा सम्बन्धी विषयों पर हिन्दी में लिखी या अनूदित रचनाओं के लेखकों को नकद पुरस्कार देना । उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उन विभिन्न उपायों का उल्लेख किया, जिनसे समय-समय पर जारी होने वाले हिन्दी सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ी है । इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह रहा है कि रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों आदि के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त निरीक्षण दल देश में कुछ चुने हुए कार्यालयों में भेजा जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन कहां तक हो रहा है और उनमें और सुधार लाने के लिए कार्यालयों को क्या कुछ करना चाहिए । उन्होंने बताया कि वर्ष 1987-88 के दौरान इस निरीक्षण दल ने 130 कार्यालयों का निरीक्षण किया, जबकि इससे पिछले वर्ष 115 कार्यालयों का ही निरीक्षण किया गया था । रक्षा राज्य मंत्री जी ने सदस्यों को यह भी बताया कि तीनों सेनाओं आदि की सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में यह आदेश दिए गए हैं कि सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं में, चाहे वे देश के किसी भी भाग में क्यों न हो, प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में उपलब्ध की जाए और इन्स्ट्रक्टरों को हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि 1-1-1989 से इन स्थापनाओं में हिन्दी को प्रशिक्षण का वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सके ।

(2) राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का अनुपालन ।

30 सितम्बर, 1986 को समाप्त तिमाही तथा 1987 में उसी अवधि के दौरान विभिन्न रक्षा संगठनों द्वारा हिन्दी में किए गए काम के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा हुई ।

(कृपया अनुलग्नक 'क' देखें)। सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि द्विभाषी जारी किए जाने वाले सामान्य आदेशों के मामले में 20 प्रतिशत और हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर दिए जाने के मामले में 2 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इस पर सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि का कहना था कि 413 आदेश ऐसे थे, जो वर्गीकृत थे और उन्हें तत्काल जारी किया जाना था ; इसलिए उन्हें द्विभाषी जारी नहीं किया जा सका। डॉ. वैदिक का विचार था कि दस्तावेजों की गोपनीयता अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में जारी करने से अधिक सुरक्षित रह सकती है। रक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1986 की तुलना में सेना मुख्यालय ने वर्ष 1987 के दौरान अधिक सामान्य आदेश द्विभाषी जारी किए, फिर भी उन्होंने सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि से आग्रह किया कि वे अपने सभी सामान्य आदेश चाहे वे वर्गीकृत हों या नहीं, द्विभाषी ही जारी करें। वायुसेना मुख्यालय की स्थिति स्पष्ट करते हुए वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास स्टाफ की कमी थी। गुणता आश्वासन महानिदेशालय और आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की। समिति के सदस्यों ने यह महसूस किया कि स्थिति में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम का लगातार उल्लघंन किए जाते रहने पर चिन्ता प्रकट की। यह भी बताया कि पुनर्वास महानिदेशालय ने 1198 हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया। इस सम्बन्ध में अन्ततः रक्षा राज्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों को चाहिए कि वे यह देखें कि सभी सामान्य आदेश द्विभाषी ही जारी हों और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।

(3) रक्षा मंत्रालय में उप निदेशक (राजभाषा) का पद फिर से बनाना।

सदस्यों को बताया गया कि वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने रक्षा मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग सहित सभी अनुभागों का कार्य-अध्ययन किया है और उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(4) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं का माध्यम।

सदस्यों को सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में सेना मुख्यालय के विचार हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(5) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी प्रकाशनों को ठेके पर अनुवाद कराए जाने की व्यवस्था

रक्षा मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि पिछली बैठक में सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर तीनों सेना मुख्यालयों के साथ विचार किया गया और यह देखा गया कि इन प्रकाशनों का ठेके पर अनुवाद कराना वांछित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी प्रकाशन बहुत तकनीकी और वर्गीकृत हैं। इस सम्बन्ध में श्री चतुर्वेदी का कहना था कि समय-समय पर सरकार की यह नीति स्पष्ट की जाती रही है कि ऐसे प्रकाशनों में इस्तेमाल होने वाले बहुत तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। डॉ. वैदिक ने कहा कि अंग्रेजी में प्रकाशित काफी तकनीकी किस्म के प्रकाशनों में भी अन्य भाषाओं के शब्द बड़ी संख्या में लिए जाते रहे हैं और ऐसा हिन्दी में प्रकाशित तकनीकी प्रकाशनों में भी किया जा सकता है। सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों का कहना था कि इस काम के लिए उच्च स्तर के अनुवादकों की आवश्यकता है और यह देखना होगा कि ऐसे व्यक्ति सेनाओं में या फिर जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन से उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं। रक्षा राज्य मंत्री जी ने तीनों सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे इस संबंध में अपने संगठनों में समितियां बनाएं और माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक में ठोस प्रस्ताव रखें।

(6) वायुसेना में भर्ती परीक्षाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम का प्रयोग।

26 दिसम्बर, 1987 को जलहाली में वायुसेना मुख्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों ने निरीक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की गई व्यवस्था की प्रशंसा की। डॉ. फिलिप का कहना था कि प्रशिक्षण स्थापना में अधिकारियों और परीक्षार्थियों से बातचीत करने पर उनकी समस्याओं के बारे में सही स्थिति मालूम हुई। उनका आग्रह था कि अन्य रक्षा स्थापनाओं में भी इसी प्रकार निरीक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए, ताकि वे उनके बारे में भी कुछ ठोस सुझाव दे सकें। वायुसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि लगभग सभी प्रशिक्षार्थी हिन्दी समझते हैं और इसलिए हिन्दी को प्रशिक्षण का माध्यम बनाए जाने से कोई कठिनाई नहीं होगी। उनका यह भी विचार था कि भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध किए जाने चाहिएं। इस पर वायु सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में यथावश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

(7) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रशिक्षण मैनुअलों/प्रकाशनों का हिन्दी अनुवाद।

सदस्यों ने नौसेना मुख्यालय की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने 461 प्रशिक्षण डाकेटों में से 453 का हिन्दी में अनुवाद कर लिया है। उनका कहना था कि डाकेटों के अनुवाद की जांच (वैटिंग) शीघ्र करवा ली जाए और उन्हें मुद्रित या साइकलोस्टाइल रूप में तैयार किया जाए। इस संबंध में नौसेना मुख्यालय की ओर से यह बताया गया कि

इस कार्य के लिए उन्होंने अपने 4 अनुवाद अधिकारियों में से 3 को अनुवाद की जांच (वैटिंग) पर लगाया हुआ है और इस काम को यथाशीघ्र पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने अपने यहां की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अब तक 287 प्रशिक्षण नोट हिन्दी में अनूदित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से जो पहले अनूदित किए गए थे, वे अब अप्रचलित हो गए हैं और उनको छांटने के बाद बाकी सामग्री को मुद्रित या साइक्लोस्टाइल करवा लिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री जी ने तीनों सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि प्रशिक्षण सम्बन्धी मैनुअलों/डाकेटों/नोट का यथाशीघ्र अनुवाद करवाएं, उन्हें मुद्रित या साइक्लोस्टाइल रूप में तैयार करवाएं और अगली बैठक में इस बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा दें।

(8) हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या।

(9) तीनों सेनाओं के अधिकारियों सहित सेना कार्मिकों की वर्दियों पर द्विभाषी नाम-पट्टियों का प्रयोग।

(10) रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले अनुवादकों और राजभाषा विभाग द्वारा नियंत्रित संवर्ग के अनुवाद के वेतनमानों में असमानता को दूर करना।

(11) रक्षा संगठन में विभागीय पदोन्नति एवं सीधी भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग।

बैठक से पूर्व समिति के सदस्यों को इस बारे में भेजी गई टिप्पणी नोट की गई। सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं और सीधी भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग की छूट देने के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में उन्हें यह बताया गया कि इस संबंध में सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं को यह आदेश दिए गए हैं कि वे वर्ष के अंत तक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(12) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान अपने प्रकाशनों को हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाने की संभावनाओं पर विचार करें।

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस संस्थान ने इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ मांगा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा कि इस काम के लिए जितना धन मांगा गया है, वह बहुत अधिक है और शायद वर्तमान परिस्थितियों में उतना उपलब्ध कर पाना संभव नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि इस संस्थान की कुछ पत्र-पत्रिकाओं को हिन्दी में भी प्रकाशित किए जाने का प्रयास किया जा सकता है।

(13) विभिन्न कार्यालयों में रिक्त हिन्दी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए।

मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि विभिन्न कार्यालयों में इस समय अलग-अलग ग्रेडों में कुल 138 पद खाली पड़े हुए हैं और उन्हें पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से नहीं भरा जा सका है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने पदों को भरने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए थे। श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की पिछली बैठक में वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि पदों के सृजन पर या उनके भरने पर लगी रोक संबंधी आदेश हिन्दी पदों पर लागू नहीं होंगे। मंत्रालय की ओर से सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि खाली पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

(14) "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में 50% हिन्दी आशुलिपिकों की व्यवस्था

इस सम्बन्ध में मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि सभी कार्यालयों को यह आदेश दे दिए गए हैं कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 50% और "ख" क्षेत्र में 25% आशुलिपिकों को 31 मार्च, 1990 तक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जाए। सदस्यों को यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिक 30% हैं जबकि सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में 9% आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि जानते हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि ने यह बात उठाई कि जब रक्षा मंत्रालय में काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, फिर भी उनमें से बहुत कम अपना काम हिन्दी में करते हैं। सदस्यों का यह आग्रह था कि हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की सेवाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री जी उनके इस सुझाव से सहमत थे।

30 सितम्बर, 1986 और 30 सितम्बर, 1987 को समाप्त तिमाहियों के तुलनात्मक आंकड़े

30 सितम्बर, 1986 के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।

कार्यालय का नाम	जारी सामान्य आदेश			हिन्दी में प्राप्त पत्र			जारी मूल पत्र		
	द्विभाषी	केवल हिन्दी में	केवल अंग्रेजी में	कुल	उत्तर		कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में
					हिन्दी में	अंग्रेजी में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. रक्षा मंत्रालय	586 (432)	— (—)	— (—)	2668 (2153)	855 (1528)	— (—)	1593 (2855)	1146 (1741)	44 (111)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. वित्त प्रभाग	151	*2	—	1497	799	—	131	109	22
	(206)	(—)	(—)	(1255)	(528)	(—)	(176)	(143)	(33)
3. मु.प्र.अ. का कार्यालय	235	95	(—)	21178	14923	(—)	22982	12566	10416
	(354)	(18)	(—)	(3798)	(2909)	(—)	(9957)	(4476)	(5481)
4. सेना मुख्यालय	1589		413	5765	5034		15068	6185	8883
	(661)	(—)	(2474)	(6679)	(5380)	(174)	(86454)	(9434)	(77020)
5. नौसेना मुख्यालय	148	—	—	10561	8560	—	95062	16627	78435
	(78)	(—)	(—)	(4205)	(2395)	(—)	(97234)	(7696)	(89539)
6. वायु सेना मुख्यालय	574	—	2780	4497	1426	110	58968	2317	56651
	(332)	(—)	(287)	(1365)	(1134)	(—)	(9921)	(2536)	(7385)
7. अनु. तथा विकास संगठन	279			1273	308	89	28337	2723	25614
	(284)	(—)	(—)	(784)	(324)	(—)	(3410)	(992)	(12418)
8. पुनर्वास महानिदेशालय	12			2716	1518	1198	9585	1670	7215
	(9)	(—)	(—)	(1992)	(1843)	(—)	(783)	(709)	(74)
9. रक्षा सम्पदा महानिदेशालय	155			1160	950		12880	4145	8735
	(170)		(—)	(800)	(450)		(10602)	(1437)	(9165)
10. तट रक्षक संगठन	22			178	159		5711	528	5183
	(14)	(—)	(—)	(10838)	(1060)	(—)	(4125)	(143)	(3982)
11. गुणता आश्वासन महानिदेशालय	160		2935	1960	682		31597	660	30937
	(40)	(32)	(60)	(2079)	(980)	(—)	(16452)	(499)	(15953)
12. त.वि.तथा उ. निदे. (वायु.)	61			1151	654		6974	1806	5163
	(8)	(—)	(—)	(1505)	(649)	(—)	(5101)	(1673)	(3421)
13. सेना चित्र प्रभाग	4			140	102		1514	563	956
	(3)	(—)	(—)	(96)	(71)	(—)	(1238)	(429)	(804)
14. योजना तथा समन्वय निदेशालय	—		3	106	17		348	6	342
	(10)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
15. सुरक्षा कार्यालय	21			291	161		15		15
	(6)	(—)	(—)	(650)	(300)	(—)	(200)	(45)	(155)
16. रा.के कोर महा-महानिदेशालय	107			608	608		9484	389	9095
	(285)	(—)	(5)	(700)	(700)	(—)	(1266)	(393)	(873)
17. स.से.चि.से.	535		202	793	338		17951	292	17659
	(676)	(—)	(—)	(1203)	(971)	(—)	(24435)	(585)	(23850)
18. मानकीकरण निदेशालय	18		8	189	171	18	3099	505	2594
	(4)	(—)	(2)	(437)	(234)	(103)	(3961)	(314)	(3647)
19. इतिहास अनुभाग				62	15		3		3
	(—)	(—)	(—)	(53)	(21)	(—)	(504)	(123)	(381)
20. जन संपर्क निदे.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(104)	(—)	(—)	(4939)	(4712)	(139)	(978)	(356)	(622)
21. आयुध निर्माणी बोर्ड	106		735	889	480		62822	400	62422
	(215)	(—)	(1098)	(608)	(345)	(—)	(18759)	(390)	(18369)
जोड़	4763	97	7102	57822	38360	1415	384124	52637	331487
	(3582)	(32)	(2828)	(40602)	(38904)	(277)	(289930)	(33366)	(256574)
	40%(60 %)			97%(99%)			11%(11.5%)		

* 'घ' श्रेणी कर्मचारियों में लिए

आर्थिक कार्य विभाग

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की छठी बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 को वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व हिन्दी सलाहकार समिति के भूतपूर्व सदस्य श्री गिरधारी लाल डोगरा के आकस्मिक निधन पर संवेदना प्रकट की और दो मिनट का मौन धारण कर समिति ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया। राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी.बी. महाजन ने यह बताया कि राजभाषा विभाग के पास केवल एक्ट और नियमों के अनुवाद की व्यवस्था है। प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद की व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थानों को स्वयंमेव करनी होगी। तत्पश्चात् माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के साथ पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

पिछली बैठक के निर्णयों पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री शर्मा ने जानना चाहा कि द्विभाषी टेलीप्रिंटर, टैलेक्स आदि के निर्माण में जो तकनीकी कठिनाई आ रही थी क्या वह दूर हो गई है। राजभाषा विभाग के सचिव ने बताया कि तकनीकी कठिनाइयां तो दूर हो गई हैं लेकिन अभी तक उनका उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है। यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग इस आशय का एक परिपत्र जारी करे कि द्विभाषी उपकरणों का उत्पादन शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है और भविष्य में खरीदे जाने वाले इस प्रकार के उपकरण द्विभाषी रूप में ही खरीदे जाएं।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री शर्मा का सुझाव था कि भारतीय जीवन बीमा निगम में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जो मामला राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष विवाद में है उसे राजभाषा विभाग के पास भेजा जाए जो हिन्दी पदों की भर्ती के लिए अधिकरण से छूट मांग सकते हैं अथवा कुछ आपसी समझौते के प्रयास कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा के प्रतिनिधि ने बताया कि समझौते के प्रयास जारी हैं और आशा है कि समझौता शीघ्र हो जाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम :

भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि दिल्ली और बम्बई में टेलीप्रिंटर हिन्दी में लगे हुए हैं। विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण हिन्दी में प्रदान किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर यथासंभव सीमा तक हिन्दी में दिया जाता है। सभी मंडल कार्यालयों में अपनी कार्यान्वयन समितियां हैं और वर्ष में चार-चार बैठकें बुलाई जाती हैं। धारा 3(3) का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जो धारा 3(3) के उल्लंघन दर्शाये गये हैं वह पालिसियों के बारे में हैं जो अभी तक केवल अंग्रेजी में हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भविष्य में धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अलग-अलग दर्शाया जाये और अधिकतर उल्लंघन किन-किन स्थानों पर हो रहे हैं उसका भी उल्लेख किया जाए ताकि वहां पर उपचारात्मक उपाय किये जा सकें। सचिव राजभाषा विभाग ने स्पष्ट किया कि बीमा पालिसी दस्तावेज धारा 3(3) के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि वह तो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं।

भारतीय आयात निर्यात बैंक :

बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि जनता के लिए ब्रोचर हिन्दी में तैयार किया गया है और मारीशस तथा बुलगारिया से संबंधित दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं। बैंक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन करके अलग से शब्द कोश भी तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि बैंक पत्राचार में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करें।

भारतीय साधारण बीमा निगम :

निगम के प्रतिनिधि ने बीमा निगम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि निगम की चार सहायक कंपनियां हैं, जिनमें दो के मुख्यालय "ग" क्षेत्र में, एक का "ख" क्षेत्र में तथा एक का "क" में हैं। तिमाही रिपोर्ट में सभी क्षेत्रों के आंकड़े सामूहिक रूप में दर्शाए गए हैं। चारों कंपनियों में 55 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है। सभी कंपनियों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं और उनकी नियमित रूप से बैठकें बुलाई जाती हैं। इन बैठकों में हिन्दी की प्रगति के बारे में विचार किया जाता है। यांत्रिक सुविधाएं भी द्विभाषी रूप में लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि आगामी बैठक में सभी कंपनियों के आंकड़े अलग-अलग दर्शाए जाएं जिससे कमी का पता लगाया जा सके। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम :

निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाती हैं। सभी फार्म द्विभाषी रूप में करा लिए गए हैं। "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम के

अनुपालन की स्थिति काफी संतोषजनक है। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और कई शाखा कार्यालयों में भी कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रस्तुत आंकड़ों से तो स्थिति संतोषजनक प्रकट नहीं होती। अधिक से अधिक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :

बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी में पत्र व्यवहार की प्रतिशतता काफी अच्छी है। "क" क्षेत्र में स्थित हिमाचल और कानपुर कार्यालय अधिसूचित हैं और उनमें मूल रूप से कार्य हिन्दी में हो रहा है। मानक पत्रों को हिन्दी में छपवाया गया है। हिन्दी में ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक हिन्दी में पत्रिका निकाली जा रही है जो सभी कर्मचारियों में परिचालित की जाती है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को बहुत शीघ्र प्राप्त कर लिया जाएगा। हिन्दी में कार्य केवल आदेशों का पालन करने के लिए तो नहीं अपितु अपनी राजभाषा समझ कर किया जाता है।

डॉ. रत्नाकर पांडेय का सुझाव था कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को धारा 10(4) और धारा 8(4) में अधिसूचित किया जाए इससे हिन्दी में अधिक कार्य हो सकेगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं। एक गृह पत्रिका वयम् हिन्दी में निकाली जा रही है। हिन्दी अधिकारियों के जो 10 पद खाली हैं वह तीन चार महीने में भर लिए जाएंगे। हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। जल्दी से जल्दी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी फार्मों का अनुवाद करवा कर उन्हें शीघ्र छपवाया जाए। हिन्दी टाइप-राइटरों में भी वृद्धि की जाए।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक :

बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि 6 कार्यालयों में पूरा काम हिन्दी में हो रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं। कार्यान्वयन समितियां गठित हैं और उनकी प्रत्येक तिमाही में एक-एक बैठक होती है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का सुझाव था कि हिन्दी टाइपराइटरों के बिना हिन्दी में काम होना संभव नहीं है अतः हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाई जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में चर्चा करते हुए डॉ. रत्नाकर पांडेय और श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने इच्छा व्यक्त की कि बैंकों के अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि आगामी बैठक में स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक दिनांक 23-12-1987 को संसदीय कार्य मंत्री श्री हरिकिशन लाल भगत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पर 'नकद पुरस्कार योजना' और 'संसदीय लोकतंत्र' पर अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी में लेख प्रतियोगिता पर होने वाले खर्च का प्रावधान अगले वर्ष के बजट में कर दिया गया है।

सदस्यों ने मन्त्री जी से आग्रह किया कि मंत्रालय में कम से कम एक टेलीप्रिंटर हिन्दी का भी लगाया जाए। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंदी का एक टेलीप्रिंटर लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(1) मंत्रालय में हिंदी के टाईपाइटरों की संख्या कम होने पर चिंता व्यक्त की गयी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मंत्रालय में भविष्य में टाईपराइटरों हिन्दी में अधिकाधिक खरीदे जाएंगे ताकि राजभाषा विभाग से इस संबंध में जारी निदेशों का पूरी तरह पालन हो।

(2) श्री रामावतार शास्त्री ने कहा कि तिमाही में "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों को 2 पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे गए जो कि राजभाषा नियम का उल्लंघन है। इस पर मंत्रीजी ने कहा कि भविष्य में सतर्कता बरती जाए ताकि ऐसा उल्लंघन नहीं हो।

श्री सुधाकर पांडेय ने अनुरोध किया कि संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि सरकार अपनी नीति निर्धारित कर सके। इस पर संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभु लाल ने सूचित किया कि समिति ने "अनुवाद" और "यांत्रिक स्थिति" पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं।

डा. (प्रो.) विलट पासवान शास्त्री ने अपनी मदों पर टिप्पणियों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन की संभावना पर विचार किया जाए। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक जल-भूतल परिवहन मंत्री श्री राजेश पायलट की अध्यक्षता में 22 दिसंबर, 1987 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मंत्री जी ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें वर्ष 1987 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया।

समिति को सूचित किया गया कि एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और मंत्रालय का यह प्रस्ताव है कि आगामी 3 वर्षों में मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया जाए। कुल 888 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 721 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करा दिया गया है और इस समय स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 1990 के अंत तक मंत्रालय के लगभग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का सुझाव था कि मंत्रालय एक कार्यक्रम बनाए और पूरा करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं। इस संबंध में सचिव राजभाषा श्री बी. बी. महाजन ने इस सुझाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वैसे तो प्रत्येक वर्ष राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। तथापि इस संबंध में यदि कोई विशेष उल्लेनीय कार्यवाही की जाए अथवा कोई उल्लेखनीय कदम उठाने का प्रस्ताव हो तो उस संबंध में एक नोट अगली बैठक के लिए प्रस्तुत किया जाए।

(3) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों, राज्य सरकारों, व्यक्तियों आदि के साथ हिंदी में पत्र-व्यवहार करने के संबंध में समिति का विचार था कि "क" और "ख" क्षेत्रों के साथ किए जाने वाले पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक तक स्थिति में सुधार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शुरुआत के तौर पर कम से कम 50 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही हो। श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्री गोपाल मिश्र व श्री के सी सिन्हा ने इस बात के लिए आगाह किया कि तार भी हिन्दी में ही भेजे जाने चाहिएं। इस संबंध में समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार "क" क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तार हिंदी में भेजे जाने चाहिएं। यह निर्णय लिया गया कि "क" क्षेत्रों में तार हिन्दी में भेजे जाएं (कम से कम 25%) जब कि अन्य प्रदेशों में तार अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(4) कुछ अनुभागों आदि में अधिकांश कार्य हिन्दी में ही करने पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि कुछ अनुभागों में अधिकांश कार्य हिंदी में ही किया जाना चाहिए। शुरुआत के तौर पर यह उपयुक्त होगा कि उत्तर प्रदेश के हिन्दी प्रदेशों में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंद्ध अनुभागों में तथा परिवहन और सड़क पक्षों के सामान्य अनुभागों में संपूर्ण/अधिकांश कार्य हिंदी में ही किया जाए।

(5) हिन्दी पुस्तकों की खरीद के बारे में सचिव राजभाषा का सुझाव था कि हिन्दी पुस्तकों के अंतर्गत कहानी, उपन्यास आदि भी खरीदे जाएं ताकि अधिकाधिक कर्मचारी हिन्दी पुस्तकों को पढ़ने के लिए आकर्षित हों। श्री सुधाकर पांडेय का सुझाव था कि अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष भी खरीदे जाएं। यह सिफारिश की गई कि वर्ष 1987-88 के लिए बजट में जो राशि बकाया है वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर ही खर्च की जाए।

(6) मंत्रालय के सभी उपक्रमों आदि में राजभाषा अधिकारी तैनात करना। श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का सुझाव था कि सभी उपक्रमों आदि में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को राजभाषा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए। इस संबंध में राजभाषा विभाग के सचिव ने यह टिप्पणी की कि इस संबंध में मंत्रालय के अधिकांश उपक्रमों में यह कार्यवाही कर ली गई होगी। उन्हें सूचित किया गया कि मंत्रालय के अधिकांश उपक्रमों में राजभाषा अधिकारी तैनात हैं। यह तय हुआ कि इस संबंध में पुनः सभी उपक्रमों आदि को एक बार फिर निर्देश दिए जाएं कि वे अपने-अपने उपक्रम में वरिष्ठ स्तर के किसी अधिकारी को राजभाषा अधिकारी तैनात कर दें।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरे पर जाना

संसद सदस्य श्री बी. एल. पंवार, श्री सुधाकर पांडेय ने यह सुझाव दिया कि जब मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दौरे पर जाएं तो अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग बारे में भी जायजा लें।

(9) हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन।

संसद सदस्य श्री बी. एल. पंवार का सुझाव था कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा हिन्दी माहौल बनाने के लिए मंत्रालय के उपक्रम आदि में विशेष आयोजन किए जाएं। इस संबंध में माननीय श्री आर शौरि राजन ने सुझाव दिया कि जहां-जहां ऐसे आयोजन किए जाएं वहां-वहां हिन्दी सलाहकार समिति के उपलब्ध स्थानीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विवरण।

राजभाषा विभाग के सचिव ने सुझाव दिया कि मंत्रालय संबंधी विवरण के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के बारे में भी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बैठक के अंत में मंत्री जी ने कहा है कि अधिकाधिक काम हिंदी में होना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 34वीं बैठक दिनांक 22-12-1987 पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री अजीत कुमार पंजा की अध्यक्षता में हुई।

2. सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष श्री पंजा ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। वे हिन्दी के पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही भेज रहे हैं। उन्होंने मंत्रालय के माध्यम एककों के माध्यम से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल्यवान सुझाव देने के लिए समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्येक सदस्य को अगले वर्ष के दौरान कम से कम 5 अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को हिन्दी सिखाने का नेक कार्य हाथ में लें।

श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने इस बात की प्रशंसा की कि मंत्रालय ने हिन्दी के प्रयोग के बारे में विस्तृत सूचना दी है। तथापि, उन्होंने कहा कि जून, 1987 को समाप्त हुई तिमाही की तुलना में सितम्बर, 1987 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान हिन्दी में भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता घट गई है। उन्होंने इस संबंध में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री वाई. जी. शिंदे ने कहा कि दूरदर्शन द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या में काफी अन्तर है। और हिन्दी में भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता घट गई है। डा. रामदरश मिश्र ने कहा कि दूरदर्शन द्वारा हिन्दी में कोई तार नहीं भेजा गया है।

श्री शंभु दयाल ने बताया कि राजभाषा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 1-4-1988 से मूल रूप से हिन्दी में काम करें। जब तक अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप से हिन्दी में काम नहीं करेंगे तब तक हिन्दी में कार्य में वृद्धि नहीं होगी। श्री बी. के. जुत्शी ने कहा कि हिन्दी में पत्राचार की मात्रा बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

श्री शंभु दयाल ने कहा कि प्रेस परिषद अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए आठ नियमों/विनियमों को भी हिन्दी में मुद्रित तथा वितरित किया जाना चाहिए। श्री बी. के. जुत्शी ने बताया कि इनको हिन्दी में भी राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है तथापि, इनको हिन्दी में केन्द्रित करवाने तथा वितरित करने के बारे में विचार किया जाएगा।

हिन्दी अधिकारियों के खाली पड़े पदों को भरना।

8. श्री वाई. जी. शिन्दे ने कहा कि दूरदर्शन केन्द्रों में हिन्दी अधिकारी के पद के भर्ती नियम अभी तक नहीं बनाये गए है। इनको शीघ्र बनाया जाना चाहिए तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर भी होने चाहिएं। श्रीमती किशोरी सिन्हा ने भी इस बात पर बल दिया कि प्रश्नास्पद भर्ती नियमों को शीघ्र बनाया जाना चाहिए तथा हिन्दी अधिकारी के खाली पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए। श्री शंभु दयाल ने बताया कि कार्मिक विभाग ने हिन्दी अधिकारी के पद के माडल भर्ती नियम परिचालित किए हैं और सुझाव दिया कि उन्हें अपना कर संबंधित मंत्रालयों से अनुमोदित करवाया जा सकता है। मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि दूरदर्शन केन्द्रों में हिन्दी अधिकारी के पद के भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया 15-1-88 तक पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हिन्दी अधिकारी के सभी खाली पदों को भी 21-1-1988 तक भर लिया जाना चाहिए।

डा. रामदरश मिश्र ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन मंत्रालय के अधीन हैं और यदि इन माध्यमों के कार्यक्रमों में हिन्दी का समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो रहा हो और इनके हिन्दी कार्यक्रमों का स्तर गिर रहा हो तो इस प्रकार के मामलों पर इस समिति की बैठकों में विचार किया जाना चाहिए। महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि इस प्रकार के मामलों पर विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत कार्यक्रम सलाहकार समितियों द्वारा विचार किया जाता है। **श्री शंभु दयाल** ने कहा कि दो प्रकार के मामले हैं, उनमें से एक राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में है तथा दूसरा हिन्दी के प्रचार के बारे में। राजभाषा विभाग राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है और मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन इसी प्रयोजन के लिए किया गया है। हिन्दी के प्रचार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। अतः इस समिति को राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि यह समिति भविष्य में केवल उन्हीं मुद्दों पर विचार करेगी जो इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

भाषी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी मुद्दे पर श्री वई.जी. शिंदे ने कहा कि आकाशवाणी, पुण से प्रसारित होने वाले हिन्दी कार्य क्रमों की अवधि सप्ताह में मात्र 20 मिनट है। यह अवधि बहुत ही कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। महानिदेशक आकाशवाणी ने स्पष्ट किया कि विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों पर विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि संबंधित केन्द्रों के सेवा क्षेत्र में उन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। हिन्दी के लिए एक अलग नीति अपनाना कठिन है।

विदेश मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक विदेश राज्य मंत्री श्री एदुआर्द फ्लैरो की अध्यक्षता में 15-2-1987 को हुई। सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय, मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने का बराबर प्रयास कर रहा है।

हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक में गठित हिन्दी सलाहकार समिति की उप समिति की भूमिका और उसके गठन के बारे में कुछ विचार विमर्श हुआ। मंत्री महोदय ने श्री काटम लक्ष्मीनारायण के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि उप समिति में गैर-हिन्दी भाषा क्षेत्र का भी एक सदस्य होना चाहिए।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि हिन्दी के संबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य प्रणाली के बारे में विचार करने के लिए गठित तीन सदस्य उप-समिति की बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई हैं। हालांकि यह बैठक जुलाई, 1987 में ही बुलाई जानी चाहिए थी। अपर सचिव (आईओ) ने स्पष्ट किया कि बैठक इसलिए नहीं बुलायी गयी क्योंकि परिषद की स्थायी समिति की तत्कालीन उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महसूस किया गया था कि यह विषय शिक्षा विभाग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि परिषद को धनराशि मंत्रालय के बजट से ही दी जाती है और इसलिए समिति को यह अधिकार है कि वह विदशों में हिन्दी के संवर्धन के लिए परिषद द्वारा किए गए प्रयासों का जायजा ले। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का विचार था कि विदेशों में हिन्दी की प्रगति की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होनी चाहिए। डा. रामजी सिंह ने कहा कि परिषद मंत्रालय का ही एक अंग है और विदेशों में हिन्दी की प्रगति से संबंधित कार्य परिषद के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। श्री गंगाशरण सिंह का विचार था कि इस संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए कि विदेशों में हिन्दी की प्रगति किसकी जिम्मेदारी है। श्री गंगा शरण सिंह का विचार था कि भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं और विदशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी संस्थाओं से परामर्श करके उनकी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। श्री इन्द्र नाथ चौधुरी समिति के विचारणीय विषय जानना चाहते थे। उनका विचार था कि परिषद का यह काम नहीं है कि वह केवल हिन्दी का संवर्धन करे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकर समिति को यह अधिकार है कि वह हिन्दी की प्रगति के बारे में परिषद को सलाह दे। निःस्सन्देह परिषद विदेशों में हिन्दी की प्रगति का एक जरिया है। इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ परामर्श करके तय किया जाएगा। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि वे बैठक करने के लिए परिषद के अध्यक्ष माननीय उप-राष्ट्रपति जी से तत्काल समय लेंगे जिसमें हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पर चर्चा को जारी रखते हुए श्री चौधुरी ने कहा कि जब से श्री गिरिजा कुमार माथुर ने गगनांचल पत्रिका के मानद सम्पादक का कार्यभार संभाला है तब से इस पत्रिका के स्तर में काफी सुधार आया है। श्री लक्ष्मीनारायण ने सलाह दी कि गगनांचल के लिए लेख लिखने के लिए गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लेखकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए और गगनांचल के हिन्दी लेखकों को पारिश्रमिक उसी दर पर दिया जाना चाहिए जिस दर पर परिषद की अंग्रेजी पत्रिकाओं के लेखकों को दिया जाता है और इस पत्रिका के लिए एक पूर्णकालिक सम्पादक की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि विदेशों में भेजी जानी वाली सांस्कृतिक मण्डलियों के बारे में भारतीय सांस्कृतिक संबन्ध परिषद के ब्रोशर हिन्दी में भी होने चाहिए। मंत्री महोदय ने इन सुझावों को स्वीकार किया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनुवाद सुविधाओं की उपलब्धता के सवाल को उठाया। अपर सचिव (आई०ओ०) श्री दुबे ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी भाषी प्रतिनिधियों सहित हमारे प्रतिनिधियों ने हिन्दी में बोलने में कोई रूचि नहीं दिखाई। इस बात पर सहमति हुई कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी बोलने के लिए सदस्यों को, विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र के सदस्यों को प्रेरित किया जाएगा।

विदेश जाने वाले भारतीय शिष्टमण्डलों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी वी महाजन ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को लिखा है कि वे

यह बताएं कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी से स्थानीय भाषा में तथा स्थानीय भाषा से हिन्दी में द्विभाषिया सुविधाओं की उपलब्धता की क्या स्थिति है। अपर सचिव (आई ओ) ने कहा कि इस प्रकार की सुविधाएं केवल अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में और स्थानीय भाषा से अंग्रेजी के लिए ही उपलब्ध हैं। इस बात पर सहमति हुई कि मंत्रालय इस प्रश्न की जांच करेगा और देखेगा कि हमारे मिशनों में हिन्दी दुभाषियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने सलाह दी कि मिशनों में जो अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी तथा संबंधित देश की भाषा जानते हैं, उन्हें दुभाषिए का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने श्री सुधाकर पाण्डेय का यह सुझाव स्वीकार किया कि पत्र शीर्ष आदि दोनों भाषाओं में होने चाहिए। गगनांचल के लिए विज्ञापन केवल अंग्रेजी में ही स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए और मिशनों में प्रख्यात हिन्दी विद्वानों के चित्र लगाए जाने चाहिए।

श्री मधुकर राव चौधरी ने सुझाव दिया कि पासपोर्टों में हिन्दी में प्रविष्टियां करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। अपर सचिव (आई ओ) ने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी।

अपर सचिव (आई ओ) ने समिति को सूचित किया कि यह फैसला किया गया है कि भविष्य में विदेशों को हस्तियों को सभी संदेश अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिन्दी में भेजे जाने चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि वे हिन्दी के बारे में मिशनों को स्वयं एक पत्र लिखेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति संतोषजनक नहीं है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय में एक ऐसा अनुभाग चुना जाना चाहिए जिसमें सारा काम केवल हिन्दी में ही हो। सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सूचना समिति के समक्ष निर्धारित प्रोफार्मा में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह भी सहमति हुई कि मंत्रालय में एक ऐसा अनुभाग चुना जाएगा जिसमें सारा काम केवल हिन्दी में ही हो।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालयों में लिपिकों के स्थान पर राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी के पद सृजित किए जाने चाहिए। मंत्री महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि इन कार्यालयों में हिन्दी के पद सृजित किए जायेंगे।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

दिनांक 5-12-87 को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष श्री हरिकिशन लाल भगत ने कहा कि पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे मेरे मंत्रालय ने उन पर कारवाई कर दी है। आशा है कि माननीय सदस्यों ने उसका अवलोकन कर लिया होगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकार की भाषा नीति को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें एकजुट होकर इसके विकास में सहयोग देना है और संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की भांति राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

संयुक्त सचिव (प्र.) खाद्य विभाग ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग ने मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में पृष्ठभूमि संबंधी सामग्री देने के लिए एक विस्तृत प्रपत्र तैयार किया है। उसी प्रपत्र में मंत्रालय के दोनों विभागों, अधीनवर्ती कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में पृष्ठभूमि सामग्री विस्तारपूर्वक दी गई है। माननीय सदस्यों से प्राप्त विषयों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने समिति को बताया कि मंत्रालय के दोनों विभागों में 14 सितम्बर, 1987 को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया गया था। इस अवसर पर माननीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री के संदेश की प्रति सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/अनुभागों/अधीनवर्ती कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में परिचालित की गई। मंत्रालय के दोनों विभागों में पत्राचार की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि पत्राचार के बारे में दो छमाहियों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है जिसका अवलोकन करने से विदित होगा कि गत छमाही की तुलना में इस छमाही में हिन्दी में पत्राचार में बढ़ोतरी हुई है।

संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग ने समिति को बताया कि नागरिक पूर्ति विभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पत्राचार में इस छमाही में सुधार हुआ है जो कि बढ़कर 49 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि दोनों विभागों में पत्राचार की स्थिति की समीक्षा करने से प्रतीत होता है कि नागरिक पूर्ति विभाग में खाद्य विभाग की तुलना में हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता कम है। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए जिससे हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ेगा।

डा. मन्नुलाल यदु ने कहा कि मैं मंत्रालय के दोनों विभागों को हिन्दी में अच्छा कार्य करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों विभागों में हिन्दी के टाईपराइटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। विभागों में कम से कम 35 प्रतिशत देवनागरी के टाईपराईटर खरीदें जाने चाहिएं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय में हिन्दी जानने

वाले अधिकारियों और कमचारियों की संख्या काफी अधिक है लेकिन हिन्दी में काम कर रहे अधिकारियों की संख्या कम है। सभी हिन्दी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक सरकारी काम हिन्दी के माध्यम से करना चाहिए।

प्रो. टी. वी. इचारावारियर ने कहा कि हमें केरल में स्थित मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की सूची भिजवाने का प्रबंध किया जाए ताकि हम वहां जा कर यह देख सकें कि वहां कौन-कौन से कार्य हिन्दी में हो रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में राजभाषा सचिव से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। सचिव (राजभाषा) श्री बी.वी. महाजन ने कहा कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यालयों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फिर भी इस बात की जांच कर ली जानी चाहिए।

सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने कहा कि यद्यपि दूसरे मंत्रालयों की तुलना में इस मंत्रालय में हिन्दी में अधिक कार्य हो रहा है फिर भी इस दिशा में और प्रगति करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है उन्हें मूल रूप से हिन्दी टिप्पणी और आलेखन का कार्य करना चाहिए और अनुवाद पर निर्भरता यथासंभव कम की जानी चाहिए। उन्होंने मूल रूप में हिन्दी में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि अनुवाद की भाषा कृत्रिम और बोझिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम में 11 मैनुअलों में से 9 मैनुअल ऐसे हैं जिनका अनुवाद तो हो चुका है लेकिन उन्हें अभी तक हिन्दी में छपवाया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भारतीय खाद्य निगम को यह कार्य तुरन्त पूरा करना चाहिए और अगली बैठक में इस की सूचना दी जाए।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए जाने वाले मानकों को दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने के बारे में चर्चा करते हुए सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने कहा कि वर्ष 1983-84 में हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए चुने गए मानकों की संख्या 65, 1984-85 में 113, 1985-86 में 117 और 1986-87 में 50 थी, जिसमें से हिन्दी में अनूदित मानकों की संख्या क्रमशः 56, 87, 65 और 9 थी। अनुवाद का अनुमोदन करने के लिए गठित समिति ने 1983-84 में 56 और 1984-85 में 69 मानकों के अनुवाद का अनुमोदन किया। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में किसी भी मानक के अनुवाद का अनुमोदन नहीं किया गया। ऐसा दिखायी देता है कि इस समिति ने काम करना छोड़ दिया है या इसकी बैठकें नहीं हो सकी हैं। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारतीय मानक ब्यूरो में प्रतिवर्ष हिन्दी में अनुवाद किए जाने वाले मानकों की संख्या घटती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरो में आठ कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों में से से पांच पद खाली पड़े हैं जिन्हें तुरन्त भरा जाना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के अपर मुख्य निदेशक ने समिति को बताया कि यह स्थिति मानक संस्था के स्थान पर भारतीय मानक ब्यूरो बनने के कारण उत्पन्न हुई है। जहां तक मानकों के अनुवाद और उनके अनुवाद के अनुमोदन का संबंध है, ब्यूरो इस दिश में पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए और चुने गए मानकों के अनुवाद और उनके अनुमोदन का कार्य यथाशीघ्र पूरा कर अगली बैठक में उसकी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के दोनों विभागों में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अनुभागों तथा कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए चल/अचल शील्ड और ट्राफी देने की योजना चलाई जा रही है। यह शील्ड और ट्राफी उन अनुभागों और कार्यालयों को दी जाती है जो वर्ष के दौरान हिंदी में सब से अधिक सरकारी काम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने इस अवसर पर दोनों विभागों के ऐसे अनुभागों और कार्यालयों को शील्ड और ट्राफियां दीं जिन्होंने वर्ष 1986-87 के दौरान हिंदी में सबसे अधिक कार्य किया था।

कोयला विभाग

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3-12-1987 को ऊर्जा मंत्री श्री बसंत साठे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक के बाद कोयला विभाग तथा अधीनस्थ कोयला कंपनियों में राजभाषा कार्य से संबंधित उपलब्धियों का उल्लेख किया जैसे : समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर यांत्रिक सुविधाएं बढ़ाना, द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों की खरीद, स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों का हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षण, हिंदी में काम करने वाले अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों को अधिक प्रोत्साहन भत्ता, हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक नकद पुरस्कार, राजभाषा संबंधी पदों का सृजन राजभाषा अधिनियम की धारा 10(4) में अधिक कार्यालयों को अधिसूचित करना, कार्यशालाओं का आयोजन, तकनीकी प्रकाशनों में हिंदी का अधिक समावेश, आदि। उन्होंने शब्दावली उपसमिति के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछली बैठक में इस उपसमिति को स्थायी उपसमिति बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस बीच राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोयला विभाग में राजभाषा कार्य का निरीक्षण किया और इसे उत्तम बताया। इसके लिए कोयला विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इससे उनका उत्साहवर्धन होगा तथा वे बेहतर काम करेंगे।

अपने उद्बोधन के अंत में माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद, वह राजभाषा कार्य की सफलता का मापदंड यह मानेंगे कि फाइलों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिले ।

अध्यक्ष महोदय के उद्बोधन के पश्चात् कार्यसूची की मदों पर चर्चा प्रारंभ हुई । इस चर्चा के दौरान उठे मुख्य मुद्दे और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय नीचे दिए गए हैं।

चर्चा के प्रारंभ में श्री विजय कुमार यादव ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—(क) मूल पत्राचार में हिंदी पत्रों का अनुपात और प्रतिशत 'वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम, 1987-88' में निर्धारित लक्ष्यों से कम है । इन लक्ष्यों को पूरा किया जाए । (ख) पुस्तकालय खर्च में हिंदी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं पर खर्च की राशि गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित अनुपात से कम है । इसे पूरा किया जाए । ऊर्जा मंत्री जी ने आदेश दिया कि उपर्युक्त लक्ष्य पूरी निष्ठा से पूरे किए जाएं ।

श्री विजय कुमार यादव तथा श्री श्यामा चरण तिवारी ने तकनीकी विषयों से संबंधित पुस्तकों का जिक्र करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए :—(क) कोयला कंपनियों में अनेक अधिकारी ऐसे हैं जो अपने विषयों के प्रख्यात विद्वान हैं । इन्हें कोयला संबंधी विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिए सभी संभव प्रोत्साहन और अपेक्षित सहयोग, सहायता दी जाए उनकी रचनाओं की उपयोगिता आदि को ध्यान में रखते हुए कोयला संगठन और उनके प्रकाशन पर भी विचार करें। (ख) श्री श्यामा चरण तिवारी ने कोयला विभाग के "कोल एंड सीमेंट इंडस्ट्री", "कोल एंड पावर इंडस्ट्री", आदि सुरुचिपूर्ण अंग्रेजी प्रकाशनों की प्रतियां पेश करते हुए उनकी प्रशंसा की तथा कहा कि इनके हिंदी संस्करण भी निकाले जाएं ।

श्री आंजनेय शर्मा ने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित टिप्पणी-लेखन और अभ्यास की छोटी-छोटी पुस्तिकाएं समिति के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की तथा सुझाव दिया कि इन पुस्तिकाओं का अधिक से अधिक प्रचार और उपयोग कराया जाए । अध्यक्ष महोदय ने श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत पुस्तिकाओं को उपयोगी बताया और आदेश दिया कि श्री शर्मा के सुझाव पर अमल किया जाए । कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष श्री गुलशन लाल टंडन ने कहा कि वे इन पुस्तिकाओं की पर्याप्त प्रतियां मुद्रित कराके सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे ।

7. श्री श्यामाचरण तिवारी ने कहा कि उनके दो प्रस्ताव पिछली बैठकों में अध्यक्ष महोदय ने मंजूर किए थे, यथा—

(क) उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों से हर तिमाही में कम से कम एक घंटा राजभाषा कार्य की प्रगति, समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा किया करें ।

(ख) हर क्षेत्रीय और एरिया कार्यालय में एक स्वतंत्र हिंदी अनुवादक और एक टाइपिस्ट तथा एक देवनागरी टाइपराइटर अवश्य उपलब्ध कराए जाएं ।

श्री तिवारी ने कहा कि इन निर्णयों पर कार्रवाई की सूचना समिति के सामने नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि पिछली बैठकों में स्वीकृत निर्णयों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करके अगली बैठक में समिति को सूचित किया जाए ।

श्री श्यामा चरण तिवारी और श्री विजय कुमार यादव ने कहा कि कोयला विभाग और कोयला कंपनियों में हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिकारी और कर्मचारी बहुत कम संख्या में हिंदी में काम करते हैं । उन्होंने इस संबंध में भारत कोकिंग कोल लि. का उदाहरण देते हुए बताया कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 976 व्यक्तियों में से केवल 127 व्यक्ति ही अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं । इस स्थिति में सुधार होना चाहिए ।

भारत कोकिंग कोल लि. के निदेशक (कार्मिक) श्री राम अनुज प्रसाद सिंह ने भा. को. को. लि. के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वहां हिंदी का ज्ञान रखने वाले बाकी 849 व्यक्तियों में अनेक इंजीनियर हैं अथवा उनके पास ऐसा कार्य है जिसमें फिलहाल हिंदी का प्रयोग कठिन है । श्री सिंह ने भा.को.को.लि. में राजभाषा कार्य की गति बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि भा.को.को. लि. मुख्यालयों में तीन विभाग हिंदी में कार्य करने के लिए नामित किए गए हैं । शीघ्र ही अन्य विभाग भी नामित किए जाएंगे और इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव के आधार पर हिंदी के प्रयोग के लिए विभाग, विषय अथवा व्यक्ति नामित किए जाएंगे ।

अनेक सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय ने भी यह विचार व्यक्त किया कि भा.को.को.लि. में राजभाषा कार्य की गति तीव्र करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और उनकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

9. श्री राजकुमार राय, श्री विजय कुमार यादव, श्री आंजनेय शर्मा और श्री श्यामा चरण तिवारी ने कहा कि राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8(5) के अधीन हिंदी में कार्य के लिए विभाग/व्यक्ति/विषय विनिर्दिष्ट करने की कार्रवाई होनी चाहिए । हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्रवीणता प्राप्त कराने के लिए योजना और समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मुद्दे पर कोयला विभाग और सभी संगठन कार्रवाई करें और रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय ने कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि सदस्यों से कहा कि वे हिंदी में कामकाज से संबंधित समस्याओं, कठिनाइयों, उनके समाधान तथा अपने अनुभव के संबंध में विचार प्रस्तुत करें । नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री महानंद झा, केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री महीप सिंह, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री आर.डी. राय तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के निदेशक (कार्मिक) श्री उमाकांत चौबे ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए ।

श्री राजकुमार राय ने कहा कि इन उच्च अधिकारियों के विचार सुनकर ऐसा लगता है कि फाइलों में कैसी हिंदी लिखी जाए यह भी अभी एक मुद्दा है । सर्वश्री तिवारी, यादव, शर्मा, डा. खड़से एवं डा. (श्रीमती) अग्रवाल ने एक स्वर से यह कहा कि अधिकारी हिंदी लिखने का प्रयास करें । वे अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को मिलाते हुए देवनागरी में फाइलों में जो कुछ लिखेंगे वह हिंदी होगी ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारी मुक्त हृदय से बिना झिझक देवनागरी में आदेश और टिप्पणियां लिखने का प्रयास करें, भाषा अपने आप बनती जाएगी ।

श्री आंजनेय शर्मा ने सुझाव दिया कि कोयला विभाग और कोयला कंपनियां तथा अन्य कोयला संगठन राजभाषा संबंधी कार्य में अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करें । इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत केन्द्रीय हिंदी समिति में हुई चर्चा और हिंदी कार्य के अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर विस्तृत विचार व्यक्त किए तथा केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, आदि का उल्लेख किया ।

अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए इसे उपयोगी बताया तथा आदेश दिया कि ऐसी स्वैच्छिक हिन्दी सेवी संस्थाओं का आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाए ।

श्री श्यामाचरण तिवारी ने कहा कि कार्यशालाओं के जरिए एक-एक घंटे का प्रशिक्षण बहुत उपयोगी रहता है । कोल इंडिया लि० इस संबंध में पहल करे और एक विस्तृत योजना बनाकर सभी कोयला कंपनियों में परिचालित करके राजभाषा कार्य में भी अपनी कारपोरेट भूमिका का निर्वाह करे ।

अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव को उपयोगी मानते हुए तदनुसार कारवाई करने का आदेश दिया ।

श्री राजकुमार राय, श्री आंजनेय शर्मा तथा श्री श्यामाचरण तिवारी ने कहा कि शब्दावली निर्माण उपसमिति के सदस्य होने के नाते उन्हें यह अनुभव हुआ है कि कोयला कंपनियों के पुस्तकालयों में तकनीकी विषयों की हिन्दी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है । उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, विज्ञान परिषद् (इलाहाबाद), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थाओं और प्रकाशकों ने जो भी तकनीकी साहित्य हिन्दी में प्रकाशित किया है उसका समुचित संकलन कोयला विभाग तथा सभी कोयला कंपनियों और कोयला संगठनों के पुस्तकालयों में किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव को सुंदर बताते हुए तदनुसार कार्रवाई का आदेश दिया ।

बैठक में हुई चर्चा, व्यक्त विचारों और प्रस्तुत सुझावों की समीक्षा करते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि राजभाषा कार्य की गति तेज करने के लिए दृढ़ संकल्प और अनुकूल मानसिकता की अत्यधिक आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि इस बैठक में ही निम्नलिखित संकल्प लिए जाएं :—

(क) मंत्रालय (अर्थात् कोयला विभाग) तथा कोयला कंपनियां आपस में अधिक से अधिक पत्र-व्यवहार हिन्दी में करें ।

(ख) राजभाषा संबंधी सांविधिक और कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन का एक भी मामला नहीं होना चाहिए ।

(ग) हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने का प्रयास करें, तथा

(घ) प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना काम देवनागरी अधिष्ठित हिंदी में करें ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक 3 दिसम्बर, 1987 को श्री पी. वी. नरसिंह राव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में हुई

बैठक के आरम्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव, श्री एस. एस. धनोआ ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और मंत्रालय में सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद कार्यसूची की विभिन्न पदों पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) **पैरा मेडिकल शिक्षा के माध्यम पर विचार** :—पैरा मेडिकल शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए गठित समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के संबंध में, जो मंत्रालय के विचाराधीन है, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक में सदस्यों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी।

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद में प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करने की व्यवस्था :—अध्यक्ष महोदय की यह राय थी कि यह अखिल भारतीय स्तर का व्यापक प्रश्न है, फिर भी उक्त विश्वविद्यालय को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की राय से परिचित कराया जा सकता है कि वह प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों को द्विभाषी रूप में तैयार करने का, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में होता है, समर्थन करती है।

सिगरेट के पैकटों पर चेतावनी केवल हिन्दी में ही नहीं वरन् सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने का मंत्रालय का निर्णय सूचित किया गया।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में हिन्दी पदों का भरना

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद को भरने की कार्रवाई की जाए। साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हिन्दी पदों को भी शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए।

मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों और अस्पतालों में हिन्दी के प्रयोग को दिखाने वाले विवरण सही रूप से तैयार कर उनमें इन कार्यालयों की स्थिति संबंधी सूचना का उपयुक्त ब्यौरा उससे प्राप्त करके दिया जाए ताकि यह पता चल सके कि (क), (ख) और (ग) क्षेत्रों को कितने-कितने पत्र हिन्दी में गए और उसमें पूरी-पूरी सूचना मिल सके।

मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) का पद फिर से बनाया जाना

मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) का पद फिर से बनाए जाने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि देश में पड़े सूखे के कारण इस समय इस पद को बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्त वर्ष में इस पर विचार किया जाएगा।

हिन्दी कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और हिन्दी अधिकारियों का वर्ष में एक या दो सम्मेलन विभिन्न स्थानों पर आयोजित करना :—

हिन्दी कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और हिन्दी अधिकारियों के वर्ष में एक या दो सम्मेलन विभिन्न स्थानों में आयोजित करने के बारे में श्री मुकुल चन्द पांडेय ने अपनी मद के पीछे अभिप्राय स्पष्ट करते हुए बताया कि जैसा बैंकों में किया जाता है कि अपने सभी राजभाषा अधिकारियों को एक स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं और उन्हें पेश आ रही कठिनाइयां जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह हिन्दी के प्रयोग के रास्ते में आ रही कठिनाईयों का पता लगा सकते हैं और उन्हें दूर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है। मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए।

हिन्दी माध्यम की राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन संबंधी अपनी मद को और स्पष्ट करते हुए श्री मुकुल चंद पांडेय ने अपना मंतव्य बताया कि अपने-अपने विषय के विद्वानों को एक संगोष्ठी में एकत्र किया जाए। जिसमें उन्हें अपने विषयों पर शोध-पत्र हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभागों में होता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी आधारभूत पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी अंग्रेजी) तथा (अंग्रेजी हिन्दी) का संकलन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी आधारभूत पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी-अंग्रेजी) तथा (अंग्रेजी-हिन्दी) का संकलन कर कोश के रूप में प्रकाशित कर सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के संबंध में ऐसा महसूस किया गया कि ऐसा एक छोटा कोश तैयार किया जाना चाहिए ताकि मंत्रालय, औषधालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में जो लोग हिन्दी में कार्य करना चाहें, उन्हें मंत्रालय के चिकित्सा संबंधी दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आ रहे शब्दों की जानकारी हो और वे आसानी से उनका प्रयोग कर सकें।

दवाइयों के नाम हिन्दी में भी देना :—सदस्यों को बताया गया कि सरकारी क्षेत्र में जो दवाइयां तैयार हो रही हैं, उनके नाम उनकी पैकिंग पर हिन्दी में भी दिए जाते हैं। रसायन मंत्रालय को समिति की राय से अवगत कराया जाएगा।

हिन्दी प्रदेशों में मेडिकल कालेजों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई :—इस महत्वपूर्ण प्रश्न का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल हों तथा उसमें राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का प्रतिनिधि भी हो।

हिन्दी में सरकारी कामकाज के लिए अपील :—सचिव (राजभाषा) श्री वी. बी. महाजन, के इस अनुरोध को माना गया कि हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के बारे में एक अपील स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी की जाए।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

बेलगांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेलगांव की दूसरी बैठक आयकर आयुक्त (अपील) श्री पी. बी. चार्ल्स की अध्यक्षता में दि. 16 मार्च, 1988 को आयोजित हुई। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री रा. च. मिश्र और सर्वकारी प्रभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना श्री राजशेखर ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों में विशेष रूप से वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कं. लि. श्री आर. आर. किठ्ठूर, न्यू इण्डिया अश्योरेन्स कं. के. मंडल प्रबन्धक श्री सीताराम और आयकर विभाग के सभी आयकर अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक का कुशल संचालन सिंडीकेट बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के सदस्य-संकाय श्री संसार चन्द ने किया और धन्यवाद ज्ञापन समिति के सचिव एवं निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त श्रीमती स्वाती पाटिल ने किया।

बैठक में 8-9 कार्यालयों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं उनकी समीक्षा उप निदेशक द्वारा की गई। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से तिमाही समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाते रहें। टाइपिंग प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने बताया कि स्थानीय तौर पर अलंकार टाइपिंग इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षणार्थियों को भेजकर प्रशिक्षण का कार्य पूरा कराया जा सकता है। इसके साथ ही यदि सरकारी प्रभारी अधिकारी सभी कार्यालयों से टाइपिंग और शार्टहैण्ड के बारे में सूचना एकत्रित करके कार्यालयवार अपने उप निदेशक (पश्चिम) को भेजेंगे तो वे भी नियमित या अंशकालिक केन्द्र खोलने के बारे में विचार कर सकेंगे।

समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्री महेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों से यह अपील की कि कानूनी प्रावधान तो लगभग हम सभी जानते है हमें वास्तव में कार्य करना है। मिल-मिलजुल कर समस्याओं का निराकरण करना है और बैंकों आदि में जो सुविधाएं तथा अधिकारी मौजूद हैं उनसे सहयोग लेते हुए राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति दिखा सकेंगे।

प्रधानाचार्य श्री गुंजीकर ने आश्वासन दिया कि उनका बैंक और वे वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने में हर कार्यालय को सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। बैठक में इस के लिए एक उप समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया।

अन्त में श्री चार्ल्स ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी सदस्यों से अपील की कि समिति को सहयोग प्रदान करें ताकि समिति कारगर उपाय करते हुए अच्छा कार्य कर सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि परस्पर कार्य करते हुए समिति प्रशंसनीय कार्य कर सकेगी और राजभाषा विभाग से सम्मान प्राप्त कर सकेगी।

अहमदाबाद (बैंक)

बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक का आयोजन दिनांक 28-9-87 को देना बैंक, महाप्रबन्धक कार्यालय, अहमदाबाद में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री हरीश रा. जानी, महाप्रबन्धक, देना बैंक, गुजरात ने की। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भुदयाल बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे।

श्री हरीश जानी ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में घोषणा की कि बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक राज्य स्तरीय समिति की बैठक होगी जिसमें हिन्दी के राज्य स्तरीय प्रश्नों की समीक्षा की जाएगी।

पिछली बैठक में बैंकों द्वारा संयुक्त हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाने के निर्णय के सम्बन्ध में यूनियन बैंक द्वारा रखे गए प्रश्नों के संदर्भ में यह तय किया गया कि बैंकिंग पत्र व्यवहार से सम्बन्धित तीन दिवसीय पाठ्यक्रम सम्मिलित रूप से चलाया जाए। इस विषय में विस्तृत विचार व उचित कार्रवाई करने हेतु एक उप समिति का गठन किया गया जिस में श्री के. के. वर्मा (प्रधानाचार्य, कर्मचारी महाविद्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा), श्री र. मो. त्रिपाठी (प्रबन्धक, राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक), श्री ओ. पी. पारीक (उप मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया), श्री आर. के. दवे (उप प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक व सिन्डीकेट बैंक से पूछकर उनके एक-एक प्रतिनिधि को भी उप समिति में रखा जाए। "हिन्दी शिक्षण योजना" के प्रभारी अधिकारी श्री पाण्डेय को भी समिति में लिया गया। सदस्य-सचिव श्री सुशील कुमार टण्डन को इस उप समिति के संयोजन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके साथ यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही ऐसा एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाए।

यूनियन बैंक का दूसरा प्रस्ताव था कि समिति की बैठक हेतु वर्ष में एक बार मंगवाई जाने वाली राज्य स्तरीय रिपोर्ट की अवधि जनवरी-दिसम्बर की बजाय अप्रैल-मार्च रखी जाए। समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।

रिपोर्टों में आंकड़े दिए जाने के सम्बन्ध में उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम् श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों या अन्य प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा अपनी रिपोर्टों में अपने अधीन कार्यरत सभी कार्यालयों एवं शाखाओं के आंकड़े भी दिए जाने चाहिए।

इसी सम्बन्ध में डॉ. भायाणी ने सूचित किया कि आगामी बैठक चूंकि राज्य स्तरीय होगी अतः उसमें सितम्बर, 1987 तक की अवधि के राज्य स्तर के आंकड़े ही दिए जाएं।

अप्रैल से जून 1987 की तिमाही में बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। तत्पश्चात् संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शम्भुदयाल ने कतिपय बैंकों के प्रतिनिधियों से उनकी रिपोर्टों के आधार पर चर्चा की तथा उन्हें राजभाषा सम्बन्धी नियमों के अनुपालन के विषय में सचेत किया।

अपने सारगर्भित उद्बोधन में श्री शम्भुदयाल ने कहा कि हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। उन्होंने कहा कि स्वयं से प्रेरणा लेकर ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने इस बात का संकेत किया कि सम्भवतः अगले वर्ष से हिन्दी पत्राचार के सम्बन्ध में "क" व "ख" क्षेत्र का लक्ष्यांक एक समान हो जाएगा।

हिन्दी टंकण की समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि टंकक, हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित तो करा लिए जाते हैं किन्तु उनका उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने हिन्दी में मूल लेखन बढ़ाने का भी आह्वान किया।

एक प्रतिनिधि ने उनसे प्रश्न किया कि जो कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हुए भी हिन्दी में काम करने से इंकार करते हैं उनसे हिन्दी में काम कैसे लिया जाए? इसके उत्तर में श्री शम्भुदयाल ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन में अनुनय-विनय के साथ-साथ अनुशासन एवं उत्प्रेरण भी आवश्यक है।

हिन्दी टंककों की समस्या की ओर संकेत करते हुए अध्यक्ष श्री जानी ने कहा कि बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल से जो टंकक उत्तीर्ण होकर बैंकों में आते हैं वे केवल अंग्रेजी टंकण ही जानते हैं। यदि वे हिन्दी टंकण भी जानते हों तो हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ सकता है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री जानी ने कहा कि इस कार्य में नीति के साथ-साथ निष्ठा लाने से ही अपेक्षित प्रगति हो सकेगी।

डॉ. अनूपचन्द्र भायाणी ने बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दो अर्द्ध शासकीय पत्रों को पढ़कर सुनाया। इन पत्रों में बैंकों के प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा गठित आलेख एवं साक्ष्य समिति के बारे में जानकारी दी गई थी। यह उपसमिति विभिन्न बैंकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा कर इस बात की जांच करेगी कि वहां हिन्दी माध्यम में कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं, सरकार की राजभाषा नीति का किस हद तक अनुपालन किया जा रहा है, क्या वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिन्दी की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं, क्या प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख/संकाय सदस्यों को राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक की पूरी-पूरी जानकारी है, क्या प्रशिक्षार्थियों को संदर्भ साहित्य या हैण्डआउट द्विभाषिक रूप में दिये जाते हैं आदि।

अन्त में सदस्य सचिव श्री संजीव निगम द्वारा मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव श्री शम्भुदयाल तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

नाशिक

दूसरी नाशिक नगर राजभाषा-कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1987 की दूसरी बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 1987 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड, के सम्मेलन कक्ष में श्री पा. सु. शिवराम, अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री शिवराम ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और निम्नलिखित सूचनाएं दीं:—

(क) सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्ष ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उपस्थित रहें। यदि किसी कारणवश वे बैठक में स्वयं उपस्थित रहने में असमर्थ हैं तो वे अपने किसी वरिष्ठतम अधिकारी को बैठक के लिए नामित करें। परन्तु किसी भी परिस्थिति में कनिष्ठ अधिकारी या हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/लिपिक को इन बैठकों के लिए नामित न करें। हिन्दी अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष के साथ इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।

(ख) अध्यक्ष महोदय ने विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे समिति की बैठक की तिथि से तुरन्त पूर्व वाली तिमाही रिपोर्ट समिति कार्यालय को पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई के रिपोर्ट के साथ यथासमय भेजें।

(ग) आपने विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने अपने कार्यालयों में हिन्दी पदों के सृजन और उन्हें भरने की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

2. श्री डी. बी. के. रेड्डी, सहायक रक्षा लेखा नियंत्रक, वेतन लेखा कार्यालय, नाशिक ने कहा कि यदि हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाएं उनके कार्यालय में चलाई जाती

हैं तो वे 40 के लगभग कर्मचारियों को नामित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि, इसके लिए एक प्रस्ताव उन्हें भेजा जाए ताकि 1 जनवरी, 1988 से प्रारंभ होने वाले सत्र से उनके कार्यालय में कक्षाएं आरंभ की जा सकें।

5. निम्नलिखित 10 सदस्य कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और उनके विभागाध्यक्षों को सम्बंधित मदों पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

1. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक रोड

1. सामान्य आदेशों संबंधी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कड़ाई से पालन करवाया जाए।

2. हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

2. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, ओझर

1. मानदण्डों के अनुसार हिन्दी पदों का सृजन तुरंत किया जाए।

2. सामान्य आदेशों सम्बंधी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जाए।

3. हिन्दी पत्राचार नगण्य है। मानक प्रारूप के तांत्रिक पत्र हिन्दी में जारी करने के प्रयास किए जाएं।

3. न्यु इंडिया एशुरन्स कंपनी लि. मंडल कार्यालय-2

1. दोनों कार्यालय अधिसूचित हैं तो उसका उल्लेख तिमाही रिपोर्ट में किया जाए।

2. मंडल कार्यालय-2 में हिन्दी पद भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जाए।

4. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय, ओझर

1. कार्यालय में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कम से कम एक हिन्दी अनुवादक और एक हिन्दी टंकक का पद सृजित किया जाए और उसे भरा जाए।

2. कार्यालय अधिसूचित किया जाए देखें—राजभाषा नियम 10(4)।

3. सभी सामान्य आदेश अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

5. वेतन एवं लेखा कार्यालय तोपखाना नगर, नाशिक

1. कार्यालय में बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं परन्तु हिन्दी का एक भी पद सृजित नहीं है। अतः प्राथमिकता के आधार पर हिन्दी पदों का सृजन किया जाए।

2. कार्यालय राजभाषा अधिनियम 10(4) के अधीन अधिसूचित करवा लिया जाए।

3. सभी सामान्य आदेश अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवस्था करें।

4. हिन्दी पत्राचार केवल 5% है जबकि लक्ष्य 40% है अतः हिन्दी पत्राचार में ठोस वृद्धि करने के उपाय किए जाएं।

5. हिन्दी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होने तक किसी वरिष्ठ अधिकारी को "राजभाषा अधिकारी" का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की व्यवस्था की जाए ताकि कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन सुलभ हो सकें।

6. दूरदर्शन प्रक्षेपण केन्द्र, सातपुर, नाशिक

1. प्रपत्र में मांगी गई जानकारी ठीक ढंग से नहीं दी गई। भविष्य में हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए।

2. कार्यालय में कुल एक अधिकारी और 19 कर्मचारी हैं। औचित्य दर्शाते हुए न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन किया जा सकता है।

7. यूनियन बैंक आफ इंडिया, नाशिक रोड

1. हिन्दी कार्यान्वयन की स्थिति अत्यन्त संतोषजनक है।

8. बैंक आफ महाराष्ट्र, नाशिक

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2. हिन्दी पत्राचार के आंकड़ों की जानकारी कालमवार दी जाए।

निम्न कार्यालयों से बैठक के समय तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त हुई अतः समय अभाव के कारण उसकी समीक्षा करना संभव नहीं हो सका। कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में तिमाही रिपोर्ट की सूचना पत्र में उल्लिखित तिथि तक ही भेजी जाए।

1. बैंक ऑफ इंडिया, नाशिक, 2. डाक वस्तु भंडार, नाशिक 3. भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक 4. आयकर आयुक्त कार्यालय, नाशिक 5. स्टेशन अधीक्षक, मध्य रेल,

नाशिक रोड 6. देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाशिक 7. नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मंडलीय कार्यालय, नाशिक 8. भारतीय जीवन बीमा निगम, नाशिक।

संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि, वे इस मामले को गंभीरता से लें और भविष्य में हिन्दी सम्बंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट यथा समय भेजना सुनिश्चित करें।

जबलपुर (बैंक)

जबलपुर में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक 28 नवम्बर को सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, रायपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री आई. पी. हिंगोरानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव के साथ नगर के विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

तदुपरान्त समिति के उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र धारकर ने बताया कि यह विशेष उल्लेखनीय है कि सभी बैंकों ने अपनी आपसी स्पर्धा से हिन्दी प्रयोग-प्रचार के कार्य को बिल्कुल अलग रखकर हिन्दी को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किये हैं। उन्होंने बतलाया कि सभी बैंक अपना सभी कार्य हिन्दी में करना चाहते हैं, पर व्यवस्थाओं की कमी के कारण और बैंकिंग कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से कहीं-कहीं अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस क्रम में उन्होंने बतलाया कि टाइपिस्टों की समस्या इस काम को आगे बढ़ाने के मार्ग में अवरोधक के रूप में सामने आती है, इस कारण भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री हरि ओम श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्ताव रखा कि हिन्दी टाइपिस्टों को समुचित पूर्ति के लिए यह अतिआवश्यक है कि उनको उचित प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे वे इस कार्य के लिए आगे आएं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि यदि टाइपिस्ट/आशुलिपिक अनुवादक और हिन्दी टाइपराइटर की समुचित व्यवस्था हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि हिन्दी का प्रयोग शत-प्रतिशत न हो। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष महोदय और भारत सरकार के प्रतिनिधि को आश्वस्त किया कि जबलपुर नगर के सभी बैंक व्यवस्थाओं के अभाव में भी हिन्दी के शत-प्रतिशत प्रयोग का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जबलपुर भारत का हृदय स्थल है और जो कार्य हृदय से किया जाता है वहां अवरोधों की परवाह नहीं की जाती है। यही कारण है कि नगर के बैंकों में अहिन्दी भाषी स्टाफ के होते हुए भी हिन्दी का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है। यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहां के बैंकों के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक एवं कुछ शाखा प्रबंधक अहिन्दीभाषी हैं, फिर भी हिन्दी का प्रयोग निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, के क्षेत्रीय प्रबंधकों और स्टेट बैंक आफ इंदौर के शाखा प्रबंधक ने विशेष उत्साह से भाग लिया। जिन प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये उनका विवरण निम्नानुसार है :—

(1) स्टेट बैंक आफ इंडिया —अंतर बैंक कार्यान्वयन गोष्ठी

(2) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया—अंतर बैंक हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता

(3) स्टेट बैंक आफ इंदौर —अंतर बैंक हिन्दी काव्य प्रतियोगिता

(4) बैंक आफ इंडिया — हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता

(5) पंजाब नेशनल बैंक — अंतर बैंक निबन्ध प्रतियोगिता

(6) बैंक आफ महाराष्ट्र — अंतर बैंक लेजर प्रविष्टि प्रतियोगिता

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट तथा बैंकों के कार्य को देखकर यह बिल्कुल साफ है कि जबलपुर में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग के लिए सघन एवं प्रभावी प्रयास किये गये हैं तथा इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। विगत बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे, जिनको सभी बैंकों ने अपने स्तर से कार्यान्वित किया है। यह विशेष उत्साहजनक है। विगत बैठक में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से कहा गया था कि वे एक सर्व बैंक हिन्दी तार कार्यशाला का आयोजन करें। मुझे बतलाया गया कि इस कार्यशाला का आयोजन सम्बंधित बैंक द्वारा 3 जून 87 को रायपुर में किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उक्त कार्यशाला सभी के लिए बहुत उपयोगी रही होगी और हिन्दी में तार भेजने की दिशा में सघन प्रयास किये गये होंगे। आगे, सभी बैंकों को अंतर बैंक प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों का प्रमुख कार्य सेवाएं बेचना है, जब तक हम ग्राहकों की भाषा में कार्य नहीं करते हैं, तब तक उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने की बात केवल काल्पनिक हो सकती है। इस कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करें। उन्होंने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि जबलपुर में सेन्ट्रल बैंक इस समिति का संयोजन कर रहा है और अपने स्तर से हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करता है, तो अवश्य ही अन्य बैंक भी इसका अनुसरण करेंगे। हिन्दी के विकास के लिए टाइपिस्टों की व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बतलाया कि भारत सरकार द्वारा नयी भर्ती के लिए जो प्रतिबंध लगाये गए हैं उनके आधार पर बी. एस. आर. बी. से आने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या आवश्यकता से कम होती है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री हरिओम श्रीवास्तव से आग्रह किया कि वे हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की भर्ती के लिए विशेष कोटा दिलवायें, जिससे इस कार्य को और द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष ने बतलाया कि वे जब भी शाखाओं में व्यावसायिक निरीक्षण के लिए जाते हैं तो हिन्दी प्रयोग के संबंध में भी समुचित निरीक्षण करते हैं। परिणामस्वरूप शाखाएं हिन्दी कार्यान्वयन के लिए गंभीर हो

जाती हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः अधिकारियों को अपने व्यवसायिक निरीक्षण के साथ साथ हिन्दी प्रयोग का भी निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने पुनः समिति के कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया और सभी से आग्रह किया कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, अतः हम सभी को इसका शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत सरकार राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री हरि-ओम श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक शुभारंभ जिस वातावरण में हुआ और हिन्दी प्रयोग के लिए यहां जो रूचि दिखलाई गई है वह गौरव की बात है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यहां राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए सुझाव दिया जाना है। सभी से सुझाव आमंत्रित हैं, उसी आधार पर क्रियान्वयन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाती है। नगर के सभी कार्यालयों को अपने क्षेत्र की समेकित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल जबलपुर नगर की रिपोर्ट ही न प्रस्तुत करें। उन्होंने आगे कहा कि जबलपुर में राजभाषा प्रयोग-प्रचार के क्षेत्र में जो कार्य किये गये हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रत्येक कार्यालय की अपनी प्रोत्साहन योजनायें हैं और हमारी ओर से स्व. श्रीमती गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है, जिसे कार्यालयों/समिति के कार्यों के आधार पर प्रदान किया जाता है। उन्होंने प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ कार्यालयों द्वारा स्टाफ की कमी के साथ अपनी प्रगति 80–90 प्रतिशत के बीच दिखलाते हैं। इससे दो बातें स्पष्ट हैं या तो उनकी रिपोर्ट गलत है या फिर वे विशेष श्रम से कार्य करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर हैं। मेरा कहना है कि कार्यालय अपनी वास्तविक प्रगति ही दिखलायें। जिससे रिपोर्टों का सही मूल्यांकन सम्भव हो सके। सभी कार्यालयों को हिन्दी टाइप मशीन खरीदने के निर्देश दिये जा चुके हैं। अगस्त, 1987 के आदेशानुसार जब तक कार्यालय में उपलब्ध टाइप मशीनों की संख्या में हिन्दी टाइप मशीनों का प्रतिशत 50% नहीं हो जाता है तब तक अंग्रेजी टाइप मशीन नहीं खरीदी जानी चाहिए। जहां तक हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों के विशेष कोटे का प्रश्न है वैसी स्थिति में यह स्पष्ट हो चुका है जब तक हिन्दी टाइपिस्टों की संख्या 50% नहीं होगी तब तक अंग्रेजी टाइपिस्टों की भर्ती नहीं की जाएगी। धारा 3(3) के अनुपालन के सम्बंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बैंकों को इस नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। परिपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किये जाने चाहिए। अंग्रेजी में परिपत्र जारी करने के उपरान्त उसके हिन्दी पाठ को जारी करने से मात्र अधिनियम का पालन होता है पर वह उद्देश्यमूलक नहीं रह जाता। धारा 11 के सभी प्रलेख द्विभाषिक होने चाहिए, चाहे वे बोर्ड, नामपट्ट, विजिटिंग कार्ड या अन्य कोई संबंधित सामग्री हो। उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रत्येक स्तर पर हिन्दी के सतत् प्रयोग के लिए सघन प्रयास करने होंगे। हिन्दी को जन्म देने और आगे बढ़ाने में अहिन्दी भाषियों का प्रमुख योगदान है, हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों को अवश्य उपस्थित होना चाहिए। इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी की उपस्थिति का लाभ न प्राप्त होने पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सभी बैंकों को बैठक के निर्णयों का प्रभावी रूप से कार्यान्वित करते हुए उसकी कार्यवाही समयानुसार भेजनी चाहिए। यहीं पर उन्होंने सभी बैंकों से पुनः स्पष्ट आग्रह किया कि सभी बैंकों को अपनी तिमाही रिपोर्ट जनवरी एवं जुलाई के प्रारंभ में ही सचिवालय को भेज देनी चाहिए। जिससे समिति को समेकित रिपोर्ट तैयार करने में कोई कठिनाई न आये। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी बैंक सुझाव के अनुसार कार्य करते हुए हिन्दी प्रयोग के अभियान को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी न रखेंगे।

कार्यक्रम आबंटित करने के पूर्व सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि जो प्रतियोगितायें जैसे निबंध/सुलेख/कहानी आदि जो डाक द्वारा आयोजित की जा सकती हैं, उसमें जबलपुर जिले तक के कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये तथा अन्य प्रतियोगिताओं में जबलपुर नगर तक के कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाये।

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	हिन्दी में एक प्रश्न मंच (क्वीज प्रोग्राम) कार्यक्रम का आयोजन करेगा
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	अंतर बैंक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करेगा।
3. स्टेट बैंक आफ इंडिया	वेतनमान ii एवं iii के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिन्दी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता आयोजित करेगा
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेगा।
5. पंजाब नेशनल बैंक	अंतर बैंक हिन्दी सुलेख एवं प्रविष्टि लेखन प्रतियोगिता आयोजित करेगा
6. बैंक आफ इंडिया	बैंकों में हिन्दी पत्राचार प्रतियोगिता आयोजित करेगा (अंतर बैंक)
7. इंडियन ओवरसीज बैंक	अंतर बैंक हिन्दी अंग्रेजी शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित करेगा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मढ़ाताल एवं भेड़ाघाट शाखाओं को, बैंक आफ महाराष्ट्र एवं बैंक ऑफ इंडिया को उनकी अंतरिक शील्ड/ट्राफी प्राप्ति के लिए समिति की ओर से हार्दिक बधाई दी गई।

सदस्य सचिव द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा आंचलिक कार्यालय भोपाल से आये उप-मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री पी. एन. अवस्थी ने धन्यवाद

प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि को आश्वस्त किया कि जबलपुर नगर हिन्दी अभियान को चरम सीमा तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी न रखेगा।

अजमेर

दिनांक 21-3-88 को आयोजित 14वीं बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबन्धक श्री रमेश्वर दयाल ने बैठक में पधारे सभी सदस्यों विशेषकर गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से पधारे सहायक निदेशक डा. जोस आस्टीन का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने अजमेर स्थित सभी कार्यालयों में हिन्दी की ठोस पृष्ठ भूमि की चर्चा की और इस दिशा में उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग के लिए सभी विभागाध्यक्षों के प्रति अपना आभार प्रगट किया। अध्यक्ष श्री दयाल ने समिति को बताया कि सभी कार्यालयों के समन्वित प्रयास से हमारी समिति को वर्ष 1986–87 में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई है। इस प्रकार राजभाषा विभाग ने हिन्दी के प्रति हमारी निष्ठा को मान्यता प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी।

श्री दयाल ने समिति को बताया कि कुछ समय पूर्व इस समिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इसके नियंत्रण में 3 उप समितियां बनाई गई थीं और प्रत्येक उप समिति में लगभग 10–11 कार्यालयों को सम्मिलित किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि इन उप समितियों की बैठक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी जिसमें सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में जो कठिनाईयां आ रही हैं, उनके उपायों पर चर्चा की जा सके और उन सुझावों तथा समस्याओं पर मुख्य समिति की बैठक में चर्चा की जाए ताकि अन्य उप समितियां भी उससे लाभान्वित हो सकें। पिछली अवधि में उन उप समितियों की बैठकें आयोजित नहीं हुई हैं इसलिए श्री दयाल ने इन उप समितियों के सचिवों से अनुरोध किया कि भविष्य में इन उप समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें ताकि प्रत्येक कार्यालय की कठिनाईयों का हमें वास्तविक ज्ञान हो सके और उन्हें दूर करने के लिए कारगर कदम उठाये जा सकें। श्री दयाल ने तत्पश्चात डा. आस्टीन से अनुरोध किया कि वे राजभाषा नीति के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम सब उससे लाभान्वित हो सकें।

डा. जोस आस्टीन ने बताया कि भारत सरकार की भाषा नीति साम और दाम की है अर्थात हमें राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार दबाव की नीति से नहीं वरन प्रेम और सदभाव से करना है।

उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा उनके कार्यालय में आयोजित होने वाली तिमाही बैठक की सूचना हाल में ही खोले गये क्षेत्रीय कार्यान्वयन को निम्न पते पर अवश्य भिजसाने की व्यवस्था करें :—

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
राजभाषा विभाग, कमरा नं. 305
केन्द्रीय सरकारी कार्यालय परिसर
कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ. प्र.)

इसके पश्चात समिति के सचिव श्री आर. एन. शर्मा द्वारा विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट (1 अप्रैल, 87 से 30 सितम्बर, 87 की अवधि) की मदवार समीक्षा प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है :—

अनुबंध 'क'

1 अप्रैल, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 तक की स्थिति

क्रमांक	कार्यालय	मूल पत्र व्यवहार				धारा 3 (3) के कागजात				हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भेजे गए तार			
		कुल जारी पत्र	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत	कुल जारी कागजात	विभाषी हिन्दी	केवल अंग्रेजी	प्रतिशत	कुल जारी तार	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	मण्डल रेल प्रबंधक, प. रेलवे, अजमेर	9400	9223	77	99.7%	9036	9036	—	100	676	597	79	86.9
2)	मुख्य कारखाना प्रबंधक, प. रेलवे, अजमेर	348	283	65	81.3%	815	815	—	100	108	108	—	100
3)	उपमुख्य लेखाधिकारी (या लेखा) अजमेर	41115	34967	6148	85.1%	203	203	—	100	65	65	—	100
4)	उपभंडार नियंत्रक, प. रेलवे, अजमेर	8830	8054	776	91%	654	500	154	76.9	—	—	—	—
5)	उप निदेशक, लेखा परीक्षा, प. रेलवे, अजमेर	1224	712	512	58%	—	—	—	—	—	—	—	—
6)	महाप्रबंधक, एचएमटी, अजमेर												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7)	पुलिस उप महानिरीक्षक, के. रि. पु. बल	2588	656	1932	25.3%	39	27	12	70	—	—	—	—
8)	अपर पुलिस उप महानिरी. ग्रुप केन्द्र-1	13665	10450	3215	76.4%	2075	2075	—	100	—	—	—	—
9)	अपर पुलिस उप महानिरी. ग्रुप केन्द्र-2	10165	7905	2260	77.7%	—	नब्बे प्रतिशत	—	90	—	—	—	—
10)	महाप्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम	196635	144162	52474	73.3%	4277	4216	61	94	403	102	301	25.3
11)	भारतीय स्टेट बैंक, अजमेर												
12)	यूनियन बैंक आफ इंडिया, अजमेर	1216	987	229	81.2%	490	490	—	100	—	—	—	—
13)	यू. को. बैंक, अजमेर												
14)	बैंक आफ बडौदा, अजमेर	80955	58500	22455	72.2%	288	154	134	53.1	1452	648	804	44.6
15)	सहायक आयुक्त, आयकर, अजमेर												
16)	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, अजमेर												
17)	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	29398	13947	15451	47.4%	29398	13947	15451	47.5	89	65	29	73
18)	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भा. खान ब्यूरो	597	60	537	10.05%	11	03	08	27.3	—	—	—	—
19)	अयस्क प्रसाधन, भारतीय खान ब्यूरो	520	151	369	29.1%	81	57	34	65.5	—	—	—	—
20)	निदेशक, खान सुरक्षा, अजमेर												
21)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1806	841	965	46.6%	150	117	33	78	58	01	57	2
22)	प्रवर अधीक्षक, डाक घर, अजमेर	1426	1426	—	100%	—	—	—	—	10	10	—	100
23)	प्रवर अधीक्षक तार परियात, अजमेर												
24)	दूर संचार जिला अभियन्ता, अजमेर	6800	6000	800	88.23%	10	10	—	100	18	15	03	83
25)	अधीक्षक रेल डाक सेवा	90	90	—	100%	09	09	—	100	—	—	—	—
26)	स्टेशन इंजीनियर, आकाशवाणी	522	64	458	12.26%	46	30	16	—	11	—	11	00
27)	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, अजमेर	590	590	—	100%	—	—	—	—	—	—	—	—
28)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	1294	1185	109	91.6%	—	—	—	—	06	06	—	100
29)	राष्ट्रीय बचत योजना संगठन												
30)	प्रभारी अधिकारी, अनुश्रवण केन्द्र	677	594	83	87 7%	17	17	—	100	05	05	—	190
31)	भारतीय सर्वेक्षण पार्टी नं० 4	544	177	867	32.5%	—	—	—	—	01	—	01	00
32)	भारतीय सर्वेक्षण पार्टी नं० 58	681	109	572	16%	14	10	04	71	10	03	07	30
33)	केन्द्रीय पशु पंजीकरण विभाग, अजमेर	373	216	157	57.9%	—	—	—	—	10	03	07	30
34)	सहायक प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम												
35)	डिप्टी सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स आफिसर												

अनुबन्ध 'ख'

1 अप्रैल, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 तक की स्थिति

क्रमांक	कार्यालय का नाम	हिन्दी टंकण			हिन्दी आशुलिपि			टाइपराइटरों की स्थिति		
		कुल	प्रशिक्षित	शेष	कुल	प्रशिक्षित	शेष	कुल	देवनागरी	रोमन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	मंडल रेल प्रबंधक, प. रेलवे, अजमेर	19	19	—	15	9	6	69	36	33
2)	मुख्य कारखाना प्रबंधक, प. रेलवे, अजमेर	16	14	02	05	04	01	23	10	13
3)	उपमुख्य लेखाधिकारी (या. लेखा) अजमेर	09	09	—	03	01	02	15	05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4)	उपभंडार नियंत्रक, प. रेलवे, अजमेर	7	7	—	2	2	—	16	5	11
5)	उप निदेशक, लेखा परीक्षा, अजमेर	01	01	—	01	01	—	03	01	02
6)	महाप्रबंधक, एचएमटी, अजमेर									
7)	पुलिस उप महानिरीक्षक, के. रि. पु. बल	14	01	13	01	—	01	09	01	08
8)	अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र 1, के. रि. पु. बल	39	15	24	01	—	01	18	05	13
9)	अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र 2, के. रि. पु. बल	39	15	24	1	—	1	19	4	15
10)	महाप्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम	79	19	60	16	01	15	193	39	154
11)	भारतीय स्टेट बैंक, अजमेर									
12)	यूनियन बैंक आफ इंडिया, अजमेर	04	04	—	—	—	—	04	02	02
13)	यू. को. बैंक, अजमेर									
14)	बैंक आफ बड़ौदा, अजमेर	30	13	17	01	—	01	19	03	16
15)	सहायक आयुक्त, आयकर, अजमेर									
16)	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, अजमेर									
17)	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर	25	22	3	2	—	2	11	3	8
18)	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भा. खान ब्यूरो	—	—	—	01	01	—	04	—	04
19)	अयस्क प्रसाधन, भा. खान ब्यूरो	06	02	04	02	01	01	06	01	05
20)	निदेशक, खान सुरक्षा, अजमेर									
21)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अजमेर	04	04	—	01	—	01	13	06	07
22)	प्रवर अधीक्षक, डाकघर, अजमेर	1	1	—	1	—	1	3	1	2
23)	प्रवर अधीक्षक, सार परिवहन खंड, अजमेर									
24)	दूर संचार जला अभियन्ता, अजमेर	03	03	—	—	—	8	04	04	—
25)	अधीक्षक, रेल डाक सेवा जे डिवीजन	02	01	01	01	—	01	03	01	02
26)	स्टेशन इंजी., आकाशवाणी, अजमेर	02	01	01	01	—	01	05	02	03
27)	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, अजमेर	1	1	—	—	—	—	2	1	1
28)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	4	3	1	1	—	1	5	3	2
29)	राष्ट्रीय बचत योजना संगठन									
30)	प्रभारी अधिकारी, अनुश्रवण केन्द्र	—	—	—	—	—	—	01	01	02
31)	भारतीय सर्वेक्षण पार्टी नं. 4	5	5	—	—	—	—	4	1	3
32)	भारतीय सर्वेक्षण पार्टी नं. 58	—	—	—	—	—	—	3	1	2
33)	केन्द्रीय पशु पंजीकरण विभाग, अजमेर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34)	सहायक प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम									
35)	डिप्टी सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स आफिसर, अजमेर									

जयपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक 26 फरवरी 1988 को बैंक आफ बड़ौदा के संयोजकत्व में आयोजित हुई। भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव राजभाषा श्री बी.बी. महाजन मुख्य अतिथि थे। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के उप मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम, राजस्थान सरकार के भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री के अलावा सदस्य बैंकों के कार्यपालक एवं अधिकारियों सहित लगभग 75 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सदस्यों को संबोधित करते हुए, भारत सरकार के राजभाषा सलाहकार श्री महाजन ने कहा कि हिन्दी भाषी राज्यों में सारा काम हिन्दी में होना चाहिए तथा साहित्यिक

भाषा के बजाय बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपनी मानसिकता को बदलने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि हमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से प्राप्त सभी पत्रों का हिन्दी में ही जबाब देना चाहिए। हिन्दी भाषी क्षेत्र में यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भी प्राप्त होता है तो उसका जबाब भी हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकों को सुझाव दिया कि प्रोत्साहन योजना को अधिक उदार बनाया जाए ताकि अधिकाधिक लोग मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हिन्दी के प्रयोग के मामले में अच्छा उत्साह दिखाया है। उसी का फल है कि बैंकों में हिन्दी के काम की प्रगति काफी अच्छी है। बैंकों में कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए श्री महाजन ने बताया कि सितम्बर 1988 तक द्विभाषी सोफ्टवेयर उपलब्ध होने पर कम्प्यूटर भी हिन्दी में कार्य कर सकेंगे। "की बोर्ड" को मानकीकृत किए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं तथा इस संबंध में सी एम सी से बातचीत चल रही है। इसके अलावा साफ्टवेयर का विकास करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ के अधीन एक समिति गठित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के उप मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम ने बैंकों में हिन्दी के कार्य में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को इसके लिए पूर्ण सहयोग देने को तत्पर है।

राजस्थान सरकार के भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री ने सलाह दी कि हिन्दी के कार्य को एक मिशन के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

प्रारंभ में समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष, बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वि.जी. सुब्रमण्यन ने अतिथियों का स्वागत करने के पश्चात नगर राजभाषा समिति द्वारा प्रायोजित राजभाषा चल-वैजयन्ती योजना वर्ष 1986-87 के परिणामों की घोषणा की। इस वर्ष की प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंजाब नेशनल बैंक को चल वैजयन्ती प्रदान की गई एवं श्रेष्ठ कार्य के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र दिये गए।

(2) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में हिन्दी प्रयोग की समीक्षा

पिछली बैठक में व्यक्त किए गए सुझाव तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनुदेशों के अनुरूप उक्त मामला राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की स्टीयरिंग कमेटी की 86वीं बैठक में रखा गया था। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में वर्ष में कम से कम एक बार राजस्थान स्थित बैंकों में हिन्दी के प्रयोग में की जा रही प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा हिन्दी के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1988 से एक ट्राफी योजना भी शुरु की जा रही है, जिसके अन्तर्गत तीन ट्राफियां होंगी। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड सहित राज्य के सभी लीड बैंकों को शामिल करते हुए 9 बैंकों की एक उप समिति गठित की गई है।

सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया। यद्यपि केनरा बैंक के प्रतिनिधि का सुझाव था कि इस उप समिति में दक्षिण के एक बैंक को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इस पर समिति ने कहा कि इस सुझाव को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के पास सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु भेजा जाये।

(3) संगोष्ठी का आयोजन

समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 21-11-87 के दिन सभी बैंकों के लिए एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक, हिन्दी बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली मुख्य अतिथि थे। संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए सेंट्रल बैंक को बधाई दी जाती है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि अगली संगोष्ठी उनके द्वारा आयोजित की जाएगी तथा इसकी सूचना सभी सदस्य बैंकों को यथा समय दी जायेगी।

(4) हिन्दी दिवस का आयोजन : राजभाषा दिग्दर्शन प्रदर्शनी

इस वर्ष जयपुर नगर में स्थित सभी प्रमुख बैंकों द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष में सितम्बर माह की विभिन्न तिथियों को हिन्दी समारोहों का आयोजन किया गया। नाबार्ड एवं एस.बी.बी.जे. द्वारा अन्तः बैंक प्रतियोगिताएं तथा अन्य बैंकों ने अपने स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, यथा निबंध प्रतियोगिता वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा भाषा विभाग, राजस्थान सरकार के संयोजकत्व में 14 और 15 सितम्बर को "राजभाषा दिग्दर्शन" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न बैंकों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों ने भाग लिया था। जयपुर शहर में प्रथम बार आयोजित यह प्रदर्शनी काफी लोकप्रिय रही।

(5) समिति को सूचित किया गया कि बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा की फीस तथा सी.ए.आई.आई.बी. भाग-1 व 2, परीक्षाओं के पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त सुझाव आवश्यक कार्यवाही हेतु भारतीय बैंकर्स संघ के पास भेज दिए गए हैं।

स्थानीय आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से हिन्दी प्रयोग पर वार्ताएं

समिति को सूचित किया गया कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा से प्राप्त उक्त सुझाव को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र को भेजा गया था। दोनों ने यह आश्वासन दिया है कि इस विषय पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

दिसम्बर 1987 को समाप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा

समिति के सदस्य सचिव श्री डी.एम. जैन ने विभिन्न बैंकों से प्राप्त तिमाह प्रगति रिपोर्ट (दिसम्बर 1987 को समाप्त) की, बैंकवार समीक्षा प्रस्तुत की, जो निम्नानुरुप है :—

(1) कुल 27 सदस्य बैंकों में से 24 बैंकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, विजया बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर एण्ड जयपुर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(2) धारा 3(3) का अनुपालन :

इण्डियन बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, सिण्डिकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट में इस मद से संबंधित आंकड़े नहीं दिये हैं, शेष बैंकों में शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है।

(3) **हिन्दी पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर**

इण्डियन बैंक द्वारा 25 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में बैंक को हिन्दी में ही पत्रोत्तर करना चाहिए। देना बैंक, सिण्डिकेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने इस मद से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया है।

80 प्रतिशत से अधिक :	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स।
60 से 79 प्रतिशत	न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा।
40 से 59 प्रतिशत :	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र।
20 से 39 प्रतिशत	केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक
11 से 19 प्रतिशत	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10 से कम प्रतिशत	इण्डियन बैंक, कारपोरेशन बैंक, आन्ध्र बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 100% तार हिन्दी में

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने शत-प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे हैं। नाबार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक ने 90 प्रतिशत से अधिक तार भेजे हैं। जिन बैंकों ने 25 प्रतिशत से कम तार हिन्दी में भेजे हैं उन्हें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए।

बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिन्दी तार एवं पत्राचार के प्रतिशत में कमी के मूल कारण प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव, अहिन्दी भाषी अधिकारियों का होना, प्रधान/प्रमुख कार्यालयों से मूलतः अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार होना तथा मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसाय अंग्रेजी में होना कारण बताएं।

सदस्य बैंकों के सुझावों पर विचार-विमर्श

बैठक में विभिन्न बैंकों से पूर्व में प्राप्त निम्न सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए जो निम्नानुरूप हैं :—

(1) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

राजभाषा चल वैजयन्ती पुरस्कार योजना के लिए गठित उपसमिति के सदस्यों मे परिवर्तन

इस पर निर्णय लिया गया कि भविष्य में राजभाषा चल वैजयन्ती पुरस्कार योजना के लिए गठित उप-समिति में निम्न बैंक एवं राज्य सरकार का भाषा विभाग सदस्य के रूप में होंगे :—

1 भारतीय रिजर्व बैंक, 2. नाबार्ड, 3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 4. भाषा विभाग का एक प्रतिनिधि 5. बैंक ऑफ बड़ौदा (संयोजक)। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि भा. औ. वि. बैंक व नाबार्ड उक्त प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे।

(2) **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**

अक्सर यह देखा जाता है कि तार सन्देश रोमन में लिप्यान्तरित करके पहुंचाया जाता है, अतः

डाक तार विभाग के किसी उच्च अधिकारी को इस समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाए :—

—इस पर अधिकांश बैंकों की राय थी कि ऐसा बहुत ही कम होता है। अतः निर्णय लिया गया कि इस समिति में डाक तार विभाग के किसी उच्च अधिकारी को आमंत्रित करना युक्ति-संगत नहीं होगा। किसी बैंक विशेष को यदि इस तरह की शिकायत है तो वे अपने स्तर पर डाक तार विभाग के उच्चाधिकारियों से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। महज इस मुद्दे के लिए डाक तार विभाग के उच्चाधिकारियों का इस बैठक, जो कि पूर्णतः बैंकों के लिए है, आमंत्रित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

विकास बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत विकास बैंक को अपना आवेदन फार्म हिन्दी में प्रस्तुत करना :—

—इस सुझाव पर आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में बैंकों द्वारा बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत विकास बैंक को आवेदन फार्म हिन्दी में ही प्रस्तुत किए जाएंगे।

सैंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया

पिछली बैठक में कार्यशाला की सामग्री को मानकरूप देने के बारे में जानकारी:—

यह सुझाव व्यक्त किया गया कि कार्यशाला सामग्री को मानकीकृत करने का काम बैंक उद्योग के स्तर पर किया जाना चाहिए। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय

यह निर्णय लिया गया कि जयपुर स्थित बैंकों में गहन पाठ्यक्रम हेतु अधिकारियों की संख्या प्राप्त कर, संयोजक बैंक, इसकी सूचना राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेगा, ताकि जयपुर में गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजित करने के बारे में राजभाषा विभाग को समुचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगा।

(2) बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि का सुझाव था कि गहन पाठ्यक्रम के स्थान पर पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए अधिकारियों को नामित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।

—इस सुझाव से सहमत होते हुए समिति ने कहा कि बैंक, पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए भी अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण

अधिकतर सदस्य बैंकों की यह राय थी स्थानीय हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्र द्वारा हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया समय बैंकों के लिए अनुकूल नहीं है।

इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के बाद सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने हिन्दी शिक्षण योजना के स्थानीय प्रतिनिधि को यह सूचित किया कि बैंकों के लिए हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए सायं 4 से 5 बजे का समय निर्धारित किया जाये तथा इसकी सूचना सभी बैंकों को दी जायें। सचिव महोदय ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे इस सुविधा का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।

सदस्यों के अनुरोध पर यह भी स्वीकार किया गया कि राजस्थान में परीक्षा केन्द्रों की संख्या, आवश्यक हो, तो बढ़ा दी जायगी तथा वर्तमान में जहां परीक्षा केन्द्र हैं, उनकी सूची सदस्य बैंकों को भिजवा दी जायेगी।

इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) डा. सोहन शर्मा ने बताया कि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। समिति के सदस्य-सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री डी.एम. जैन ने बैठक का संचालन किया तथा विभिन्न बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी प्रस्तुत की। अंत में प्रबंधक (राजभाषा) श्री उमाकांत स्वामी ने धन्यवाद दिया।

लखनऊ (बैंक)

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ की अर्द्धवार्षिक बैठक, श्री विनोद कुमार मेहरोत्रा, महाप्रबन्धक (योजना), भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 को सम्पन्न हुई।

श्री सुरेश चन्द्र पंत, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सुझाव दिया कि यदि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन अग्रणी बैंक द्वारा ही किया जाए तो आयोजित बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आसान होगा तथा शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति भी लाभप्रद रहेगी। यह सुझाव दिया गया कि कानपुर एवं इलाहाबाद नगरों में आयोजित होने वाली बैठकों की सूचना अग्रणी बैंक के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि संयोजक बैंक की बैठक आयोजित करने में सहयोग मिल सके। एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि तीन नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप की गयी है।

तत्पश्चात हिन्दी टंककों की समस्या दूर करने के लिए सदस्य सचिव ने कहा कि उन्होंने सदस्यों से ऐसे टंककों जिन्हें हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना है, की सूचना प्रेषित करने को कहा था, किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक इस संबंध में किसी ने भी यह सूचना नहीं दी है,

यू.को. बैंक के प्रतिनिधि ने अपना मत प्रकट किया कि हिन्दी टंकण सीखने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं ऐच्छिक होने के कारण आशातीत रूप से प्रभावी नहीं है। उन्हें अनिवार्य होना चाहिए। अतः इस समिति के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में टंककों द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ टंकण किये जाने पर मासिक भत्ता (आशुलिपिकों हेतु 30/- हिन्दी तथा टंककों हेतु 20/– प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है:

सदस्य सचिव ने सदस्यों से अपने कार्यालय की त्रैमासिक विवरणी भेजने को कहा। हिन्दी में कार्य बढ़ाने हेतु उपायों पर विचार के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न बैंकों की स्थिति जानने की जिज्ञासा प्रकट की।

अधिकांश सदस्यों ने अपना मत प्रकट किया कि संपूर्ण कामकाज हिन्दीमें करने हेतु चयनित शाखाओं से उनके नियंत्रक कार्यालयों द्वारा पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाता है जिसके कारण चयन का उद्देश्य ही स्वतः समाप्त हो जाता है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी, हिन्दी टंकक अपेक्षित मात्रा में नियुक्त किए जाने चाहिएं ताकि इस समस्या का निदान हो सके।

बैंक आफ बड़ोदा के प्रतिनिधि ने सुझाव प्रकट किया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि भविष्य में अंग्रेजी टंकण यंत्र नहीं खरीदें जाएंगे। इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त टंककों से यह वचन पत्र लिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण के पश्चात कम से कम एक साल तक वे हिन्दी टंकण कार्य करेंगे।

इसी चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें राजभाषा कार्य की प्रगति हेतु प्रोत्साहनात्मक उपाय पर विचार करना चाहिए न कि प्रताड़नात्मक उपायों पर। विभिन्न बैंक अपनी आवश्यकतानुसार टंककों की नियुक्ति तथा टंकण यंत्रों का क्रय करते हैं।

बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रकाशन "हिन्दीदिग्दर्शन-परीक्षा विशेषांक द्वारा बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने में निःसन्देह बड़ी सहायता मिली है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पुस्तिका को अद्यतन बनाकर समूल्य सभी बैंकों को विक्रय किए जाने से बैंक कर्मियों, अधिकारियों को बहुत लाभ होगा।

हिन्दी पदों के सृजन की स्थिति पर चर्चा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि श्री भटनागर ने बताया कि उनके बैंक में प्रत्येक शाखा में कार्यरत स्टाफ में से किसी कर्मचारी/अधिकारी को ही "मानसेवी हिन्दी प्रतिनिधि" के रूप में नामित कर लिया जाता है जो अपने कार्य के साथ-साथ राजभाषा संबंध कार्य भी करता है इससे शाखा में अतिरिक्त हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की समस्या का समाधान हुआ है।

श्री जय प्रकाश शर्मा, बैंक आफ बड़ोदा ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से नगर में अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य बैंकों से कहा कि वे उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु बैंक के स्टाफ की संख्या इस समिति के सदस्य सचिव को अवगत करा दें ताकि इस विषय में समुचित व्यवस्था की जा सके।

मंडल रेल कार्यालय, हुबली

(दक्षिण मध्य रेलवे)

दिनांक 24-12-87 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53 वीं बैठक के प्रारंभ में दिवंगत श्री एम.जी. रामचन्द्रन को 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। श्री एस.ए. मल्लिक, मं. रे.प्र./अध्यक्ष छुट्टी पर होने के कारण श्री प.कृ. भट ने बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए निम्नलिखित मदों की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया :

1.1 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में हुई प्रगति पर प्रसन्नता प्रकट की। शतप्रतिशत जारी करने के बारे में कुछ अधिक पदों की आवश्यकता के बारे में सभी का ध्यान आकृष्ट किया।

सर्व संबंधित

1.2 शेष कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण शीघ्र पूरा करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।

1.3 पत्रिका का अगला अंक फरवरी 1988 के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया जाये।

मद सं. : 2 : सदस्यों ने दिनांक 25-9-1987 पिछली बैठक के कार्य वृत्त की पुष्टि की तदनन्तर सदस्य सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

"क" तथा "ख' क्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिन्दी में प्रदर्शित करना :

फिलहाल इस मंडल पर 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिन्दी में भी प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

मद सं. 4: सर्व संबंधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन :

आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अनुपालन का प्रतिशत 83.47 रहा जब कि पिछली तिमाही में इसका 82.47 प्रतिशत था।

	30-6-87 को समाप्त तिमाही			30-9-87 को समाप्त तिमाही		
	कुल	द्वि-भाषिक रूप में	प्रतिशत	कुल	द्वि-भाषिक रूप में	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
कार्मिक शाखा:	379	364	91%	444	409	92%
वाणिज्य शाखा:	233	179	76%	241	191	79%
अन्य शाखाएं:	574	441	76%	606	477	78%

सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि, वे हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रलेख हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी किये जा रहे हैं।

देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था : इस मंडल के 20 कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों की सप्लाई व्यवस्था की जा चुकी है। केवल मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय में ही देवनागरी टाइपराइटर की सप्लाई व्यवस्था करानी है।

"क" और "ख" क्षेत्र में स्थित स्टेशनों के लिए हिन्दी में पास जारी करना :

	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
क. 'क' और 'ख' क्षेत्र के लिए जारी किए गए	1,575	1,590
ख. हिन्दी में पास	1,330	1,387
ग. प्रतिशत	84%	87%

इस मंडल पर लगभग 250 यूनिटें हैं जहाँ से पास जारी किये जाते हैं। इनमें से फिलहाल 30 यूनिटों में हिन्दी में पास जारी किये जा रहे हैं।

4.3 अधिसूचित कार्यालय : राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 10 के अनुसार इस मंडल के निम्नलिखित 6 कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है। 1. स.मं.चि. धि./धोरपड़ी 2. बेलगाम, 3. होसपेट, 4. गदग, 5. सईजी, बेलगाम, 6. स्टेधी/राजपत्रित/हुबली.

इन कार्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट कार्य विवरण भी भेज दिया गया है। इसके अनुपालन के लिए कार्रवाई जारी है।

4.4 फाइलों और रजिस्टरों पर विषय हिन्दी में लिखना :

	फाइल	रजिस्टर
कुल सं.	12,237	2,843
द्विभाषिक रूप में	12,237	2,848
शेष	—	—

सभी शाखाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मंडल पर प्रयोगाधीन सभी फाइलों और रजिस्टरों पर हिन्दी में विषय लिखने का काम पूरा हो गया है। फिर भी सभी शाखा अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि, जब भी कोई नई फाइल या रजिस्टर खोला जाए तो हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की सहायता से विषय हिन्दी में लिखा लिया जाये और जहां ऐसी सुविधा न हो हिन्दी अनुभाग से संपर्क किया जाए।

4.5 दौरा कार्यक्रम : आलोच्य तिमाही के दौरान कुल 114 दौरा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं, जिन में से 62 दौरा कार्यक्रम हिन्दी में तैयार किये गये हैं।

विभागीय अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों में हिन्दी से संबद्ध विषयों को सम्मिलित करना :

आलोच्य तिमाही के दौरान 171 निरीक्षण किये गये हैं, जिनमें से 7 निरीक्षणों में हिन्दी से संबंधित मदों को शामिल किया गया है।

मु.रा.धि./अ.महा.प्र./सिकन्दराबाद ने बताया कि, निरीक्षण में शामिल किये जाने वाले मदों की सूची तैयार कर के सभी अधिकारियों को परिपत्रित करने का काम सुनिश्चित किया जाए।

हिन्दी प्रशिक्षण :

	कुल	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण के लिए शेष
राजपत्रित	83	50	33
प्रशासनिक	624	563	61
लाइन/परिचालन	6,166	3,478	2,688
कुल	6,873	4,091	2,782

नवम्बर 1987 में आयोजित प्रवोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है:—

	प्रशासनिक			परिचालन		
	फार्म भरे	परीक्षा में बैठे	प्रतिशत	फार्म भरे	परीक्षा में बैठे	प्रतिशत
प्रवोध	18	15	83%	71	30	42%
प्रवीण	08	07	80%	27	12	44%
प्राज्ञ	16	13	81%	20	09	45%
कुल	42	35	83%	118	51	43%

इस प्रकार कुल 160 में से 86 कर्मचारी एवं अधिकारीगण परीक्षा में उपस्थित रहे। इस प्रकार उपस्थिति का प्रतिशत 63% रहा। परीक्षा में अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि, जनवरी 1988 से आरम्भ की गयी कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा किया जा सके।

मद सं: 6 : पत्राचार पाठ्यक्रम : महाप्रबन्धक के निदेशानुसार 1-1-1988 से आरम्भ होने वाले पत्राचार पाठ्यक्रम का खूब प्रचार किया गया ताकि अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। अधिक संख्या में कर्मचारियों से फार्म भराये जा रहे हैं।

हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण :

कुल टाइपिस्टों की संख्या	हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित	प्रशिक्षण के लिए शेष
32	21	10

जनवरी 1988 में होने वाली परीक्षा के लिए 4 टाइपिस्टों ने फार्म भरे हैं।

श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/1/सिकन्दराबाद ने बताया कि सइंजी/क्लेसराक, बल्लारो, बिजापुर, पूना, बेलगाम में कार्यरत टाइपिस्टों को महीने में तीन बार मंडल कार्यालय बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने कार्यालय में मौजूद टाइपराइटर पर अभ्यास कर सकें।

मूल पत्राचार : 'ख' क्षेत्र के लिए :—

	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
कुल पत्र	1,358	1,415
हिन्दी में	1,075	1,109
अंग्रेजी में	285	306
प्रतिशत	79%	78.5%

'ग' क्षेत्र के लिए

	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
कुल पत्र	2,834	2,901
हिन्दी में	871	893
अंग्रेजी में	1963	2,008
प्रतिशत	30%	30.7%

इस संबंध में मु.रा.शि./अ.महा.प्र./सिकन्दराबाद ने उपमुख्य राजभाषा अधिकारी/अ.मं.रे.प्र.) हुबली को अनुरोध किया कि रुटीन टाइप के पत्रों को सभी शाखाओं से एकत्रित करके उन्हें द्विभाषी रूप में बनाकर सर्व संबंधितों को भेज दें ताकि इसमें तेजी लाई जा सकें।

हिन्दी में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी :

फिलहाल इस मंडल पर कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में से 20 अधिकारी और 50 कर्मचारी अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं।

10.1 हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों की सेवाओं का उपयोग :

अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार इस मंडल पर प्रशिक्षित टाइपिस्टों को टाइपिंग ज्ञान बनाए रखने के लिए प्रत्येक महीने की पहली, ग्यारहवी, और इक्कीसवीं तारीखों में बारी बारी से एक घण्टे के लिए हिन्दी टंकण अभ्यास के लिए हिन्दी अनुभाग में बुलाया जा रहा है।

10.2 संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण दौरा :

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने दिनांक 16-6-1988 को मंडल कार्यालय, हुबली का निरीक्षण किया था। उक्त समिति के साथ बैठक में कुछ आश्वासन दिये गये थे। जिन पर अब तक की गयी कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है :—

संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन	अब तक की स्थिति
1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा।	1. 30-6-87 को समाप्त तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 22 प्रतिशत दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किए गए थे। 30-9-87 को समाप्त तिमाही के दौरान 83.4% दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किये गए हैं। इसमें 61.4% की वृद्धि हुई है।
2. जो कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित नहीं, उन्हें जल्दी ही प्रशिक्षित किया जायेगा।	2. 30-6-82 को समाप्त तिमाही में 252 कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित किये जाने शेष थे। 30-9-87 को समाप्त तिमाही में केवल 61 कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाने शेष हैं।

3. हिन्दी में अधिक काम बढाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को जल्दी ही नियुक्त किया जायेगा ।	3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और कार्यान्वयन का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी सहायकों के 6 पदों और हिन्दी टाइपिस्टों के 2 पदों का औचित्य व मं.मं ले.धि० की सम्मति से प्रधान कार्यालय को भेजा गया है । वहां से अगली कार्रवाई प्रतीक्षित है ।
4. सभी पत्रों के शीर्ष, रबड़ की मोहरें, नाम प्लेट और नाम बोर्ड द्विभाषी रूप में तैयार किये जायेंगे	4. समिति के निरीक्षण के समय 68% रबड़ की मोहरें द्विभाषिक रूप में थी, फिलहाल सभी रबड़ की मोहरें, लैटर हैड, नेम-प्लेट और नाम बोर्ड यथा अपेक्षित त्रिभाषी और द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।
5. विभागीय लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा लिखने का विकल्प दिया जाएगा	5. संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के अनुसार श्रेणी-IV से श्रेणी-III में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाते है।

टिप्पणी : कार्यालयों को चाहिए कि बैठकों में इस तरह सब विषयों पर चर्चा करें तथा विवरण दें। —सम्पादक

दि मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

एम एम टी सी के गोवा क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दि. 28-12-87 को प्रभागीय प्रबन्धक श्री चन्द्रन डेनियल की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा तथा सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श के बाद उसकी पुष्टि की गयी । हिन्दी कक्षाओं के बारे में सदस्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा हिन्दी प्राध्यापक की नियुक्ति न होने के कारण हिन्दी की कक्षाएं स्थगित हुई हैं । उन्होंने कहा कि वास्को केन्द्र के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी हिन्दी अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि उपनिदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग को यह सूचित किया जाए कि हिन्दी प्राध्यापक के बिना वास्को केन्द्र में हिन्दी कक्षाएं बंद हो जाएंगी । इस संबंध में सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रयत्न जारी है।

रबड़ की मोहरें तथा स्टेशनरी की छपाई के बारे में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जानकारी मंगवाई गयी है तथा नयी रबड़ की मोहरें तथा स्टेशनरी द्विभाषिक रूप में बनवाने के लिए आदेश दिए गए हैं।

कार्यालय के नाम पटों के बारे में सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि अधिकारियों के नामपटों के अक्षर कहीं छोटे और कहीं बड़े बनवाए गए हैं अतः एक ही आकार के नाम पट बनाए जाएं तो ठीक रहेगा । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उप प्रभागीय प्रबन्धक (प्रशासन) को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए । कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला एवं हिन्दी दिवस के आयोजन के बारे में सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया गया कि हिन्दी कार्यशाला का आयोजन जनवरी 88 में होगा ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : कोचीन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कोचीन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1988 की पहली तिमाही बैठक 29-2-1988 को मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । श्री विनोद कुमार अग्रवाल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, कोचिन ने बैठक की अध्यक्षता की ।

राजभाषा शील्ड

समाहर्तालय को 1986-87 के हिन्दी काम के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान की गई राजभाषा शील्ड सहायक निदेशक (रा. भा.) ने समाहर्ता श्री अग्रवाल को भेंट की ।

3. पिछले निर्णयों पर की गई कार्रवाई :

3.1. सभी सदस्यों ने इस बात को पुष्टि कर ली कि उनके अपने कार्यभार के अधीन, निर्धारित कार्यमदों के लिए द्विभाषिक मसौदों का प्रयोग किया जा रहा है।

3.2 सभी अनुभागों के उपस्थिति रजिस्टरों में नाम हिन्दी में भी लिखे जा रहे हैं। सदस्यों को बताया गया कि हिन्दी में उपस्थिति लगाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।

3.3 सभी स्थापना आदेशों को हिन्दी में भी जारी किया जा रहा है। प्रशासन अधिकारी (मुख्यालय) को निर्देश किया गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि फाईल में अंग्रेजी प्रति के साथ-साथ हिन्दी प्रति भी रखी जाए ।

3.4. ग्रुप क और ख के अधिकारियों के लिए 12-1-88 से चार दिन तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 15 अधिकारियों ने भाग लिया।

3.5. कुछ सामान्य रजिस्टरों के नामों की एक द्विभाषिक सूची परिचालित कर दी गई है। सदस्यों को निर्देश दिया गया कि वे सभी रजिस्टरों के नाम और शीर्षक द्विभाषिक रूप में लिखा करें तथा फाईल कवरों पर विषय हिन्दी में भी लिखने की कोशिश करें जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो सहायक निदेशक (रा. भा.) की सहायता ली जा सकती है।

3.6 यह बात दुहराई गई कि आकस्मिक छुटटी के आवेदन हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया जाए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

पिछली दो तिमाहियों की रिपोटों में प्रस्तुत किए गए आँकडों से पाया गया कि क्षेत्र 'क' और 'ख' को भेजे गए द्विभाषिक पत्रों को प्रतिशतता में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

सभी स्थापना और स्वीकृति आदेश हिन्दी में भी जारी किए गए हैं।

फाईलों में हिन्दी का प्रयोग

यह बताया गया कि यद्यपि कई कार्यमदों के लिए द्विभाषिक मसौदों को जारी किया जा रहा है, फिर भी फाईलों में टिप्पणी लिखने के लिए हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सहायक समाहर्ता (का. व. स्था) ने सुझाव दिया कि फाईल में अंकन हिन्दी में किया जा सकता है तथा टिप्पणी के आखिरी छोटे छोटे वाक्य हिन्दी में लिखे जा सकते हैं।

यह सूचित किया गया कि ग्रुप 'क' के अधिकारी लगभग 25% काम हिन्दी में कर रहे हैं।

सहायक-साहित्य : सूचित किया गया कि निरीक्षण महानिदेशालय से प्रकाशित "अंग्रेजी— हिन्दी सहचर" की कई व्यक्तियों ने मांग की है। यह निर्णय किया गया कि कुछ उपयोगी शब्दों और वाक्यों के कुछ पृष्ठों की फोटो प्रतियां लेकर आवश्यकतानुसार बाँटी जाएं।

हिन्दी टाईपराईटर: यह निर्णय लिया गया कि एक चरण बद्ध योजना के अनुसार डिवीजनों को एक-एक हिन्दी टाईपराईटर देने की व्यवस्था की जाएं।

हिन्दी पदों का सृजन : हिन्दी पदों की स्वीकृति के लिए बोर्ड को अनुस्मारक पिछली बार 16-11-87 को भेजा गया है।

हिन्दी टाईपिंग के लिए मानदेय: यह सुझाव दिया गया कि हिन्दी टाईपिंग काम के लिए कुछ मानदेय देने की, शीघ्र ही व्यवस्था की जाएं।

हिन्दी कार्यशाला : सुझाव दिया गया कि डिवीजनों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय तौर पर कोचिन में एक कार्यशाला आयोजित की जाए। अध्यक्ष ने बताया कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। इस के बदले, डिवीजन कार्यालयों में ही एक/दो पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है जिनमें डिवीजन के अधिक से अधिक अधिकारी भाग ले सकते हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण : यह बताया गया कि 10 अधिकारी हिन्दी प्राप्त कक्षाओं में और 2 अवर लिपिक हिन्दी टाईपिंग केन्द्र में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

द्विभाषिक स्टेंसिल : सूचित किया गया कि चालू तिमाही के दौरान डिवीजनों/अनुभागों को 34 द्विभाषिक स्टेंसिल सप्लाई किए गए हैं। सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अधिक से अधिक मसौदों/फार्मों को द्विभाषिक करवा लें। यह निर्णय हुआ कि निम्नलिखित फार्मों/पत्रों को तत्काल ही द्विभाषिक करवाया जाए।

1. छुटटी स्वीकृति आदेश

2. मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति

3. वेतन व लेखा अधिकारी की तरफ से भेजे जाने वाले आवरण पत्र और अनुस्मारक

4. अन्तिम निर्धारण रिपोर्टों के आवरण पत्र

5. निर्यात दावे से भेजा जानेवाला घटौती स्वीकृति पत्र

6. दस लाख और उससे अधिक के अभिग्रहण से सम्बंधित रिपोर्ट

7. तकनीकी अनुभाग के अग्रेषण पत्र।

पैट्रोफिल्स को आपरेटिव लि. गुजरात

दिनांक 18-11-1987 को कान्फ्रेन्स रूम में पेट्रोफिल्स राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 15-वीं बैठक श्री जे. वि. जोशी, निदेशक (परिचालन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

श्री आनन्द शर्मा, सदस्य सचिव ने पिछली बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत किया, सभी सदस्यों ने कार्यवृत का अनुमोदन किया। श्री शर्मा ने बताया कि पिछली बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विज्ञापनों, टेण्डरों आदि को द्विभाषी रूप में निकालना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में श्री शर्मा ने बताया कि प्रशासन विभाग से सम्पर्क करने पर पता चला कि कुछ समाचार-पत्र ही हिन्दी

में टेण्डर/विज्ञापन निकालने को तैयार है और अन्यों के लिए श्री जोशी जी ने कहा कि उनका ब्लाक बनवाकर प्रेसों में भिजवाया जाए इसके लिए श्री शर्मा को कार्यवाही करने के लिए कहा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के नए परिपत्र के बारे में, जो यान्त्रिक उपकरणों के बारे में है, के तथ्यों को सभी सदस्यों के समक्ष रखते हुए श्री शर्मा ने बताया कि राजभाषा नीति के अनुसार इन्हे खरीदने की एक वैधानिक आवश्यकता हो गई है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेना है ताकि हम भी अपनी सोसायटी में इलेक्ट्रानिक टाईपराईटर्स कम्पयुटर्स आदि द्विभाषी रूप में खरीद लें। इस विषय में श्री जोशी ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व ही "साफ्ट वेयर" कम्प्यूटर्स का डिमान्स-ट्रेशन किया गया था वह द्विभाषी रूप में हैं। अत: यदि यह लाभप्रद हो और वैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता हो तो साफट वेयर आदि खरीदने की व्यवस्था कर लें। इलैक्ट्रानिक टाईपराईटर्स को खरीदने के लिए बाद में विचार किया जायेगा। सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि वर्ष 1985-86 के "हिन्दी बजट" प्रावधान के अन्तर्गत रु., 5,000/—मूल्य की पुस्तकें खरीदी जानी थी जिसमें से हमें दिल्ली शाखा कार्यालय के श्री रावत लेखाधिकारी के माध्यम से केवल रु. 3,249/— मूल्य की पुस्तकें ही प्राप्त हुई हैं। शेष पुस्तकों के लिए हम कई बार श्री रावत को स्मरण-पत्र लिख चुके हैं लेकिन वहां से इस विषय में कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर श्री जोशी ने श्री शर्मा को कहा कि वे इस विषय में शीघ्र ही श्री रावत एवं सम्बन्धित बुक डिपो से सम्पर्क करके शेष पुस्तकें मंगवायें। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (मुख्यालय) नागपुर

नागपुर समाहर्तालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 31-12-87 को श्री वी. नंद, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर, की अध्यक्षता में समिति की बैठक संपन्न हुई।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि समाहर्तालय में हिन्दी मूलपत्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अध्यक्ष ने कहा कि प्रगति बनाए रखी जाए।

द्विभाषिक कागजात :—

द्विभाषिक + हिन्दी	96	59
अंग्रेजी	—	—
द्विभाषिक + हिन्दी का %	100	100

मद संख्या 3

वार्षिक कार्यक्रम 1987-88 का कार्यान्वयन

सचिव द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 1987—88 की विभिन्न मदों के आँकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए:—

मूलपत्र:

	1986—87 (30-9-86 तक)			
	हिन्दी	अंग्रेजी	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
क तथा ख क्षेत्र राज्य सरकारों को	23	3	40%	90
क. तथा ख क्षेत्र केन्द्रीय कार्यालयों को	7567	10359	50%	42.2
ग क्षेत्र केन्द्रीय कार्यालयों को	20	—	10%	100

	1987—88 (30-9-87 तक)			
	हिन्दी	अंग्रेजी	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
क.तथा ख क्षेत्र राज्य सरकारों को	55	11	40%	83%
क तथा ख क्षेत्र केन्द्रीय कार्यालयों को	9656	8136	50%	53.7%
ग क्षेत्र केन्द्रीय कार्यालयों को	29	—	10%	100%

(2) हिन्दी पत्र : 1986—87 (30-9-86 तक)

		निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
प्राप्त	6420		
हिन्दी में उत्तर	2014	100%	100%
अंग्रेजी में उत्तर	•		

(3) हिन्दी कार्यशालाएं (लक्ष्य 4)—: सचिव ने सूचित किया कि दिनांक 30-11-87 तक मुख्यालय में 2 तथा चंद्रपुर प्रभाग में, हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई वर्ष की चौथी तथा अंतिम कार्यशाला अमरावती प्रभाग में, जनवरी, 1988 में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे अध्यक्ष ने अनुमोदन प्रदान किया।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि प्रभागीय कार्यालयों रेंजों पर निरीक्षण रिपोर्टें जारी कर दी गई है।

(4) हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन (लक्ष्य–वर्ष में एक बार) :— अमरावती प्रभाग में 10-8-87 से 14-8-87 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

मद सं. प्रशिक्षण 4 (30–11–87 की स्थिति)

सचिव ने समिति को बताया कि समाहर्तालय में कुल 32 निम्न श्रेणी लिपिक तैनात हैं। ये नीचे लिखे अनुसार हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं :—

	कुल संख्या	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले	जनवरी, 1988 परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत
मुख्यालय	20	2	11	8
नागपुर 1	4	1	3	3
नागपुर 2	4	2	2	2
अमरावती	1	—	—	1
चंद्रपुर	3	—	2	2
	32	5	18	16

मुख्यालय के 2 तथा प्रभागीय कार्यालयों के 4 निम्न श्रेणी लिपिक जनवरी, 1988 में आयोजित हिंदी टाईपिंग परीक्षा दे रहे हैं।

बैंक में सूचनाएं देने की अनुकरणीय व उल्लेखनीय पद्धति

मद सं. 6 हिन्दी टाइपराइटर

समाहर्तालय में इस समय कुल 18 देवनागरी टाइप राइटर उपलब्ध है जो वर्ष 1975 के आसपास खरीदे गए थे। इनमें के अधिकांश खराब हो चुके हैं। समाहर्तालय में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए कछ नए देवनागरी टाइपराइटरों का खरीदा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि अगले वित्त वर्ष में देवनागरी टाइपराईटरों की खरीद के लिए मांगपत्र भेजा जाए साथ ही टाइपराइटरों की मरम्मत करने के भी प्रयत्न किए जाएं ताकि टाइपराइटरों का अभाव हिन्दी कार्य की प्रगति में बाधक न हो।

महाप्रबन्धक का कार्यालय, मध्य रेल वी. टी. बम्बई,

दिनांक 8-12-87 को संपन्न क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बम्बई वी.टी. की 45वीं बैठक में सर्वप्रथम, मुख्य राजभाषा अधिकारी ने समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों तथा उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

महाप्रबंधक श्री विजय सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में गैर-सरकारी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड का एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि भोपाल मंडल का निरीक्षण करने से मालूम हुआ है कि मुख्यालय के कुछ विभागों के काफी पत्र और परिपत्र अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं जबकि आंकड़ों में विभागों की प्रगति बहुत अच्छी बताई जाती है। हमें अपने चैक-प्वाइंट पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और रजिस्टर भी रखना चाहिए।

महाप्रबंधक ने मध्य रेलवे के अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने के प्रस्तुत आंकड़ों की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि जबलपुर मंडल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जबलपुर मंडल हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वहां पर तो अधिसूचित कार्यालयों में निर्धारित विषयों पर शत-प्रतिशत कार्य होना ही चाहिए। भूसावल मंडल में काफी काम हो रहा है। नागपुर मंडल की स्थिति बहुत अच्छी है। कारखानों की स्थिति भी संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक तक सभी मंडलों/विभागों कारखानों के अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने चाहिएं। उन्होंने बंबई मंडल की स्थिति पर असंतोष प्रकट किया।

मुख्य राजभाषा अधिकारी ने अपने भाषण में कहा कि (1) संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने दि. 13-10-87 और 14-10-87 को क्रमशः इस रेलवे के भूसावल मंडल के जलगांव स्टेशन तथा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नागपुर की हिन्दी प्रगति का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई। समिति के सदस्यों ने इन दोनों जगहों की हिन्दी प्रगति की सराहना की।

(2) दिनांक 14-9-87 को मुख्यालय में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें वाक् प्रतियोगिता में 15 वक्ताओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय था "राष्ट्रभाषा हिन्दी राष्ट्रीय एकता में सहायक है।" इसी प्रकार भूसावल, नागपुर, सोलापुर, जबलपुर और झांसी मंडलों पर भी 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। बंबई मंडल पर यह आयोजन 18 सितम्बर को किया गया।

(3) इस तिमाही में 105 स्टेशनों की हिन्दी प्रगति का निरीक्षण किया गया और उन्हें कमियां दूर करने के लिए कहा गया। मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल ने बीना-पिपरई गांव तथा बीना-गुना स्टेशनों की राजभाषा प्रगति का स्वयं निरीक्षण किया और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हिन्दी में भेजी।

(4) इस तिमाही में मूल पत्राचार में 2.56% की तथा धारा 3(3) के अनुपालन में 2.43% की वृद्धि हुई। धारा 3(3) के अनुपालन में अभी भी हम 100% के लक्ष्य से पीछे हैं। उन्होंने विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि आंकड़ों के लिए रजिस्टर रखने का प्रबंध करें ताकि आंकड़ों की सत्यता जताई जा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि जांच केन्द्रों पर कठोर नियंत्रण रखकर इन्हें प्रामाणिक बनाया जाये।

(5) उप-मुख्य राजभाषा अधिकारी ने स्वयं मुख्यालय के कई विभागों में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे चर्चा की कि महाप्रबंधक द्वारा शत-प्रतिशत कार्य के लिए नामित अनुभागों में अभी तक लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका है? मध्य रेल पर 151 कार्यालय धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किये जा चुके हैं इनमें से 59 में धारा 8(4) के अन्तर्गत विषय भी निर्धारित कर दिये गये हैं और शेष में विषय निर्धारित करना है। हमें देखना है कि कार्यालयों के सभी कर्मचारी उन विषयों पर पूर्ण कार्य हिन्दी में ही करें। कार्यालयों को अधिसूचित करने का पूर्ण लाभ तभी होगा जब वहां के कर्मचारी निर्धारित विषय पर शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य करने लगेंगे।

5. **सचिव की रिपोर्ट :** सचिव ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया :—(1) हिन्दी प्रशिक्षण: इस रेलवे पर तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर के कुल 77,550 कर्मचारियों में से 74,596 कर्मचारी (अर्थात् 96% प्रशिक्षित हो चुके हैं। अब 2,954 कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं जिनमें से 276 कार्यालयीन कर्मचारी और 2,678 परिचालन वर्ग के हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बंबई मंडल पर 711 और सोलापुर मंडल पर 894 है।

(2) **हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण :** सम्पूर्ण मध्य रेल के कुल 580 टाइपिस्टों में से अभी 513 टाइपिस्टों ने अर्थात् 88%) हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(3) **हिन्दी आशुलिपिकों का प्रशिक्षण :** मध्य रेल के कुल 496 आशुलिपिकों में से 169 आशुलिपिकों (अर्थात् 34%) ने हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब 327 आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। शेष आशुलिपिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कई स्थानों पर विभागीय कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

(4) **हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर:** 30-6-87 एवं 30-9-87 को समाप्त तिमाहियों में क्रमशः 1,02,839 और 1,04,414 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 89,123 तथा 87,693 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गये। शेष पत्रों के उत्तर देना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये गये।

(5) **हिन्दी में मूल-पत्राचार :** इस रेलवे पर समग्र रूप से 30-9-87 को समाप्त तिमाही में **70.96 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में जारी किए गए** जबकि 30-6-87 को समाप्त तिमाही में 68.40% पत्र मूल रूप से हिन्दी में जारी किए गए थे। इस प्रकार आलोच्य तिमाही में इस मद में 2.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(6) **राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन :** इस रेल पर समग्र रूप से इस कोटि के कागजात जून 87 और सितम्बर 1987 को समाप्त अवधि की तिमाहियों में क्रमशः 95.51 प्रतिशत और 97.94 प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी किये गए। गत वर्ष की 30-9-86 को समाप्त तिमाही में यह 94.8% था। इस तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में 2.43% की वृद्धि हुई। आलोच्य तिमाही में सभी विभागों में धारा 3(3) संबंधी "शत-प्रतिशत" कागजात हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये गये।

(7) **स्टेशन संचालन नियमों का द्विभाषी रूप में जारी करना :** स्टेशन संचालन नियमों के द्विभाषी रूप में जारी करने की प्रगति इस प्रकार रही :—

	जून 1987	सितम्बर 1987
(1) कुल संख्या	709	709
(2) बोर्ड पैटर्न पर प्राप्त संशोधित स्टेशन संचालन नियमों की संख्या	597	599
(3) हिन्दी में अनूदित-स्टेशन संचालन नियमों की संख्या	501	542
(4) द्विभाषी रूप में जारी किये गये स्टेशन संचालन नियमों की संख्या	337	411

इस प्रकार, स्टेशन संचालन नियमों के हिन्दी अनुवाद के बाद उन्हें द्विभाषी रूप में जारी करने के काम में भी प्रगति हो रही है।

(8) कार्यालय अधिसूचित करना : पिछली तिमाही में नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कार्यालयों की संख्या 92 थी। इस तिमाही में बोर्ड द्वारा 59 कार्यालय अधिसूचित किये गये। इस प्रकार अब अधिसूचित कार्यालयों की कुल संख्या 151 हो गयी है।

1310 HA/88—10

(9) **स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयम समितियों की बैठकों का आयोजन** : 30-6-87 को इस रेल पर 78 स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत थीं। आलोच्य तिमाही के दौरान 100 कर्मचारियों के आधार पर 11 नई स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया।

इस प्रकार अब इनकी संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 30-6-87 को समाप्त तिमाही के दौरान 78 कार्यान्वयन समितियों में से 76 बैठकों का आयोजन किया गया था। आलोच्य तिमाही के दौरान भी 2 बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

(10) **नियम पुस्तकें** : इस रेल पर नियम पस्तकों की संख्या 24 है। इन में से 23 पुस्तकें अनुदित हो चुकी हैं जिनमें से 14 पस्तकें हिन्दी-अंग्रेजी में मुद्रित/साइक्लोस्टाइल कर दी गई हैं।

(11) **हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन** : सितम्बर 87 की तिमाही में 9 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं जिनमें 209 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(12) सितम्बर, 1987 की तिमाही में 105 कार्यालयों की हिन्दी प्रगति का निरीक्षण किया गया और प्रगति रिपोर्ट भेजकर कमियां दूर करने के लिए आग्रह किया गया।

गोला-बारूद फैक्टरी, खड़की (पुणे)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दि. 19-2-88 को श्री डी.बी. बेटिगेरी की अध्यक्षता से सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई :—

(क) कर्मचारियों की सेवापंजियों में हिन्दी/द्विभाषी रूप में इंदराज

समिति को बताया गया कि कर्मचारियों की सेवापंजियों में हिन्दी/द्विभाषी रूप में इंदराज के संबन्ध में स्थापना कार्यालय व एल.बी. अनुभाग की ओर से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है :—

	ग्रुप "सी"	ग्रुप 'डी'
स्थापना कार्यालय	25%	33%
एल.बी. कार्यालय	62%	58%

इस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस बारे में हमें 100% का लक्ष्य पूरा करना है। अध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि लेबर ब्यूरो कार्यालय में ग्रुप "सी" में आने वाले कर्मचारियों की संख्या स्थापना कार्यालय से बहुत अधिक है फिर भी 62% इंदराज हिन्दी में किए जा रहे हैं जबकि स्थापना कार्यालय में ग्रुप "सी" कर्मचारियों की संख्या कम होने पर भी केव 25% इंदराज हो रहे हैं यह बहुत ही कम है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्थापना कार्यालय के लिए 3 माह और एल. बी. कार्यालय के लिए 6 माह का समय दिया जा रहा है ताकि वे योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करें। इस कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए श्री एस.सी. सक्सेना, हिन्दी अनुवादक को नियक्त किया गया।

(ख) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

सचिव ने बताया कि वर्ष 1987 के लिए दो कार्यशालाओं का लक्ष्य—जुलाई अक्तूबर निर्धारित किया गया था परन्तु स्थानाभाव तथा अधिकारियों की व्यस्तता के कारण दिनांक 14-12-87 से 18-12-87 तक एक कार्यशाला का आयोजन ही संभव हो सका। सचिव ने आश्वासन दिया कि वर्ष 1988 के दौरान दो कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

(ग) फैक्टरी की निरीक्षण टीम

समिति को बताया गया कि निरीक्षण टीम ने फैक्टरी के विभिन्न कार्यालयों व अनुभागों में पाई गई कमियों के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन्हें दूर करने के लिए संबन्धित अनुभाग प्रमुखों को अध्यक्ष की ओर से निर्देश जारी किए गए थे तथा सचिव ने भी उन कमियों को दूर करने के लिए सभी संबन्धितों को पुनः स्मरण कराया, किन्तु खेद है कि इस संबन्ध में अनुपालन रिपोर्ट 27 अनुभागों में से केवल 6 अनुभागों से प्राप्त हुई है।

इस पर अध्यक्ष ने श्री एस.सी. सक्सेना, क.हि. अनुवादक को कहा कि जिन 20 अनुभागों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है उनकी सूची वे अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

(घ) फैक्टरी आदेशों का द्विभाषी रूप में प्रकाशित होना

सचिव ने बताया कि इस संबन्ध में कोई प्रगति नहीं है। स्थापना कार्यालय से केवल वे ही फैक्टरी आदेश हिन्दी/द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं जो राजभाषा अनुभाग से भेजे जाते हैं। पिछली बैठक के दौरान फोरमैन स्थापना ने आश्वासन दिया था कि प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) से संबंधित सभी फैक्टरी आदेश द्विभाषी जारी किए जाएंगे। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के फैक्टरी आदेश निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में जारी करने का आदेश दिया था। फिर भी एक भी फैक्टरी आदेश द्विभाषी प्रकाशित नहीं किया गया।

अध्यक्ष ने श्री आर.डी. सरस्वते, कार्यालय अधीक्षक/स्थापना से जानना चाहा कि प्रगति क्यों नहीं हो रही है? श्री सरस्वती ने बताया कि वे इस बैठक में पहली बार भाग ले रहे हैं तथा उन्हें ऐसे किसी निर्णय के बारे में नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन किया

जाएगा। इसी संबन्ध में श्री के. कृष्णन, फोरमैन एल.वी. ने कहा कि हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फैक्टरी आदेश एक साथ प्रकाशित करने में काफी असुविधा होती है तथा कभी कभी आवश्यक आदेश तुरन्त जारी करने होते हैं जिन्हें हिन्दी में भी साथ ही में प्रकाशित किया जाए तो देरी होती है।

अध्यक्ष ने कहा कि पहले अंग्रेजी में फैक्टरी आदेश जारी किया जाए, उसके बाद अलग से उसका हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया जाए। इस कार्य के लिए स्थापना कार्यालय व एल.वी. में जो कर्मचारी हिन्दी टंकण परीक्षा पास कर चुके हैं उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाए।

(ङ) हिन्दी टंकण प्रशिक्षण

समिति को बताया गया कि हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए मानदेय की स्वीकृति 1983 से मुख्यालय के विचाराधीन थी जो जनवरी 88 में प्राप्त हो गई है।

अध्यक्ष ने कहा कि दि. 1-4-88 से आरम्भ होने वाले हिन्दी टंकण प्रशिक्षण सत्र के लिए कम से कम 20 अवर श्रेणी लिपिकों की सूची बनाई जाए। जिसमें से 14 अवर श्रेणी लिपिकों को अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चना जा सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्य तुरन्त पूरा कर लिया जाए।

कान्ट्रैक्ट पर मैकेनिक की व्यवस्था के संबन्ध में अध्यक्ष ने कहा कि सभी हिन्दी टाइपराइटरों का कन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि उनकी दुरुस्ती समय समय पर होती रहे।

अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में स्थापना कार्यालय को तुरन्त कार्यवाही के लिए कहा जाए तथा श्री एस.सी. सक्सेना, क.हि. अनुवादक व्यक्तिगत रूप से इसकी प्रगति देखें ताकि कार्य जल्दी पूरा किया जा सके।

(छ) वर्ष 1986-87 के कार्यक्रम को लागू करना

समिति को बताया गया कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" तथा "ख" क्षेत्रों को 50% व "ग" क्षेत्र को 10% पत्र हिन्दी में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पी एण्ड पी, प्रोविजन व स्टोर्स कार्यालयों को नोट दिया गया था लेकिन इस बारे में कोई प्रगति नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने इस अनुभागों से भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी की प्रगति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया :—

पी एण्ड पी	श्री एम. उन्नीकृष्णन, सहा. फोरमैन/पी एण्ड पी (सी.टी.)
प्रोविजन	श्री एच. एस. काकड़े, फोरमैन/लेवर आफीस
स्टोर्स	श्री के.एस. खन्ना, सुपरवाइजर/एम.सी.ओ.

अध्यक्ष ने कहा कि उक्त सभी सदस्य संबंधित अनुभागों की प्रगति रिपोर्ट दो माह में एक बार अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, इन्दौर

30 सितम्बर 1987 को समाप्त तिमाही में समाहर्तालय में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिए मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 1987 को मुख्यालय कार्यालय में श्री ना. राजा, समाहर्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक के आरम्भ में समिति के सचिव एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सर्वप्रथम संसदीय राजभाषा समिति के 28 दिसम्बर 1987 को मुख्यालय में निरीक्षण के लिए पधारने के बारे में जानकारी दी और सभी से समुचित सहयोग देने और तैयारी करने का आग्रह किया।

सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि 30 सितम्बर 1987 को समाप्त तिमाही अवधि की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट निरीक्षण महानिदेशालय/मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग को 10 नवम्बर 1987 को भेजी गई है।

अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमें हिन्दी की काफी प्रगति करनी है। इस समाहर्तालय में 30% काम हिन्दी में पिछली तिमाही में हुआ है जो कि बहुत ही कम है। इस ओर हमें अधिक ध्यान देना है।

2(1) हिन्दी में प्राप्त पत्र व उनके उत्तर :—

म.प्र. समाहर्तालय में	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. प्राप्त हिन्दी पत्र	7,608	10,306
2. हिन्दी उत्तर	3,483	5,300
3. अंग्रेजी उत्तर	—	—

2(2) पत्राचार :—

(क) मध्य प्रदेश समाहर्तालय	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. हिन्दी में	18,266	22,630
2. अंग्रेजी में	49,273	48,571
3. कुल	67,479	71,201
4. कुल हिन्दी पत्रों का %	27%	32%

सचिव ने बताया कि मध्य प्रदेश समाहर्तालय की स्थिति में मात्र 5% की वृद्धि हुई है। पत्र व्यवहार और बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

(ख) मुख्यालय में	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. हिन्दी में	7,719	9,522
2. अंग्रेजी में	23,479	26,352
3. कुल	31,198	35,874
4. हिन्दी पत्रों का %	25%	27%

सचिव ने बताया कि मुख्यालय कार्यालय की स्थिति में भी मात्र 2% की वृद्धि हुई है। सभी शाखा अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार और बढ़ाया जाना है ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

2(3) तार :—

(क) मध्य प्रदेश समाहर्तालय में	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. हिन्दी में	351	184
2. अंग्रेजी में	2,316	2,912
3. कुल	2,667	3,097
4. हिन्दी तारों का %	13%	6%

मध्य प्रदेश समाहर्तालय में हिन्दी तारों की स्थिति में जून 87 में तिमाही की अपेक्षा सितम्बर 1987 तिमाही में 7% की कमी आई है। जबकि हमारे द्वारा वृद्धि के प्रयास किए जाने थे।

(ग) मुख्यालय कार्यालय में	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. हिन्दी में	153	83
2. अंग्रेजी में	1,471	2,343
3. कुल	1,624	2,426

मुख्यालय कार्यालय में हिन्दी तारों की स्थिति में जून 87 तिमाही की अपेक्षा सितम्बर 87 तिमाही में 6% की कमी आई है।

2(4) द्विभाषिक कागजात :—

(क) म.प्र. समाहर्तालय में	30-6-87 को समाप्त तिमाही	30-9-87 को समाप्त तिमाही
1. कुल जारी कागजात	271	733
2. द्विभाषिक रूप में अथवा हिन्दी में	263	407
3. केवल अंग्रेजी में	8	29
4. केवल अंग्रेजी में जारी कागजातों का %	3%	4%

समिति को बतलाया गया कि इनमें 30-9-87 को समाप्त तिमाही में केवल अंग्रेजी में जारी 29 कागजातों में से इंदौर मण्डल ने 22 तथा भोपाल मंडल ने 7 कागजात जारी किए हैं। उन्हें बतलाया गया है कि वे भविष्य में इस प्रकार के कागजात द्विभाषिक अथवा हिन्दी में जारी करेंगे।

(ख) हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण :—

(1) म०प्र० समाहर्तालय में :—

1. कार्यरत नि.श्रे. लिपिकों की संख्या	70
2. इनमें से हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	22

(2) मुख्यालय कार्यालय में—

1. कार्यरत नि.श्रे. लिपिकों की संख्या	37
2. इनमें से हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	15

(ग) हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण :—

	कुल कार्यरत आशुलिपिक	हिन्दी आशुलिपि में प्रतिशत
(1) म.प्र. समाहर्तालय में	10	5
(2) मुख्यालय कार्यालय में	5	2

मंडल प्रभारी सहायक समाहर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपने मंडल कार्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाने के लिए समुचित कार्यवाई करें।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, बम्बई

गत 22-12-87 को प्रधान कार्यालय, बम्बई में राजभाषा कार्यालय समिति की बैठक श्री ओ. पी. माथुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कम्पनी के निदेशक (वित्त) श्री राजकुमार गजरी तथा निदेशक (कार्मिक) श्री वी. कुमार भी उपस्थित थे। राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री मुकुल चंद पांडेय भी उपस्थित थे।

बैठक के आरंभ में कारपोरेशन द्वारा हिन्दी प्रयोग के लिए किये जाने वाले उपायों पर प्रकाश डाला गया तथा 'क' व 'ख' क्षेत्रों में हिंदी को अधिक से अधिक व्यवहार में लाने हेतु निर्णय किये गये। निदेशक (वित्त) श्री राजकुमार गजरी ने बतलाया कि हमारी कंपनी हिन्दी कार्य को राष्ट्रीय कार्य के रूप में प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कृतसंकल्प है, इसके लिए नये पदों का भी सृजन किया जा रहा है। फार्मों को द्विभाषी रूप में छपवाया जा रहा है और

कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु नकद पुरस्कार भी दिये जा रहे हैं। अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन भी किया जा रहा है।

पर्यवेक्षक सदस्य श्री पांडेय ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन को हिन्दी में अधिकाधिक रुचि के साथ काम करने हेतु बधाई देते हुए कहा कि जनता से संपर्क करते समय राजभाषा प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने भारत गैस को देवनागरी में लिखने तथा सिलिंडरों पर द्विभाषी नाम लिखने का सुझाव दिया। कर्मचारियों में अधिक से अधिक अभिरुचि जागृत करने हेतु पुरस्कार योजना के उदार बनाने पर बल दिया। कार्यालय को अधिसूचित करने के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करने की भी बात उठायी गयी। अंत में श्री ओ. पी. माथुर तथा श्री वी. कुमार ने श्री पांडेय को उनके सहयोग तथा अत्यधिक अभिरुचि के साथ मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक में श्री उपेन्द्रमिश्र भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून

कार्यपालक इंजीनियर, देहरादून केन्द्रीय मंडल प्रथम, के. लो. नि. विभाग, देहरादून की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1987 में होने वाली चतुर्थ बैठक दिनांक 21/12/87 को संपन्न हुई।

अध्यक्ष ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। सर्वप्रथम इस तिमाही में किये गये पत्राचार का अवलोकन किया गया। उसके बाद पिछली तिमाही में हुए पत्राचार के प्रतिशत की तुलना इस तिमाही की प्रगति से की गई। इस तिमाही में हिंदी पत्राचार की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

1. हिन्दी पत्राचार (दिनांक 6-8-87 से 17-11-87 तक)

अनुभाग	प्राप्त पत्र		कुल	प्रेषित पत्र		कुल
	हिन्दी	अंग्रेजी		हिन्दी	अंग्रेजी	
1. मंडल कार्यालय	950	1315	2265	2573	2258	4831
	41.94%	58.05%	—	53.26%	46.73%	—
2. उपमण्डल-प्रथम	385	221	606	521	141	662
	63.53%	36.46%	—	78.70%	31.29%	—
3. उपमण्डल-द्वितीय	458	435	893	252	103	355
	51.28%	48.71%	—	70.98%	29.01%	—
4. उपमण्डल-तृतीय	350	380	730	222	33	255
	47.94%	52.05%	—	87.05%	12.94%	—
कुल योग	2143	2351	4494	3568	2535	6103
	47.69%	42.31%	—	58.46%	41.53%	—

2. तारों की स्थिति :—(दिनांक 6-8-87 से 17-11-87 तक)

1. कुल प्रेषित तारों की संख्या 33
2. हिन्दी में भेजे गये तारों की संख्या 30
3. अंग्रेजी में भेजे गये तारों की संख्या 3

3. अनुबन्ध आपूर्ति/आदेश (दि 6-8-87 से 17-11-87 तक)

अनुभाग	अनुबंध		कुल	आपूर्ति आदेश		कुल	कार्यादेश		कुल
	हिन्दी	अंग्रेजी		हिन्दी	अंग्रेजी		हिन्दी	अंग्रेजी	
1. लेखा शाखा	—	13	13	4	3	7	—	4	4
2. उप मंडल-1	—	7	7	2	—	2	—	—	—
3. उप मंडल-2	—	7	7	1	—	1	—	1	1
4. उप मंडल-3	—	2	2	1	—	1		2	2
कुल योग	—	29	29	8	3	11	—	7	7

इस तिमाही में मंडल कार्यालयों में 58.46% हिंदी पत्राचार किया गया जोकि पिछले तिमाही में किये गये पत्राचार से लगभग 4.68% कम है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने असंतोष व्यक्त किया और हिन्दी पत्राचार शतप्रतिशत करने के प्रयास जारी रखना चाहिए। क्योंकि यह कार्यालय "क" क्षेत्र (हिन्दी भाषी क्षेत्र) में स्थित है।

उपरोक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि मंडल लेखापाल और सहायक निर्माण सर्वेक्षक शाखा से भेजे जाने वाले पत्र अधिकांशतः अंग्रेजी में ही होते हैं। इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित शाखा को आवश्यक निर्देश दिये।

अनुबंध एवं कार्य आदेश अभी भी केवल अंग्रेजी में बनाये जा रहे हैं, जबकि अधिकतर आपूर्ति आदेश हिन्दी में बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कम से कम सभी आपूर्ति आदेश और कार्य आदेश हिन्दी/द्विभाषी में बनाएं।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

28 सितंबर, 1987 को ईआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39वीं बैठक इंजीनियर्स इंडिया हाउस में प्रबंध निदेशक, श्री ललित के. चंडोक की अध्यक्षता में की गई जिसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में संसद सदस्य माननीया श्रीमती ऊषा रानी तोमर बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित की गई थीं।

सर्वप्रथम पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि करते समय यह कहा गया कि मार्च, 1987 की बैठक में स्वीकृत हिंदी अनुवादक के पद को तत्काल भरा जाए। इसी प्रकार बंबई कार्यालय को भी हिंदी अनुवादक-कम-टाइपिस्ट के पद की स्वीकृति दी। कुछ विभागों में कार्य हिंदी में किया जा सके इसके लिए प्रबंध निदेशक ने दैनिक मजदूरी पर हिन्दी आशुलिपिक रखने की स्वीकृति प्रदान की।

यह बताया गया कि ईआई हाउस में हिन्दी आशुलिपिक/टंकण प्रशिक्षण के लिए 4 व्यक्तियों के लिए स्थान की व्यवस्था हो गई है। द्विभाषी वर्ड प्रोसेसर लगाने के बारे में बताया गया कि कार्य प्रगति पर है और आशा है कि अक्तूबर, 87 में कंपनी में वर्ड प्रोसेसर लगा दिया जाएगा।

बताया गया कि बंबई में दो दिन की सफल हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई, इसी प्रकार अक्तूबर/नवंबर में कलकत्ता कार्यालय में भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाने वाली है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से बैनर बनवाकर हर भवन में लगाए जाने की बात पुनः सामने आई और निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री झा ने सुझाव दिया कि हर भवन में "आईए हिंदी सीखें" वाले बोर्ड लगाए जाएं। सितंबर माह में आयोजित विशेष हिन्दी कार्यशाला में आए सुझावों पर बैठक में चर्चा की गई तथा यह तय हुआ की उनको लागू करने के लिए सुझाव निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) को प्रस्तुत किए जाएं।

यह बात तय हुई कि हर विभाग से हिन्दी में मूल रूप से लिखे पत्रों के आंकड़े मंगाने के लिए निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के हस्ताक्षर से एक परिपत्र भेजा जाए। कंपनी में हिन्दी में कितना कार्य किया जा रहा है इसका ब्यौरा हर महीने की 5 तारीख तक हिन्दी कक्ष को भेज दिया जाना चाहिए।

डा. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि एक साल की तिमाही रिपोर्टों का तुलनात्मक चार्ट बैठक में प्रस्तुत किया जाए जिसमें "क" क्षेत्र में जाने वाले पत्रों की संख्या, 2. ड्राइंग द्विभाषी कितनी बनीं। 3. फाइलों और रजिस्टरों में शीर्षक हिन्दी में लिखे गए या नहीं। 4. हिन्दी जानने वाले आशुलिपिक/टाइपिस्टों की संख्या क्या है? आदि आंकड़े दिए जाएं। उन्होंने बताया कि 1990 तक 50 प्रतिशत हिंदी आशुलिपिक हर कार्यालय में होने ही चाहिए, ऐसे भारत सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं। डा. गुप्ता ने पुनः यह बात कही कि कंपनी से बाहर भेजे जाने वाले हिन्दी पत्रों की संख्या तिमाही रिपोर्ट में लिखते हुए यह विशेष रूप से लिखा जाये कि "क" क्षेत्र के राज्यों को कितने पत्र अंग्रेजी में भेजे गये और कितने हिन्दी में भेजे गये।

यह बात फिर दोहराई गई कि कंपनी में आने वाले नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले पहचान पत्रों पर नाम हिंदी में या दोनों भाषाओं में लिखे होने चाहिए। इसी प्रकार नीचे स्टाफ कार खड़ी करने की जगह पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भी लिखी जाए।

डा. गुप्ता का यह भी सुझाव था कि कंपनी में कहां-कहां हिंदी में कितना कार्य हो रहा है? इसे देखने के लिए एक समिति बनाई जाए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

17 मार्च, 1988 को हुई राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने 31-12-87 को समाप्त हुई हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की तथा निर्णय लिया गया कि हिंदी की अधिक प्रगति के लिए हिंदी के निर्धारित प्रपत्रों (प्रोफार्मा) का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तथा अंग्रेजी में जारी होने वाले सभी स्टेंसिलों को हिंदी में भी अनुवाद कराकर हिंदी में जारी किया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्रों को सभी पत्र हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

ब्यूरो में डा. सतीश अग्रवाल, सहायक निदेशक (ओप्स एवं ट्रेनिंग) ने स्वयं ही हिंदी वर्डस प्रोसेसर तथा सोफ्ट वेयर हिंदी में तैयार किए हैं जिसकी समिति के सभी सदस्यों तथा विशेषकर उप-निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.) महोदय ने इसकी अत्यन्त सराहना की एवं इसे हिंदी की प्रगति में आधार स्तम्भ बताया।

ब्यूरो में हिंदी प्रकाशन का कार्य पहले ही हिंदी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। "भारत में अपराध-1983" का हिंदी रूपांतर तैयार करके दिया जा चुका है एवं "भारत में 1984 में दुर्घटना से हुई मौत" एवं "आत्महत्याएं" का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में हुई चर्चा के दौरान उप-निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.) ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी मर्यादा का पालन करते हुए ही प्रगति कर सकता है उसी प्रकार हमें अपने कार्यालयों में राजभाषा (हिंदी) की मर्यादा अपने पूर्ण रूप में स्थापित करनी चाहिए जिससे कि हिन्दी की अधिक से अधिक प्रगति हो सके।

इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह

राजभाषा हिन्दी के इतिहास में 17 मार्च 1988 का विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मंच पर महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी के आगमन पर सभी ने खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया और गीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगान की मधुर ध्वनि से हाल गुंजित हो उठा। उपराष्ट्रपति जी के विराजने के बाद उनके दाईं ओर माननीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह, राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन तथा बाईं ओर माननीय गृह राज्यमंत्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के साथ संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभुदयाल ने आसन ग्रहण किया।

उपसचिव (राजभाषा) श्री वीर अभिमन्यु कोहली के अनुरोध पर माननीय गृहमंत्री श्री बूटा सिंह ने अपने स्वागत भाषण में मनीषी एवं चिंतक महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी का अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर समारोह में पधारने के लिए हार्दिक अभिनन्दन किया।

गृहमंत्री जी ने राजभाषा शील्ड को देश की महान् विभूति स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम के साथ जोड़ने की पीठिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के मन में हिन्दी के प्रति उत्कट प्रेम था। उन्हीं के प्रधानमंत्री काल में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, राजभाषा कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से तीन हिन्दी विश्व सम्मेलनों का आयोजन हुआ। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए उनके मार्ग दर्शन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाएँ चालू की गई।

हिन्दी को सरकारी काम काज में बढ़ावा देने के लिए, गृहमंत्री जी ने, राजभाषा विभाग द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों और कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सहर्ष सूचना दी कि संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ के लिए संसद द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है तथा राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सरकारी कर्मचारियों से एक अप्रैल 1988 से अनिवार्य रूप से पत्रादि के प्रारुप मूल रूप में हिन्दी में प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

अन्त में गृह मंत्री जी ने वर्ष 1986-87 में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को पुरस्कृत करने के लिए उपराष्ट्रपति जी से निवेदन करने से पूर्व पुनः राजभाषा नीति के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि "हम सब का यह दायित्व है कि हम सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करते हुए पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।"

उप-सचिव श्री कोहली ने समारोह में उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति को राजभाषा विभाग का सौभाग्य मानते हुए कहा कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयानुसार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड तथा पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का निर्धारण राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन सम्बन्धी आंकड़ों तथा निरीक्षणों के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात् संयुक्त सचिव श्री शम्भु दयाल ने महामहिम उपराष्ट्रपति जी से पुरस्कार वितरित करने तथा आशीर्वचन देने की प्रार्थना की।

उपराष्ट्रपति डा० शंकरदयाल शर्मा जी ने निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों तथा पूरे देश में फैले विभिन्न उपक्रमों के अध्यक्षों तथा अन्य उच्च अधिकारियों को अपने कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किए। संबंधित पुरस्कार-विजेताओं का परिचय उपसचिव (कार्यान्वयन) द्वारा दिया जाता रहा।

इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार विजेता

मंत्रालय/विभाग	
1. महासागर विकास विभाग	प्रथम
2. खान विभाग	द्वितीय
3. सांख्यिकी विभाग	तृतीय
4. खाद्य विभाग	प्रोत्साहन

5. रेल मंत्रालय — प्रोत्साहन
6. आर्थिक कार्य विभाग — प्रोत्साहन

बैंक

1. केनरा बैंक — प्रथम
2. यूनियन बैंक आफ इंडिया — द्वितीय
3. बैंक आफ बड़ौदा — तृतीय
4. पंजाब नेशनल बैंक — प्रोत्साहन
5. भारतीय स्टैट बैंक — प्रोत्साहन
6. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया — प्रोत्साहन

उपक्रम

"क" क्षेत्र

1. इंडियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिक्लस कार्पोरेशन लि. — प्रथम
2. भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड — द्वितीय
3. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डिवलपमेंट — तृतीय

"ख" क्षेत्र

1. भारतीय होटल निगम, बम्बई — प्रथम
2. मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड — द्वितीय
3. खनिज गवेषण निगम लिमिटेड — तृतीय
4. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम — प्रोत्साहन पुरस्कार

"ग" क्षेत्र

1. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता — प्रथम
2. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स, कलकत्ता — द्वितीय
5. भारत गोल्ड माइन्स लि. ओरगाम — ततीय
4. विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना — प्रोत्साहन पुरस्कार

हिन्दी में 'मौलिक पुस्तक लेखन' के लिए निम्नलिखित 'नकद पुरस्कार' प्रदान किए गए:—

प्रथम पुरस्कार के योग्य कोई कृति नहीं पाई गई।

द्वितीय स्कार

श्री महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी 8000/- कार्मिक प्रबन्ध कला

तृतीय पुरस्कार

श्री यू.पी. थपलियाल 5000/- भारतीय सैनिक ध्वजपताका

प्रोत्साहन पुरस्कार

1. श्री ओ.पी.एन. कल्ला
2. श्री एम.एल. हसीजा
3. श्री काली शंकर

} 1000/- अन्तरिक्ष में भारत

विशेष पुरस्कार

1. डॉ राधेश्याम मिश्र 1000/- विपणन प्रबन्ध
2. श्री सैयद जहूर कासिम 1000/- पेंग्विन के देश में
3. श्री प्रभात नाथ मुखर्जी

पुरस्कार वितरण के बाद महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने सभी पुरस्कार विजेताओं, संबंधित विभागों/उपक्रमों में हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि "जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, हिन्दी हमारे देश को जोड़ने की भाषा है। बापू (महात्मा गांधी) ने हिन्दी को देश को जोड़ने के लिए ही चुना था। उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे देश में आजादी के आन्दोलन को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी से हटना होगा और जनसाधारण के पास पहुंचना होगा। इस के लिए एक भाषा चुनना थी— उन्होंने हिन्दी चुनी। हम को यह बराबर याद रखना है कि हिन्दी हमारे देश को जोड़ने की भाषा है, हमारे देश की एकता की भाषा है।"

अंग्रेजी के प्रयोग पर शालीनतापूर्वक प्रहार करते और हिन्दी और भारतीय भाषाओं महत्व को रेखांकित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने "कहा कि जनसाधारण तथा पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की अपनी भाषा हो। वैसे तो हमारी अपनी इज्जत के लिए अपनी भाषा जरूरी है। कभी कभी लगता है कि यह (अंग्रेजी) हमारी गुलामी की तौख है, यह (अंग्रेजी) हमारी दासता का पट्टा है, जो हमारे ऊपर बंधा है। साथ-साथ हमें याद रखना है कि हमारे देश की जो बाकी भाषाएं हैं वे भी देश की भाषाएं हैं, वे भी हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं।" उपराष्ट्रपति जी ने अपने उदबोधन में विज्ञान और तकनीकी विषयों के हिन्दी माध्यम से शिक्षण-प्रशिक्षण, हिन्दी भाषा की सरलता और क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने पर बल देते हुए सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को अपनाने का आह्वान किया।

अन्त में, गृह राज्य मंत्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने महामहिम उपराष्ट्रति जी की समारोह में उपस्थिति तथा भारतीय आन्दोलन के इतिहास एवं अनुभव जन्य विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि उपराष्ट्रपति जी के दीर्घ अनुभव के आधार पर जो मार्ग दर्शन उपलब्ध हुआ है, वह राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरक और मार्ग दर्शक सिद्ध होगा। श्री पाणिग्रही जी ने गृह मंत्री श्री बूटासिंह को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके कार्यकाल में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग ने कई महत्वपूर्ण पग उठाए हैं। उन्होंने राजभाषा विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समारोह के सफल आयोजन के लिए भी साधुवाद दिया।

□—गुरु.

उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, जम्मू

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में दिनांक 2-2-88 को जम्मू में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राजभाषा से सम्बद्ध भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों और बैंकों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग की ओर से सचिव श्री बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव श्री शम्भु दयाल तथा उप सचिव श्री वी० ए० कोहली ने भाग लिया। गोष्ठी में श्री वी एस कोहली ने उपस्थित महानुभावों का परिचय कराया। सम्मेलन राष्ट्रगान से प्रारम्भ हुआ।

2. सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन ने की। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री इस सम्मेलन में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपस्थित न हो सके। उनकी ओर से राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भु दयाल ने उनका संदेश पढ़कर सुनाया। इसके बाद श्री बी० बी० महाजन सचिव (राजभाषा) ने भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी का अधिकांश कार्य अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि मूल रूप में हिन्दी में कार्य किया जाए। हिन्दी में मूल रूप से काम करने की शुरुआत के तौर पर राजभाषा विभाग की ओर से 23 नवम्बर, 1987 को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन यह आदेश निकाले गए हैं कि "क" और "ख" क्षेत्र में अर्थात् सभी हिन्दी भाषी राज्यों तथा इस क्षेत्र में पंजाब व चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में जहां 80 प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, 1-4-1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारी पत्रादि का प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत करेंगे :—

श्री महाजन ने कहा कि इन आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे 23-11-87 के कार्यालय ज्ञापन में सुझाव दिए गए हैं। इसके लिए इन कर्मचारियों में सभी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों और उनके ऊपर अधिकारियों को हिन्दी में मसौदा लिखने और उसे अनुमोदित करने का अभ्यास 1-4-88 से पहले करवा लिया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों में थोड़े से अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष के अन्दर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलवा दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने नीचे के कर्मचारियों द्वारा पेश किए जाने वाले हिन्दी के मसौदों को पढ़कर उनका अनुमोदन कर सकें।

सचिव जी ने आगे कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए हिन्दी में कार्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों और देवनागरी टाइपराइटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। राजभाषा विभाग की ओर से 20-8-87 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ये निदेश दिए गए कि "क" क्षेत्र में स्थित सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन सभी निगम, कम्पनी या बैंकों के कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 50 प्रतिशत हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए। "ख" क्षेत्र में यह अनुपात 25 प्रतिशत रखा गया है। इन अनुदेशों के अनुसार ये निर्धारित अनुपात 31 मार्च, 1990 तक नये भर्ती हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को भर्ती करके और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाना चाहिए। ये भी निदेश दिए गए हैं कि जब तक हिन्दी आशुलिपि जानने साले आशुलिपिक किसी कार्यालय में उपर्युक्त निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं हो जाते तब तक नयी भर्ती में यदि हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक उपलब्ध हों तो केवल हिन्दी आशुलिपि के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए। "ग" क्षेत्र में श्रीनगर में स्थित कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, जो 31 मार्च, 1990 तक हिन्दी आशुलिपि जानने वालों को भर्ती करके और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाकर पूरा करना है।

3. महामहिम राज्यपाल श्री जगमोहन ने राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की सराहना की और यह कहा कि राजभाषा विभाग का कार्य एक चुनौती का कार्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि यदि इसको सरल बनाया जाए। हिन्दी फिल्मों के योगदान का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी फिल्मों ने राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हिन्दी की प्रगति और प्रचार के लिए उपस्थित जन समूह को प्रेरित करते हुए आश्वासन दिया कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके प्रोत्साहन के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

4. महामहिम राज्यपाल ने राजभाषा हिन्दी का सर्वोत्तम कार्य करने वाले कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के प्रतिनिधियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को पुरस्कार वितरित किए। प्रथम पुरस्कार

श्री एम.ए. रहमान, अध्यक्ष, जम्मू तथा कश्मीर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रदान किया गया। अन्य पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:—

(1) श्री जे.सी. सेठी — अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर

(2) श्री भेजानाथ — अध्यक्ष, न.रा.का.स. इलाहाबाद (बैंक)

(3) श्री जी.सी. अग्रवाल — अध्यक्ष, न.रा.का.स, कानपुर

(4) श्री बी.पी. बंगोनी — अध्यक्ष, न.रा.का.स, फरीदाबाद

(5) श्री आर.के. मल्होत्रा — अध्यक्ष, न.रा.का.स, लुधियाना

(6) श्री वेद कुमार — अध्यक्ष, न.रा.का.स. श्रीनगर

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को ट्राफी

(1) श्री ए.सी. नन्दा, आयकर आयुक्त का कार्यालय, अमृतसर।

(2) श्री आर.के. वर्मा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

(3) महालेखाकार का कार्यालय, जयपुर।

(4) कर्नल सुरेन्द्र प्रकाश मेहता, मानचित्र प्रकाशन कार्यालय, देहरादून।

(5) श्री हरि मोहन अग्रवाल, मंडल रेल प्रबन्धक का कार्यालय, झांसी।

(6) डा. एच.आर. गुप्ता, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू।

केन्द्रीय कार्यालयों के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र

(1) श्री एम.एल. गुप्ता, मंडल रेल प्रबन्धक का कार्यालय, पश्चिमी रेलवे।

(2) श्री जी.एस. ओबराय, भारतीय सर्वेक्षण, चंडीगढ़।

(3) श्री तरसेम राव, रक्षा लेखा नियंत्रण का कार्यालय, उत्तरी कमान।

(4) श्री हकीम सिंह ढिल्लों, पंजाब नेशनल बैंक, अचल कार्यालय, जयपुर।

(5) श्री एम.एल. रेखी, पंजाब नैशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय श्रीनगर।

(6) श्री मुख्तयार अहमद, यूनियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर।

(7) श्री सुरेन्द्र पाल वाडीया, यूनियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर।

(8) श्री एस. सुब्रह्मण्यम, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला।

(9) श्री नरेश मल्होत्रा, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा खान मार्केट, नई दिल्ली।

भारत सरकार के उपक्रम

(1) श्री बी.वी. शेट्टी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद।

(2) श्री एस.एस. अबरोल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चंडीगढ़।

(3) श्री एस.के. जोशी, नैशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली।

(4) श्री पी.एस. राव, भारत एल्यूमीनियम, कंपनी लि., नई दिल्ली।

(5) श्री के. एल. साहनी, सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।

(6) श्री ए. एस. वन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., श्री नगर।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार

(1) श्री जगदीश सेठ, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

तिरुअनंतपुरम में प्रथम बार 'दक्खिणी हिन्दी' पर अखिल भारतीय संगोष्ठी

हिन्दी की विकासयात्रा में दक्खिनी हिन्दी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हिन्दी का ऐसा रूप है जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार के पहले ही दक्षिणवालों को हिन्दुस्तानी के नाम से परिचित था। 13वीं से 17वीं सदी तक की अवधि में रूपायित और विकसित दक्खिनी, साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध हो सकी थी। चूंकि वह फारसी लिपि में लिखी गई। इसलिए उसकी अनेक पांडुलिपियां बाद में अप्रकाशित रह गई। दक्खिनीभाषी दक्षिण के चारों प्रान्तों में रोजी-रोटी के सिलसिले में पहुंचे और बस गये। आन्ध्र में इनकी संख्या अधिक है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी ये हैं। दक्खिनी पर पड़ोसी भाषाओं का प्रभाव होना सहज बात है। इस भाषा के और भी अनेक पहलू हैं जो भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के योग्य हैं। परन्तु विद्वानों और विश्वविद्यालयों के आचार्यों का ध्यान इस पर बहुत कम गया था। दक्खिनी हिन्दी पर भारत में पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी केरल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तिरुअनंतपुरम पर 22, 23, 24 जनवरी, 1988 को आयोजित हुई। इसके निदेशक थे—डा. एन.ई. विश्वनाथ अय्यर।

संगोष्ठी का विषय था—"दक्खिनी हिन्दी और दक्षिण की भाषाएं।" संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए केरल राज्य के माननीय शिक्षा-मंत्री श्री चन्द्रशेखरन ने इस पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों को अपनी तरफ से ऐसे विषयों पर विशेष पाठ्यक्रम तथा गोष्ठियां आयोजित करना चाहिए। उन्होंने इस मान्यता को निराधार बताया कि विज्ञान का भाषा से संबंध नहीं है और विज्ञान के संस्थानों में भाषा अप्रासंगिक है। उदाहरणों से उन्होंने समझाया कि भाषा की नींव पर ही विज्ञान का विकास किया जा सकता है। उन्होंने विद्वानों को आह्वान किया कि गोष्ठी में सभी भारतीय भाषाओं का विकास करने की दृष्टि से विचार करें।

इस गोष्ठी की अध्यक्षता केरल विश्वविद्यालय के कुलपति डा. जी. बालमोहन तंपी ने की। श्री तंपी केरल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं जिन्होंने केरलीय होते हुए भी वाराणसी की प्रांजल भाषा, शैली और तर्ज में हिन्दी में विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया। डा. तंपी ने देश के भाषापरक इतिहास की ओर ध्यान दिलाते हुए समझाया कि ऐतिहासिक अध्ययन के दौरान धार्मिक संकीर्णताएं आड़े आती हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि गोष्ठी में दक्खिनी पर भाषा-वैज्ञानिक एवं अन्य दृष्टियों से विचार किया जायेगा।

गोष्ठी का प्रारंभिक मुख्य भाषण दक्खिनी के अनन्य विद्वान डा. परमानंद पांचाल ने दिया। दक्खिनी का पूरा ऐतिहासिक विकास आंकते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी साहित्य के अध्येताओं को दक्खिनी हिन्दी के उपेक्षित ग्रंथजाल का भी अध्ययन करना चाहिए। इसमें देवनागरी लिपि में दक्खिनी ग्रंथों का प्रकाशन सहायक सिद्ध हो सकता है। निदेशक से यह सूचना पाकर वे प्रसन्न हुए कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत होने वाले नये विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में दक्खिनी का स्थान रहेगा।

गोष्ठी में दक्षिण के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने भाग लिया। चर्चित विषयों में प्रमुख थे—दक्खिनी हिन्दी और हिन्दी साहित्य के विकास में उसका योगदान, दक्खिनी का व्याकरण, दक्खिनी संस्कृति—इतिहास के आइने में, आंध्र प्रांत में दक्खिनी हिन्दी का साहित्य एवं उसमें भाषा का स्वरूप, दक्खिनी और कन्नड़ का परस्पर प्रभाव, दक्खिनी और तमिल, केरल के दक्खिनी भाषी लोगों का परिचयात्मक विश्लेषण, स्वाति तिरुनाल के हिन्दी गीतों में दक्खिनी का तत्व, आदि।

गोष्ठी से कई तथ्यगत निष्कर्ष प्रकाश में आए—जैसे दक्षिण की भाषाओं में दक्खिनी के और दक्खिनी द्वारा फारसी, अरबी के अनेक शब्द घुल-मिल गये हैं। दक्षिण में रूपायित एवं विकसित दक्खिनी प्रान्तीय भाषाओं से घनिष्ठ रूप से प्रभावित हुई। यह उसके बोलचाल के रूपों से प्रकट है। दक्खिनी का महत्व ऐतिहासिक और भाषावैज्ञानिक ही है। इसे राजस्थानी, मैथिली आदि की तरह उभारने का प्रयास हिन्दी के हित में नहीं होगा।

गोष्ठी के समापन सत्र में केरल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डॉ. ए. सुकुमारन नायर मुख्य अतिथि थे और अध्यक्ष थे—डॉ. वेंकटरमण राव, प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय। डॉ. पी. ऐ.ए. करीम, डीन, कालेज डेवलपमेंट कौंसिल वि.वि. (जो स्वयं दक्खिनी भाषी हैं) भी बोले।

गोष्ठी के अन्त में यह अनुभव किया गया कि दक्खिनी का अधिक गहरा और विस्तृत अध्ययन विश्वविद्यालयों में होना चाहिये तथा अन्य विश्वविद्यालयों को इस गोष्ठी से प्रेरणा लेकर इस विचार-विनिमय को आगे बढ़ाना चाहिए।

—डॉ. एन.ई. विश्वनाथ अय्यर

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना में राजभाषा संगोष्ठी

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में दिनांक 2-11-87 को प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र में "सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग-समस्याएं और सुझाव" नामक विषय पर एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के अध्यक्ष—सह-प्रबन्ध निदेशक, श्री दिलबागराय आहूजा ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की और श्री रंगराजन, मंडल रेलवे प्रबंधक और अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसके मुख्य अतिथि रहे। अब तक विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना में आयोजित 8 हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 120 कार्यपालकों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इनके पहले 120 प्रबंधक प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजभाषा हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। उन्हें भी इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और वर्तमान सत्र के करीब 100 प्रबंधक प्रशिक्षणार्थी भी इस संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित रहे।

संगोष्ठी में अध्यक्षीय भाषण में श्री दिलबागराय आहूजा ने कहा कि आजकल परियोजना में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उत्साहजनक है। वस्तुतः राजभाषा हिन्दी के अध्ययन में हर एक देशवासी के दिल में राष्ट्रीय समग्रता की एक अटूट भावना पैदा होती है। परन्तु सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी को एक उपयुक्त माहौल बनाना होगा। इसी से सरकारी कर्मचारी हिन्दी को एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर पाएंगे और अपने कार्यालयीन काम में हिन्दी का प्रयोग कर पाएंगे। हिन्दी के प्रयोग के लिए उपयुक्त वातावरण को पैदा करने की दिशा में हमें चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक जीवन में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की चेष्टा करें। पत्र-पत्रिकाओं और सार्वजनिक सम्मेलनों में हिन्दी के प्रयोग से यह काम आसान होगा।

श्री रंगराजन ने विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986-87 के दौरान विशाखापट्टनम में हिन्दी के सर्वाधिक कार्यान्वियन के लिए परियोजना को नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तरफ से प्रथम पुरस्कार मिला, यह बड़े गर्व की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना के सभी विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का प्रयास हमेशा जारी रहेगा।

हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय के प्रवक्ता और संसदीय गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य डा. वै. लक्ष्मी प्रसाद ने संगोष्ठी में भाग लेने वाले कार्यपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि "आजकल हिन्दी का प्रयोग और प्रसार सारे देश में बढ़ रहा है। लोगों में हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ रही है। हिन्दी फिल्म और दूरदर्शन के कार्यक्रमों ने जो भूमिका निभाई, उससे हिन्दी के प्रचार को बहुत ही बल मिला। हिन्दी भारत के 40 करोड़ से भी अधिक लोगों की मातृभाषा या व्यावहारिक भाषा है। 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की संपर्क भाषा होने के कारण महात्मा गांधी सहित कई अहिन्दी भाषी देशभक्तों ने हिन्दी को राजभाषा के रुप में मान्यता दी। दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, उन कार्यालयों के कर्मचारियों में और उनके प्रबंधनों में हिन्दी के प्रति, हिन्दी के प्रयोग के प्रति, सरकारी कामकाज के दौरान हिन्दी के कार्यान्वियन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस दिशा में परियोजना के प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। आजकल सबकी यह आशा बनी है कि भविष्य में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति होगी। कार्यालयीन कार्य के दौरान पत्राचार के लिए विविध अनुभागों से संपर्क के लिए अपनी हिन्दी का प्रयोग करेंगे और इस तरह के प्रयोग में हिचकिचाहट नहीं बल्कि गर्व करेंगे। राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग करते हुए हमारा दिल उत्साह के साथ भर जाता है, क्योंकि हिन्दी हमारे दिल की भाषा है, मस्तिष्क की नहीं।"

इसके पश्चात हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक (तकनीकी) श्री एम नागराजु ने सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के महत्व को समझाया।

इस परियोजना के राजभाषा अधिकारी श्री. सी. एल. नारायण ने संगोष्ठी में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कार्यपालकों का स्वागत करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में राजभाषा संगोष्ठी के महत्व को दर्शाया और विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना के अन्तर्गत संपन्न होने वाले राजभाषा हिन्दी से संबद्ध विविध कार्य कलापों को प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के विषय का परिचय देते हुए इस परियोजना के हिन्दी अधिकारी डा. एस. कृष्णबाबू ने कहा कि "विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना जैसे औद्योगिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए हिन्दी का प्रयोग, हिन्दी का कार्यान्वियन और हिन्दी का प्रोत्साहन होना उतना आसान नहीं। इस परियोजना के विविध मंडलों में काम करने वाले विविध कार्यपालकों को अपने अपने कार्य की प्रकृति के आधार पर पत्र आदि तैयार करना पड़ता है, मसौदे बनाने पड़ते हैं। इस अवसर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान उनके सम्मुख उपस्थित नहीं रहता। उनकी मदद करने के लिए यद्यपि हिन्दी कक्ष तैयार है फिर भी वे इस दिशा में अपनी समस्याओं को उतनी आसानी से हल नहीं कर पाते। इस दिशा में उपयुक्त सुझाव प्राप्त करने के लिए ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

इसके पश्चात विविध विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित कार्यपालकों ने अपने अपने विभागों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में और उस अवसर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया।

1. श्री एस जगन्नाथन, सहायक प्रबंधक (कार्मिक)
2. श्री एस सी नाग, सहायक प्रबंधक (डी व ई)
3. श्री टी के डे, सहायक प्रबंधक (निरीक्षण)
4. श्री सुकुमार, औद्योगिक अभियंता (औ अ विभाग)
5. श्री बी सुब्बाराव, जोनल अभियंता (निर्माण)
6. कु. शीला प्रियदर्शिनी, कनिष्ठ प्रबंधक (क्रय)

इन सभी प्रतिनिधि कार्यपालकों ने स्पष्ट किया कि अपने अपने विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है। उपर्युक्त कार्यपालकों द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार है :—

सुझाव सेवा :—

(1) कार्मिक संहित के विविध नियम समुदायों को इस परियोजना के हिन्दी कक्ष, द्वारा अनुवाद करा समय-समय पर द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाए, ताकि प्रस्तावों को हिन्दी में बनाते समय उनका उपयोग किया जा सके। "गैर कार्यपालकों के लिए प्रमाणित स्थाई आदेश", "कर्मचारी सुझाव योजना" को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया। "निर्योग्यता क्षतिपूर्ति योजना" को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने का काम चल रहा है और इसी प्रकार अन्य नियमावलियों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाए, ताकि उन्हें हिन्दी में काम करते समय उपयोग में लाया जा सके।

(2) नियंत्रण अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान न होने के कारण उनके अधीनस्थ कार्यपालकों द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव आसानी से अनुमोदित नहीं होते। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि पहले-पहल प्रस्तावों को अनुमोदित करने वाले सभी नियंत्रण अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देना चाहिए।

(3) कार्यपालकों को विभागवार प्रशिक्षण देना उपयुक्त होगा, क्योंकि एक सत्र में एक ही विभाग के सभी कार्यपालक उपस्थित हों और उन्हें उस विभाग से संबंधित शब्दावली के हिन्दी रूपांतर बता दिया जाए और उस विभाग से संबंधित कार्य के लिए आवश्यक भाषा-शैली को समझा दिया जाए तो वे हिन्दी में अपने काम को प्रभावी ढंग से कर पायेंगे।

(4) विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है और यहां देश के विविध भागों से आए हुए कार्यपालक काम कर रहे हैं। इनमें प्रायः 80 प्रतिशत कार्यपालक हिन्दी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं लेकिन लिखना और पढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं। ऐसे सभी कार्यपालकों को हिन्दी लिखना, पढ़ना सिखा दिया जाए तो हिन्दी का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया जा सकता है।

(5) "वी एस पी न्यूस" जैसी पत्रिकाओं को हिन्दी में भी प्रकाशित करके वितरित किया जाए तो कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उसे सीखने में वे उत्सुकता दिखाएंगे।

इसके पश्चात द्विभाषी रूप में प्रकाशित वी एस पी "कर्मचारी सुझाव योजना" नामक पुस्तिका का श्री दिलबागराय महूजा ने विमोचन किया और हिन्दी टंकण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के लिए रू. 200/- (दो सौ रुपये) का नकद पुरस्कार वितरित किया।

1. श्री ए गोपालकृष्ण सहायक, (पी पी एंड ई पी)
2. श्री एस एल अली बेग, सहायक (क्रय)
3. श्री डी शिवाजी, सहायक (आशुलिपि/टंकण), (कार्मिक
4. श्री एस लक्ष्मीपतिराजु, सहायक (नगर प्रशासन)
5. श्री बी वी कृष्णमूर्ति, सहायक (क्रय)
6. श्री पी शेखरबाबु, वरिष्ठ सहायक (पीपीएडईपी)
7. श्री एस सत्यनारायण, सहायक (पी पी एंड ई पी)
8. श्री के आर गोपाल राव, वरिष्ठ सहायक (सी ओ एंड बी पी पी/निर्माण)
9. श्री के एन बी आंजनेयुलु, वरिष्ठ सहायक (कार्मिक)
10. श्री एस वासुदेवराव, सचिवालय सहायक (डी व ई)
11. श्री बी रामशेखर, वरिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण)

दि. 1.4-1987 से दि. 30-9-1987 तक की अवधि में वीएसपी के विविध विभाग के अंतर्गत हिन्दी में अधिकाधिक पत्र भेजन के लिए विपणन विभाग के उप मुख्य प्रबन्धक श्री आर कृष्णन को "वी एस पी राजभाषा शील्ड" प्रदान की गई।

तदुपरांत हिन्दी सप्ताह के अवसर पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के निम्नलिखित विजेताओं को श्री रंगराजन, मंडल रेल्वे प्रबन्धक, दक्षिण पूर्व रेल्वे, विशाखपट्टणम द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया।

हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता :—

प्रथम पुरस्कार : श्री जी श्रीनिसासराव, सहायक (आशुलिपि टंकण), कार्मिक विभाग

द्वितीय पुरस्कार : श्री एस राधाकृष्ण, वरिष्ठ सहायक (ठेका)

तृतीय पुरस्कार : श्री एसजगन्नाथन, सहायक प्रबंधक (कार्मिक)

हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार : श्री एस चन्द्रशेखर, उप प्रबधक (कार्मिक)

द्वितीय पुरस्कार : श्री आर बालसुब्राहमण्यम, कनिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

तृतीय पुरस्कार : श्री एस जगन्नाथन, सहायक प्रबंधक (कार्मिक)

हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता :—

प्रथम पुरस्कार : श्री डीएनपाल, उप मु. अ. (सीईआरसी)

द्वितीय पुरस्कार : श्री एन जगदीश प्रसाद वरिष्ठ सहायक (डी व ई)

तृतीय पुरस्कार : श्रीमती पी के एम बक्ष्मी, कार्यालय अक्षीक्षक (कांनी सचिवालय)

डा. एस कृष्णबाबु, हिन्दी अधिकारी के आभार निवेदन से संगोष्ठी परिसमाप्त हुई।

इस संदर्भ में बी एस मेपी के हिन्दी कक्ष द्वारा इस परियोजना के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों के दर्शानेवाली एक हिन्दी प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया, जिसको सभी आहूत सज्जनों ने देखा।

दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० कुल्टी वर्क्स, मर्नपुर में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन पर विचार गोष्ठी

गत 22 मार्च, 1988 को तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के सभागार में हिन्दी प्रकोष्ठ, कुल्टी की ओर से एक विचारगोष्ठी आयोजित की गई। विचार-गोष्ठी का विषय था—वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन—हिन्दी में। इस गोष्ठी में विभागाध्यक्ष तथा हिन्दी समन्वयकर्त्ता आमंत्रित थे। विचारगोष्ठी की अध्यक्षता सहायक महा प्रबन्धक (वर्क्स) श्री लाल बहादुर सिंह ने की।

प्रस्तावित विषय पर चर्चा करने के पूर्व सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री नन्द कुमार मिश्र ने उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लेखन-कार्य की दिशा में कुल्टी वर्क्स द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। इस क्रम में उन्होंने बताया कि कुल्टी वर्क्स की तकनीकी त्रैमासिक पत्रिका "शिल्पालोक" के माध्यम से अनेक कर्मियों के लेख छपे हैं। हिन्दी में तकनीकी विषयों पर भी लिखना अब सहज बन गया है।

विषय पर चर्चा करने के क्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे। श्री श्यामल राय, अधीक्षक (फा.) ने कहा कि हिन्दी में तकनीकी लेखन कार्य में सबसे बड़ी कठिनाई हिन्दी पर्याय ढूंढने की है। यदि लेखक के पास शब्दकोष उपलब्ध हो तो सुविधा होगी। परन्तु ऐसा नहीं, कि शब्दकोष के अभाव में हम लिखना शुरू ही न करें। हम लिखें, क्योंकि प्रयोग से ही प्रवीणता प्राप्त होगी।

श्री मृणाल कांति घोष ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रचालन कार्य में जिन शब्दों को सामान्य कर्मी इस्तेमाल करता है, उन्हें तदनुरूप स्वीकार कर हमें प्रयोग करना चाहिए। विद्युत अभियन्ता श्री पी.एन० पुरी ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग इसलिए अधिकाधिक नहीं हो रहा है क्योंकि लेखकों में अपेक्षित आत्म विश्वास का अभाव है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि तकनीकी हिन्दी में सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश रहना चाहिए।

कुल्टी वर्क्स के मुख्य अधीक्षक (फा. व स्पन पाइप) श्री हृदयानन्द सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपने मन से अंग्रेजी के प्रति मोह को हटा देना चाहिए। साथ ही भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आस्था को बढ़ाना चाहिए। हिन्दी और बंगला भाषाएं एक दूसरे के काफी करीब हैं। वर्क्स के हिन्दीतर भाषी कर्मियों ने तो हिन्दी भाषा को बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज आवश्यकता है कि हम कोशिश करें और बड़ी गोष्ठियों, सभा एवं बैठकों में हिन्दी में बोलें। लाइट कास्टिंग विभाग के श्री कुलकर्णी ने बताया कि लोगों की प्रमुख कठिनाई यह हो जाती है कि सबसे पहले अनुवाद की बात सोचने लगते हैं। पहले, अंग्रेजी लिखेंगे और तब उसे हिन्दी में लिखने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हम तकनीकी बात को भी अपनी भाषा में ही लिखना शुरू करें।

इस्पात फाउंड्री के श्री के. विश्वास ने अपने जोरदार भाषण में हिन्दी भाषा के महत्व को बतलाते हुए कहा कि हमें यह कोशिश करनी है कि हिन्दी हमारे राष्ट्र के व्यक्तित्व को निखारे। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हिन्दी हमारी है और इसकी श्रीवृद्धि में हमें योगदान करना है। आज के संदर्भ में अगर कोई कहता है कि हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों का अभाव है तो यह बात बिल्कुल गलत है। हिन्दी में विज्ञान एवं तकनीकी की अनेकानेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हम अगर नहीं लिखते तो मतलब यह है कि हम में इच्छाशक्ति का अभाव है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि हमें अनवरत प्रयास करना है। पर्याय के लिए अटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें देवभाषा नहीं जनभाषा चाहिए।

वर्क्स निरीक्षण विभाग के श्री एन.के. चटर्जी ने कई बहुमूल्य सुझाव रखे। अपने वक्तव्य में उन्होंने शिल्पालोक में एक पृष्ठ तकनीकी शब्दों के लिए सुरक्षित रखने पर बल दिया। चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ (औषधि) डा. विद्या भूषण गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। ऐसा इसलिए है कि यह विज्ञान विदेशों से आया है। परन्तु इस विज्ञान को भी हिन्दी में लिखना कठिन नहीं है।

उप प्रबन्धक (हिन्दी) श्री पौहारी शरण सिन्हा ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि हिन्दी में तकनीकी लेखन-कार्य कठिन नहीं है। उन्होंने सेल मुख्यालय द्वारा दिल्ली में आयोजित तकनीकी लेखन पर हुई कार्यशाला में व्यक्त विचारों को उद्धृत करते हुए बहुत सी बातों को स्पष्ट किया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि शब्दों का चयन अनुभव के आधार पर अपने परिवेश से ही हो तो लेखन लोकप्रिय होगा।

अंत में उन्होंने कहा कि हमें भावी समाज के लिए, भावी पीढ़ी के लिए हिन्दी में तकनीकी लेखन-कार्य को प्रश्रय देना है। क्योंकि उधार की भाषा हमारे चिंतन को बौना बनाती है। प्रतिभा का सहज विकास और प्रदर्शन तो मात भाषा द्वारा ही संभव है।

अन्त में सहायक महा प्रबन्धग (वर्क्स) श्री एल.बी. सिंह ने सभी वक्तव्यों एवं सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि हमें संकोच छोड़कर प्रयास करना चाहिए। कठिनाई

वहीं है जहां प्रयास का अभाव होता है। प्रयास से सब कुछ संभव है। हिन्दी एक सहज भाषा है। यह एक कड़ी है। इसे हमें मिलजुलकर मजबूत करना है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर

"सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग"

संस्थान में दिनांक 18 दिसम्बर, 1987 को "सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग" विषयक एक दिवसीय "हिन्दी संगोष्ठी" का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के आयोजन का मूल उद्देश्य सरकारी कार्यालय की संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को अधिकाधिक सुनिश्चित करना तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय (मुख्यालय) की "हिन्दी संवर्द्धन योजना" को मूर्त रूप देना था।

संगोष्ठी का प्रारम्भ नन्ने-मुन्ने बच्चों के स्वागत गीत से हुआ। श्री तपेन्द्रनाथ बसु, निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर ने स्वागत भाषण में कहा कि लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर में संगोष्ठी के आयोजन से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के नये आयाम खुलेंगे, जिससे हिन्दी अपने बेहतर रूप को प्राप्त कर सकेगी।

श्री नाहर सिंह वर्मा, सहायक निदेशक, (राजभाषा) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली ने संगोष्ठी की भूमिका पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संगोष्ठियों के आयोजन से हमें अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की मानसिकता बदलने में काफी सहायता मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संबन्धित संगोष्ठियों के आयोजन से राजभाषा हिन्दी सरकारी कार्यालयों की दैनिक गतिविधियों में अपना अपेक्षित स्थान पा सकेगी।

संगोष्ठी का उद्घाटन श्री टी.एस. श्रीनिवासन, आयकर आयुक्त, आयकर कार्यालय, नागपुर ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिन्दी इस देश की राजभाषा है अतः हम सबका पावन कर्त्तव्य है कि सरकारी कामकाज में उसका अधिकाधिक प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि हिन्दी भारत के लघु उद्योगों में ही नहीं, जीवन के हर उद्योग में संपर्क भाषा में रूप में एक अभीष्ट भूमिका निभा रही है देश में सभी को संपर्क सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की इन संगोष्ठियों के आयोजन से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को एक नया बल मिल सकेगा।

संगोष्ठियों की अध्यक्षता श्री ए. के. घोष, निदेशक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर ने की। उन्होंने कहा कि हिन्दी एवं भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं का संबंध हमारे लिए मां और मौसी का संबंध है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अहिन्दी प्रदेश के निवासियों को अपनी मां तुल्य मातृभाषा से एक अटूट एवं अतुलनीय प्यार, निष्कपट स्नेह होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मां के बाद मौसी का ही स्थान पूजनीय होता है। अतः सभी भारतवासियों को अपनी मातृभाषा के समान ही मौसी रूपी राजभाषा हिन्दी को पूजनीय मानना चाहिए।

प्रथम सत्र :

प्रथम सत्र का प्रारम्भ "हिन्दी भाषा और राष्ट्रीय एकीकरण" विषय लेकर किया गया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री प्रतापसिंह, अधीक्षक अभियन्ता, आकाशवाणी नागपुर ने की। संबंधित विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डा. सरजूप्रसाद मिश्र, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मारिस कॉलेज, नागपुर तथा अन्य वक्ताओं में श्री शरदचन्द्र पेढांकर, श्री राजेन्द्र जोशी, श्री एस.एम. इंगोले, ने भी अपने विचार प्रकट किए।

डॉ. सरजू प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रीय एकता के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलने में हिन्दी ने जो भूमिका निभाई है उसका वर्णन करते हुए बताया कि प्रादेशिक भाषाओं को भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास यज्ञ में अपनी आहुति डालनी होगी। यही स्वस्थ दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के लिए हितदायी सिद्ध होगा। श्री शरदचन्द्र पेढांकर, हिन्दी अधिकारी, नागपुर, टेलीफोन्स ने बताया कि हमें संकल्प करना चाहिए कि हम हिन्दी के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और रोजमर्रा के व्यवहार में हिन्दी का और केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे। श्री राजेन्द्र जोशी ने प्रगामी प्रयोग पर बल देते हुए बताया कि हिन्दी भारत देश की एकता की कड़ी है। श्री एस.एम. इंगोले ने कहा कि हिन्दी अपने अन्दर निहित गुणों के कारण ही राजभाषा है। उन्होंने बताया कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने देश की भाषाओं का आदर करें। हमें सात समुन्दर की भाषा अंग्रेजी के मिथ्या मोह को छोड़कर अपना सारा कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करना चाहिए।

प्रथम सत्र के द्वितीय चरण में "भारत की राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन" विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में श्री सत्यप्रकाश भारद्वाज, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, नागपुर तथा अन्य वक्ताओं में श्री पी.एम. नायडू, श्री रविकुमार माथुर, श्री हरिनारायण शुक्ल तथा श्री पी.एम. अग्रवाल, ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री सत्यप्रकाश भारद्वाज ने कहा कि यूं तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं किन्तु राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में आज भी पिछड़ रहे हैं। अंग्रेजी का मोह हम अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। नियति का यह नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी भाषा की चमकती बैशाखी के सहारे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम किसानों की भाषा में बोलें तो संपूर्ण देश में हरित क्रान्ति हुई। औद्योगिक क्रान्ति के लिए भी हमें मजदूरों की भाषा में बोलना होगा।

इस प्रकार प्रथम सत्र में अनेक वक्ताओं ने अपने-अपने मंतव्य प्रसून राजभाषा हिन्दी को समर्पित किए। अन्त में श्री प्रतापसिंह, अधीक्षक अभियन्ता, आकाशवाणी, नागपुर ने

सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सही माने में भारत जैसे देश में हिन्दी ही एक ऐसी सशक्त और अधिकतर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है जो समान रूप से सभी क्षेत्रों में संपर्क भाषा का दायित्व निभाते हुए समूचे देशवासियों को एक सूत्र में जोड़े हुए है।

द्वितीय सत्र :

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र का आरम्भ "लघु उद्योगों में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका" विषय लेकर किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता श्री एस.एम. खां, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ने की। संबंधित विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. रामप्रकाश सक्सेना, विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर तथा अन्य वक्ता के रूप में श्री हिम्मतलाल के. जोशी थे। डॉ. सक्सेना ने हिन्दी की भूमिका को भाषा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लेकर स्पष्ट किया कि हिन्दी भाषा संप्रेषण क्षेत्र में कितनी सरलता से व्यवहार में आने वाली भाषा है। उन्होंने भाषा के विकास का विशद वर्णन करते हुए समझाया कि भारत के लघु उद्योगों में जहां साधारण पढ़ी-लिखी जनता से उत्पादन से लेकर विपणन तक की सारी क्रियाएं चलती हैं। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो मालिक और मजदूरों, क्रेता और विक्रेताओं में भाव संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। उन्होंने बताया कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो अपने अन्दर निहित विशेषताओं के कारण एक बहुत बड़े जन-समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। उन्होंने कहा कि यह द्रष्टव्य है कि हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में जिन व्यवहार क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होता है, एक भिन्न प्रकार का हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित रूप उभरता दिखाई दे रहा है। भाषा मिश्रण या कोड स्पीचिंग की यह प्रवृत्ति व्यवहार में इतनी प्रबल हो गई है कि कम से कम हिन्दी के मौखिक भाषा व्यवहार का एक अभिन्न अंग बन गई है। लघु उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए इस रूप का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा।

द्वितीय सत्र में "हिन्दी सामासिक संस्कृति की संवाहिका" विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. वेदप्रकाश मिश्र, व्याख्याता शासकीय वैद्यक महाविद्यालय नागपुर एवं अन्य वक्ता के रूप में श्रीमती प्रेरणा गुप्ता, ने विचार व्यक्त किए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हिन्दी भाषा ने आदि काल से लेकर आधुनिक काल की लम्बी अवधि में भारत जैसे एक विशाल देश को एकता के सूत्र में आबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश में महान सन्तों, भाषा-विदों एवं ज्ञानियों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी को ही माध्यम बनाया। डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने अन्त में सुबह से शाम तक विभिन्न विषयों पर विद्वानों के विचार एवं उनके ज्ञान का अमृत पान करते-करते थके हुए श्रोताओं को भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आधार बनाते हुए उनमें राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना को अपने ओज भरे भावों से उद्वेलित कर एक नयी चेतना एवं जोश पैदा कर दिया। उन्होंने बताया कि आज हम अपने देश की अस्मिता से कटकर कहीं और भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिन्दी और सामासिक संस्कृति की बात करने से पहले हमें अपने अन्दर झांककर देखना होगा कि इस देश में रहकर राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अस्मिता का बोध हम कितना कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी ने आज भारत जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में आबद्ध किया है। उसमें निहित गुणों के आधार पर ही उसे आज राजभाषा के पावन गौरवशाली स्थान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि हिन्दी का विकास राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है। हमें हर कीमत पर इस राष्ट्रीय अस्मिता को वहन करना होगा।

द्वितीय सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री एम.एस. खां, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए अपने सेवाकाल में भारत में विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के अनुभवों के आधार पर बताया कि हिन्दी में वास्तव में एक ऐसा आन्तरिक गुण है जिससे देश का हर प्रान्त का निवासी आकर्षित होकर उसको सहज में ही अपना लेता है। उन्होंने बताया कि हिन्दी दिन-प्रतिदिन अपेक्षित गंतव्य की ओर अग्रसर है और आशा व्यक्त की कि संबंधित संगोष्ठियों के आयोजन से हिन्दी राजभाषा के रूप में अधिकाधिक निखार एवं प्रचार-प्रसार पायेगी।

अन्त में श्री भोजराज, लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी, नागपुर ने सभी उपस्थित सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए संगोष्ठी का समापन किया।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

"राजभाषा नीति के अनुपालन में आने वाली कठिनाइयां और उनके समाधान" पर सेमीनार

7 जनवरी, 1988 को विदेश मंत्रालय के अकबर भवन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिव और दूसरे उच्चस्तरीय अधिकारियों का सेमिनार हुआ। सेमिनार का विषय था—"राजभाषा नीति के अनुपालन में आने वाली कठिनाइयों और उनका समाधान" इस सेमिनार की अध्यक्षता राजभाषा विभाग के सचिव श्री वी० वी० महाजन ने की।

2. राजभाषा विभाग, नागर विमानन मंत्रालय और महासागर विकास विभाग की ओर से सेमिनार के लिए पेपर सभी उपस्थित अधिकारियों में परिचालित किए गए।

3. चर्चा में भाग लेते हुए श्री एस. गणेश पांडियन निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने विभाग द्वारा पारिचालित पेपर की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा इस समय सभी संस्थानों में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती है, इस लिए इन संस्थानों में से जो छात्र पढ़ कर केन्द्र सरकार की इंजीनियरी और तकनीकी सेवाओं में आते हैं वे हिन्दी में अपने विषयों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में इस समय जिन विमानों का नागर विमानन के लिए प्रयोग हो रहा है वे सभी विदेशों में बने हैं और उनका संचालन व रख-रखाव, संबन्धित मैनुअल उनके निर्माताओं द्वारा अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में अभी हिंदी का प्रयोग संभव नहीं हो पाएगा।

इसके अलावा सभी प्रचालन कार्यों में सभी देशों ने अंतराष्ट्रीय नगर विमानन संगठन और अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन की मान्य भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है।

4. श्री के.के. द्विवेदी जो राजस्व विभाग में सदस्य (एल एंड जे) हैं, ने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों को हिन्दी में काम करना चाहिए और मंत्रियों तथा सचिव स्तर के अधिकारियों को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए।

5. महासागर विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री ना. द्विवेदी ने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया कि उनके विभाग द्वारा जो जहाज विदेशों से खरीदे जाते हैं उनके नाम हिन्दी में ही रखे गए हैं। हिन्दी में रखे गए ये नाम विदेशों में प्रचलित हो गए हैं। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि सरकार द्वारा मूल पुस्तकें लिखने पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे अब अपर्याप्त हो गए हैं। आजकल पुस्तक लिखने में खर्च बढ़ गया है। संदर्भ साहित्य मंहगा खरीदना पड़ता है, आंकड़े इकट्ठे करने और इन्टरव्यू लेने आदि में भी यात्रा व्यय का खर्च बहुत हो जाता है। इसलिए यदि अच्छे स्तर की हिन्दी पुस्तकें लिखवाई जानी हैं तो मौजूदा पुरस्कार की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

6. शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दा.न. सुकथनकर ने विचार व्यक्त किया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक साधन जैसे टाइप-राइटर, आशुलिपिक, टाइपिस्ट, अनुवादक, हिन्दी अधिकारी आदि जुटाए जाने चाहिए। परन्तु सबसे बड़ी आवश्यकता अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की है। उन्होंने श्री द्विवेदी के इस विचार से सहमति प्रकट की कि मंत्रियों और सचिवों को हिन्दी में काम करने में पहल करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों को अधिक उदार बनाया जाना चाहिए और इसके लिए दंड का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

8. सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री के. रामानुजम ने विचार व्यक्त किया कि हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए ये आवश्यक है कि हर कर्मचारी और अधिकारी को हिन्दी का ज्ञान कराया जाए। हिन्दी सिखाने के लिए किसी दबाव का नहीं, बल्कि प्रेरणा और प्रोत्साहन का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन और पुरस्कार को कार्यालय में हिन्दी में काम करने से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि हिन्दी के पदों पर लगे कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में पदोन्नत के समुचित अवसर जुटाए जाने चाहिए।

8. डाक सेवा बोर्ड के सचिव श्री आर.सी. गुप्त ने हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी शिक्षण पर जोर दिया।

9. विधायी विभाग के संयुक्त सचिव डा.पी.के. जैन ने विचार व्यक्त किया कि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद न करके मूल दस्तावेज हिन्दी में तैयार किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए। पदों के बारे में उन्होंने बताया कि हिन्दी के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं मिलती है जबकि अंग्रेजी के काम के लिए मांगे जाने वाले पद आसानी से स्वीकृत हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विभिन्न ट्राइब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति में हिन्दी में काम करने वाले विधिक कर्मचारियों को भी समान अवसर मिलने चाहिएं।

10. जल भूतल परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री योगेंद्र नारायण ने मत व्यक्त किया कि कार्यालयों में आम बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को अपना काम हिन्दी में करना चाहिए।

11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रभात मेहरोत्रा ने सुझाव दिया कि मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त सचिव की बजाए सचिव की अध्यक्षता में की जानी चाहिए ताकि उनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर गंभीरता से विचार किया जाए।

12. नागरिक पूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव श्री वी. के. सिन्हा ने कहा कि सन् 1960 के बाद सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति जरूर हुई है परन्तु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मूल समस्या दृष्टिकोण को बदलने की है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि उच्च अधिकारियों के लिए इस तरह की सेमिनार और वर्कशाप अधिक संख्या में आयोजित किए जाने चाहिए।

13. आन्तरिक विभाग के संयुक्त सचिव श्री के.आ. वर्धन ने राजभाषा विभाग के पेपर में दिए गए इस सुझाव का समर्थन किया कि अंग्रेजी और विश्व की दूसरी भाषाओं

में प्रकाशित हो रही वैज्ञानिक और तकनीकी शोध सामग्री का हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए किसी विभाग को नोडल उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

14. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शा.सु. डाबरा ने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए और शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रयोग की कोशिशें नहीं की जानी चाहिएं। इस संबन्ध में श्री के. रामानुजम, सचिव सांख्यिकी विभाग ने मत व्यक्त किया कि विभिन्न प्रदेशों में एक ही वस्तु, भाव आदि के लिए हिन्दी के अलग-अलग शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें समानता लाए जाने की आवश्यकता है।

15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिभागी ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को भेजने पर कोई एवजी नहीं मिलता है जिससे उन्हें प्रशिक्षण के लिए रिलीव करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग रिजर्व बनाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग की ओर से जो तिमाही रिपोर्ट मंगवाई जाती है वह बहुत लम्बी और जटिल है, उसे सरल बनाया जाना चाहिए।

16. रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव श्री सुब्रमणियन ने कहा कि आशुलिपिकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ आशुलिपिक अभ्यास के न होने से आशुलिपि भूल गए हैं। उन्होंने सरल हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

17. अंत में सचिव राजभाषा विभाग ने पेपरों में और विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मदों पर विस्तृत चर्चा की और उपस्थित अधिकारियों की राय मांगी। विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सुझाव पर आम सहमति थी:—

(1) राजभाषा विभाग के हाल ही में जारी किए गए आदेश, जिनके अनुसार 1-4-88 से "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में जो राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों को कुछ निर्धारित प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत करने हैं, के सही तौर से अनुपालन के लिए इन कार्यालयों में सभी अधिकारियों को जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तुरन्त प्राप्त कराने के प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

(2) मूल रूप से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को पूरी तौर पर बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नियम 8(4) में संशोधन किया जाए जिससे अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को भी कुछ काम हिन्दी में करने के आदेश दिए जा सकें।

(3) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ये प्रयत्न किए जाने चाहिएं कि सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के लिए माडल सेवा नियमों को लागू कर दिया जाए और उसके बाद वित्त मंत्रालय की सहमति से वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उनका वेतनमान भी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अनुवादकों और अधिकारियों के वेतनमान के बराबर करवा लिया जाए, जिससे लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों को भरने में सुविधा होगी।

(4) जितनी देर तक केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के केन्द्र दूसरे शहरों में नहीं खुल जाते, उतने समय तक जिन कार्यालयों में एक भी हिन्दी टाइपिस्ट नहीं है या पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपिस्टों के अभाव से हिन्दी में काम करने में कठिनाई हो रही है, न्यूनतम आवश्यक टाइपिस्टों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली में हिन्दी टाइपिंग के पूर्णकालीन कोर्स में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए।

(5) उन सभी कर्मचारियों को, जिनके लिए हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य है और जो केन्द्र सरकार में भर्ती के समय हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखते, भर्ती के तुरन्त बाद प्रोबेशन की अवधि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाए जाने का प्रबन्ध किया जाए। जहां तक भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का संबन्ध है, उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नेशनल एकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान दे दिया जाता है। उनमें से जो अधिकारी गैर हिन्दी राज्यों के काडर्स में हैं और केन्द्र में पोस्ट होते हैं, उन्हें केन्द्र में टेन्योर के पहले साल में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में एक लघुकाल के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी का ज्ञान ताजा करा दिया जाए।

(6) जिन कोड, मैन्युअल या दूसरी पुस्तकों आदि का प्रयोग विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में किया जाता है, उन सबका हिन्दी अनुवाद एक वर्ष के अन्दर करवा लिया जाए ताकि जो कर्मचारी हिन्दी माध्यम से इन परीक्षाओं में उत्तर दें उन्हें कोई नुकसान न हो। इनसे संबन्धित यदि कोई कोड या मैन्युअल केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद के लिए भेजा गया है तो इस बारे ब्यूरो को बता दिया जाए ताकि ब्यूरो द्वारा उसका अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए।

(7) अंग्रेजी और विश्व की दूसरी भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो आधुनिक सामग्री प्रकाशित हो रही है उसका हिन्दी में अनुवाद कराया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से यह काम अपने हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया जाए।

(8) भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों, सेमीनारों आदि में हिन्दी में पेपर प्रस्तुत करने की छूट दी जाए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभाग द्वारा हिन्दी में पेपर छापने के लिए उच्च स्तर की अलग से वैज्ञानिक पत्रिका निकाली जाए या आगामी पत्रिका में ही हिन्दी के पेपर छाप लिए जाएं।

(9) सभी मंत्रालय/विभाग उन विधिक नियमों की एक सूची बनाएं जो अभी लागू हैं और जिनका अभी अनुवाद नहीं हुआ है। यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी नियम विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड को अनुवाद के लिए तुरन्त भेज दिए जाएं।

(10) यदि किसी मंत्रालय/विभाग को किसी कोड, मैन्युअल आदि का हिन्दी अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर चाहिए तो वह उसका कारण बताते हुए इस बारे में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को लिख दें। नए कोड, मैन्युअल आदि या उनके संशोधित संस्करण शुरू से ही द्विभाषी (डिगलाट) फार्म में छपवाए जाने चाहिएं। इसके लिए इनके अनुवाद को प्राथमिकता दी जाए।

(11) भी मंत्रालय/विभाग ये प्रयत्न करें कि सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जाएं।

(12) राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा को जहां तक हो सके सरल बनाया जाए।

(13) हिन्दी में नई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाए ताकि उचित स्तर की पुस्तकें तैयार हो सकें।

(14) मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और दूसरे उच्च अधिकारियों को अपना काम अधिक से अधिक हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हिन्दी में काम करने का उत्साह मिले।

(15) कम्प्यूटरों आदि में हिन्दी के प्रयोग के लिए सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग के तकनीकी सैल द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

बिहार सरकार की हिन्दी सेवी सम्मान योजना

बिहार सरकार का राजभाषा विभाग पिछले आठ वर्षों से हिन्दी एवं हिन्दीतर साहित्य-सेवियों को सम्मानित/पुरस्कृत करने की दिशा में बड़ा ही उपयोगी कार्य कर रहा है। हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन देने और राजभाषा हिन्दी के विकास को भव्य आयाम प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने सम्मान एवं पुरस्कार के व्यापक कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं। इनमें अखिल भारतीय ग्रंथ-पुरस्कार योजना और सरकारी सेवक प्रोत्साहन-पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन नियमित रूप से हुआ है।

बिहार की विभूतियों के नाम पर आरम्भ किए गए नामित पुरस्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी में लिखित विभिन्न विषयों एवं विधाओं की मौलिक एवं अनुदित पुस्तकों पर पांच-पांच हजार रुपए के पन्द्रह पुरस्कार देने की व्यवस्था है। बिहार संबंधी पुस्तकों पर पुरस्कार कार्यक्रम के अधीन बिहार की भूमि, संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य आदि के संबंध में लिखित एवं प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों पर पांच हजार रुपए के एक या दो पुरस्कार दिए जाते हैं। डॉ. फादर कामिल बुल्के की स्मृति में शुरू की गई विशेष नामित पुरस्कार-योजना के अन्तर्गत हिन्दी के रामकथा विषयक उच्चकोटि के ग्रन्थों पर 15 एवं 10 हजार रुपए का एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिन्दी में नवलेखन के लिए बिहार की नई पीढ़ी को दो से चार हजार रुपए तक के दो पुरस्कार दिए जाते हैं। 1985-86 के जनजातीय पुरस्कार एवं प्रकाशन-अनुदान योजना भी स्वीकृत हुई है। इस योजना के अधीन जनजातियों द्वारा देवनागरी लिपि में लिखित एवं प्रकाशित पुस्तकों पर चार-चार हजार रुपए के आठ पुरस्कार दिए जाते हैं।

जुलाई, 1987 में द्विदिवसीय हिन्दी सेवी-सम्मान समारोह में राज्य एवं राज्य के बाहर के 1985-86 एवं 1986-87 इन दो वित्त वर्षों के लिए 64 हिन्दीतर सेवियों और ग्रंथकारों को विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के अधीन दो हजार से 15 हजार रु. तक के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ-साथ, जनजातीय ग्रंथ-पुरस्कार के अधीन 12 आदिवासी साहित्यकारों को चार-चार हजार रु. के पुरस्कार तथा 13 जनजातीय लेखकों को चार-चार हजार रु. के पुस्तक प्रकाशन अनुदान दिए गए। उक्त अवसर पर, उक्त दो वित्त वर्षों के लिए सचिवालय एवं प्रमंडल-स्तर पर 53 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों, हिन्दी आशुलिपिकों, टंककों को 100 रु. से 1000 रु. तक के 53 पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने हिन्दी सेवियों के साथ-साथ हिन्दीतर भाषी एवं आदिवासी साहित्यसेवियों और अपने सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित/पुरस्कृत करने की दिशा में अभिनन्दनीय परम्परा की शुरूआत की है, तथा हिन्दी के व्यापक व्यवहार एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए सरकार सतत यत्नशील है। अब, वित्त वर्ष 1987-88 से सरकार ने एक लाख रु. का एक पुरस्कार देने की योजना स्वीकृत की है। सरकार की मंशा है कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता की

कड़ी बनकर अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बने तथा हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के साथ-साथ अनुवाद एवं हिन्दी की सरलता पर भी समुचित ध्यान दिया जाए। यह एक सुखद संयोग है कि इस दिशा में मुख्य मंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे और राजभाषा मंत्री श्री लोकेशनाथ झा, विशेष रूचि ले रहे हैं। तथा राजभाषा विभाग को साहित्यकार डॉ. भगवती शरण मिश्र का निदेशकत्व प्राप्त है। सरकारी स्तर पर हिन्दी के विकास का यह प्रयास एक शुभ लक्षण है।

—सुरेन्द्र प्रसाद जभुआर

अखिल भारतीय हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 25-3-88 को हिमाचल भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के तत्वावधान में अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सभापति श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, गृह राज्य मंत्री, राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन तथा संयुक्त सचिव श्री शंभु-दयाल का अभिनन्दन करते हुए संयोजक श्री प्रेमचन्द धस्माना ने कहा कि परिषद् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक स्वैच्छिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से परिषद् देश भर में प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। वर्ष 1987 में आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने के लिए समारोह में माननीय पाणिग्रही जी, महाजन जी, परिषद् की परामर्शदात्र समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रमणियन की उपस्थिति परिषद के लिए गौरव का विषय है।

मुख्य अतिथि श्री महाजन ने सरकार की राजभाषा नीति का खुलासा करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी—उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी स्तर पर राजभाषा के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए प्रयास सतत जारी हैं, किन्तु इस महान कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। इस दृष्टि से परिषद् के कार्य प्रशंसनीय हैं।

सभापति पद से अपने भाषण में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री पाणिग्रही ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में परिषद् के योगदान की सराहना की। तदुपरांत श्री पाणिग्रही ने अपने कर कमलों से विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए। कुछेक विजेता प्रतियोगिता का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

प्रथम : श्री सतबीर सिंह दिल्ली 84.1 श.प्र.मि.
द्वितीय : श्री सुभाष जैन (कोटा) 83.45 ,,
तृतीय : श्री विट्ठलदास (वाराणसी) 72.3 ,,
महिला : कु. गायत्री (मराठी) हैदराबाद 64.0,,

(2) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

प्रथम : श्री अजय घोष (दिल्ली) 230 श.प्र.मि.
द्वितीय : श्री रामचन्द्र वीरवाणी (दिल्ली) 230 ,,
तृतीय : कु. मीना बिष्ट (दिल्ली) 230 ,,

(3) हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता

प्रथम : श्री ईश्वर राव (मंगलूर)
द्वितीय : कु. एन. लक्ष्मी (दिल्ली)
तृतीय : सुश्री आशा जेठनानी (अजमेर)

(4) हिन्दी टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

प्रथम : श्री मक्खन सिंह (रामपुर)
द्वितीय : श्री रमाशंकर शर्मा (मथुरा)
तृतीय : श्री उमेशचन्द्र गुप्ता (मथुरा)

अखिल भारतीय हिन्दीतर भाषी

प्रथम : श्रीमती वी० विजयलक्ष्मी (मद्रास)
द्वितीय : कु. एस. वेंकटरत्नम (हैदराबाद)
तृतीय : पी. वेंकटेश्वर राव (विजयवाडा)

(5) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

हिन्दीतर-भाषी-क्षेत्र पुरस्कार

प्रथम : श्री एम. एस. सराफ (भुसावल)—मराठी
द्वितीय : श्री अर्जुन मंगा पाटिल (नासिक)—मराठी
तृतीय : कु. संध्या रामचन्द्रकुलकर्णी (पुणे)—मराठी

हिन्दी-भाषी क्षेत्र पुरस्कार

प्रथम : श्री बी. वेंकटरामन (उज्जैन)—तेलगु
द्वितीय : श्री मनोहर गंगाधरराव चिंचोले—मराठी
तृतीय : डा. स्वप्न मुखर्जी (उज्जैन)—बंगला

(6) देवनागरी तार प्रतियोगिता

प्रथम : श्री देवनारायण द्विवेदी—श्री सत्यप्रकाश

द्वितीय : श्री हरिसिंह—श्री नैनसिंह

तृतीय : श्री के. के. गुसाईं—श्री एम. टी. निधेर

(7) हिन्दी वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिता

प्रथम : श्री गोपालकृष्ण फरलिया—(बम्बई)

द्वितीय : श्री नारायण कुमार राय (किरन्दुल)

तृतीय : श्री जी. एल. शर्मा (जम्मू)

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के सभापतिपद से गृह मंत्री जी का संबोधन

बहनो और भाइयो,

मुझे केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर और प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर बहुत आनन्द हुआ है। देश के अनेक नगरों से यहां आए प्रतियोगियों और हिंदी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना मूल्यवान सहयोग दिया है। पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतियोगियों को मैं अपनी और गृह मंत्रालय की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। ऐसे आयोजन पिछले अनेक वर्षों से करके हिन्दी परिषद् ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में बड़े महत्व का काम किया है। हमारे मंत्रालय की ओर से हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उन प्रयत्नों में परिषद् द्वारा बहुत पहले से सहयोग दिया जा रहा है। इसके लिए आप सभी सराहना के पात्र हैं।

आप जानते हैं कि हिंदी हमारी आजादी के आंदोलन की भाषा रही है। हिंदी में पिछले लगभग 1000 वर्षों से देश को जोड़ने का और संपर्क सूत्र का महान कार्य किया है। हिन्दी देश में भ्रमण करने वाले और नैतिक मूल्यों का प्रचार करने वाले देश के अलग-अलग प्रांतों के साधु संतो और व्यापार के लिए घूमने वाले व्यापारियों द्वारा बढ़ाई गई है। मुझे यह भी पता चला है कि लगभग 600 वर्ष पहले दक्षिण भारत में बहमनी, कुतुब शाही और आदिल शाही आदि सलतनतों के द्वारा भी राजकाज में कई सौ वर्ष तक हिन्दी इस्तेमाल होती रही है। उत्तर भारत में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि कई प्रदेशों के राजाओं के बीच पत्र व्यवहार में और मुसलमान राजाओं के साथ भी पत्र-व्यवहार में भी हिन्दी इस्तेमाल होती रही है। इस तरह हमारे देश में संस्कृत भाषा के बाद हिन्दी में देश को जोड़े रखने का भारी महत्व का काम किया गया है। आज यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या अंग्रेजी भाषा से पहले हम एक नहीं थे या हम पिछड़े हुए थे। मेरे विचार में ऐसा सोचना बहुत गलत दिशा में सोचना होगा। हमारे देश में वर्तमान 15 भाषाएं विश्व की अनेक भाषाओं में साहित्य में और सुन्दरता में बहुत आगे हैं। ऐसी दशा में किसी ऐसे देश की भाषा को अपने ऊपर लादे रखना उचित नहीं है जिसने हमारे देश को बलपूर्वक और चालाकी से दास बनाए रखा। इसलिए मैं आप सब से और अपने देशवासियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर हिन्दी और अपने देश की भाषाओं के माध्यम से देश का विकास करें और देश को मजबूत बनाएं।

यह जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से अनेक देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भाषाओं के द्वारा ही बड़ी विशेष प्रगति की है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश की भाषा हिन्दी के माध्यम से प्रगति नहीं कर सकते। ऐसी गलत दिशा में सोचने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता।

इस अवसर पर मैं आपको गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा पिछले 10—12 महीनों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देना उचित समझता हूं। हमने केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सरकारी कम्पनियों और बैंकों आदि के लिए हिन्दी टाइप-राइटर, टाइपिस्ट और हिन्दी आशुलिपिकों के रखे जाने के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि भी निश्चित कर दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अण्डमान निकोबार में कम से कम 50 प्रतिशत हिन्दी के टाइपराइटर, इतने ही प्रतिशत हिन्दी के टाइपिस्ट और 50 प्रतिशत ही हिन्दी के आशुलिपिक सभी कार्यालयों में भर्ती करके और अंग्रेजी टाईपिंग और आशुलिपि के जानकारों को प्रशिक्षण दिलाकर तैयार करने हैं। इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चण्डीगढ़ में 25 प्रतिशत हिन्दी के टाइपराइटर और टाइपिस्ट तथा आशुलिपिक तैयार करने हैं। अन्य प्रदेशों में इन तीनों का प्रतिशत कम से कम 10 रखा गया है। सभी विभागीय और प्रमोशन की परीक्षाओं में हिन्दी में भी परीक्षा देने की छूट और प्रश्न-पत्रों को हिन्दी में भी देने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं इन्टरव्यू के लिए भी हिन्दी भाषा में उत्तर देने की छूट देने के आदेश दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भर्ती की परीक्षाओं में भी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी में हिन्दी में भी भर्ती परीक्षा लेने और प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है जब केन्द्र सरकार की सभी भर्ती की परीक्षाओं में हिन्दी में भी परीक्षा देने की और हिन्दी में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की छूट हो जाएगी। यह सारा कार्य सद्भावना से और प्रोत्साहन देकर किया जा रहा है, इसलिए सफलता में शंका करने का प्रश्न नहीं उठता।

हमने यह भी निश्चित कर दिया है कि 1 अप्रैल, 1988 से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में काम करने वाले केन्द्र सरकार के हिन्दी में प्रवीण कर्मचारी हिन्दी में पत्रों आदि के प्रारूप प्रस्तुत करेंगे और अन्य कामकाज हिन्दी में करेंगे। हमने यह भी निश्चित कर दिया है कि केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी में पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाए और यदि परीक्षा हो तो प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी दिए जाएं ताकि उन केन्द्रों में पढ़ने के लिए आने वाले कर्मचारी हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकें। अन्य अनेक कामों में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के यत्न हो रहे हैं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए संतोष है कि देश के अनेक ऐसे केन्द्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी में अच्छी मात्रा में काम हो रहा है, जो हिन्दी भाषी प्रदेशों से भिन्न प्रदेशों में हैं। अनेक ऐसे कर्मचारी हिन्दी में काम करके पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है। इसलिए वातावरण बहुत अनुकूल बन रहा है। मैं पिछले कुछ महीनों में किए जा रहे प्रयत्नों और कार्य को बढ़ाने के लिए किए जा रहे परिश्रम के लिए हमारे हिन्दी सलाहकार और सचिव, राजभाषा विभाग, श्री बी. बी. महाजन की सराहना अवश्य करूंगा जो यहां बैठे हुए हैं।

मुझे बताया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के कार्यकर्ता बिना कोई पैसा लिए अपनी इच्छा से हिन्दी के प्रचार प्रसार के काम में लगे हुए हैं। हमारे देश में सेवा के कार्यों को पुण्य मानकर करने वालों की कोई कमी नहीं रही है। हिन्दी परिषद् के कार्यकर्ता भी उसी पुरानी परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि हिन्दी परिषद् के साधन सीमित हैं। मैं सचिव, राजभाषा से कहूंगा कि वे यह देखें कि हिन्दी परिषद् को किस तरह से अधिक साधन दिए जा सकते हैं और आप के काम को बढ़ाने में किस तरह सहयोग दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप अधिक निष्ठा और लगन से किन्तु सेवा भाव से काम करते रहेंगे और सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने का काम भी साथ-साथ करेंगे।

जय हिन्द।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास

क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

भूमिका : क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, ल.उ. सेवा संस्थान, मद्रास के परिसर में स्थित हैं। जिसमें 30 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी का हिन्दी के विकास के लिए भरपूर योगदान रहा है।

हिन्दी अनुभाग : एक हिन्दी अनुभाग खोला गया है। जिसमें एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा एक हिन्दी टंकक है।

हिन्दी पुस्तकालय : हिन्दी अनुभाग ने ही हिन्दी पुस्तकालय का भार संभाला हुआ है। जिसमें बड़े-बड़े जाने-माने लेखकों द्वारा लिखी कई पुस्तकें, कहानी, उपन्यास व शब्दकोश, व्याकरण इत्यादि रखे गए हैं। इसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं से हिन्दी सीखने वालों के लिए उनके उपयोग के शब्दकोश रखे गए हैं। हिन्दी पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स मंगाया जाता है जोकि सभी रुचिपूर्वक पढ़ते हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण : हिन्दी योजना के अधीन ल.उ. सेवा संस्थान में हिन्दी की प्रबोध तथा प्रवीण कक्षाएं ली जा रही है। इसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण तालिका इस प्रकार है :—

	राजपत्रित	अराजपत्रित
प्रबोध	1	4
प्रवीण	1	2
प्राज्ञ	1	2
प्रशिक्षण से छूट प्राप्त		5

प्रशिक्षणाधीन	अराजपत्रित		
	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
	2	1	1 = 4

हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन : हर वर्ष की तरह हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। 21-9-87 से 26-9-87 तक हिन्दी सप्ताह के दौरान अधिक से अधिक पत्राचार हिन्दी में किया गया तथा 25-9-87 को हिन्दी दिवस मनाया गया। जिसमें निबन्ध, वाक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में विजयी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। ये प्रतियोगिता ल.उ.से. संस्थान, मद्रास तथा केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास के साथ मिलकर आयोजित की गई। हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास से निर्णायक के लिए आमन्त्रित किया गया।

नकद पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता : हर वर्ष की भांति नकद पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें वाक, निबन्ध तथा हिन्दी में किए गए कार्य को देखकर विजयी प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक : लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास, केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास तथा क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र के साथ मिलकर हर तिमाही को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाते हैं जिसमें हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारी को भी आमन्त्रित किया जाता है। वर्ष की चौथी बैठक 22 दिसम्बर, 87 को हुई।

हिन्दी के प्रति स्टाफ की रुचि : स्टाफ हिन्दी के प्रति बहुत रुचि रखता है और ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तथा पुरस्कृत किए जाते हैं। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भी वे बहुत इच्छुक हैं। हिन्दी सप्ताह/दिवस आदि के लिए सभी अपना भरपूर योगदान करते हैं तभी हिन्दी का इतना प्रयोग हो सका है।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम का : स्वागत कक्ष में एक बोर्ड पर प्रतिदिन हिन्दी का शब्द अंग्रेजी अनुवाद के साथ लिखा जाता है। जिसे सभी ध्यान से पढ़ते हैं तथा अगर कोई शंका हो तो उसे पूछकर दूर करते हैं। कार्यालय में हिन्दी चार्ट लगाए गए हैं जिसमें महान महापुरुषों के विचार लिखे गए हैं।

कार्यालय में साईनबोर्ड तथा रबड़ स्टैम्पों की स्थिति :

	कुल	द्विभाषा	अंग्रेजी	त्रिभाषा में
साईनबोर्ड	28	25	2	1
रबड़ की मोहरें	15	8	7	—

पत्राचार

पिछली तिमाही में जारी किए गए कागजात

	कुल	द्विभाषा	अंग्रेजी
	985	212	773
हिन्दी में	प्राप्त पत्र, कुल	उत्तर दिया गया	सूचनार्थ
	36	12	24

तकनीकी अधिकारी कार्यालय में बाहर से आने वाले आगन्तुकों से हिन्दी में बातचीत करके कार्यालय में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं की जानकारी देते हैं।

आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय करीम नगर की वर्ष 1987 में राजभाषा कार्यान्वयन में उपलब्धियां

1. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन :—वर्ष 1987 के दौरान कुल तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा कुल 77 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया : कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए सुविधा तथा तुरन्त संदर्भ हेतु "राजभाषा सोपान" नामक कार्यशाला सामग्री तैयार की गई तथा प्रतिभागियों में वितरित की गई।

2. संपर्क अधिकारियों/लिपिकों का नामन :—क्षेत्र की 34 शाखाओं ने राजभाषा कार्यान्वयन में उचित समन्वय हेतु संपर्क अधिकारी/लिपिकों को नामित किया, जिनके सहयोग से क्षेत्र राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हो सकी।

3. "प्रति दिन एक हिन्दी शब्द सीखिए"—योजना का विस्तार—वर्ष 1987 के दौरान उक्त योजना क्षेत्र की सभी शाखाओं में प्रारम्भ की गई। क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रमुख शाखाओं में त्रैमासिक अन्तराल पर उक्त योजना में स्मृति-परीक्षा भी आयोजित की जा रही है।

4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय तथा उनका अनुपालन—

1. रबड़ मुहरों के द्विभाषीकरण में शत-प्रतिशत अनुपालन।

2. नाम बोर्ड, साइन बोर्डों के त्रि/द्विभाषीकरण में शत-प्रतिशत अनुपालन।

3. प्रति दिन एक हिन्दी शब्द सीखिए—योजना का क्षेत्र की सभी शाखाओं में विस्तार।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, करीम नगर में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना।

5. क्षेत्रीय कार्यालय में देवनागरी टंकण यन्त्र की खरीद।

6. चेक प्वाइंट के रूप में प्रश्नावली की तैयारी एवं अनुगामी कार्रवाई को सुनिश्चित करना।

7. राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत शाखाओं का अधिसूचन।

8. मानक फार्मों का द्विभाषीकरण।

9. मानक हिन्दी शब्द कोष तथा बैंकिंग उन्मुख हिन्दी पुस्तक सभी शाखाओं को वितरित कराना।

10. विजिटिंग कार्डों एवं टोकनों का द्विभाषिक मुद्रण।

5. हिन्दी टंकन में प्रशिक्षण :—उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत दो लिपिकों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया।

6. हिन्दी पखवाड़े का आयोजन :— कार्यालय में दिनांक 01/09/87 से 16/09/87 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसके दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं इस प्रकार हैं—(1) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, (2) भाषण प्रतियोगिता, (3) राजभाषा परीक्षा, (4) प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखिए।

1. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता :

प्रथम पुरस्कार	श्री वी. आर. गणपति,
द्वितीय पुरस्कार	सुश्री एस. सुजाता
तृतीय पुरस्कार	श्री जगन्नाथ स्वामी

2. भाषण प्रतियोगिता :

प्रथम पुरस्कार	श्री बी. ए. कुमार
द्वितीय पुरस्कार	श्री वी. आर. गणपति
तृतीय पुरस्कार	श्री जगन्नाथ स्वामी

3. राजभाषा परीक्षा :

प्रथम पुरस्कार	श्री के. श्रीराम मूर्ति
द्वितीय पुरस्कार	श्री बी. ए. कुमार
तृतीय पुरस्कार	श्रीमती वैष्णवेणी

4. प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखिए—परीक्षा

प्रथम पुरस्कार	श्री के. श्रीराम मूर्ति
द्वितीय पुरस्कार	सुश्री श्रीमती
तृतीय पुरस्कार	श्रीमती वैष्णवेणी

चित्र समाचार–II

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष न.रा.का.स श्री आई.पी. हिंगोरानी (बाएं से तीसरे), श्री हरि ओम श्रीवास्तव (बाएं से चौथे) तथा अन्य अधिकारीगण ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के वालतेर मण्डल मुख्यालय में आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मण्डल रेल प्रबन्धक श्री आर. रंगराजन ।

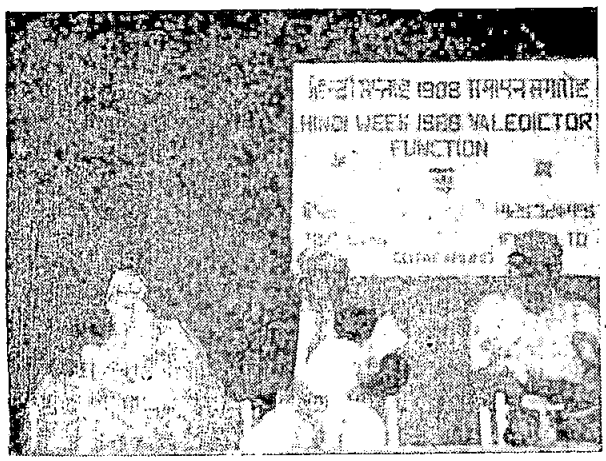

हिन्दुस्तान फोटो मैन्युफैक्चरिंग कं., उटकमण्ड में हिन्दी सप्ताह समारोह का एक दृश्य ।

कार्यशाला-आयोजन की विभिन्न झलकियां ।

समिति अध्यक्ष श्री ना. राजा से सर्वाधिक हिन्दी कार्य के लिए सेन्ट्रल बैंक के उप-महाप्रबन्धक श्री अम्बवानी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री मेंन चल वैजयंत्री ग्रहण करते हुए ।

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी टंकण सत्र के उदघाटन समारोह में श्री एस.के. सदाशिवम, निदेशक वित्त (मध्य) तथा अन्य अधिकारीगण ।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भाषण देते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष एअर मार्शल चं. शा. राजे (बाएं से दूसरे) तथा साथ में बाएं से श्री एम.के. गणेशन, श्री जगदीशचन्द्र गर्ग तथा श्री मंगतराम धस्माना (सहायक निदेशक--राजभाषा) ।

कलकत्ता में आयोजित हिन्दी कार्यशाला।

हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजन का एक चित्र। बीच में बैठे हैं श्री प्रीतम सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक।

लुधियाना में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री सुरजीत कुमार तुली, राजभाषा अधिकारी, चण्डीगढ़।

क्षेत्रीय आयोजन में समापन भाषण देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वेद प्रकाश गौतम।

पुणे में आयोजन में भाग लेते हुए बाएं से—श्री अनिल कुमार तिवारी, श्री डी.डी. कुलकर्णी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, डा. शंकर पुणतांबेकर (मुख्य अतिथि) तथा श्री राम कृष्ण तिवारी।

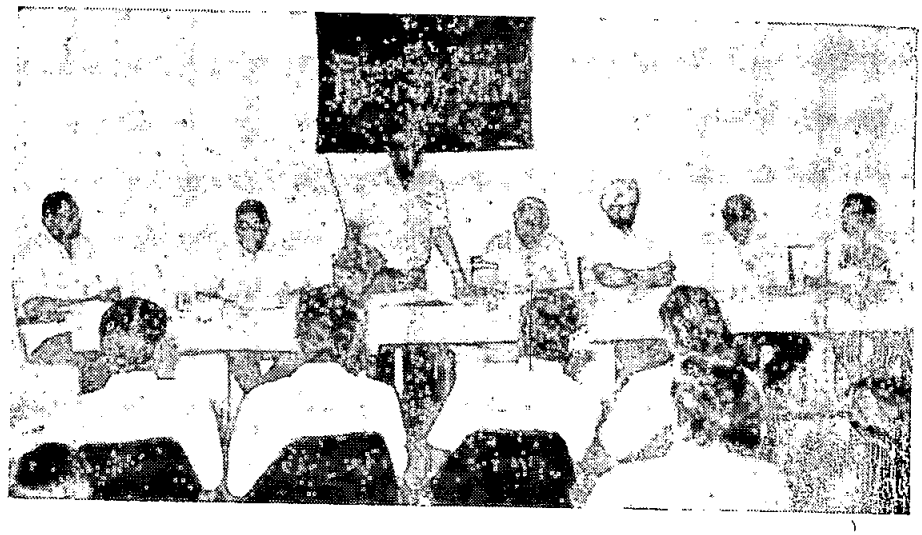

भारत डायनामिक्स लि., हैदराबाद में आयोजन को संबोधित करते हुए, श्री जैड.पी. मार्शल, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण।

देना बैंक, गलेमण्डी—सूरत में आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बाएं से—श्री रमेश म. शाह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री हरिकृष्ण जोशी (मुख्य अतिथि), शाखा प्रबन्धक श्री भुपेन्द्र वे. वैद्य तथा पीछे खड़े हैं अन्य अधिकारीगण।

आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, निजामाबाद में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्यालय प्रबन्धक श्री के.सी. प्रसाद। दाईं ओर हैं—श्री वेणुगोपाल राव, श्री केशर सिंह तथा बाएं हैं—श्री शोभनाथ सिंह और श्री बी. मुरली।

7. हिन्दी पत्राचार :—क्षेत्र द्वारा "ग" क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत का तिमाहीवार विवरण निम्न प्रकार है:—

मार्च, 87	1.5 प्रतिशत
जून, 87	4.7 प्रतिशत
सितम्बर, 87	5.20 प्रतिशत
दिसम्बर, 87	7.26 प्रतिशत

वर्ष 1987 के दौरान क्षेत्र द्वारा किये गये हिन्दी पत्राचार का समेकित प्रतिशत 4.68 है, जोकि लक्ष्य 2 प्रतिशत से 2.68 प्रतिशत अधिक है।

"क" तथा "ख" क्षेत्र को किये गये हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 100 प्रतिशत है, जबकि लक्ष्य 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अधिक है।

8. शाखा से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा—हर तिमाही में क्षेत्रीय कार्यालय करीम नगर द्वारा प्राप्त सभी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। कमियों/अनियमितताओं को सूचित करते हुए उनके निराकरण के उपाय बताये गये, जिसकी अनुगामी कार्रवाई शाखा द्वारा सुनिश्चित की गई। फलतः समीक्षा का उद्देश्य सफल हो रहा है।

9. धारा 3(3) का अनुपालन :—वर्ष 1987 की सभी तिमाहियों में धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

10. चेक प्वाइंटों का सृजन :—राजभाषा से संबंधित आदेशों को सुनिश्चित करने के लिये राजभाषा कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, द्वारा यथा निर्धारित सभी चेक प्वाइंटों का सृजन किया गया।

11. देवनागरी टंकण यन्त्र की खरीद :—राजभाषा कार्यान्वयन को और भी प्रभावी ढंग से बढ़ाने हेतु वर्ष 1987 के दौरान देवनागरी टंकण यन्त्र का क्रय किया गया।

12. परिचालन के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग:—वर्ष 1987 के दौरान 6 शाखाओं को परिचालन के क्षेत्र में राजभाषा को कार्यान्वित कराने में हम सफल हुये हैं। चिगुरुमामिडी, जम्मि कुण्टा, धर्मारम, जूलपल्ली, बेज्जंकी, रुद्रंगी आदि शाखाएं दैनिक बही को हिन्दी में लिख रही हैं। चिगुरुमामिडी तथा जूलपल्ली शाखाओं द्वारा भुगतान आदेश, ड्राफ्ट, तथा भुगतान पर्चियों में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी धर्मारम-मेंडारम शाखा द्वारा मुख्य दैनिक खाता बही, बचत बैंक, उप-दैनिक बही, बचत बैंक, उप-दैनिक खाता बही, फसल ऋण खाता बही तथा स्क्रोल रजिस्टर आदि में राजभाषा कार्यान्वित की जा रही है।

13. टिप्पणियों तथा मसौदों में हिन्दी का प्रयोग :—क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय राजभाषा कक्ष से संबंधित सभी मसौदों पर सुझाव/अनुदेश हिन्दी में दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों/मसौदों पर अनुमोदित/मंजूरी आदि टिप्पणी लिख रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियों में हिन्दी का पर्याप्त कार्यान्वयन हो रहा है।

10. वर्ष 1987 के दौरान राजभाषा कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय करीम नगर द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य :

(1) टी.डी. एल. फार्म का द्विभाषीकरण।

(2) परिचालन के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य बही शेष के शीर्षकों के हिन्दी रूप का परिपत्र के रूप में परिचालन।

(3) सभी शाखाओं द्वारा हिन्दी शब्द-कोष तथा बैंकिंग उन्मुख हिन्दी पुस्तकों की खरीद।

(4) कार्यालय में बनाये रखे जाने वाले लाभ एवं हानि रजिस्टर में हिन्दी रूप का निगमन।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कलकत्ता में हिन्दी के बढ़ते चरण

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जहां एक ओर देश की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की दशा सुधारने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, वहां दूसरी ओर राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी के अनुपालन में भी पूरी तरह संलग्न है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के प्रधान कार्यालय कलकत्ता में हिन्दी कक्ष की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी ताकि राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी की पूर्णतया अनुपालना हो सके। वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, कलकत्ता तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में एक हिन्दी अधिकारी की देखरेख में हिन्दी कक्षों की स्थापना की जा चुकी है ताकि राजभाषा अधिनियम अनुसार हिन्दी के उत्तरोत्तर कार्यों में निरन्तर विकास हो सके।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में हिन्दी में हो रहे कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(1) समस्त नामपट्ट, साईनबोर्ड, रबड़ की मोहरें, तथा स्टेशनरी की समस्त मदें द्विभाषी हैं तथा वार्षिक रिपोर्ट तथा डायरी इत्यादि भी द्विभाषी रूप में छप रही हैं।

(2) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है तथा हिन्दी में मूलपत्र लेखन में भी पहल की जा रही है।

(3) जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें "हिन्दी शिक्षण योजना" के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, कक्षाओं का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ताकि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो सके। वर्तमान में 4 कर्मचारी

प्रधान कार्यालय से हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

(4) हिन्दी में किये जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित करने व हिन्दी में हो रहे कार्यों की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के समस्त हिन्दी अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की तिमाही बैठक का आयोजन बैंक के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में किया जा रहा है ताकि हिन्दी में हो रहे कार्यों में प्रगति व इस दिशा में आने वाली कठिनाइयों का समाधान हो सके ।

(5) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में यथासमय भेजी जा रही है तथा बैंकिंग प्रभाग, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के प्रतिनिधि नियमित रूप से भाग ले रहे हैं ।

(6) हिन्दी दिवस एवं हिन्दी सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित पर्याप्त वातावरण तैयार हो सके ।

(7) समय-समय पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति जागरूकता बनी रहे ।

(8) आलोच्य वर्ष में हिन्दी सप्ताह के दौरान तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया । जिसमें प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया ।

कुल मिलाकर हिन्दी में कार्य करने का पर्याप्त वातावरण तैयार हो चुका है तथा कर्मचारी हिन्दी के कार्यों में पूरी रुचि ले रहे हैं ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पिम्परी, पुणे-में राजभाषा कार्यान्वयन

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. की वर्ष 1954 में पेनिसिलिन के निर्माण के लिये फैक्टरी लगाई गई । तदुपरान्त 1962 में स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने का प्लांट लगाया गया ।

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र एक महत्वपूर्ण विभाग है । नयी औषधियों के लिये खोजें भी चलते रहती हैं । मानवीय उपयोग के लिये हामायसिन, वनस्पति के रोगों पर ओरियोफंगीन आदि महत्वपूर्ण खोज भी इसी केन्द्र ने की है ।

एच.ए. की दवाइयों की बेहतरीन क्वालिटी व विश्वास का प्रतीक इसकी बढ़ती बिक्री है । उच्च क्वालिटी होने से हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स से दवाइयों का निर्यात भी पिछले तीन साल से शुरू हो चुका है ।

हिन्दी के बढ़ते चरण :

24 जनवरी, 1978 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी अनुभाग का गठन हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में किया गया और समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही की जाती है । समिति के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य सदस्य कंपनी के विभागाध्यक्ष हैं । कंपनी के अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ के एक-एक सदस्य भी इसमें सम्मिलित है ।

हिन्दी अनुवाद कार्य :

कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक उपयोग में आने वाले सभी फार्मों का हिन्दी अनुवाद और उन्हें द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कर दिया गया है । अस्पताल विभाग से संबंधित शतप्रतिशत फार्मों का द्विभाषिकरण हो गया है और सभी फार्म कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं । कार्मिक विभाग से संबंधित फार्मों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। वित्त विभाग से संबंधित फार्मों का अनुवाद हो गया है और उन्हें प्रकाशन के लिए दिया गया है। उपक्रम के पत्रशीर्ष, लिफाफे, फाईल कवरों, लोगो, हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापा जाता है । इसके अलावा उपक्रम के सरकारी बुलेटिन, मकान आवंटन नियम, हिन्दी में अनुवाद कर साइक्लोस्टाइल कर जारी किये गये। कंपनी के मैमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन का अनुवाद हो गया है । उसका पुनरीक्षण जारी है । स्टोर्स विभाग से संबंधित टेंडर फार्म, टेंडर नोटिस इत्यादि सभी फार्मों का अनुवाद हो गया है और अन्य प्रकाशन के लिये दिये जायेंगे ।

गृह पत्रिका का कार्य :

गृहपत्रिका "एच. ए. न्यूज" हिन्दी अंग्रेजी मराठी तीनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है जिसका अनुवाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । कंपनी के स्थाई आदेश हिन्दी में अनुवाद कर छपवाये गये हैं । कंपनी की प्रेस विज्ञप्तियां अंग्रेजी मराठी के साथ-साथ हिन्दी में जारी की जाती हैं ।

दवाइयों के पैकेटों और कार्टनों पर हिन्दी में विवरण:

कंपनी द्वारा तैयार की जाने वाली दवाईयों के पैकेटों पर दवाई का नाम, कंपनी का नाम और पता हिन्दी और अंग्रेजी देनों भाषाओं में छापा जाता है । कुछ दवाईयों से संबंधित विवरण साहित्य को हिन्दी और अंग्रजी दोनों में छापे जा रहे हैं । मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दवाई के पैकेटों पर दवाइयों का नाम एवं समाप्ति की तारीख तथा मूल्य हिन्दी में छापने हेतु कार्यवाही शुरु की गई है ।

हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह
अखिल भारतीय प्रतियोगिता की योजना :

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं की योजना का एक केन्द्र इस कंपनी में है । प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया । हिन्दी सप्ताह और हिन्दी दिवस का आयोजन भी कंपनी में किया जाता है । इसमें अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जैसे निबंध, वादविवाद, सुलेख, आलेखन एवं टिप्पण हस्ताक्षर प्रतियोगिता इत्यादि । हिंदी पत्राचार प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

राजभाषा धारा 3(3) के अनुसार कंपनी में हिन्दी का प्रयोग:

कंपनी के सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। यदि कोई आदेश प्रथम अंग्रेजी में जारी हो जाता है तो अनिवार्य रूप से इसको हिन्दी में भी प्रसारित किया जाता है । कर्मचारियों से संबंधित सभी भाग I, II, III तथा सामान्य समय में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रशासनिक और अन्य रिपार्ट अंग्रेजी और हिन्दी में प्रेषित की जाती है। कंपनी के सभी टेंडर फार्मों का अनुवाद हो गया है और भविष्य में उनका प्रयोग किया जाएगा । समाचार पत्रों में प्रकाशित टेंडर नोटिस अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी तीनों में प्रकाशित किए जाते हैं। रिक्त पदों की सूचना भी अंग्रेजी, हिन्दी में सामान्य रूप से साइक्लोस्टाइल किए जाते हैं। सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती है ।

चैक प्वाइंट की स्थापना :

कंपनी के पत्राचार को बढाने के लिए चैक प्वाइंटस बनाए गए। बाहर से हिन्दी में प्राप्त पत्रों की प्रविष्टियां एक रजिस्टर में की जाती है और यह देखा जाता है कि संबंधित विभाग इसका जवाब हिन्दी में ही दें । परिपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उन पर हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाय ।

हिन्दी में कार्य के लिए प्रोत्साहन योजनाएं :

कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रोत्साहन योजना के आधार पर एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना बनाई गई हैं। जिसमें निर्धारित परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को 12 माह के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक भत्ता दिया जाता है । जिन कर्मचारियों की उपस्थिति कक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक रहती है उसे 100/- रुपये का नकद पुरस्कार अगली कक्षा में प्रवेश लेने के बाद ही दिया जाता है । हिन्दी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर कर्मचारियों को एक वर्ष के लिये वेतन वृद्धि के बराबर भत्ता दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने पर उन्हें नकद पुरस्कार दिये जाते हैं ।

हिन्दी कार्यशाला का गठन :

कंपनी में पांचवीं हिन्दी कार्यशाला सिर्फ अधिकारियों के लिये ही आयोजित की गई । प्रशिक्षित अधिकारी गण अपना काम हिन्दी में आरंभ करेंगे जिससे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

सहायक हिन्दी संदर्भ साहित्य :

इस उपक्रम की कार्य प्रकृति एवं कार्यप्रणाली अन्य विभागों और मंत्रालय से काफी भिन्न है। इसलिए कंपनी के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में सहायता करने की दृष्टि से विशिष्ट संदर्भ साहित्य के रूप में प्रशासन शब्दावली को साइक्लोस्टाइल कर सभी विभागों में वितरित किया गया है। इसके अलावा "कार्यालय सहायिका" नामक हिन्दी पुस्तक की प्रतियां भी विभागों में वितरित की गई हैं । प्रत्येक कर्मचारी को हिन्दी लिखने में सहायता मिले, इस दृष्टि से विभागों में अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष भी उपलब्ध कराये गए हैं ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पुणे अंचल में हिन्दी के बढ़ते चरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के पुणे अंचल और उसके नियंत्रण के कार्यालयों/शाखाओं ने हिन्दी को अपने दैनंदिन व्यवहार में एक अनिवार्य अंग के रूप में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि अपने कार्यालयों में जनता की जानकारी एवं उन्हें हिन्दी अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए प्रवेश द्वार पर इस आशय का बोर्ड भी लगाया है कि "हम हिन्दी में लिखे चेक, पत्र, फार्म आवेदन स्वीकार करते हैं ।"

पुणे अंचल के सभी नामपट्ट, मोहरें, सूचनापट्ट, काउंटर पट्ट, साइनबोर्ड आदि द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में हैं। जमापर्ची, निकासी पत्र, चेक, मांगड्राफ्ट, तार अंतरण, सभी प्रकार खाता खोलने के आवेदनपत्र इत्यादि जन-संपर्क के कागजात फार्म सभी द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। यही नहीं उनसे पत्र व्यवहार के विभिन्न छपे हुए मानकपत्र भी हिन्दी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी में हैं और उनमें हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांश शाखाएं जनता को पास-बुकें व जमा रसीदें हिन्दी में ही तैयार करके देती हैं।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण :

यह सौभाग्य की बात है कि संत नामदेव और महाराज शिवाजी तथा लोकमान्य तिलक जैसी विभूतियों की पुण्यस्थली वाले अंचल में बहुसंख्यक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रति रूचि लेने का एक सरल सा कारण यह भी है कि मराठी और हिन्दी दोनों को ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है तथा अधिकांश शब्द दोनों भाषाओं में समान हैं । अतः हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त

सभी वर्ग के कर्मचारियों को पुणे स्थित आंचलिक कमचारी प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करके बैंकिंग कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत स्थानीय कक्षाओं/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामित किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में हिन्दी टाइपराइटर के साथ मौजूदा अंग्रेजी टाइपिस्टों में से कुछ को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलाया गया और बाकी के लिए व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण की सूचारू देख-रेख के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है जो उपरोक्त उत्तरदायित्व निभाने के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन में प्रशासनिक प्रधान और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र की सहायता करते हैं।

कार्यालयों को अधिसूचित कराना:

अंचल की 123 शाखाओं को राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 10(4) में अधिसूचित कराया गया है तथा 9 शाखाओं को नियम 8(4) में अधिसूचित कराया गया है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) अनुपालन :

अंचल की सभी शाखाएं/कार्यालय हिन्दी में प्राप्त पत्रों/आवेदनों आदि के हिन्दी में उत्तर देने के साथ पत्राचार के निर्धारित 50 प्रतिशत लक्ष्य से ज्यादा पत्र हिन्दी में लिखते हैं। इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में वर्णित सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन :

गत वर्ष सितम्बर माह में 14 तारीख से 21 तारीख तक पुणे अंचल में हिन्दी दिवस/सप्ताहों का आयोजन किया गया जिसमें न केवल बैंक के कार्यपालकों/वरिष्ठ प्रबंधतंत्र और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया बल्कि इसके लिए आयोजित समारोह में बैंक ग्राहकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया।

कार्यपालकों द्वारा हिन्दी कार्यान्वयन की देख-रेख

कार्यालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हेतु अंचल में 9 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां है, जिनमें 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक आंचलिक कार्यालय में सक्रिय है। इन समितियों में तिमाही बैठकों के दौरान हिन्दी कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा समय-समय पर कार्यालयों के नियमित निरीक्षण के लिए जाने वाले अधिकारीगण भी वहां हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेते हैं और मौके पर तत्काल ही आवश्यक सुझाव/सलाह देते हैं।

इन सबके कारण ही संभव हो सका है कि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रारंभ की गई "ख" क्षेत्र की सर्वोत्तम शाखा का पुरस्कार राजभाषा शील्ड पुणे अंचल को प्राप्त होने के साथ तीसरा पुरस्कार भी इसी अंचल की अन्य शाखा को प्राप्त हुआ।

हिन्दी प्रयोग में अग्रणी : लखनऊ रेलवे मण्डल

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल का मुख्यालय गोमती तट पर बसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर में स्थित है जो अपनी नजाकत और नफ़ासत के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। लखनऊ मण्डल को पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे बड़ा मण्डल होने का भी गौरव प्राप्त है। इस मण्डल का गठन 1 मई, 1969 को तत्कालीन लखनऊ और गोण्डा रेल जिलों को मिलाकर किया गया था। सन 1970 से पहले यहां हिन्दी का काम देखने के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं थी। केवल गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी पढ़ाने का कार्य कुछ केन्द्रों पर चल रहा था। हिन्दी के प्रयोग प्रसार का कार्य देखने के लिए 2 जुलाई, 1970 को मण्डल में हिन्दी अनुभाग की स्थापना की गई और उसी समय से कहीं से भी प्राप्त हिन्दी पत्रों, आवेदनों आदि के उत्तर हिन्दी में देने तथा जनता की सूचना के लिए जारी होने वाले परिपत्रों, नोटिसों आदि में हिन्दी का प्रयोग किया जाने लगा।

मण्डल प्रशासन का यह विश्वास है कि रेल प्रशासन और यात्री जनता के बीच निकट एवं सुलभ संपर्क के लिए हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है। इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति यहां पूरी सजगता है। मण्डल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिन्दी के प्रति काफी उत्साह है। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों और अभावों के बावजूद शतप्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं।

लखनऊ मण्डल में 3480 प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं और 3299 कर्मचारी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हैं। लगभग सभी हिन्दी में कार्य कर रहे हैं।

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों में हिन्दी टंकण मशीनें उपलब्ध करा दी गयी हैं। इस समय मण्डल में 60 देवनागरी की टाइप मशीनें हैं, 5 और प्राप्त करने के लिए मांग पत्र भेजा गया है।

मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में ही नहीं वार्षिक कार्यक्रम के समग्र लक्ष्य को हमने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस समय मण्डल प्रशासन के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग समग्र रूप से 90 प्रतिशत है।

(क) कर्मचारियों का प्रशिक्षण :

मण्डल के सभी 33 टंकक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और इनसे हिन्दी टंकण कार्य भी लिया जा रहा है। इसी प्रकार 35 आशुलिपिकों में से 27 हिन्दी आशुलिपिक में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। शेष आशुलिपिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। मंडल के कुल 74 तार बाबुओं में से अब केवल 6 कोर्स में प्रशिक्षित होने शेष हैं।

(ख) अनुवाद :

मण्डल में स्थानीय सभी फार्मों के अनुवाद कर दिये गये हैं। मानक मसौदों को भी हिन्दी में उपलब्ध कर दिया गया है। हमारे सामने महत्वपूर्ण कार्य स्टे. संचालन नियमों के द्विभाषीकरण का था। रेलवे बोर्ड से प्राप्त नए फार्मेट पर हमें कुल 113 नियम जारी करने थे जो लगभग 8 हजार पृष्ठों में थे। इनका हिन्दी अनुवाद पूरा कर दिया गया और अब सभी हिन्दी में जारी कर दिए गये हैं। सभी नियमों के साथ सिगनलिंग परिशिष्ट और रूल डयाग्राम पूर्णतया हिन्दी में ही बनाकर लगाए गए हैं।

(ग) कार्यान्वयन :

1. देवनागरी तार प्रेषण :

मण्डल में लखनऊ-गोण्डा, गोण्डा-गोरखपुर, लखनऊ-सीतापुर-मैलानी और लखनऊ-कानपुर-अनवरगंज के बीच हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है। सम्प्रति हिन्दी में 30% तार भेजे जा रहे हैं।

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन :

राजभाषा अधिनियम—1967 की धारा 3(3) के अनुपालन पर कड़ी निगाह रखी जाती है। इसके अन्तर्गत जारी होने वाले कागजात हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी जारी किए जाते हैं। इस धारा का शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है।

3. राजभाषा नियम के नियम 8(4) का अनुपालन :

राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी केवल हिन्दी में लिखा पढ़ी करते हैं। इस नियम का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट विषयों के कागजात यदि हिन्दी में नहीं होते हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है जैसा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टी.ए. बिल, यात्रा कार्यक्रम आदि। यह मण्डल नियम 8(4) एवं 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

4. जांच स्थल :

मण्डल कार्यालय में केन्द्रीय प्रेषण अनुभाग, टंकण अनुभाग और रोनिमों अनुभाग में जांच स्थलों को अधिक सक्रिय बनाया गया है। जांच स्थलों पर नियम विरुद्ध जो भी पत्र मसौदे या परिपत्र पाए जाते हैं उन्हें हिन्दी में लिखने के लिए मुहर लगा कर लौटा दिया जाता है।

5. निरीक्षण :

प्रशासन से कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति और राजभाषा कानूनों के अनुपालन पर कड़ी निगाह रखने के उद्देश्य से मण्डल के उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं। विगत 6 महीनों में इस प्रकार 50 निरीक्षण किए गए और सभी निरीक्षण रपटें मुख्यालय समेत रेलवे बोर्ड भेजी गई।

6. हिन्दी टेलीफोन सेवा :

भारतीय रेलों पर सर्वप्रथम लखनऊ मण्डल में शुरू की गयी हिन्दी टेलीफोन सेवा ने काफी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। हिन्दी अनुभाग के टेलीफोन नं. 426 पर जो भी अधिकारी या कर्मचारी किसी अंग्रेजी या वाक्यांश का हिन्दी पर्याय जानना चाहते हैं, उन्हें तत्काल सहायता दी जाती है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

7. "शब्द सामर्थ्य बढ़ाइये" योजना :

मण्डल कार्यालय में "शब्द सामर्थ्य बढ़ाइयें" नाम से नई योजना आरम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत कुछ प्रचलित अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बोर्ड पर लिखकर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रखा जाती है जिस आने जाने वाले कर्मचारी उससे लाभान्वित हो सकें। बोर्ड पर प्रति सप्ताह नये शब्द लिखे जाते हैं। इस योजना का बहुत स्वागत हुआ है।

8. हिन्दी पुस्तकालय :

मंडल हिंदी ग्रंथालय के अतिरिक्त स्टेशनों पर 11 हिंदी पुस्तकालय चल रहे हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालयों में पत्र-पत्रिकायें भी कर्मचारियों को उपलब्ध की जाती हैं।

...पृ० 101 पर जारी...

भारतीय स्टेट बैंक (प्रधान कार्यालय), नई दिल्ली

वर्ष 1986-87 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उपलब्धियां

वर्ष 1986-87 की कार्ययोजना के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है :—

1. पत्राचार	31-12-83	31-12-84	31-12-85	31-12-86	30-6-87
(अ) मूलपत्राचार	44 प्रतिशत	57 प्रतिशत	66.31 प्रतिशत	72 प्रतिशत	75 प्रतिशत
(आ) जवाबी पत्राचार	100 प्रति.	100 प्रति.	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
(इ) हिंदी में तार	7 प्रति.	44 प्रति.	62 प्रतिशत	54 प्रतिशत	74 प्रतिशत

2. द्विभाषीकरण

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन	20 प्रतिशत	90 प्रतिशत	99 प्रतिशत	99 प्रतिशत	99.79 प्रतिशत

3. विशेष हिंदी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कार्यक्रमों का आयोजन	वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या	अन्य माड्यूलों एवं सहयोगी बैंकों के प्रतिभागी	ट्रांसपेरेन्सीज का विकास
	1986	36	692	40	12
	जून 1987 तक	16	250	—	—

4. चयनित शाखाएं	वर्ष 1986 में चयन की गई शाखाओं की संख्या	वर्ष 1986 तक कुल चयनित शाखाएं	मंडल की चयनित शाखाओं का कुल शाखाओं के अनुपात में प्रतिशत
	47	548	72 प्रतिशत

5. गजट अधिसूचना : राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत मंडल की 548 शाखाएं अधिसूचित कराई जा चुकी हैं।

	वर्ष 1986 विभिन्न विभागों/उत्तीर्ण टाइपिस्टों की संख्या	दिल्ली क्षे. क. नई दिल्ली मुख्य शाखा/विदेश व्यापार शाखा से प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति टाइपिस्टों की संख्या
(i) अहिन्दी भाषी स्टाफ	61	25
(ii) अहिन्दी भाषी टाइपिस्ट	17	3

(iii) सहायक साहित्य का विकास/निर्माण

—हिंदी ज्ञानवेणी—मार्च 1986 अंक

—हिंदी ज्ञानवेणी—अप्रैल—जून 1986 अंक

—वही—जुलाई—सितंबर 1986 अंक

—विशेष हिंदी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला संबंधी 10 हैण्डआउटों का परिशोधन

—स्टाफ सदस्यों को राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए पुस्तिका का प्रकाशन

—1986-87 का वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाकार रूप में प्रकाशित

—राजभाषा विभाग द्वारा पिछले 27 वर्षों में जारी परिनिर्देशों का कोडीकरण

6. **हिन्दी के प्रयोग की उन्नति के अध्ययन**

(i) वर्ष में दो अध्ययन किए गए जो दर्शाते हैं बैंक व्यापार पर हिंदी का प्रभाव अनुकूल हुआ है ।

(ii) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन किया गया जिससे पता चला कि सुझाए गए उपायों को उपयोग में लाने से हिंदी पत्राचार 51 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

7. **संगोष्ठियां**

देहरादून माड्यूल के अलावा अन्य सभी मॉड्यूलों में 14 संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इन गोष्ठियों में क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा शाखा प्रबंधकों को हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया गया। देहरादून अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण संगोष्ठी आयोजित नहीं कर सका।

8. **निरीक्षण**—वर्ष में 176 शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

9. **आन्तरिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग**

प्रशिक्षण के फलस्वरूप आंतरिक कार्यों में 54 प्रतिशत हिंदी का प्रयोग हो रहा है।

10. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन**

50 या इससे अधिक स्टाफ संख्या वाली 64 शाखाओं में राजभाषा समितियों का गठन किया गया और उनमें त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया गया।

11. **अन्य गतिविधियां**

(i) हमारे श्रेष्ठ निष्पादन के कारण केन्द्रीय कार्यालय ने 29 अक्टूबर 1986 को "क" क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग में प्रथम स्थान पाने के कारण केन्द्रीय कार्यालय राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया।

(ii) स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली के अनुरोध पर स्टाफ द्वारा हिंदी के अतिरिक्त अन्य कार्यमूलक विषयों पर व्याख्यान दिए गए।

(iii) भारत सरकार के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभिन्न विभागों से 5 कर्मचारियों को भेजा गया।

(iv) अथक प्रयास और मंडल प्रबंधन समिति के सहयोग से हम सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं।

...पृ० 99 का शेषांश...

पुरस्कार योजनाएं :

(क) गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी संशोधित प्रोत्साहन योजना मंडल में लागू है और गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत रु. 8450/- के पुरस्कार दिए गए थे।

(ख) "राजभाषा मासिक पुरस्कार" योजना मंडल कार्यालय और मंडल कार्यालय से बाहर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बाहर के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक को रु. 100/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(ग) मंडल में त्रैमासिक पुरस्कार योजना (सामूहिक) नामक दो नई पुरस्कार योजनाएं मंडल के कर्मचारियों और लाइन के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग चल रही हैं। इसके अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय पुरस्कार क्रमशः रु. 200/- और 150/- अलग-अलग प्रदान किये जाते। इन सभी योजनाओं में गत वर्ष रु. 700/- के पुरस्कार वितरित किए गए।

(घ) अब 1 जनवरी 1988 से 3 महीने के लिए एक नई पुरस्कार योजना चालू की जा रही है जिसमें तीन माह में 25 हजार शब्द हिंदी में लिखने वाले प्रत्येक कर्मचारी को रु. 50/- नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

"प्रगति" पत्रिका का प्रकाशन :

मंडल के हिंदी अनुभाग द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका "प्रगति" नाम से प्रकाशित की जाती है जिसमें मंडल के अन्य समाचारों के साथ-साथ राजभाषा संबंधी समाचारों और गतिविधियों को प्रमुखता दी जाती है।

□ □

हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह

'राजभाषा भारती' (अंक 39) के संपादकीय में यह स्पष्ट किया गया था कि राजभाषा विभाग द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाए तथा हिन्दी सप्ताह आयोजन भी इसी दिन से प्रारम्भ किए जाएं। यदि 14 सितम्बर अवकाश का दिन हो तो यह आयोजन इससे ठीक परवर्ती कार्य दिवस में आयोजित किए जाएं।

एतदर्थ राजभाषा भारती के प्रबुद्ध पाठकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में उपर्युक्त निर्णय के मुताबिक 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन करें तथा आयोजन की समाप्ति पर तत्काल आलेख (रिपोर्ट) भेजें। —सं०

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० ऊटकमण्ड

कम्पनी में 15-2-88 से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस बीच निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :—

(1) कंपनी कर्मचारियों के लिए	(1) हिन्दी निबंध (2) हिन्दी भाषण (3) हिन्दी टंकण (4) तकनीकी शब्दावली तथा (5) हिन्दी गीत।
(2) विद्यार्थियों के लिए	(1) हिन्दी अनुलेख (2) हिन्दी क्विज तथा (3) हिन्दी गीत

दिनांक 29-2-88 को समापन समारोह प्रबन्ध निदेशक श्री पी.आर.एस. राव की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें श्री कृष्ण पणिक्कर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री राव ने कर्मचारियों को मातृभाषा के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष प्रकट किया।

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा श्रीमती प्रेमाराव ने उक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद

वर्ष 1987-88 के लिये जारी राजभाषा विभाग के "वार्षिक-कार्यक्रम के अनुपालन के अधीन आयोग ने गांधी भवन में दिनांक 22 से 28 मार्च, 88 की अवधि में तीसरा हिन्दी सप्ताह समारोह सफलता-पूर्वक मनाया। इसके अंतर्गत हिन्दी भाषण, निबंध लेखन तथा हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता में श्रीमती एस. मेहबूब (प्रथम) श्री जी.आर. दीक्षित द्वितीय, तथा श्री बी.आर. मल्लेश ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार श्री अशोक पाठराबे, द्वितीय पुरस्कार—श्रीमती एस. मेहबूब, तथा तृतीय पुरस्कार—श्री एम. सुब्बाराव को प्रदान किया गया।

समापन समारोह, दिनांक 28 मार्च, 88 को सम्पन्न हुआ। श्री गोपालराव एकबोटे, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद इस समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा इसकी अध्यक्षता श्री के. शिवमूर्ति, निदेशक राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ने की।

श्री आ. गौरय्या, सहायक निदेशक ने अतिथियों का स्वागत किया और "हिन्दी-सप्ताह" के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यालय के हिन्दी अनुवादक श्री गजानन पांडेय ने पिछले वर्षों में हिन्दी के कार्य में हुई प्रगति का प्रतिवेदन पढ़ा।

मुख्य अतिथि ने प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें तथा निर्णायकों को भेंट स्वरूप स्मृति-चिन्ह प्रदान किया।

मुख्य अतिथि श्री गोपालराव एकबोटे ने अपने भाषण में कहा कि—संविधान में हिन्दी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि—"देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी भाषा को ही हमने अपनाया है, वह "राष्ट्रीय हिन्दी" है। वह जनसाधारण की भाषा है। हिन्दी जोड़ने वाली भाषा है न कि तोड़नेवाली।" अपने मस्तिष्क को विशाल बनाएं और हिन्दी के प्रति हमारे जो राष्ट्रीय-कर्त्तव्य है उसके प्रति समर्पित हों। उन्होंने आह्वान किया कि हमें हिन्दी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा, तभी राष्ट्रीय, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृति की रक्षा हो सकेगी।"

अध्यक्ष श्री के. शिवमूर्ति ने अपने अभिभाषण में कहा कि—"जैसे हमने खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के विकास व कार्यान्वियन पर बल दिया है उसी प्रकार कार्यालय में राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार व प्रसार को भी हमने प्रमुखता दी है। उसी के अंतर्गत "प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखें" कार्यक्रम व कर्मचारियों की जानकारी के लिये जारी दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद भी शामिल है।

हिन्दी देश को जोड़ने वाली भाषा है—गोपालराव एकबोट

सहायक निदेशक श्री गौरय्या ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम की सफलता के लिये मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय हिन्दी-सप्ताह समिति के सदस्यों—सर्वश्री एस. डी. चिटणीस (विकास अधिकारी) श्रीमती एम. मेहबूब, बी. आर. मल्लेश तथा गजानन पांडेय तथा उपस्थित कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया।

टी बोर्ड, कलकत्ता

18 फरवरी, 1988 को टी बोर्ड सभागार में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ। टी बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर. के. त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों से हिन्दी सीखने तथा कार्यालय में उसके प्रगामी प्रयोग का आह्वान करते हुए कहा कि जो भाषा हमारी अपनी जमीन की है, माटी की है, उसे सीखने के लिए हमारे भीतर किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। दुख की बात है कि हम आजादी के 40 वर्ष बाद भी विदेशी भाषाओं की ओर भाग रहे हैं। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए हम सहर्ष अतिरिक्त श्रम और धन खर्च करते हैं, परन्तु संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा हिन्दी पर अपेक्षित ध्यान नहीं देते, जबकि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कारों की व्यवस्था की है।

भारतीय भाषा परिषद के निदेशक एवं हिन्दी और तेलुगु के विद्वान डा. पांडुरंग राव, ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित थे। डा. राव ने कहा कि सब भारतीय भाषाओं में एक अद्भुत एकरूपता देखने को मिलती है। थोड़ी भिन्नता के साथ सभी भाषाओं (उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की भी) के रूप भी एक जैसा लगते हैं। उत्तरी भारत की भाषाओं के शब्द तो प्रायः समान हैं। इस प्रकार हिन्दी सीखना सबके लिए बहुत आसान है। आप नित्य जिस भारतीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं शब्दों को आप हिन्दी में ले आएं तो भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि वे ही शब्द आगे चलकर व्यवहार की भाषा का निर्माण करेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है, कि हिन्दी में बोलना और काम करना तो शुरू कीजिए आपको स्वयं यह महसूस होने लगेगा कि जिस भाषा को आप कठिन समझते हैं, वह कितनी सहज और सरल है।

सब भारतीय भाषाओं में अद्भुत एकरूपता है।

—डा. पांडुरंग राव

उक्त अवसर पर आयोजित निबंध लेखन, टिप्पण-आलेखन और वक्तृता प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए :—

निबंध प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी)

1. श्री रणेन्द्र नारायण सेनगुप्ता 2. श्री निर्मल साहा
3. श्री गणपति दरबार

इनके अतिरिक्त श्रीमती कावेरी मुखर्जी, श्री असीम खास्तगीर, और श्रीमती शिवानी चटर्जी को सांत्वना पुरस्कार दिये गये।

निबंध प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)

1. श्री उमेश बिहारी माथुर
2. श्री आनन्द बिहारी सिंह,
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता। इनके अतिरिक्त सर्वश्री लल्लन पाण्डेय, पवारू राम, रमेश चन्द्र शर्मा प्रभृति को सांत्वना पुरस्कार दिये गए।

टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी)

1. श्री रणेन्द्र नारायण सेन गुप्ता,
2. श्री गणपति दरबार
3. श्री पवित्र घोष। इनके अतिरिक्त श्रीमती सागरिका गुप्ता, श्रीमती कावेरी मुखर्जी और श्रीमती शिवानी चटर्जी को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)

1. श्री उमेश बिहारी माथुर, 2. श्री आनन्द बिहारी सिंह
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता

इनके अतिरिक्त सर्वश्री विनोद कुमार शर्मा, लल्लन पाण्डेय और जेविस्को सिंह प्रभृति को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

वक्तृता प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी)

1. श्री रणेन्द्र नारायण सेनगुप्ता, 2. श्रीमती शिवानी चटर्जी, 3. श्रीमती कावेरी मुखर्जी

इनके अतिरिक्त सर्वश्री निर्मल कुमार साहा, असीम खास्तगीर और गणपति दरबार प्रभृति को सांत्वना पुरस्कार दिए गये।

वक्तृता प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी) :
1. श्री विनोद कुमार शर्मा,
2. श्री रतन सिंह, 3. श्री लल्लन पाण्डेय

इनके अतिरिक्त सर्वश्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री आनन्द बिहारी सिंह और यू.वी. माथुर प्रभृति को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी में अत्यधिक काम करने के लिए बोर्ड ने श्री रणेन्द्र नारायण सेनगुप्ता को रु. 300/- का एक विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया।

बोर्ड के चाय विकास निदेशक श्री ए.एन. राय ने काव्यात्मक भाषा में धन्यवाद ज्ञापन किया।

□

मण्डल रेल प्रबन्धक, अम्बाला मण्डल

विगत 14 मार्च से 18 मार्च, 1988 तक उत्तर रेलवे के नवगठित अम्बाला मंडल में भव्य राजभाषा प्रदर्शनी एवं हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। राजभाषा प्रदर्शनी में हिन्दी के प्रयोग-प्रसार से संबंधित भारतीय रेलों द्वारा निकाली जा रही विभिन्न पत्रिकाओं, शब्दावलियों, चार्टों, चित्रों तथा अम्बाला मंडल पर सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न मसौदों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री जीतेन्द्र कुमार थापर ने इसे प्रशंसनीय प्रयास बताया। उद्घाटन के तुरन्त बाद मंडल स्तर पर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल कार्यालय के अलावा अन्य अधीनस्थ रेल कार्यालयों से भी प्रतियोगियों ने भाग लिया। राजभाषा प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए मंडल रेल प्रबन्धक श्री वासदेव गुप्ता ने इतने कम समय तथा कम साधनों के बावजूद भी इस शानदार आयोजन के लिए उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल परिचालन अधीक्षक श्री अजय शुक्ला को बधाई दी।

हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान मंडल कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के अनुपालन संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया तथा हिन्दी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को टेक्नल ट्रेनिंग आदि का विशेष रूप से आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री थापर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि भविष्य में वे अपने हस्ताक्षर केवल हिन्दी में ही किया करें।

हिन्दी सप्ताह समारोह के अंतिम दिन समारोह तथा पुरस्कार वितरण के अवसर पर राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले तथा मंडल पर अपने सरकारी काम-काज में अधिकाधिक हिन्दी के प्रयोग करने वाले 57 कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों तथा विशेष प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री अजय शुक्ला ने अम्बाला मंडल पर हिन्दी प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा देते हुए राजभाषा हिन्दी के निरन्तर प्रयोग-प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फरीदाबाद

संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा में 26 नवम्बर, 1987 को वार्षिक हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रवेश द्वार पर स्वागतम् पट्ट कार्यालय के सदस्यों को आमंत्रित करते हुए विद्यमान था जबकि सभा कक्ष में प्रवेश करते ही राजभाषा रंजित वातावरण की छटा मुखरित हो रही थी।

क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी ने राजभाषा हिन्दी के प्रसार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी प्रयोग की स्थिति का संक्षेप में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् हिन्दी के प्रसार की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, जिसमें 10 कर्मचारियों ने भाग लिया—विषय था "हिन्दी में विचार व्यक्त करना आसान है, अंग्रेजी में नहीं"। विभिन्न प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत विचार स्वतः ही एक विश्लेषण के रूप में हिन्दी की उपमा करते हुए प्रयोग को श्रेयस्कर ठहराते हुए, सभी ने सुने। ऐसे ही अंग्रेजी के पक्ष में भी प्रतियोगियों ने अपने विचार रखे लेकिन अन्ततः उन्होंने स्वीकारा कि विचार तो अपनी भाषा में ही उभरते हैं और हम उन्हें अंग्रेजी भाषा का जामा पहनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं निष्कर्षतः यह बात सामने आती है कि विचारों के विदेशी भाषा में अन्तरण में मौलिकता, भावनाएं व वह खिचाव नहीं रहता जो कि हिन्दी में रह सकता है या रहता है। वास्तव में कार्यालय के कामकाज में हिन्दी प्रयोग की स्थिति में यह प्रश्न उभरते हैं और इनका निराकरण कहां तक हो पाता है यह हिन्दी प्रयोग के बढ़ते चरण ही बता सकते हैं। यह रोचकता सभी को संभवतः यह सोचने पर विवश कर गई कि क्यों न हम हिन्दी को ही अंगीकार करें और जो सरसता, सहजता इसके

माध्यम से अभिव्यक्ति के लिए सभव हो पाएगी वह अंग्रेजी भाषा में कदापि नहीं हो सकती।

पुरस्कार वितरण समारोह के उपरान्त क्षेत्रीय निदेशक श्री रावत ने अपने मूल्यवान विचारों से मार्गदर्शन किया। उन्होंने हिन्दी प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि मात्र नीति निर्धारित करने से यह संभव नहीं हो पाया। वास्तव में हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का मूल स्रोत भाषा से ही संभव हो सकता है। उन्होंने अपेक्षा की कि हरियाणा क्षेत्र हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में पहले की तरह मानक स्थापित करेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इंदौर

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इंदौर के सिविल एवं विद्युत मण्डलों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 7-12-87 से 11-12-87 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

(1) दिनांक 7-12-87 को आयोजित हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में दोनों मण्डलों के करीब 8 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें कु. मीना पाठक, श्री ओ.पी. खेड़े एवं श्री दीपक उपाध्याय क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे।

(2) दिनांक 8-12-87 को सम्पन्न हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता हेतु विषय था—"शासकीय कार्यों में हिन्दी: उत्थान एवं उसकी उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सुझाव"। इसके लिए 7 प्रविष्टियां प्राप्त हुई।

(3) दिनांक 9-12-87 को हिन्दी साहित्य प्रदर्शनी आयोजित की गई।

(4) दिनांक 10-12-87 को कार्यालयीन विचार गोष्ठी में कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं द्वारा मुख्यतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इंदौर में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर विचार-विमर्श हुआ।

दिनांक 11-12-87 को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के मुख्य अतिथि हिन्दी के प्रख्यात कवि प्रो. सरोज-कुमार थे। श्री कुमार ने हिन्दी निबंध प्रतियोगिता एवं टंकण प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किये तथा कहा कि स्वतन्त्रता के पश्चात हिन्दी के प्रयोग से लेकर उसकी आज की सामान्य स्थिति पर विवेचना की। उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रीयता से संलग्न बताया एवं इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी को अपनाने से पूर्व हमें राष्ट्रीय होना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी भाषा अपनाने हेतु अलाउन्स मिलना या मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिन्दी की राज-नीतिक आधार पर चर्चा करते हुए उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में हिन्दी के प्रति अपनाए जा रहे रुख पर टिप्पणी देते हुए कहा कि निकट भविष्य में देश के दक्षिणी हिस्सों में भी हिन्दी का प्रयोग उस हद तक बढ़ेगा कि जिन क्षेत्रों की यह मातृभाषा है, उन्हें अवश्य अचम्भा होगा।

सीमा सड़क महानिदेशालय, नई दिल्ली

सीमा सड़क महानिदेशालय में दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को "हिन्दी दिवस" बड़े उत्साह से मनाया गया। इस सन्दर्भ में दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया—(1) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, (2) हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कार स्वरूप हिन्दी पुस्तकें दी गई। (1) निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले क्रमशः श्री युगल किशोर झा, श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (दोनों प्रथम), श्री रणजीत सिंह नेगी (द्वितीय) श्री प्रेम सिंह नेगी व श्री बी.सी. जोशी हैं (दोनों तृतीय)। (2) नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले क्रमशः श्री प्रेम सिंह, श्री बी.सी. जोशी व श्री रणजीत सिंह नेगी हैं।

इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक निर्णायक मंडल में अध्यक्ष के रूप में कर्नल एस.बी. जोशी व सदस्य श्री आर.के. चतरथ, श्री ज्योतिर्मय रे व हिन्दी अधिकारी थे। इस अवसर पर महानिदेशालय में कार्यालय का अधिक कार्य हिन्दी में ही किया गया। सीमा सड़क महानिदेशालय के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर, बलबीर आहुजा, द्वारा प्रमाणपत्र व पुरस्कार वितरित किए गए।

नेशनल इन्श्योरैन्स कम्पनी लिमिटेड

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने पूरे भारत-वर्ष में फैले हुए अपने कार्यालयों में सितम्बर/अक्तूबर 1987 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पक्ष/माह बड़े उत्साहपूर्वक मनाया। प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में कलकत्ता में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबन्ध लेखन, टिप्पणियां और मसौदा लेखन आदि का आयोजन किया। श्री कैलाश चन्द मित्तल, महाप्रबन्धक ने इन प्रतियोगितायों का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की सभी भाषाएं अपनी हैं और हिन्दी भी इन्हीं भाषाओं में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कंपनी का काम सभी वर्ग के लोगों से पड़ता है जिनमें गांव में बसे हुए व्यक्ति भी शामिल हैं अतः हम अपना कार्य हिन्दी में करें। समारोह में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण जिनमें पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री डी.एन. मुखर्जी, प्रबन्धक श्री एस.के. सोम और प्रधान कार्यालय के हिन्दी विभाग के प्रभारी अधिकारी श्री बी.पी. गुप्ता भी उपस्थित थे।

इसी तरह और अन्य अनेक प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी में हस्ताक्षर, हिन्दी पत्र लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन बम्बई, अहमदाबाद, पुणे, आनन्द, राजकोट,

ग्वालियर, मद्रास, हैदराबाद, बंगलूर, पटना, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर तथा अन्य नगरों में किया गया।

दिल्ली में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में भव्य समारोह 14 सितम्बर 1987 को सप्रू हाऊस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार और राजभाषा सचिव श्री बी.बी. महाजन ने की। समारोह में लगभग 650 दर्शक उपस्थित थे। समारोह के आरंभ में कंपनी के सहायक महाप्रबन्धक श्री जी०एस० नारंग ने कहा कि यह समारोह प्रधान कार्यालय से मिली प्रेरणा से पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और राजभाषा सचिव श्री महाजन का स्वागत करते हुए इस समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया।

श्री नारंग ने इस बात पर जोर दिया कि उनके सभी कार्यालय "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अतः सरकारी कामकाज ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में होना चाहिए।

राजभाषा सचिव श्री बी.बी. महाजन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को कारगर रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों, भले ही वे सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम/प्रतिष्ठान ही क्यों न हों, में सरकारी कामकाज हिन्दी में नहीं होता तब तक हिन्दी जन-जन के हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकती। हम दक्षिण भारत के राज्यों के निवासियों को हिन्दी सीखने के लिए तभी प्रेरित कर सकते हैं जब हमारे हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित सरकारी कार्यालय क्षेत्रों के उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में सरकारी कामकाज ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में होता हो। श्री महाजन ने आगे कहा कि हम सभी अच्छी तरह से हिन्दी पढ़ लिख और समझ सकते हैं। हम अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं लेकिन अपना कामकाज हिन्दी में करने में कतराते हैं। हिन्दी में काम करने से हम इसलिए झिझकते हैं कि हमसे कहीं अशुद्धियां न हो जाएं। लेकिन हमें अशुद्धियों से घबराना नहीं चाहिए, ये अशुद्धियां तो निरन्तर अभ्यास करते रहने से अपने आप दूर हो जाएंगी। हम इसकी शुरूआत फाइलों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखकर, छोटे छोटे पत्र लिख कर आपस में हिन्दी में बातचीत करके कर सकते हैं। हिन्दी में कामकाज करके हम न केवल अपना नैतिक दायित्व निबाह सकते हैं अपितु संविधान के प्रति भी अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं।

इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कविता पाठ, लघु नाटक, लोकगीत, भजन आदि प्रस्तुत किया।

अंत में पुरस्कार वितरण समारोह प्रारम्भ हुआ जिसमें वर्ष 1986 में हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी माह के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को राजभाषा शील्ड, राजभाषा कप तथा नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

हिन्दी कार्यशालाएं

मद्रास टेलीफोन जिला

तारीख 4-1-1988 से 8-1-1988 तक प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चार राजपत्रित अधिकारियों सहित 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में पढ़ाने के लिए रेल विभाग, डाक तार विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा बैंकों आदि के हिन्दी अधिकारी आए और अपने अमूल्य भाषणों से प्रतिभागियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया। श्री टी. राममूर्ति उप महाप्रबंधक (प्रशासन) ने 4-1-88 को कार्यशाला का उद्घाटन किया और अपने हिन्दी भाषण में प्रतिभागियों से कहा कि कार्यशाला में व्यावहारिक हिन्दी का अभ्यास करके उसका समुचित लाभ उठाएं। अंतिम दिन कार्यशाला के समापन समारोह में श्री जी. अलगरसामि, निदेशक (वित्त तथा लेखा) ने अपने भाषण में प्रतिभागियों से कहा कि कार्यशाला में अर्जित हिन्दी ज्ञान का कार्यालय काम में सदुपयोग करें।

हिन्दी ज्ञान का कार्यालय काम में सदुपयोग करें
—जी. अलगरसामि

दूसरी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन ता. 14-3-88 से 18-4-88 तक की गई। डा. किशोर वासवानी, क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मद्रास ने पहले दिन इस कार्यशाला का उद्घाटन करके सरकार की राजभाषा नीति पर व्याख्यान दिया। इस कार्यशाला का बहुत अच्छा प्रभाव प्रतिभागियों पर पड़ा। कार्यशालाओं का संचालन श्री जे. सत्यनारायणन, हिन्दी अधिकारी, ने किया।

वालतेरु मण्डल (दक्षिण पूर्व रेलवे)

दिनांक 4-11-87 को वालतेरु मंडल के मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला का श्री आर. रंगराजन मंडल रेल प्रबन्धक, वालतेरु ने उद्घाटन किया। श्री रंगराजन ने उपस्थित कर्मचारियों से हिन्दी कार्यशाला का यथेष्ट लाभ उठाने एवं हिन्दी को एक कदम आगे ले जाने के लिए आग्रह किया। श्री वी.के. राय, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रवर मंडल परिचालन अधीक्षक, वालतेरु ने कर्मचारियों से कहा कि हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए कार्यशाला चलाई जा रही है। अतः शब्दावली, टिप्पणी, नोट आदि सीखने के लिए दिलचस्पी लें एवं इसका उपयोग सरकारी काम-काज में करें। उन्होंने हिन्दी में काम-काज करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में भी बताया।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

"मनुष्य को जोड़ो तो कार्य खुद ही संपन्न हो जाते हैं और "भाषा" इन्सान को इन्सान से जोड़ने वाला सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। हिन्दुस्तान में एक प्रांत से दूसरे प्रांत का मेलमिलाप कराने वाली भाषा 'हिन्दी' है। लेकिन इस भाषा नीति के मामले में अथक प्रयास और धैर्य से काम लेना होगा। इस कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों को और संवैधानिक प्रावधानों का आदर करते हुए निष्ठापूर्वक लोगों को जोड़ने में सहायता करना उच्च अधिकारियों का उत्तर-दायित्व है।" ये उद्गार थे प्रो. ललित कुमार पारीख के। हैदराबाद स्थित रक्षा मंत्रालयाधीन उद्यम, भारत डायनामिक्स में तृतीय द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे,—उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रो. पारीख।

दिनांक 4-2-88 को तृतीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जेड. पी. मार्शल ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशाला में जो ज्ञान बटोरने का अवसर मिलता है, वह प्रतिभागियों के लिए एक श्रेष्ठ अवसर है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस ज्ञान का उपयोग सरकारी काम-काज में करें।

उद्यम के प्रशासन एवं कार्मिक प्रभाग के उप-महाप्रबन्धक श्री एन. सांबमूर्ती ने प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत किया। श्री नरहर देव सहायक प्रबन्धक, राजभाषा ने कार्यशाला की रूप रेखा प्रस्तुत की तथा मुख्य अतिथि का परिचय दिया।

श्री के. रामचंद्र (प्रशासन) ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यशाला में दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री सुदर्शन कुमार खन्ना, इंडियन एयर लाइन्स के कार्मिक उप प्रबन्धक श्री एल. सी. तोमर, हैदराबाद टेलीफोन्स के हिन्दी अधिकारी श्री जी. प्रेम कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारी श्री कुलपति शर्मा, इंडियन बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री अर्जुन कुमार गीते द्वारा कार्याशाला के वर्ग चलाये गये।

भारतीय जीवन बीमा निगम, हैदराबाद

हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले मंडल कार्यालय के कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हैदराबाद मंडल कार्यालय में दिनांक 27-1-88 से 29-1-88 तक किया गया। जिसमें सात अधिकारी तथा 23 कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री. डि. एम. युसुफ, मंडल प्रबन्धक (का. तथा. औ. सं) ने कहा कि कार्यशाला में प्रशिक्षण पाकर कर्मचारियों का हिन्दी के प्रति संकोच दूर होगा।

कार्यशाला का व. मंडल प्रबन्धक, श्री. न. मो. गोवर्धन ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का आयोजन व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए किया गया है। और आशा प्रकट की कि कार्यशाला से कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में रुचि बढ़ेगी एवं वे हिन्दी में आसानी से काम कर सकेंगे।

27-1-88 की कार्यशाला के व्याख्याता डा. कुट्टन पिल्ले अतिथि प्राध्यापक, उस्मानिया विश्वविधालय स्तानकोत्तर केन्द्र थे। उन्होंने अनुवाद के सिध्दांत पक्ष पर प्रकाश डाला एवं सरकार की राज भाषा नीति पर चर्चा की। सभी उपस्थित कर्मचारियों ने डा० पिल्ले जी के भाषण में रुचि दिखायी और अपनी शंकाओं का समाधान भी उनसे प्राप्त किया।

28-1-88 को जो कि कार्यशाला का दूसरा दिन था, श्री. रवीन्द्र वी. सिन्ह, हिन्दी अधिकारी न्यू इंडिया इनशूरन्स कम्पानी ने हिन्दी व्याकरण तथा बीमा शब्दावली पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिसे सभी ने सराहा।

29-1-1988 की कार्यशाला में जो कि अन्तिम तथा तीसरा दिन था, श्री. कुलपति शर्मा, हिन्दी अधिकारी इन्डियन ओवरसीज बैंक, अंचल कार्यालय, हैदराबाद को आमंत्रित किया था जिन्होंने हिन्दी पत्राचार तथा टिप्पण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

आन्ध्र बैंक निजामाबाद क्षेत्र

दिनांक 22-3-1988 को आन्ध्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, निजामाबाद ने अपने हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के लिए वर्ष 1988 की पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन कार्यालय प्रबंधक श्री के. सि. प्रसाद ने किया। उन्होंने वर्ष 1987 में निजामाबाद क्षेत्र को राजभाषा शील्ड प्राप्त होने पर बधाई दी और प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे अपनी शखाओं में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे पहले राजभाषा अधिकारी श्री केशरसिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशालाओं के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यशाला का संचालन करते हुए बैंक शब्दावली हिन्दी पत्राचार, राजभाषा नीति आदि पर प्रतिभागियों को अवगत कराया। कार्यशाला में सर्वश्री शोमनाथ सिंह बेनुगोपाल राव व वी. मुरली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला दो दिन चली और प्रतिभागियों के लिए अंत में एक परीक्षण प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सर्वश्री मदन मोहन रेड्डी, डी. पी. नायडू व ए. एस. विष्णु राव क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय रहे। पुरस्कार वितरित करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जी. चलमय्या ने प्रतिभागियों को बताया कि अब प्रश्न नहीं रहा कि हमें हिन्दी में काम करना है या अंग्रेजी में। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और पिछले वर्ष हमें सफल अनुपालन के लिए शील्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अब तो हमें परिचालन के हर संभव क्षेत्र में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। उन्होंने प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक कार्यशाला में भाग लेने पर बधाई दी।

कोल इंडिया लि०, कलकत्ता

दिनांक 29-12-1987 को एक एकदिवसीय कार्यशाला संचालित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन श्री राजकुमार राय, सांसद द्वारा तथा श्री इन्द्र बहादुर पाण्डेय, निदेशक (कार्मिक) एन. सी. की अध्यक्षता में किया गया। श्री केशवचन्द नन्दक्योलियार, महाप्रबन्धक (कल्याण) एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुख्यालय) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है और इसके लिए इस तरह की कार्यशालाएं नियमतः चलाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सौभाग्य ही है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में इस मौके पर हिन्दी के एक महान विद्वान, चिन्तक एवं एकनिष्ठ सेवी उपस्थित हुए हैं।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सांसद और समाज सेवी श्री राजकुमार राय ने कहा कि हिन्दी में राजभाषा बनने लायक योग्यता है। इस भाषा में कमी नहीं हैं, कमी है काम करने वालों की और इसकी मानसिकता की। हमें अंग्रेजी बोलने में गर्व महसुस होता है जब कि हम उस भाषा को अच्छी तरह जानते ही नहीं। अपने भावों को हम अपनी भाषा में जिस तरह व्यक्त कर सकते हैं, उस तरह अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं। यदि हम अपनी सोच और

अपने विचारों में बदलाव लाएं तो हिन्दी को उसका अपना स्थान प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं ।

तदुपरांत, कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय) के हिन्दी अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद साहु ने उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों को अपना धन्यवाद ज्ञापन किया ।

भोजनोपरांत, द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री केशवचन्द्र नन्दक्योलियार ने की। अपने भाषण में उन्होंने कार्यशालाओं की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी हिन्दी भाषियों को भी प्रयोग के अभाव में दैनन्दिन काम काज में हिन्दी के प्रयोग संबंधी दिक्कतों से पेश आना पड़ता है । उन्हें सही शब्दों के इस्तेमाल में अपनी अंग्रेजी मानसिकता के कारण कठिनाई होती है। पर हमें रुकना नहीं है। इन अड़चनों का निराकरण इस तरह के कार्यशालाओं के संचालन से ही हो सकता है।

कार्यशाला का संचालन श्री एस. मोहन राव ने किया जिसमें साधारण टिप्पणियां एवं प्रारूप आदि पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।

युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) कलकत्ता

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय कलकत्ता में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए तीसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष 1987-88 की यह दूसरी कार्यशाला थी। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बैंक के उप महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री मानस कुमार बसु ने हिंदी कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी को विषय के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस व्यावहारिक ज्ञान की आपूर्ति करती है। हिंदी कार्यशाला—यही कारण है कि इस कार्यशाला में आप सभी को आमंत्रित किया गया है।

अधिकाधिक कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करें ।

—मानस कुमार बसु

श्री बसु ने अनुरोध किया कि कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारी वक्ताओं को ध्यान से सुनें, विषय को समझें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें । उन्होंने यह भी कहा कि कार्यशाला समाप्ति के बाद कर्मचारी अधिकाधिक कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करें।

कार्यशाला के अंतिम दिन कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की एक परीक्षा ली गई और सफल सहभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र दिए गए।

बैंक आफ महाराष्ट्र, नासिक

मध्य महाराष्ट्र अंचल, नासिक के तत्वाधान में जलगांव में दिनांक 10 से 12 मार्च तक हिंदी कार्यशाला संपन्न हुई। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें एक ही शाखा के एक लिपिक एवं एक अधिकारी को प्रशिक्षण हेतु एक साथ आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में 22 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन जलगांव क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी. बी. कुलकर्णी ने किया तथा समापन श्री विजय पु. देव, सहायक महाप्रबंधक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जलगांव एवं नासिक दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन सहभागियों के लिए एक वक्तृत्व प्रतियोगिता रखी गई थी। जिसमें प्रमुख अतिथि तथा निर्णायक थे—प्रसिद्ध हिंदी व्यंगकार डॉ. शंकर पुणतांबेकर। वक्तृत्व प्रतियोगिता में — निम्नलिखित दो विषय रखे गए थे

1. दूरदर्शन का समाज पर प्रभाव।
2. ग्राहक सेवा और हिंदी।

इन दोनों विषयों पर प्रतियोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रमुख अतिथि डॉ. शंकर पुणतांबेकर ने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी का अच्छा प्रचार हो रहा है। इस माध्यम से साहित्य और अखबार दोनों दर्शकों तक पहुंचते हैं। बैंकों के संदर्भ में ग्राहक सेवा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक में संख्या पर अधिक बल दिया जाता है इसलिए जिसके आगे जितने ज्यादा शून्य लगे होते हैं अर्थात् जो जितना "सिफर" होता है वही बैंकों में अधिक महत्व पाता है। "अ" से "ज्ञ" तक पढ़ानेवाला व्यक्ति बैंकों में "अज्ञ" (मूढ़) समझा जाता है।

प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए :

प्रथम : श्री अशोक सोनार, अधिकारी,
द्वितीया : कु. उज्वला देवगड़े,
ततीय : श्री चंद्रशेखर हलकुंडे,
तृतुर्थ : श्री एम. बी. भिड़े,
प्रोत्साहन : श्री का. स. वहारे ।

कार्यशाला में लिपिकों और अधिकारियों की एक साथ उपस्थिति को देखते हुए एक विशेष रूपक प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक था—"मैं हिंदी में कार्य क्यों करूं"/ इससे दोनों वर्गों द्वारा हिंदी में काम टालने की प्रवृत्ति उजागर होती थी।

इसके अलावा कार्यशाला में नियमित व्याख्यान भी हुए।

समापन समारोह में अध्यक्ष पद से सहायक महाप्रबंधक श्री विजय पु. देव ने इस आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता

व्यक्त की तथा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। नासिक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरुण रा. जोशी ने कहा कि इस कार्यशाला में लिपिक और अधिकारी दोनों को साथ बुलाने का उद्देश्य यह था कि दोनों आपस की शिकायतें भूलकर मिलजुल कर हिंदी में कार्य करने की भावना पैदा करें। इस प्रयोग की सफलता पर उन्होंने बधाई दी। हिंदी संपर्क अधिकारी श्री जपे ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

देना बैंक, सूरत (क्षेत्रीय कार्यालय)

9 और 10 मार्च, 1988 को कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, सूरत में क्लर्कों के लिए द्वि-द्विवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में 25 लिपिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह अब तक की 12वीं और इस वर्ष की पहली कार्यशाला थी।

9 मार्च, 1988 को हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय बी. एड. कालेज के प्राचार्य एवं सूरत नगर हिंदी प्रचार समिति के उपाध्यक्ष श्री हरि कृष्ण जोशी ने किया। कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एम. सी. पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने समाज एवं देश के लिए निज भाषा के महत्व, भाषा विकास, आज के संदर्भ में हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों से आग्रह किया कि हमें राजभाषा को अपनाना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि बैंक जनता के लिए हैं तो बैंक का काम-काज जनता की भाषा में होना चाहिए।

कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एम. सी. पटेल ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि गुजरात के लोगों के लिए हिन्दी सीखना बहुत आसान है। थोड़ा अभ्यास होने पर कर्मचारी आसानी से सीख सकते हैं। श्री पटेल ने कर्मचारियों से आग्रह किया कि कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लेकर शाखा में पहुंचने के बाद अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें।

इससे पूर्व राजभाषा अधिकारी शिवराज सिंह ने सूरत क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में और हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया।

उद्घाटन समारोह के बाद कार्यशाला विधिवत् प्रारम्भ हुई। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान हुए।

सभी प्रशिक्षुओं ने पूर्व निर्धारित विषयों पर पत्र लिखवाकर अभ्यास कराया गया। पत्रों में देखी गई सामान्य त्रुटियां से बाद में उन्हें परिचित भी कराया।

अन्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करके क.प्र.के. के संकाय सदस्य श्री एच.एन. अनन्तराम की सेवाएं लीं गई।

कार्यशाला के अन्त में प्रशिक्षुओं से विचार और 'सर्वेक्षण' नामक प्रोफार्मा भरवा कर कार्यशाला के सम्बन्ध में प्रशिक्षुओं के विचार/सुझाव प्राप्त किये। सभी प्रशिक्षुओं ने हिन्दी कार्यशाला को उपयोगी बताया। और सभी ने स्वीकार किया कि उन्हें बहुत कुछ सीखने-जानने को मिला और वे कामकाज शुरू कर सकते हैं। लगभग सभी ने मांग की कि हिन्दी कार्यशाला का समय बढ़ाया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि कुछ बैंकिंग के विषय हिन्दी कार्यशाला में जोड़े जाएं। कुछ ने इस बात पर बल दिया कि कार्यशाला में अभ्यास अधिक कराया जाए। एक प्रशिक्षु की राय थी कि कार्यशाला में 'टेबुलवर्क' हिन्दी में करने का अभ्यास करायें।

कार्यशाला के समापन समारोह में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री रमेश म. शाह ने अपने प्रेरक एवं भावपूर्ण भाषण में कर्मचारियों से आग्रह किया कि हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का पूरा-पूरा उपयोग करें और अपील की कि वे शाखा में एक दो दिन हिन्दी में कार्य करने की आदत डालें।

समापन समारोह में गलेमण्डी शाखा, सूरत के शाखा प्रबन्धक श्री भूपेन्द्र वै. वैद्य को भी अपना अनुभव बांटने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को समझाया कि किस प्रकार उनकी शाखा के कर्मचारी हिन्दी में कामकाज करते हैं।

भारतीय कपास निगम लि०, बम्बई

दिनांक 18-12-87 को निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अभिवक्ता के रूप में श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, संसद सदस्य आमंत्रि थे। इस कार्यशाला में निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री मा. वि. लाल तथा निदेशक (क्रय विक्रय) एवं महा प्रबंधक (वित्त) ने भी भाग लिया।

श्री चतुर्वेदी ने बहुत सारगर्भित रूप से राजभाषा हिन्दी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए, बताया कि हिन्दी के राजभाषा के रूप का विकास दक्षिण में अहिन्दी भाषियों से हुआ। संविधान में भी हिन्दी के राजभाषा रूप के विधान पर प्रकाश डालते हुए डॉ. गोपालस्वामी आयंगार ने कहा था—भाषा संस्कृतनिष्ठ हो, लिपि देवनागरी हो तथा अंक रोमन हों। हिन्दी हिन्दी-भाषियों से नहीं, बल्कि अहिन्दी भाषियों से आगे बढ़ी है। हमारे संविधान की अष्टम सूची में 14 राज्यभाषाओं को हिंदी के साथ स्थान दिया गया है। संविधान के अनुसार सरकार का कर्तव्य है कि सभी राज्यभाषाओं को समुचित रूप से विकसित होने का अवसर मिले। किन्तु इन सभी विविध भाषाओं में केन्द्रीय एकसूत्रता का कार्य हिन्दी ही कर सकती है, अंग्रेजी नहीं। आज देश में एकता, राष्ट्रीयता और समवेत प्रगति लाने का कार्य संस्कृति और भाषा के स्तर पर हो सकता है, धर्म के बल पर नहीं और इसके लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में

वीकार करना अनिवार्य है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग केवल कर्मचारियों के बल पर नहीं, बल्कि अधिकारियों के बल पर ही विकास पा सकता है जब तक अधिकारी पहल नहीं करेंगे, तब तक कर्मचारियों में उत्साह की भावना उत्पन्न करना कठिन है।

बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई हिंदी माध्यम में बैंकिंग प्रशिक्षण

"राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की भूमिका बदली है, अब बैंकिंग एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए है, बैंकिंग की प्राथमिकता "क्लास" नहीं "मास बैंकिंग" हो गयी है, स्वाभाविक है कि आम जनता के साथ बैंकिंग कारोबार करने के लिए आम जनता की भाषा को अपनाना होगा, बैंकिंग-व्यवहार में कुशलता के लिए बैंकिंग प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षण के बाद ही हम सामाजिक बैंकिंग की अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं, अपनी ग्राहक सेवा को सुधार पाते हैं इसलिए हिन्दी भाषा के माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण देना सामाजिक बैंकिंग और राजभाषा नीति का पालन करने के दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में उपयोगी है।" ये उद्गार थे बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक (आयोजना, विकास तथा सेवाएं) श्री. एम. के. बोस के।

श्री बोस बैंक आफ इंडिया व बैंक आफ बड़ौदा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1988 को हिन्दी माध्यम से आयोजित बैंकिंग पाठ्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे, इस महाविद्यालय ने "लघु उद्योगों व छोटे ऋणियों के लिए वित्तीय व्यवस्था" शीर्षक, का बारह द्विवसीय बैंकिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम से आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में तुलनपत्र-विश्लेषण टंडन चोरे कमेटी रिपोर्ट तथा बैंकिंग ऋण के कानूनी पक्ष जैसे विभिन्न विषय हिन्दी के माध्यम से पढ़ाए गए। यह अपने ढंग का एक विशेष प्रयोग है। जिसमें इस संस्थान द्वारा पहली बार पूरा पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम में चला।

इस विशेष प्रयोग के उद्घाटन के पूर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ओ. पी. गर्ग ने आमंत्रितों तथा प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया। श्री डी. एम. आर्यमाने ने आभार व्यक्त किया।

केनरा बैंक, लुधियाना

मण्डल कार्यालय, चण्डीगढ़ की ओर से अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग के लिए अलग-अलग से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन दिनांक 8-9 मार्च, 88 तथा 10-11 मार्च, 1988 को मिलरगंज लुधियाना शाखा परिसर में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. पी. जी. राव सहायक महाप्रबंधक ने दीप प्रज्जवलित करके किया। सर्वप्रथम बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री सुरजीत कुमार तुली ने बैंक की राजभाषा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए हिन्दी कार्यशालाओं के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर श्री जी. ए. शान भाग, मंडल प्रबंधक तथा श्रीयुत इ. श्रीनिवासन वरिष्ठ प्रबंधक लुधियाना शाखा भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने मंडल कार्यालय चण्डीगढ़ के राजभाषा कक्ष की राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वोत्तम भूमिका के लिए बधाई दी। श्री के. पी. जी. राव सहायक महाप्रबंधक ने बैंक को इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की सूचना तालियों की गड़गड़ाहट में दी। केनरा बैंक को लगातार पिछले तीन वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक गर्वनर राजभाषा शील्ड प्राप्त करने के लिए बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री सुरजीत कुमार तुली द्वारा विशेषकर 'ख' क्षेत्र की शाखाओं में हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के लिए बधाई दी। इन कार्यशालाओं में जालंधर मंडल के हिन्दी सम्पर्क अधिकारी श्री एम. एन. शर्मा ने भी सक्रिय सहयोग दिया। श्री जी. ए. शान भाग, मंडल प्रबंधक के समापन भाषण के साथ हिन्दी कार्यशाला का समापन किया गया।

आकाशवाणी : इन्दौर

दिनांक 7 मार्च, 1988 से 16 मार्च, 1988 तक सात द्विसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 7 मार्च, 1988 को कार्यशाला का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे,—केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के समाहर्ता एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री नारायण राजा और अध्यक्षता श्री कल्याण कुमार शर्मा अधीक्षण अभियन्ता ने की।

सर्वप्रथम हिन्दी अधिकारी श्री मेघसिंह ने इस समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत किया और केन्द्र के विभिन्न अनुभागों में हो रही हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला। इसके बाद श्री कल्याण कुमार शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि शासकीय कार्य में हम सभी को सरल एवं व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए और भारत सरकार की राजभाषा नीति का शत प्रतिशत अनुपालन करना चाहिए।

मुख्य अतिथि श्री ना० राजा ने कार्यशाला की सफलता एवं राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपना आशीर्वाचन दिया।

पंजाब नेशनल बैंक, हिसार

कर्मचारियों के लिए दिनांक 10-12-1987 से 12/12/1987 तक तीन-द्विसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 16 कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय हिसार के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री आर. एस. सिक्का ने करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिन्दी के प्रयोग में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया

जाना चाहिए । उन्होंने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि बैंकों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति को समुचित रूप से अपनाया जा रहा है ।

श्री महीपाल यादव, राजभाषा अधिकारी के अतिरिक्त श्री एस. के. गुप्ता तथा श्री एस. के. सरदाना सहायक प्रबन्धकों ने भी बैंक से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिए।

दिनांक 12-12-1987 को कार्यशाला के समापन समारोह में श्री वेद प्रकाश गौतम, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी एक सरल और सुबोध भाषा है और हमें बैंक के काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए । जरुरत तो इस बात की है कि हम अपनी मानसिक जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी राजभाषा को अपनाएं ।

हिन्दुस्तान जिंक लि., जावर माइन्स

20 फरवरी, 1988 को एक-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस में 22 अधिकारियों ने भाग लिया । कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) श्री एस. एन. शर्मा ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला । समापन सत्र में बोलते हुए आकाशवाणी, उदयपुर के केन्द्र निदेशक श्री मुरली मनोहर मंजुल ने कहा कि यदि हम अपनी भाषा नहीं अपनाएंगे तो आपस की दूरियां बढ़ेंगी । हिन्दी परस्पर जोड़ने की भाषा है । राष्ट्रीय एकता के लिए इसकी भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण है ।

खान अधीक्षक श्री वी. के. पी. सिन्हा ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग करते हुए हमें गौरव महसूस करना चाहिये। डॉ. पुरुषोत्तम छंगाणी एवं डॉ. बलवीर सिंह भटनागर ने प्रशिक्षण दिया । प्रशिक्षार्थी श्री एन. सी शर्मा ने कहा कि हिन्दी कार्यशाला के स्थान पर इसे हिन्दी ज्ञान शाला कहना युक्तिसंगत होगा । श्री भगत सिंह बक्षी एवं श्री चन्द्र सिंह तलेसरा ने भी अपने प्रशिक्षण अनुभव सुनाए ।

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली

मुद्रणालय में 27 अप्रैल, से 10 मई 1988 तक पांचवीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में 14 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर प्रबन्धक श्री सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि इस तरह की चार हिन्दी कार्यशालाएं पहले भी चलाई जा चुकी हैं और इस पांचवीं कार्यशाला में जो कर्मचारी भाग ले रहे हैं उन्हें अधिकांश काम हिन्दी में करने के लिए इस कार्यशाला में विभिन्न व्याख्याताओं द्वारा बताई जाने वाली बातों पर अमल करना चाहिए । पिछली कार्यशालाओं में जिन 62 कर्मचारियों ने अब तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना काम अधिक से अधिक हिन्दी में करें । उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारी इससे पूरा पूरा लाभ उठाएगें।

कार्यशाला के पहले दिन हिन्दी अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह ने राजभाषा अधिनियम तथा सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला । इस अवधि के दौरान हिन्दी वर्तनी की समस्याएं तथा समाधान, हिन्दी टिप्पण व आलेखन के दौरान वाक्यों की अशुद्धियों को दूर करने तथा पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी पर विशेष बल दिया गया । कार्यशाला के अन्तिम दिन हिन्दी अधिकारी ने आग्रह किया कि प्रशिक्षित कर्मचारी भविष्य में अपना सारा कामकाज हिन्दी में करें तथा राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 1988-89 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर

संस्थान में आयोजित हिन्दी कार्यशाला (7 से 12 दिसम्बर 1987) का उद्घाटन श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान ने किया । समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक श्री गिरवर प्रसाद अग्रवाल ने की । अपने सम्बोधन में श्री अग्रवाल ने संस्थान में लगातार तीसरे वर्ष कार्यशाला आयोजित किए जाने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस बार कार्यशाला में केवल व्याख्यान न रखकर संस्थान के विभिन्न प्रभागों में जाकर कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की दिक्कतों को दूर तथा शंकाओं का समाधान किया जाएगा । उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि कार्यशाला के लिए अपनाई गई यह कार्यप्रणाली अधिक बेहतर और कारगर सिद्ध होगी।

राजस्थान के भाषा विभाग के निदेशक डा. कलानाथ शास्त्री ने कहा कि मात्र निर्देशों की पूर्ति करना खानापूर्ती करना होगा, इसके अलावा भी हिन्दी कार्य में रुचि होनी चाहिए । इसके लिये उन्होंने न्याय-सिद्धांत को उद्धृत करते हुए कहा कि न्याय हो जाए यह तो आवश्यक है ही इसके अलावा भी यह लगना चाहिये कि वस्तुतः न्याय हुआ। इसी प्रकार कार्यशाला के सम्बन्ध में आपके यहां भी आकर ऐसा लगता है कि कार्यशाला हुई है ।

इन सब में महत्वपूर्ण बात है आपकी रुचि । उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में यह मांग उठने लगी है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लोग शतप्रतिशत हिन्दी जानते है, अतः आदेश, परिपत्र आदि जो अब द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, इनमें केवल हिन्दी को चलने दिया जाये । द्विभाषी आदेश आदि की हिन्दी भाषी क्षेत्रों में क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार की मांग को उन्होंने एक अच्छा लक्षण बताया ।

इस कार्यशाला में 61 प्रतिभागी थे तथा विभिन्न विषयों पर स्थानीय हिन्दी अधिकारियों तथा विद्वानों ने अपने व्याख्यान दिए ।

पंजाब नैशनल बैंक, आगरा

क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में दिनांक 23 से 25 मार्च 1988 तथा 'लिपिकीय संवर्ग' के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के भूतपूर्व निदेशक श्री ऐन वी राजगोपालन ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अपने-अपने कार्यों में हिन्दी को अपनाने की अपील की। हिन्दी हमारी भावात्मक एकता की भाषा है। सरकार तो सभी प्रयास कर ही रही है। लेकिन हमें निचले स्तर से इसे दैनिक कामकाज में अपनाने का हर सम्भव प्रयास करना होगा। इससे ही हिन्दी को अपना गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक श्री के एल कक्कड़, ने सभी कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालय में हिन्दी को अपनाने पर बल दिया। श्री के के अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबंधक भी उक्त अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने मुख्य अतिथि को धन्यवाद देते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि वे बिना किसी झिझक के अपना कार्य अपनी मातृ-भाषा में करें।

कार्यशाला में 25 प्रशिक्षणार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 22 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में एक निबन्ध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। निबन्ध का विषय "बैंक के कार्य में राजभाषा के प्रयोग की संभावनाएं" रखा गया।

निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले कर्मचारी क्रमशः श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल, राजाकी मंडी, आगरा/श्रीमती निशी सिन्हा, शाखा-विजयनगर, आगरा व श्री आदेश कुमार जौहरी, मैनपुरी शाखा को: श्री एम एल एलावादी, क्षेत्रीय प्रबंधक ने पुरस्कार प्रदान किये।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (मुख्यालय) नई दिल्ली

प्राधिकरण में 14 दिसम्बर से 18 दिसम्बर, 1987 तक प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। 14 दिसम्बर 1987 को प्राधिकरण के अध्यक्ष, एयर मार्शल चंद्रकान्त शान्ताराम-राजे, ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर बी. एस. जोशी, सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन) तथा श्री एम. के. गणेशन, सदस्य (वित्त) भी मौजूद थे। बैठक का प्रारंभ करते हुए श्री मंगतराम धस्माना सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यशाला के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला। इसके दौरान सहायक निदेशक (राजभाषा) ने यह भी बताया कि जबसे प्राधिकरण का गठन हुआ है तबसे प्राधिकरण राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के आदेशों के अनुपालन में दिसम्बर, 1987 तक अपने 7 हवाई अड्डों नामशः श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर), इलाहाबाद, पालम (दिल्ली) वाराणसी, बम्बई, जयपुर और कलकत्ता में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है। इन कार्यशालाओं में तकनीकी एवं गैर तकनीकी तथा राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित सभी प्रकार के लगभग 200 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं में राजभाषा विभाग द्वारा सुझाए गए सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं विभाग की आवश्यकतानुसार बनाए गए पाठों का अभ्यास कराया गया। इन कार्यशालाओं के बाद अधिकांश कर्मचारियों ने इन सभी हवाई अड्डों पर अपना काम हिन्दी में करना प्रारंभ कर दिया है।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमें अपने कार्यालय में हिन्दी को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग के कार्यक्रम से भी अधिक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ अन्य देशों का जिक्र किया जिनका समस्त कार्य अपनी भाषा में होता है। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में मूल रूप से हिन्दी में ही सोचने और लिखने पर बल दिया। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि प्राधिकरण के दक्षिण भारत में स्थित कार्यालयों में हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां के कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति लगाव है परन्तु उनको सही दिशा निर्देश की आवश्यकता है।

यह कार्यशाला मुख्य रूप से राजपत्रित अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में 16 अधिकारियों ने भाग लिया जोकि प्राधिकरण के मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य भी हैं।

18 दिसम्बर, 1987 को इस कार्यशाला का समापन समारोह हुआ। इस अवसर पर सदस्य (कार्मिक एव प्रशासन) ने नागर विमानन राज्यमंत्री की अध्यक्षता में नवम्बर, 1987 को हुई नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि हमें हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से करना चाहिए।

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

निगम में हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए अपने ही कार्यालय के लिपिकों को कार्यालय परिसर में हिन्दी टकण का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। टंकण के इस प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन केन्द्रीय कार्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र में 12 फरवरी को निदेशक (वित्त श्री एस. के. सदाशिवम् द्वारा किया गया। उद्घाटन भाषण में श्री सदाशिवम् ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी को राजभाषा होने के कारण उचित सम्मान मिलना ही चाहिए और निगम का अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के उद्देश्य से ही इस प्रशिक्षण का प्रारम्भ किया गया है। इससे हमारे निगम का अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो सकेगा।

कर्मचारियों में हिन्दी टंकण सीखने के अदम्य उत्साह को देखते हुए उप महाप्रबन्धक श्री जगत प्रकाश गुप्ता ने आशा व्यक्त की कि कार्यक्रम के प्रति कर्मचारियों का उत्साह

देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कर्मचारी इस प्रशिक्षण को 6 मास की बजाए 4 मास में ही पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम के अन्त में मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री यू. सी. मित्तल ने धन्यवाद किया। इस सत्र में 12 कर्मचारी प्रशिक्षण पा रहे हैं तथा इसकी परिक्षाएं जुलाई सत्र में की जाएंगी। प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक समाप्ति पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार पुरस्कार, वेतनवृद्धि आदि दिए जाएंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए उत्तरी क्षेत्र कृषि यन्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार परिसर में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए दिनांक 18-12-87 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उदघाटन न. रा. भा. कार्या. समिति हिसार के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ अ. पाटिल ने किया। उन्होंने बताया कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है जिसके लिखने बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। संसार के गिनती के देशों को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजी सरकारी भाषा नहीं है अपने देश में 75% जनता हिन्दी भाषा बोलती व समझती है तो सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग अवश्य होना चाहिए।

श्री हीरा लाल वर्मा, ने राजभाषा अधिनियम व नीति और वर्ष 1987 में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 22-2-88 से 26-2-88 तक एक सप्ताह का अल्पाविधि हिन्दी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

दिनांक 22-2-88 को गणित विभाग के संगोष्ठी (कक्ष) में प्रो. महेन्द्र कुमार जैन, उप-निदेशक (प्रशासन) ने पाठ्यक्रम का उदघाटन किया। प्रो. वंश बहादुर त्रिपाठी, भौतिकी विभाग एंव अध्यक्ष, हिन्दी कक्ष ने संस्थान के दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि हिन्दी में कार्य करने का उनका अनुरोध किसी पूर्व धारणा अथवा पूर्वाग्रह के कारण नहीं है। हिन्दी, जिसकी लिपि देवनागरी है, विज्ञान एवम् तकनीकी लेखन में हिन्दी प्रयोग के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक भाषा कभी भी जन-साधारण की भाषा नहीं होती है। अंग्रेजी के वैज्ञानिक साहित्य को भी आम अंग्रेजी जानने वाला नहीं समझता है। अतः भाषा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दी वैज्ञानिक लेखन में कुछ शब्द प्रारम्भ में कठिन भी लगे तो घबराना नहीं चाहिए। निरन्तर प्रयोग से वे ही शब्द कुछ समय बाद सरल लगेंगे। संस्थान के कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम तथा हिन्दी कक्ष द्वारा प्रकाशित की जा रही अर्द्धवार्षिक हिन्दी विज्ञान पत्रिका "जिज्ञासा" के बारे में भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया।

अध्यक्षीय सम्बोधन में प्रो. महेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि हमें संस्थान के दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन बहुत अधिक प्रसन्नता होगी जब संस्थान के कार्यालय का सारा काम हिन्दी में होने लगेगा।

संस्थान के संकाय सदस्यों, छात्रों एवम् कर्मचारियों को हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहन देने तथा विज्ञान को जनभाषा में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही संस्थान अर्द्धवार्षिक हिन्दी विज्ञान पत्रिका "जिज्ञासा" प्रकाशित कर रहा है। इतना ही नहीं, संस्थान में शिक्षण का माध्यम हिन्दी हो सके इस पर भी गम्भीरता से विचार चल रहा है। वे स्वयं एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान में राजभाषा के कार्यान्वयन का दायित्व हम पर है और हम इसके लिए सतत् प्रयत्नशील है।

पाठ्यक्रम का समापन समारोह प्रो. महेन्द्र सिंह सोढ़ा, अध्यक्ष भौतिकी विभाग की अध्यक्षता में शुक्रवार 26-2-88 को गणित विभाग में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संस्थान में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद-विवाद का विषय था—"वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रान्ति के नाम पर पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने से हमारी संस्कृति के चिरंतन मूल्यों का ह्रास हो रहा है"। संकाय सदस्यों व कर्मचारियों ने वाद-विवाद में भाग लिया तथा निम्नांकित तीन प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया गया। 1. डा. वी. पी. सौरायन – प्रथम 2. डा. दिनेश चन्द्र दुबे – द्वितीय 3. श्री शिव किशोर द्विवेदी – तृतीय

पाठ्यक्रम के समापन के अवसर पर 35 कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा "समेकित प्रशासनिक शब्दावली" "कार्यालय सहायिका" की एक-एक प्रति पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रदान की गई।

1 विभागीय गतिविधियां

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण सत्रों का समापन

दिल्ली केन्द्र

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के 57वें सत्र का समापन 30 मार्च, 1988 को सम्पन्न हुआ। इस सत्र में 40 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और श्री अनिल कुमार झा ने रजत-पदक तथा कांस्य पदक श्री दिलीप कुमार ने प्राप्त किया। यह सत्र प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा—11 प्रशिक्षणार्थियों ने 'उत्कृष्ट', 25 ने 'बहुत अच्छा' तथा 4 प्रशिक्षणार्थी 'अच्छा' कोटि में रहे।

समापन समारोह की अध्यक्षता राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष के निदेशक, श्री कौशिक मुखर्जी ने की। पदक और प्रमाणपत्र वितरित किए जाने के बाद श्री मुखर्जी ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि देश के विभिन्न अंचलों से यहां प्रशिक्षण के लिए आए हुए प्रशिक्षणार्थियों को निश्चित रूप से अनुवाद की तकनीक और प्रक्रिया को समझने का तो अवसर मिला ही है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आपस में एक दूसरे को समझने, एक-दूसरे के साथ रहने और पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान का जो अवसर मिला है उससे उनके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से निखार आएगा।

बम्बई केन्द्र

बम्बई स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 13वें सत्र का समापन 30 मार्च, 1988 को सम्पन्न हुआ। श्री रवि प्रकाश मंगला, वित्तीय सलाहकार तथा राजभाषा अधिकारी, मध्य रेलवे, बम्बई ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर प्रशिक्षणार्थियों को पदक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए।

इस सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया जिसमें से छः 'उत्कृष्ट', पन्द्रह 'बहुत अच्छा' और नौ 'अच्छा' की कोटि में रहे। रजत पदक श्री कृष्ण कांत कूबल ने तथा कांस्य पदक श्री बी.ए. कारानी ने प्राप्त किए।

श्री मंगला ने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए अनुवाद प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया और कहा कि हिन्दी के कार्य में अनुवाद का कार्य क्रियान्वयन की दिशा में प्रारंभिक चरण है। इससे हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ सकेगा। इस अवसर पर उन्होंने राजभाषा विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि अनुवाद के जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे।

बैंगलूर केन्द्र

बैंगलूर स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 10वें सत्र का समापन बैंक आफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक श्री पी. के. नेने की अध्यक्षता में 30 मार्च, 1988 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर के अनेक अधिकारी तथा राजभाषा कार्य से संबंधित अनेक महानुभाव उपस्थित थे। 24 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया। 13 प्रशिक्षणार्थी 'उत्कृष्ट', 6 'बहुत अच्छा' और 5 'अच्छा' की कोटि में रहे। रजत पदक श्री ओ.पी. जायसवाल ने तथा कांस्य पदक श्री एस एस ध्रुवे ने प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री नेने ने अपने संबोधन में प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि यदि अनुवाद की भाषा सरल और उपयोगी हो, तभी वह अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालयों में जिस प्रकार की भाषा की अपेक्षा की जाती है, अनुवादक को चाहिए कि उसी रूप में वे अंग्रेजी के सरकारी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद करें।

कलकत्ता केन्द्र

कलकत्ता केन्द्र के दूसरे सत्र का समापन समारोह भी 30 मार्च, 1988 को आयोजित हुआ। 25 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया जिसमें से दो प्रशिक्षणार्थी अनुत्तीर्ण रहे। 'उत्कृष्ट' कोटि में 2, 'बहुत अच्छा' में 12 और 'अच्छा' की कोटि में 9 प्रशिक्षणार्थी रहे। श्री गंगाधर सिंह, हिन्दी अनुवादक को रजत पदक तथा श्री संजन कुमार, हिन्दी सहायक को कांस्य पदक प्राप्त हुआ।

श्री देवनारायण तिवारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहा कि वे स्वयं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से यह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने इस प्रशिक्षण के दौरान यह अनुभव किया कि अनुवाद की तकनीक और प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझने और उसे काम में ला सकने की क्षमता का विकास करने में यह पाठ्यक्रम निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होता है।

कलकता केन्द्र में इस अवसर पर एक सांस्कृतिक आयोजन भी रखा गया जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने गीत, कविता, चुटकले तथा ग़ज़लें आदि प्रस्तुत कीं।

नए सत्रों का शुभारंभ

पहली अप्रैल, 1988 से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के चारों प्रशिक्षण केन्द्रों पर नए सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। इनमें से दिल्ली केन्द्र में 43, बेंगलूर केन्द्र में 32, बम्बई केन्द्र में 29 तथा कलकता केन्द्र में 25 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं।

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

इस वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च 1988) में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चार संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी विभिन्न नगरों में आयोजित किए जा चुके हैं। पहला प्रशिक्षण आयोजन 18 जनवरी, 1988 से 22 जनवरी, 1988 तक मंगलूर में हुआ। इसमें 42 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। दूसरा, तीसरा और चौथा आयोजन क्रमशः वाराणसी, बम्बई और विशाखापत्तनम मे 22 फरवरी से 26 फरवरी 1988 तक आयोजित किए गए। इनमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या क्रमशः 44, 26 और 40 रही।

निकट भविष्य में कानपुर और सिकन्दराबाद में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है।

बैंकों के लिए विशिष्ट अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार की एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में अनुवाद से संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से अनुवाद कला तथा तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती रही है। विगत कुछ महीनों से अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह बात कही जाती रही थी कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा तीन महीने के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बैंकों द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजना इतनी लंबी अवधि के लिए संभवतः मुमकिन नहीं हो सकेगा। यह भी देखने में आया है कि बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कुछ बैठकों में यह बात उठाई गई कि लगभग 21 कार्यदिवसों का एक विशिष्ट पाठ्यक्रम बैंकों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तैयार किया जाए जिसमें केवल बैंकों के कर्मचारियों के लिए ही प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग ने यह निर्णय लिया कि बैंकों में अनुवाद कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी के लिए चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, एक अलग से अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। इस निर्णय के तहत बैंकों की अनुवाद संबंधी आवश्यकता और काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक 21 कार्यदिवसीय पाठ्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा बनाया गया।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

18 जनवरी, 1988 को बैंकों में अनुवाद कार्य कर रहे अथवा अनुवाद से जुड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पहला सत्र) ब्यूरो में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल ने किया। उन्होंने उद्बोधन में कहा था कि अनुवाद करते समय प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए और भाषा के संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अनुवाद किसके लिए किया जा रहा है।

इस पाठ्यक्रम में विभिन्न बैंकों के 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, देना बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और पंजाब एण्ट सिंध बैंक आदि के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलत हुए। अहमदाबाद, बम्बई, पुणे, गुड़गांव, बैंगलूर, भटिण्डा, मेरठ, भोपाल, आगरा तथा नई दिल्ली स्थित बैंकों ने अपने कर्मचारियों को आयोजन में भाग लेने के लिए भेजा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आगरा के डा. मदन मोहन ने परीक्षा में रजत पदक तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री जय शंकर शर्मा ने परीक्षा में कांस्य पदक प्राप्त किया।

राजभाषा विभाग के सचिव, श्री वी.वी. महाजन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रतिभागियों को अनुवाद में भाषा की सरलता, सुबोधता तथा सरल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया।

वाराणसी में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वाराणसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 22 से 26 फरवरी, 1988 तक संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के साथ-साथ नगर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों और बैंकों के 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आयकर आयुक्त श्री आर.के उपाध्याय ने प्रशिक्षणार्थियों से इस प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध किया। अन्य

आयकर आयुक्त श्री प्रेमप्रकाश लक्कड़ ने प्रशिक्षण को ज्ञानयज्ञ बताते हुए प्रशिक्षणार्थियों को इससे अंतमन से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरव नाथ सिंह ने ब्यूरो की संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण योजना की रूपरेखा बताई और कार्यलयीन भाषा और अनुवाद की विधा पर प्रकाश डाला तथा भारत सरकार की नीति के अनुसार सरल, सुबोध और सहज भाषा के प्रयोग पर जोर दिया।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सुरम्य और शैक्षिक वातावरण में पांच दिन तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने बड़ी रुचि ली। उनको अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष का ही परिचय नहीं कराया गया बल्कि अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद का अभ्यास भी प्रचुर मात्रा में कराया गया और अनुवाद संबंधी कठिनाइयों पर चर्चा की गई।

पांचवें दिन 16-2-88 पाठ्यक्रम का समापन हुआ। इसमें इलाहाबाद रेंज के आयकर आयुक्त श्री केदारनाथ ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने अपने समापन भाषण में अनुवादकों को दो भाषाओं के बीच सेतु बताया और द्विभाषिकता की स्थिति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान दिलाया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव (शिक्षण) श्री रमेश बाबू अग्रवाल ने अतिथियों और प्रशिक्षणार्थियों को धन्यवाद दिया तथा पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रति आभार प्रकट किया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में दो प्रशिक्षण अधिकारी, सर्वश्री मदनमोहन सिंह बिष्ट और श्री विद्याधर शर्मा दिल्ली से वाराणसी गए थे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई में अनुवाद पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई के अनुरोध पर 22 फरवरी से 27 फरवरी 1988 तक सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, विले पार्ले, बम्बई के परिसर में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त पाठ्यक्रम में सेन्ट्रल बैंक तथा देना बैंक के विभिन्न क्षेत्रों तथा बम्बई से 26 राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

उक्त पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों को अनुवाद के सिद्धांत प्रक्रिया तथा उसकी समस्याओं पर व्याख्यानों के अतिरिक्त बैंकिंग की सामग्री के अनुवाद और बैंकिंग शब्दावली, भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा बैंकिंग संबंधी सामग्री के अनुवाद का अभ्यास कराया गया जिन्हें प्रतिभागियों ने बहुत ही उपयोगी बताया। प्रतिभागियों तथा पाठ्यक्रम के आयोजक अधिकारियों ने संक्षिप्त पाठ्यक्रम की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के एक मास के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निकट भविष्य में आयोजन के लिए भी आग्रह किया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का समापन 27-2-88 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता देना बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एस. आर. शर्मा ने की। श्री शर्मा के अपने दीक्षांत भाषण में हिन्दी के कार्यान्वयन के संदर्भ में अनुवाद की महत्ता पर बल दिया और प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में जाकर इस दिशा में प्रयास करें और हिन्दी का काम आगे बढ़ाएं।

22 फरवरी, 1988 से 27 फरवरी, 1988 तक विशाखापत्तनम में भी संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1988, अक्तूबर, 1988 तथा दिसम्बर, 1988 से आरम्भ होने वाले हिन्दी टाईपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों तथा अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ हिन्दी टाइप लेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मूल रूप से नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए हैं जिनका सरकारी नौकरी में अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। नए भर्ती हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किया जाता है, परन्तु स्थान रहने पर पुराने कर्मचारियों को भी इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में वे ही पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जो हिन्दी शिक्षण योजना के लिए निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम के अन्त में परीक्षा ली जाती है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को वे सब प्रोत्साहन/पुरस्कार मिलते हैं जो हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर मिलते हैं। उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत निकायों आदि को प्रति परीक्षार्थी पचास रुपये की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। यह चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा "निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली" को देय होगा। ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं और प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थी प्रातः 9:30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

अब संस्थान के पाठ्यक्रमों के लिए नामित दिल्ली से बाहर के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर पर छात्रावास की सीमित सुविधा भी उपलब्ध है। अतः यदि कोई दिल्ली से बाहर का कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है और वह कर्मचारी छात्रावास की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो संबंधित कार्यालय

द्वारा इस आशय की सूचना संस्थान को पहले ही देनी होगी क्योंकि छात्रावास में सीमित स्थान ही उपलब्ध है।

इन पाठ्यक्रमों के लिए अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :—

(क) **हिन्दी टाईपलेखन**

(1) सभी अवर श्रेणी लिपिकों एवं अंग्रेजी टंककों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(2) यू. डी. सी., हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।

(3) शैक्षिक योग्यता, हिन्दी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों।

(4) कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर बैंकों/उपक्रमों में कार्यरत आशुलिपिकों को टाइपलेखन की कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) **हिन्दी आशुलिपि**

(1) सभी वर्ग के आशुलिपिकों, पी. ए. सीनियर पी. ए. के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(2) कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट जो हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइप परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा संबंधित कार्यालय यह प्रमाण पत्र दे कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है।

(3) शैक्षिक योग्यता हिन्दी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों।

अगस्त 1988, अक्तूबर, 1988 तथा दिसम्बर, 1988 से आरम्भ होने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथि
1.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	9-8-1988 से 6-10-1988 तक
2.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	24-10-1988 से 21-12-1988 तक
3.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	22-12-1988 से 16-2-1988 तक
4.	हिन्दी आशुलिपि	80 कार्य दिवस	24-10-1988 से 16-2-1989 तक

(4) प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान :—2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली—11

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में प्रशिक्षण केन्द्र अन्य स्थानों पर खोले जा सकते हैं।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु अपने कार्यालय के कर्मचारियों के नाम प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम दस दिन पहले अवश्य इस कार्यालय को भेज दें तथा नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिन प्रातः 9.30 बजे संस्थान के 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली स्थित हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होने के लिए निदेश भी दे दें।

समाचार दर्शन

अनुवाद तकनीक में प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग से पाठकों द्वारा समय-समय पर अनुवाद प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी मांगी जाती है। वांछित सूचना इस प्रकार है :—

विश्वविद्यालय/संस्थान : अनुवाद प्रशिक्षण :—	अंग्रेजी से हिन्दी और विलोमतः
(1) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग पर्यावरण भवन लोदी रोड कम्पलेक्स, नई दिल्ली शाखाएं : बेंगलूर, बम्बई बम्बई तथा कलकत्ता	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए (उपक्रमों, बैंकों आदि सहित)
(2) दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण दिल्ली परिसर साउथ एक्सटेंशन भाग—I, नई दिल्ली	सब के लिए
(3) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)	—यथोपरि—
(4) पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	—यथोपरि—
(5) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, सर्वोदय एन्कलेव, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली	—यथोपरि—
(6) भारतीय विद्या भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	—यथोपरि—

जर्मन-हिन्दी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

कोच्चिं विश्वविद्यालय, (केरल)	प्रयोजन मूलक हिन्दी कोर्स में एक पेपर है।
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार, शास्त्री नगर, मद्रास	

विशेष सूचना :

(1) उपर्युक्त सूचनाएं अपुष्ट आधार पर हैं।

(2) विज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि इस सन्दर्भ में और अधिक सूचनाएं भेजें,

ताकि भविष्य में समेकित सूचना से अन्य पाठक लाभान्वित हो सकें।

—सम्पादक

संविधान के हिन्दी अनुवाद विधेयक में हिन्दीतर भाषियों की पहल

भारतीय संविधान में हिन्दी अनुवाद को अधिकृत स्वीकृति देने से संबंधित जिस 56वें संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया है उसमें गैर हिन्दी भाषी सांसदों और नेताओं की प्रमुख भागीदारी है। मध्यप्रदेश के सांसद श्री बालकवि बैरागी ने इसे एक तोहफे की संज्ञा दी है।

लोकसभा में जिस समय इस संशोधन विधेयक को पारित घोषित किया गया, उस समय उपाध्यक्ष की हैसियत से अन्नाद्रमुक के श्री थम्मी दुराई सदन का संचालन कर रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में ये तथ्य भी दिलचस्प हैं कि राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन जिनके कार्यकाल में यह विधेयक रखा गया और पारित किया गया, वे भी गैर-हिन्दी भाषी (तमिल भाषी) हैं।

इसके साथ ही एक संयोग यह भी है कि गृहमंत्री बूटा सिंह जिनके कार्यकाल में यह विधेयक सामने आ पाया, वह भी हिन्दी भाषी नहीं हैं। विधेयक के संबंध में हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले गृह राज्य मन्त्री चिन्तामणि पाणिग्रही भी गैर-हिन्दी भाषी ही हैं।

चर्चा के दौरान किसी भी गैर-हिन्दी भाषी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। मुस्लिम लीग के सदस्य श्री बनातवाला ने न केवल इसका समर्थन ही किया बल्कि सरकार को इसके लिए बधाई देते हुए यह मांग भी की कि संविधान का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी स्वीकृत होना चाहिए।

एक रोचक तथ्य यह भी है कि संविधान की मूल रचना के समय जहां हिन्दी के पक्ष में 378 गैर-हिन्दी भाषी लोगों ने हस्ताक्षर किये थे वहीं हिंदी अनुवाद को स्वीकृति दिलवाने के समर्थन में 382 गैर-हिन्दी भाषी लोगों ने हस्ताक्षर किए। (नई दुनिया 26 नव. 87 से साभार)

पत्रकारिता पाठ्यक्रम का माध्यम—हिन्दी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में सत्र 1987-88 से स्नातकोत्तर पत्रकारिता पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से शुरु की गई है। इस पाठ्यक्रम के लिए 28 छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर हुआ।

भारतीय कपास निगम लि., बम्बई में राजभाषा शील्ड समारोह

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निगम यथा संभव प्रयास करता रहा है। सरकार द्वारा घोषित सभी प्रोत्साहन योजनाएं निगम में लागू हैं। इसके अलावा निगम ने हिंदी दिवस, 1986 से अपनी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी शुरू की है, जिसके अन्तर्गत राजभाषा की "चल शील्ड" भी शामिल है। दिनांक 26-2-88 को निगम के मुख्यालय में "राजभाषा शील्ड समारोह" आयोजित किया गया। इस बार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री वी. ए. कोहली, उप सचिव, राजभाषा विभाग उपस्थित थे। उनके करकमलों से पिछली दो तिमाहियों में हिंदी में सर्वाधिक पत्र जारी करने के लिए कार्मिक अनुभाग को "राजभाषा शील्ड" प्रदान की गई। श्री कोहली ने इस अवसर पर उपस्थित निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम और सरकारी नीति के बारे में जानकारी देते हुए एवं उन्हें नैतिक कर्तव्य की याद दिलाते हुए दैनिक काम-काज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

पुरस्कार योजनाएं

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून

"पैट्रोलियम का समानवेषण, उपयोगीकरण, परिष्करण एवं ईंधन के रूप में इसका दक्ष उपयोग; वर्तमान प्रचलन एवं भावी संदर्श" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से उपर्युक्त विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 14 सितम्बर, 1988 को देहरादून में आयोजित की जा रही है। तकनीकी गतिविधियों में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रस्तुतियां एवं विवेचनाएं केवल हिन्दी में ही होंगी।

संगोष्ठी में भाग लेने के इच्छुक वैज्ञानिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया, डां. के. एल. गोयल, उप महाप्रबंधक, एवं उत्पादन विभाग, के. दे. मा. पै. स. संस्थान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून 248195 से सम्पर्क करें।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

परिषद् द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं :—

प्रतियोगिता	आयोजन की तिथि
1. हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता	25-26 जुलाई, 1988
(1) राष्ट्रीय एकता के सूत्र	
(2) प्रचार माध्यम और हिन्दी	
(3) आणविक विनाश से विश्व को बचाने के उपाय	
2. हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता	1 अगस्त से 30 सितम्बर, 1988
3. हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता	4-5 सितम्बर, 1988
4. हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता	4 सितम्बर, 1988
5. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता	12 अक्तूबर, 1988
6. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता	नवम्बर, 1988
7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी लेख प्रतियोगिता	1 से 31 अगस्त, 1988
8. देवनागरी तार प्रतियोगिता	अगस्त, 1988

इच्छित प्रतियोगी, कृपया विस्तृत जानकारी एवं नियमावली प्राप्ति हेतु श्री प्रेमचन्द धस्माना, प्रतियोगिता मंत्री, के. स. हि. प, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार समारोह

हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार योजना बोकारो स्टील सिटी की साहित्यिक संस्था 'हिन्दी साहित्य संगम' की एक अन्यतम और अप्रतिम देन है। पुस्तक चयन के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पांच साहित्यकारों को रजतपदक एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने का संस्थागत निर्णय तो है ही, साथ ही साथ संकल्प भी।

वर्ष 1987 का हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 12 फरवरी, 1988 को क्लब में पहले पहल आह्लादमय वातावरण में सम्पन्न हुआ, बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबन्धक (अणुरक्षण एवं सेवाएं) श्री सुरेन्द्र पाल पुरोथिया ने इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन कर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिचय दिया। उन्होंने श्रोताओं एवं साहित्यकारों की प्रशंसा करते हुए हिन्दी साहित्य संगम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा की, साथ-ही-साथ हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार योजना को हिन्दी साहित्य की दुनिया में एक ठोस और महत्वपूर्ण कदम भी बताया।

इस अवसर पर बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य (सम्पर्क एवं प्रशासन) श्री वेदमित्र बुद्धिराजा ने बड़ी ही सशक्त पंक्तियों के द्वारा भारत की भूमि पर अवतरित सभी साहित्यकारों को याद किया और उनके कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी भी श्रोताओं को दी। श्री बुद्धिराजा ने बताया कि हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार योजना साहित्यकारों के मनोबल को बढ़ाने हेतु ही लागू किया गया है। इसके सुन्दर भविष्य की कामना करते हुए इस संस्था के सभी सदस्यों की गौरवमय गरिमा पर भी प्रकाश डाला।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा

साहित्यकारों और विद्वानों का सम्मान

हिन्दी भाषा और साहित्य की विशिष्ट सेवा तथा योगदान के लिए हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित एक समारोह में 8 साहित्यकारों और विद्वानों का सम्मान किया गया। अकादमी की ओर से साहित्यकारों को सम्मान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री हरिकिशन लाल कपूर द्वारा भेंट किये गये। सम्मान स्वरूप प्रत्येक साहित्यकार को 11000/- रुपये की राशि का चैक, प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा शाल भेंट की गई। सम्मानित साहित्यकारों में साहित्य सेवा के लिए डा. सत्यकेतु विद्यालंकार, डा. प्रभाकर माचवे, श्रीमती शकुन्त माथुर तथा डा० नरेन्द्र कोहली, राष्ट्रभाषा सेवा एवं प्रचार-प्रसार के लिए डा० विमल कुमार जैन तथा श्री वी. आर. नारायण और पत्रकारिता सेवा के लिए श्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा श्री चन्दूलाल चन्द्राकर शामिल हैं। उपराज्यपाल श्री हरिकिशन लाल कपूर द्वारा साहित्यकारों को देश और समाज का मार्गदर्शी बताते हुए उनके आपसी मेलमिलाप, भाईचारे और सौहार्द्र का वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया गया। समारोह की अध्यक्षता कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्रीकुलानन्द भारतीय ने लेखकों और साहित्यकारों की कलम की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि जब-जब देश और समाज में संकट तथा विपरित परिस्थितियां आई हैं। साहित्यकारों ने सदैव आगे आकर देश और समाज को दिशा-निर्देश दिया है।

41 युवा लेखक और कवि पुरस्कृत

अकादमी की ओर से आयोजित एक अन्य समारोह में मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री जगप्रवेश चन्द्र द्वारा 41 युवा लेखक और कवियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार उन्हें अकादमी द्वारा आयोजित वर्ष 1985 और 1986

की प्रतियोगताओं में उनकी चुनी गई रचनाओं के लिए दिये गये। युवा लेखकों और कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनकी प्रतिभा को विकसित तथा समुचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष "नवोदित लेखक पुरस्कार प्रतियोगिता" आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 1100/-, द्वितीय 800/- और तृतीय 500/- रुपये तथा प्रोत्साहन पुरस्कार 300/- रु. का है। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त अकादमी द्वारा ट्राफी और प्रमाण-पत्र भी भेंट किये जाते हैं। वर्ष 1985 की प्रतियोगिता में कहानी का प्रथम पुरस्कार श्री दीनदयाल 'दीन' तथा कविता का प्रथम पुरस्कार श्रीमती अनीता शाही मा[illegible] ने प्राप्त किया। वर्ष 1986 की प्रतियोगिता के कहानी का प्रथम पुरस्कार कु. तृप्ता बक्शी, कविता का प्रथम पुरस्कार श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी और एकांकी का प्रथम पुरस्कार श्री मनोज चन्दोला ने प्राप्त किया। कहानी वर्ग में अकादमी द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए अलग से पुरस्कार सुरक्षित हैं। इन पुरस्कारों में वर्ष 1985 का प्रथम पुरस्कार श्री प्रहलाद कुमार तथा 1986 का प्रथम पुरस्कार कु. अन्जु बाला को मिला।

हिन्दी विकास योजना

हजारी मयुम गोकुलानन्द शर्मा

विश्व में राष्ट्र-सम्मान सर्वोपरि ही है। अत: सर्व प्रथम राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रीय एकता लाना हम सबका शुद्ध धर्म है। असल में राष्ट्र का हिताधिकार संभालना ही राष्ट का गौरव है। यदि शुद्ध राष्ट्र-सन्मान रूपी इस उद्देश्य को लेकर हिन्दी विकास-योजना बनाई जाए, तो पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मणिपुर की जनता के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना लाभप्रद होगा।

चूंकि अधिकांश मणिपुरी जनता गरीब हैं। इसलिए वे चाहे राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयकरण के नाम पर हो या जिस किसी धंधे या काम में जुट कर प्रयास करें, तो उसके पीछे जीविका की चिन्ता रहती है यानी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस क्षेत्र में अगर भारत-सरकार की हिन्दी विकास योजना सफल बनाने की इच्छा हो, तो सर्व प्रथम आर्थिक लाभ संपर्क के आधार पर योजना बना लें तो अधिक सुविधा होगी। इस संदर्भ में हमारी संस्था ने जो प्रयास किया है, जो कदम उठाया है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, कि संस्था की ओर से सार्वजनिक सूचनार्थ कई पुस्तिकाएं बांटी गईं।

यह सत्य है कि हम सब भारत-राष्ट्र-निवासी हैं। इसलिए राष्ट्र-सम्मान के नाम पर या राष्ट्र गौरव के नाम पर यदि जो लोग हिन्दी शिक्षा ग्रहण लेने का विचार करें तो उनके मन में यह बात आती है कि क्या हिन्दी पढ़ने सीखने से जीवन निर्वाह में आर्थिक सम्मान अधिक सुविधा अधिक लाभ तथा गौरव आज के समाज में प्राप्त होगा ?

इस मौके पर हम छात्र-छात्राओं के घर-घर जाकर राष्ट्रीय एकता लाने तथा राष्ट्रीयकरण निभाने के हेतु हिन्दी शिक्षा प्रचार प्रसार का अथक प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं वरन आर्थिक पीड़ा ग्रस्त होकर हम त्याग-पूर्वक भरसक प्रयत्न करते हैं। ताकि आर्थिक कठिनाई से हम मुक्त हो जाएं, तो भी संतोषजनक सुविधा तथा सहायता प्राप्त नहीं : उलटे धक्का आघात, तथा प्रहार मिलता है। आज के वातावरण का रंग देखिए कि राष्ट्रनिर्माण हेतु ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को मजाकिया मानते हैं। इस भाव का प्रयत्क्ष अनुभव हम को होता है।

फिर भी नतीजा यह होता है कि वे चाहे हिन्दी न सीखें तो भी यदि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर ली जाएं, तो जीवन निर्वाह में अधिक सुविधा, अधिक लाभ, अधिक सन्मान और अधिक गौरव प्राप्त होगा— यही धारणा उनके मन में रहती है। इस प्रकार यह गलत फहमी उनके मन में जड़ीभूत हो गई। यद्यपि वे शायद हिन्दी विरोधी न हों, तथापि उनके मन में जड़ीभूत हुई इस गलत-फहमी के अनुसार वे विश्वास नहीं कर पाते कि हिन्दी सीखने-पढ़ने से उनको सुख-सुविधा, सन्मान तथा गौरव प्राप्त होगा। अत: मणिपुर में जो अनेक हिन्दी संस्थाएं तथा विद्यालय आदि स्थापित किये गये, वे सब शनै: शनै: बन्द होते गये और बन्द होते जा रहे हैं। अब इनी गिनी हिन्दी संस्थाएं तथा विद्यालय शेष रह गये। फिर भी हम निष्ठा पूर्वक प्रयास करते आ रहे हैं।

उपरोक्त संदर्भ में गत कई वर्षों के अनुभवों के आधार पर हम यह प्रकट करना चाहते हैं कि हिन्दीतर हमारे इस प्रान्त में अंग्रेजी शिक्षा की जड़ जमी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शिक्षा के विशेष लाभप्रद महत्व का गहरा असर यहां के लोगों के मन में पड़ा है जो वास्तव में राष्ट्र—सन्मान—गौरव के लिये उलटा कदम है। किन्तु असल में हम तो शुद्ध आत्म विश्वासी तथा कर्मयोगी ही हैं। इस संदर्भ गत 23-11-87 को हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता की समारोह के अन्तर्गत की विचार गोष्टी हुई।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण हेतु प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय भावना से उठकर जो रचना, कविता तथा लेख आदि रचे गये हो, वे सब पाठ्य-क्रम में रखे जाएं; ताकि लोगों के मन में प्रान्तीय या क्षेत्रीय, जाति, धर्म आदि भेद-भाव की भावना से उठकर शुद्ध राष्ट्रीय एकता भावना उत्पन्न हो; जिसस राष्ट्र का शुद्ध सन्मान तथा गौरव स्थिर रहे।

हिन्दी लेखक-संघों, हिन्दी-आशु लिपि-संस्थाओं प्रचारकों, संचालकों, अधिकारियों आदि हिन्दी सेवा कार्य करने वालों सर्वोत्तम सम्मान-वर्द्धक आर्थिक सहायता देने वाली हिन्दी विकास-योजना बनाई जाए; ताकि जिससे आर्थिक कठिनाई ही नहीं वरन वे अधिकतम सम्मान-पूर्वक जीवित रहे इस प्रकार राष्ट्रीय एकता लाने वाली हिन्दी-विकास योजना बनाई जाए, तो अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी। □

आदेश-अनुदेश

सं० 21034/31/87-रा०भा (घ)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को सहायता के लिए कार्यशालाओं की स्थापना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14025/2/83—रा. भा. (घ) दिनांक 29-10-84 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है जिसके अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों से सरकारी काम काज करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन करने का अनुरोध किया गया था।

2. इन कार्यशालाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन कार्यशालाओं का आयोजन इस प्रकार करें कि कार्यशाला में एक समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी भाग लें, न कि अलग अलग प्रकार का काम करने वाले। इससे कार्यशाला संचालन में भी असानी होगी और उपयोगिता भी बढ़ेगी जो 12 पाठ संबंधित संस्थाओं द्वारा इन कार्यशालाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, उनका उपयोग इसके लिए किया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि ये आदेश अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं।

राम प्रकाश,

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 21034/31/रा० भा० (घ)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—लाइब्रेरियन को हिंदी का प्रशिक्षण देना।

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि लाइब्रेरियनों को हिन्दी का ज्ञान न होने से इन पुस्तकों का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता है। अतः भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ऐसे लाइब्रेरियनों को तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लाईब्रेरियनों को जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजें।

राम प्रकाश,

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 21034/31/87 रा०भा० घ

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—हिन्दी शिक्षण योजना।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी है। इस प्रावधान को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान कराया जाना आवश्यक समझा गया। 27 अप्रैल, 1960 राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर, उन सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जिनकी आयु-1-1-1961 को 45 वर्ष से कम थी। इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजभाषा विभाग ने देश भर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों आदि को हिंदी, हिन्दी टंकण, हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र खोले हुए हैं। इस समय बहुत से कार्यालयों में हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा काफी संख्या में कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। परन्तु ऐसा देखने में आया है कि वे हिंदी में काम करने में झिझकते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि किसी भी अनुभाग/प्रभाग में सभी कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं है। भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने "ग" क्षेत्र में स्थित अपने सभी कार्यालयों को यह सुझाव दें कि वे स्वेच्छा से यह प्रयास करें कि एक वर्ष के दौरान एक अनुभाग। प्रभाग के सभी कर्मचारी हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

राम प्रकाश,

उप सचिव, भारत सरकार

सं०-11/20034/4/87-रा०भा (क-2)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा कालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी के विकल्प के बारे में हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में मद रखने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/11/87—रा. भा. (ग) दिनांक 21-9-87 में ये निदेश दिए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में, जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं, अभ्यर्थियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। ये भी निदेश दिए गए हैं कि इन परीक्षाओं में सभी प्रश्न-पत्रों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए और जहां साक्षात्कार लिया जाना अपेक्षित हो वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए।

2. मंत्रालय/विभाग कृपया संलग्न प्रोफार्मा में इस बारे में वर्तमान स्थिति अपनी हिन्दी सलाहकार समिति के सामने रखें। जिन परीक्षाओं में अभी तक उपरोक्त अनुसार हिन्दी का विकल्प नहीं दिया गया है, उनमें ऐसा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उस बारे में भी समिति को सूचित किया जाए और प्रगति समिति की हर बैठक में सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाए।

गोविन्द दास बेलिया

उप सचिव, भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, निगमों, उपक्रमों आदि में सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं के बारे में अद्यतन स्थिति।

विभाग/कार्यालय उपक्रम का नाम	विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षा का नाम	क्या उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी गई है	क्या प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।	क्या साक्षात्कार के लिए भेजे पत्र में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हिन्दी में उत्तर देने की छूट होगी।	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6

संख्या—11/20034/4/87 रा. भा. (क-2)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्यों को आमंत्रित करने के बारे में स्पष्टीकरण।

इस विभाग के 19 अप्रैल, 1979 के कार्यालय ज्ञापन [संख्या —11/20034/4/79—रा. भा. (क—2)/तथा संशोधित 13 जुलाई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा] के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में संबंधित मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के एक आसानी से उपलब्ध गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ विभागों द्वारा कार्यान्वयन करने में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि गैर-सरकारी सदस्य को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में आमंत्रित करना अनिवार्य है अथवा नहीं तथा किस स्तर की समितियों में ऐसे सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। अतः इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण नीचे दिये जा रहे हैं।

2. इस विभाग के 19 अप्रैल, 1979 (तथा संशोधित) के कार्यालय ज्ञापन में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य को कार्यान्वयन समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किये जाने के बारे में केवल सलाह दी गई थी। इस संबंध में अन्तिम रूप से आवश्यक निर्णय संबंधित विभाग को स्वयं लेना होगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निदेश सभी मंत्रालयों/विभागों की मुख्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की क्षेत्रीय स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों पर लागू होते हैं। क्षेत्रीय स्तर की समितियों से तात्पर्य क्षेत्रीय मुख्यालयों की समितियों से है। अर्थात् यदि मंत्रालय चाहे तो वह अपनी हिन्दी सलाह-

कार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को मंत्रालय स्तर की कार्यान्वयन समिति, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और उद्यमों की मुख्यालय स्तर की समितियों और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर की समितियों में आमंत्रित कर सकता है।

गोविन्द दास बेलिया
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 14012/14/87—रा० भ० (ग)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए हिन्दी टाइपिस्टों का अनुपात निर्धारित करना।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 11 सितम्बर, 1987 को हुई बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/12/87—रा. भा. (क-1) दिनांक 27 नवम्बर, 1987 के द्वारा देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद का निम्नानुसार अनुपात निर्धारित किया गया है :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों में कुल टाइपराइटरों में से कम से कम 25 प्रतिशत टाइपराइटर देव-नागरी के उपलब्ध होने चाहिए।

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों में यह अनुपात 50 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों विभागों तथा अन्य को छोड़कर शेष कार्यालयों में समस्त टाइपराइटरों का कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी के टाइपराइटर होने चाहिएं।

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों और दूसरे कार्यालयों में कुल टाइपराइटरों का कम से कम 10 प्रतिशत देवनगारी के टाइपराइटर होने चाहिएं।

2. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उपरोक्त बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी टंकण जानने वाले टाइपिस्टों का भी अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि कार्यालयों में हिन्दी में कार्य की मात्रा बढ़ सके तथा खरीदे गए टाइपराटरों का उपयोग हो सके।

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपरोक्त सुझावों को मान लिया गया है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षित टाइपिस्टों का अनुपात निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों में ——————25 प्रतिशत

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालयों में ——————50 प्रतिशत

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में ——————25 प्रतिशत

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में ——————10 प्रतिशत

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि हिन्दी टाइपिस्टों के लिए निर्धारित उपरोक्त अनुपात 31 मार्च, 1989 तक पूरा कर लिया जाए। ये अनुपात हिन्दी माध्यम से परीक्षा पास किए उम्मीदवारों की भर्ती करके तथा अंग्रेजी माध्यम से भर्ती किए गए टाइपिस्टों का हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलाकर पूरा किया जाए। जिन कार्यालयों में एक भी हिन्दी टाइपिंग जानने वाला टाइपिस्ट नहीं है वहां कम से कम एक टाइपिस्ट को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण 31-3-89 तक दिया जाए।

5. जिन कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्टों की संख्या उपरोक्त निर्धारित अनुपात से कम है वे टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलाने के लिए विशेष प्रयास करें। हिन्दी टाइपिस्टों के उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद भी टंककों को हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान निदेशों के अनुसार नामित किया जाना रहेगा।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिन्दी टाइपिस्टों का उपरोक्त अनुपात निम्नतम है। हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्ट उपलब्ध होने पर निर्धारित अनुपात से अधिक संख्या में भी इन्हें रखा जा सकता है।

7. ये निदेश केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में सरकारी उपक्रमों, नियमों राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि पर भी लागू होंगे।

8. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन निदेशों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, कम्पनियों, बैंकों आदि के ध्यान में ला दें।

9. इस विषय पर की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी सूचित करें।

वीर अभिमन्यु कोहली, उप सचिव

संख्या-11/20015/21/87-रा०भा०(क-3)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को विभागीय पहचान-पत्र प्रदान किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 17 मार्च, 1979 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की निरीक्षण समितियां गठित नहीं की जानी चाहिएं। इस निर्णय के अनुसरण में 19 अप्रैल, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11/20034/4/79-रा. भा. (क-2) के अन्तर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश भी जारी किये गये थे। इस प्रकार हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा मंत्रालयों के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में निरीक्षण के अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ मंत्रालयों को सलाहकार समितियों, में गैर-सरकारी सदस्य बार-बार पहचान-पत्र/परिचय-पत्र जारी करने की बात उठाते रहे हैं। अतः इस सबध में स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक हो गया है।

2. चूंकि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अन्तर्गत हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को निरीक्षण के अधिकार नहीं हैं, इसलिए यदि परिचय-पत्र इस अभिप्राय के साथ मांगे जाते हैं तो वे जारी नहीं किए जाने चाहिएं। यदि कोई मंत्रालय/विभाग अपनी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को परिचय-पत्र केवल इसलिए जारी करता है कि उनके आधार पर समिति के सदस्यों को मंत्रालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में अधिकारियों को मिलने में सुविधा हो तो उस पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

गोविन्द दास बेलिया, उप सचिव

संख्या-11/12013/3/87-रा. भा. (क-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/1/84-रा. भा. (क-2), दिनांक 25 मई, 1984 के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी। इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे। इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, जो 25 मई, 1984 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी। योजना का विवरण इस प्रकार है :—

2. (1) योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

(2) पात्रता

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक ही सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(3) पुरस्कार—

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 500
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 300
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 150

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 400
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 200
तृतीय पुरस्कार : (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 150

(4) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा। उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा। रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी।

(5) पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अपने उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

(6) मूल्यांकन समिति

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालयों के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए।

4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा। विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है। इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि. सं. एच-78/ई-III/87, दिनांक 27-1-88 द्वारा दे दी है।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना को अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तुरन्त परिचालित करें और अपने मंत्रालय/विभाग में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करें वे अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस योजना के बारे में तुरन्त अवगत कराएं और उन्हें भी अपने सभी कार्यालयों में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करने के आदेश दें। वे अपने नियंत्रण अधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी इस योजना के बारे में जानकारी दें और उन्हें इस आधार पर अपने कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने के लिए प्रेरित करें।

7. इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस विभाग को कृपया शीघ्रातिशीघ्र दी जाए।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को ..... को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी

विवरणी

क्रम सं.	तिथि	कुल फाइलों/ रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिन्दी में काम किया गया।	हिन्दी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या।	हिन्दी में किए गए काम का संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

गोविन्द दास बेलिया, उप सचिव

र०न० 32456/72

हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कृपया मूल रूप से हिन्दी में काम करें

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत आदेश

"क" और "ख" क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चन्डीगढ) में

जिन कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और बैंकों आदि में 80% कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं उन में हिन्दी में प्रवीन कर्मचारी निम्नलिखित पत्रादि के प्रारूप 1-4-1988 से अनिवार्यतः हिन्दी में ही तैयार करें।

—"क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर-सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले पत्रादि

—हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर

—किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी में दिए गए या हस्ताक्षरित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन के उत्तर।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डा. गुरुदयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

1988